46वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

संवृद्धि के लिए...
ऊर्जा का वित्तपोषण...

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

मिशन एवं उद्देश्य

मिशन:

(i) ग्रामीण एवं शहरी जीवन स्तर को उन्नत और बेहतर बनाने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुकर बनाना।

(ii) देश भर में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण और विद्युत वितरण नेटवर्क को वित्तपोषित एवं प्रोन्नत करने वाली परियोजनाओं के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक, ग्राहक-अनुकूल और विकासपरक संगठन के रूप में कार्य करना।

उद्देश्य:

मिशन के प्रोत्साहन में, कारपोरेशन द्वारा प्राप्त किए गए उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

1. समन्वित तंत्र सुधार, विद्युत उत्पादन, विकेंद्रित एवं ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों के बढ़ावा देने, ऊर्जा संरक्षण, नवीकरण एवं अनुरक्षण, पंपसेट ऊर्जायन पर बल देते हुए विद्युत वितरण परियोजनाओं को बढ़ावा देना और वित्तपोषित करना तथा ग्रामीण विद्युत की बुनियादी सुविधाओं तथा आवास विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार की दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का कार्यान्वयन करना।

2. दूर दराज, पहाड़ी, रेगिस्तानी, जनजातीय, तटवर्ती एवं अन्य दुर्गम/दूरस्थ क्षेत्रों सहित सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बिजली की विश्वसनीय और बेहतर आपूर्ति के लिए विकेंद्रित विद्युत उत्पादन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग, परामर्शी सेवाएं, पारेषण, उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली, नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण आदि से संबंधित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की गतिविधियों का विस्तार करना और उनमें विविधिता लाना।

3. घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाना और राज्य बिजली बोर्डों, विद्युत यूटिलिटियों, राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और प्राइवेट विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करना।

4. निगमित लक्ष्यों को पूरा करने के दौरान निगम के प्रचालनों हेतु आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिलाभ की अधिकाधिक दर प्राप्त करना अर्थात् (i) विद्युत संबंधी मूलभूत सुविधाएं स्थापित करना; (ii) बिजली की मांग का विकास; (iii) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का तेजी से सामाजिक-आर्थिक विकास; और (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन।

5. प्रचालनों में निरंतर सुधार तथा अपेक्षित सेवाएं देते हुए संगठन और कारोबार के साझेदारों में आपसी विश्वास एवं आत्म-सम्मान के जरिए ग्राहकों की संतुष्टि और हितों की रक्षा को सुनिश्चित करना।

6. आर्थिक और वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाएं बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों/राज्य सरकारों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों तथा अन्य ऋण लेने वालों को तकनीकी मार्गदर्शन, परामर्श सेवाएं एवं प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना।

विषय सूची

1.	कंपनी के बारे में सूचना	2
2.	निदेशक मंडल	3
3.	कार्यनिष्पादन संबंधी मुख्य- मुख्य बातें	4
4.	शेयरधारकों को चेयरमैन का पत्र	6
5.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	13
6.	निदेशकों का विवरण	21
7.	निदेशक मंडल की रिपोर्ट	23
8.	प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	57
9.	निगमित सुशासन की रिपोर्ट	66
10.	निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र	90
11.	कारोबार दायित्व रिपोर्ट	91
12.	सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	104
13.	सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	107
14.	वार्षिक प्रतिलाभ का सार	118
15.	ठेकों के विवरण अथवा संबद्ध पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं	125
16.	डिबेंचर ट्रस्टियों के विवरण	126
17.	तुलन पत्र	128
18.	लाभ एवं हानि लेखा	129
19.	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	130
20.	लेखा टिप्पणियां	134
21.	नकदी प्रवाह विवरण	171
22.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	175
23.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	180
24.	स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	181
25.	समेकित वित्तीय विवरण	182
26.	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	230
27.	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	234
28.	प्रबंधन दल	235
29.	आरईसी कार्यालयों के पते	237

कंपनी के बारे में सूचना

प्रकार्यात्मक निदेशक

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रकाश ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्रीमती आभा आनन्द किशोर

कार्यकारी निदेशक

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशा./आरईएन एंड एसडी/एस्टेट एवं सीईओ-आरईसीटीपीसीएल)

डॉ. दिनेश अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई/डीडीजी एवं सीईओ-आरईसीपीडीसीएल)

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(ऋण एवं वसूली/एएलएम/ कराधान)

श्री सुनील कुमार
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई/डीडीजी/आईटी)

श्री एस.के. गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
(टीएंडडी /एनईएफ/ डीडीयूजीजेवाई)

श्री राकेश कुमार अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(संसा./सीए/सीपी/ सीएसआर/बैंकिंग)

महाप्रबंधक

श्री टी.एस.सी. बोस
महाप्रबंधक
(डीडीयूजीजेवाई)

श्री दिनेश कुमार
महाप्रबंधक
(रिन्यूएबल एनर्जी)

श्री जी.एस. भाटी
महाप्रबंधक
(डीडीयूजीजेवाई/डीडीजी)

श्री सी.पी. भाटिया
महाप्रबंधक
(वित्त एवं सीएसआर)

श्री एल.एम. वर्मा
महाप्रबंधक
(ऋण एवं वसूली)

श्रीमती कल्पना कौल
महा प्रबंधक
(मा.सं./सी.सी.एवं पी. आर./राजभाषा)

श्री जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं
कंपनी सचिव

श्री एस.एल.बत्ता
महाप्रबंधक
(विधि)/पीआईओ-आरटीआई

श्री जी.वी. महेन्दर
महाप्रबंधक
(एनटिटि अप्रेजल)

श्री अजोय चौधरी
महाप्रबंधक
(वित्त स्वीकृति एवं नीति)

श्री वी.के. सिंह
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक
(पीएमजी)

श्री आर.पी.वैष्णव
महाप्रबंधक
(आं.ले.प.)

श्री राकेश सरीन
महाप्रबंधक (वित्त)
एवं प्रभारी-उत्तरी अंचल

पंजीकृत कार्यालय

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
दूरभाष : 91-11-24365161, फैक्स : 91-11-24360644, ई-मेल : reccorp@recl.nic.in वेबसाइट : www.recindia.gov.in

कारपोरेट पहचान सं. (सीआईएन)

एल40101डीएल1969जीओआई005095

कंपनी सचिव

श्री जे. एस. अमिताभ

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सिलेनियम टॉवर-बी, प्लॉट 31-32, गछीबोविली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम गुडा, हैदराबाद-500032, भारत,
दूरभाष : 91-40-67161500, फैक्स: 91-40-23420814, ई-मेल:einward.ris@karvy.com,
raju.sv@karvy.com, balaji.reddy@karvy.com Website: www.karvycomputershare.com

जहां शेयर सूचीबद्ध हैं

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड

डिपाजिटरी

नेशनल सिक्यूरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड

सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक

पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राज हर गोपाल एंड कंपनी,
सनदी लेखाकार

सचिवालयीय लेखापरीक्षक

चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, कंपनी सचिव

बैंकर्स

भारतीय रिजर्व बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
विजया बैंक

देना बैंक
कारपोरेशन बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक

आईडीबीआई बैंक
इंडस इंड बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
आरबीएल बैंक

येस बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
एक्सिस बैंक
हॉगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड

निदेशक मंडल

श्री राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रकाश ठक्कर
निदेशक (तकनीकी)

श्री अजीत अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

श्री बी.एन.शर्मा
सरकारी नामिती निदेशक

निष्पादन संबंधी मुख्य विशेषताएं

10 वर्षों से निरंतर वृद्धि

विवरण	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06
शेयरधारकों की निधि (वर्ष के अंत में) (₹ लाख में)										
इक्विटी शेयर पूंजी	**98746**	98746	98746	98746	98746	98746	85866	85866	78060	78060
प्रारक्षित एवं अधिशेष	**2386957**	1968200	1646692	1357558	1180116	1009288	533142	450905	323211	341773
नेटवर्थ	**2485703**	2066946	1745438	1456304	1278862	1108034	619008	536771	401271	419833
उधारियां (₹ लाख में)										
भारत सरकार से	**307**	793	1514	2464	3613	4942	6474	8192	10048	11997
बांड/ऋणपत्र	**12468385**	10280671	8524904	7137220	5120853	4085714	3263148	2408961	2161163	1675724
वित्तीय संस्थाओं से	**145000**	299500	402000	437000	472000	407000	335000	350000	350000	350000
विदेशी मुद्रा उधारियां	**2402820**	1762115	1523819	1069809	760590	207637	149367	104845	87209	-
बैंकों से मियादी ऋण	**85900**	26940	78880	109154	646914	581143	480105	443480	379680	315700
कमर्शियल पेपर	**-**	254000	98000	-	-	245000	129500	-	-	-
अल्पावधि/मांग ऋण	**-**	-	150000	250000	-	63000	130000	112800	40000	50500
जोड़	**15102412**	12624019	10779117	9005647	7003970	5594436	4493594	3428278	3028100	2403921
वित्तीय प्रचालन (वर्ष के दौरान) (लाख र.में)										
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	**609**	1035	1031	1091	658	492	506	881	748	661
स्वीकृत वित्तीय सहायता	***6142137**	*7073948	*7947049	*5129677	*6641998	*4535736	*4074584	*4676976	*2862985	*1659689
संवितरण	**4644682**	3796999	4018306	3059330	2851711	2712714	2227786	1630370	1373299	800658
कर्जदारों द्वारा चुकौतियां	**1181263**	1426045	1334592	811969	877258	580654	511936	560024	403444	350646
वर्ष के अंत में बकाया	**17964694**	14864110	12735552	10142626	8172545	6597875	5065281	3861483	3126218	2456368
उपलब्धियां (संख्या में)										
अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण										
वर्ष के दौरान	**1405**	1197	2587	7934	18306	18374	12056	9301	28706	9819
वर्ष के अंत तक	**109524**	108280	107083	104496	96562	78256	59882	47826	38525	9819
बीपीएल आवासों को निशुल्क बिजली कनेक्शन जारी करना										
वर्ष के दौरान	**759377**	961730	1296541	3444902	5883355	4718468	3084788	1621182	655773	16815
वर्ष के अंत तक	**21833995**	21683554	20721824	19425283	15980381	10097026	5378558	2293770	672588	16815
ऊर्जायित पंपसेट										
वर्ष के दौरान	**256026**	264165	254993	329022	318176	240020	188743	181244	174750	182239
वर्ष के अंत तक	**10772632**	10516606	10252441	9997448	9668426	9350250	9110230	8921487	8740243	8565493
कार्यशील परिणाम (लाख ₹ में)										
कुल आय	**2038805**	1712080	1359867	1050907	849526	670760	493128	353766	285400	224506
वित्त लागत	**1184461**	1003846	808376	643135	485101	391285	289870	207275	176478	135577
ऋण परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान	**80296**	31202	13068	5227	22	22	237	3999	2105	-
अन्य व्यय	**30668**	23499	21653	22932	16472	14527	11217	11111	6085	5836
मूल्यह्रास	**676**	421	375	327	303	215	136	139	113	110
कर पूर्व लाभ	**742704**	653112	516395	379286	347628	264711	191668	131242	100619	82983
कराधान हेतु प्रावधान	**216717**	184742	134633	97583	90635	64569	64460	45227	34593	19232
कर पश्चात लाभ	**525987**	468370	381762	281703	256993	200142	127208	86015	66026	63751
इक्विटी पर लाभांश	**105658**	93809	81465	74059	74059	60321	38640	25760	17700	19126

* डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के तहत मंजूरियों को छोड़कर

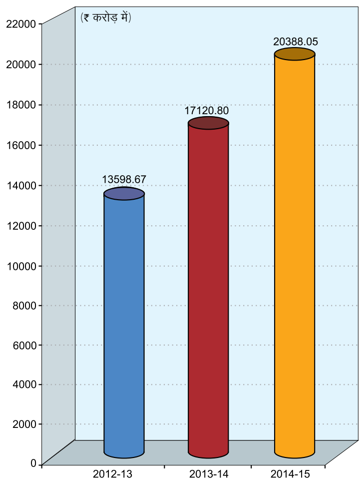

कुल आय

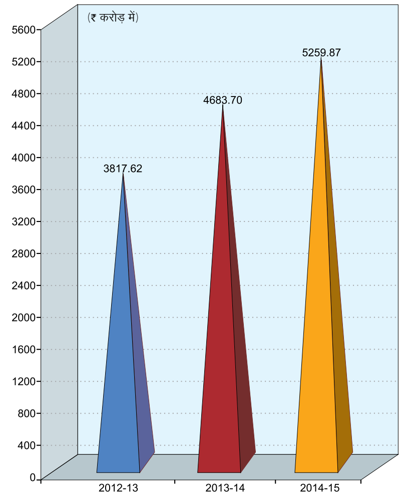

कर पश्चात लाभ

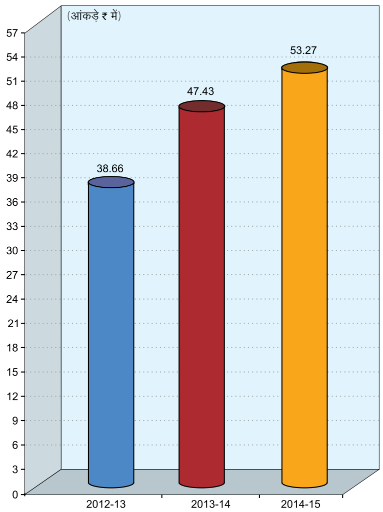

₹ 10 के प्रति शेयर अर्जन

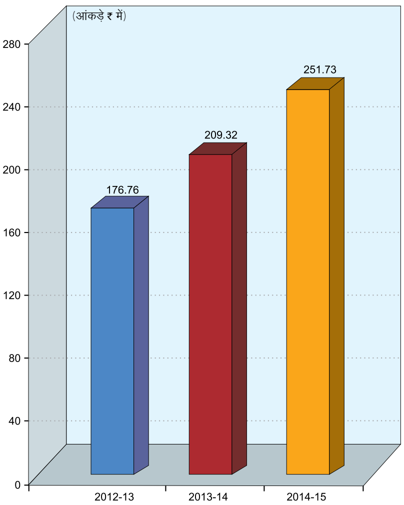

प्रति शेयर बुक वैल्यू

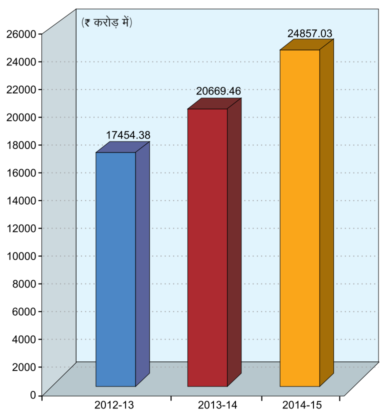

नेटवर्थ

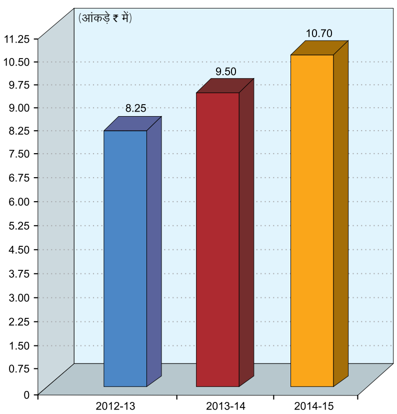

₹ 10 के प्रति इक्विटी शेयर पर लाभांश

शेयरधारकों को चेयरमैन का पत्र

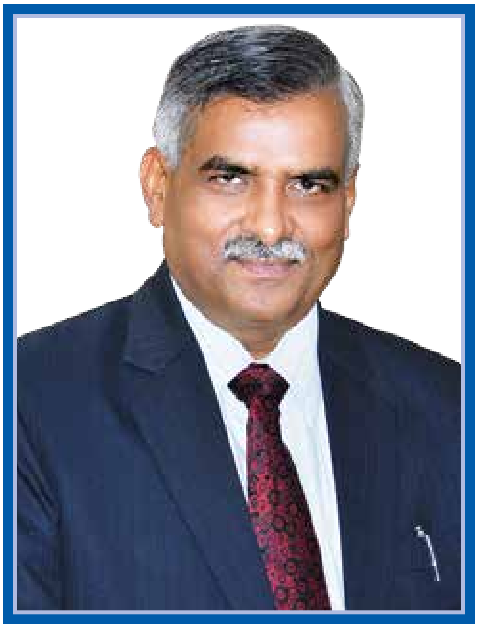

प्रिय शेयरधारक

मुझे आपकी कंपनी की 46वीं वार्षिक रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आरईसी ने शुरूआत से लेकर अब तक समग्र कार्य-निष्पादन की अपनी यात्रा का एक और सफल वर्ष पूरा किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2014-15 आशावाद का वर्ष रहा। केंन्द्र में स्थायी सरकार ने सुधार की प्रक्रिया और नीतिगत उपाय शुरु किए, जिनका उद्देश्य समग्र विकास करना था। वर्ष के बाद सेवाओं में तीव्र वृद्धि और विनिर्माण विकास की स्थिर गति, गिरी हुई मुद्रा स्फीति, बढ़े हुए विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह और रूपए के मूल्य में स्थिरता देखी गई। मेक इन इंडिया, डिजीटल इंडिया, वन और पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने, श्रम सुधार और कोयले के ब्लॉकों की नीलामी जैसी पहलों से सरकार का आसानी से कारोबार करने पर बल परिलक्षित होता है। यद्यपि भयावह चुनौतियां अभी भी हैं और अर्थव्यवस्था पर समग्र रूप से इनके परिणाम प्राप्त होने में कुछ और समय लगेगा। फिर भी शुरूआत की जा चुकी है, जो अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है।

वैश्विक मोर्चे पर, कुछ अपवादों को छोड़कर कुल मिलाकर आर्थिक सुधार पर संकट नहीं टला है। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिति अभी भी चिंता का मुख्य विषय बनी हुई है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, केवल यूएस ने आशा के संकेत दिखाए हैं, जबकि पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में चल रही मंदी के चलते पुर्तगाल और इटली के बाद वित्तीय संक्रमण से जूझ रहे देशों की सूची में ग्रीस नए सदस्य के रूप में जुड़ गया है। जापान ने अवमंदित संवृद्धि से मुकाबले के लिए मात्रात्मक सुगमता का सहारा लिया है और चीन हाल ही में घटित हुई आर्थिक गतिविधियों का साक्षी है। इन बाजारों से अवमंदित बाह्य मांग के कारण उभरती हुई और विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं के सामने मौजूदा स्थिति से चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं ।

जहां तक भारत का सवाल है, अर्थव्यवस्था ने वैश्विक रूझानों से हटकर वित्त वर्ष 2014-15 में स्पष्ट वृद्धि के संकेत दिखाए हैं। सेन्ट्रल स्टेटीस्टिकल ऑफिस डाटा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों के निष्पादन में सुधार के कारण 2014-15 में 7.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अर्थव्यवस्था के 7.5% की दर से बढ़ने की संभावना है, जो इंटरनेशनल मोनेटरी फंड (आईएमएफ) के अनुमान अनुसार, चीन की पूर्वानुमानित वृद्धि दर से भी तेज है।

वर्तमान में, देश करंट अकाउंट डेफिशिट (सीएडी) और बैलेंस ऑफ पेमेन्ट्स (बीओपी) की दृष्टि से अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है। इसका मुख्य कारण यूएस में शेल गैस के अधिक उत्पादन और क्रूड के मूल्य में तेजी से गिरावट आना रहा, इसके फलस्वरूप इसने अपनी क्रूड आवश्यकता में भारी कमी की, यूरोजोन और जापान में आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित किया। ईरान से हाल ही में प्रतिबंध हटने से क्रूड की कीमत फिर से कम होने की संभावना है। तेल की कीमत घटने से मार्च 2014 में मुद्रास्फीति 8.3% की दर से तेजी से गिरकर मार्च 2015 में 5.2% हो गई। सुधार के संकेत दिखाने वाले प्रमुख आर्थिक संकेतक, स्थायीकरण और घटी हुई विनिमय दरें तथा मुद्रास्फीति जैसे अन्य महत्वपूर्ण निर्धारकों से आरबीआई को जनवरी 2015 से 75 बीपीएस तक नीतिगत दरें कम करने और लिक्वीडिटी को सुलभ कराने में सहायता मिली है।

विद्युत क्षेत्र

वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान, कोयला और विद्युत क्षेत्रों में हुई वृद्धि सहित मुख्य क्षेत्रों की समग्र वृद्धि में वास्तविक सुधार आगामी वर्षों में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए सकारात्मक संकेत है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, एक वर्ष में 22,566 मेगावाट की उच्चतम क्षमता में वृद्धि हुई जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 26.6% की बढ़त है। वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान, पिछले वित्तीय वर्ष में 967 बिलियन यूनिट उत्पादन के मुकाबले वास्तविक ऊर्जा उत्पादन 1,048 बिलियन यूनिट रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नीति आयोग ने अनुमान लगाया है कि 9% जीडीपी की वृद्धि दर पर 2022 तक प्रस्तावित बिजली की मांग अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, पारेषण और वितरण तंत्र में अपेक्षित वृद्धि के अनुरूप विस्तार सहित 94,000 मेगावाट की क्षमता वृद्धि अपेक्षित होगी। नीति आयोग के अनुसार वित्तीय वर्ष 2032 तक 8% की स्थायी आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखने के लिए भारत को अपना बिजली उत्पादन कई गुना बढ़ाना होगा जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2032 तक 8,00,000 मेगावाट के लगभग विद्युत उत्पादन करना होगा।

संस्थापित उत्पादन क्षमता बढ़ चुकी है परन्तु उत्पादन क्षेत्र को ऐसी अव्यवस्थित नीति के भंवर से बाहर निकलना है जिसने पिछले 4-5 वर्षों में विद्युत क्षेत्र के विकास को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक कोयला की उपलब्धता में असफलता, कोयला खानों द्वारा योजनाबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना, देशी कोयला और गैस उत्पादन सुदृढ़ करने में असमर्थता, आयात किए जाने वाले ईंधन के मूल्यों

में वृद्धि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एवं आर) तथा पर्यावरणीय मुद्दे आदि प्रमुख अवरोध रहे हैं। भारत सरकार ने पिछले एक वर्ष में कुछ सक्रिय पहलें की हैं, जिनमें पारदर्शी नीलामी के जरिए कोयला खदानों का आबंटन, गैस आधारित रूकी हुई परियोजनाओं और विद्युत तंत्र विकास निधि (पीएसडीएफ) द्वारा समर्थित सहायता प्राप्त आयातित गैस आपूर्ति के जरिए घरेलू गैस आपूर्ति पर 30% पीएलएफ से कम पर काम कर रही निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को सहारा देना, राज्य क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियों की प्रचालनाधीन अलाभकारी यूनिटों को हाथ में लेने के प्रयास, देशी कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाना और सौर ऊर्जा क्षमता पर अधिक बल सहित स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने जैसी प्रमुख पहलें शामिल हैं।

भारत में पारेषण और वितरण तंत्र त्रि-टीयर संरचना है जिसमें क्षेत्रीय ग्रिड, राज्य ग्रिड और वितरण नेटवर्क शामिल हैं। वर्तमान में ये क्षेत्रीय ग्रिड 46,000 मेगावाट से अधिक अन्तर-क्षेत्रीय अंतरण क्षमता सहित राष्ट्रीय ग्रिड की एकीकृत यूनिट के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे एक क्षेत्र की आवश्यकता से अधिक विद्युत ऐसे क्षेत्र को दी जा सकती है, जो विद्युत की कमी का सामना कर रहा है। इससे राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता का इष्टतम प्रयोग हो सकेगा। अन्तर-क्षेत्रीय ग्रिड संयोजकता से प्रणाली में नम्यता और लचीलापन आया है। देश का राष्ट्रीय ग्रिड विश्व में विशालतम समकालीन ग्रिड में से एक है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, पारेषण क्षमता में 22,101 सीकेएमएस की वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में जोड़ी गई पारेषण क्षमता से 32% अधिक है।

वितरण क्षेत्र, जो जरूरी अंतिम लक्ष्य तक संयोजकता उपलब्ध कराता है और जिसके निरूत्साही, बहुसंख्यक और विविध प्रकार के उपभोक्ता हैं, उत्पादन-पारेषण-वितरण की विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी है। वितरण सेक्टर अत्याधिक क्षति, विनियामक संस्थाओं के उप-इष्टतम आंतरिक कार्य, बेमेल टैरिफ आदि जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। भारत सरकार ने राज्य डिस्कॉम/यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें ट्रांजिशनल फाइनांस मकैनिज्म (टीएफएम), आर-एपीडीआरपी और एनईएफ में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के जरिए प्रोत्साहन, यूटिलिटी वार उनका कायाकल्प कर उनकी सुधार योजना तैयार करना और उच्चतम स्तर पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना शामिल है। यह आवश्यक है कि ऐसे हस्तक्षेप व्यापक तथा एकीकृत हों ताकि विद्युत वितरण सेक्टर को सुधारने में सहायता मिल सके।

विद्युत आपूर्ति और उसकी उपलब्धतता को मजबूत करने, ग्रामीण और मात्रा क्षेत्रों में पहुंच और मात्रा में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और शहरी क्षेत्रों के लिए इंटेग्रेटिड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम (आईपीडीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस पहल से 2019 तक 24 X 7 बिजली उपलब्ध कराने के भारत सरकार (जीओआई) के संकल्प को लंबे समय तक सहायता मिलेगी।

जल-विद्युत विकास की दृष्टि से, पिछले कुछ वर्षों में देश की विशाल जल-विद्युत संभावनाओं का दोहन नहीं हो पाया है। चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्यावरणीय मुद्दों और कोर्ट के निर्णयों के कारण अटकी पड़ी हैं, जिसके कारण अत्यधिक विलंब हो रहा है और साइट पर काम बंद पड़ा है। विद्युत का सबसे सस्ता साधन होने के बावजूद, आकर्षण अपेक्षाकृत कम रहा है। चूंकि अनिश्चितताओं के कारण निवेशक जल-विद्युत परियोजनाओं से दूर हो गए हैं। दूसरी तरफ, अक्षय ऊर्जा में अभूतपूर्व संवृद्धि हुई है और भावी योजना के अनुसार, इसका हिस्सा ही अपने आप में देश में उत्पादन स्रोतों के लिए ईंधन मिश्र में अवश्यंभावी प्रमुख अंतरण का संकेत है। वर्ष 2022 तक 175,000 मेगावाट तक अक्षय ऊर्जा की क्षमता अभिवृद्धि की योजना है।

कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें

आपकी कंपनी ने ऋण संवितरण, वसूली, प्रचालनात्मक आय और लाभ जैसे मुख्य क्षेत्रों में उच्च संवृद्धि हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल ₹ 46,446.82 करोड़ का संवितरण किया गया (डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के तहत सब्सिडी सहित), जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 37,969.99 करोड़ थी। केवल स्टैंडअलोन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2014-15 में कंपनी की कुल प्रचालनात्मक आय 19% बढ़कर ₹ 20,229.53 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह ₹ 17,017.98 करोड़ थी। कर पश्चात लाभ 12% बढ़कर ₹ 5,259.87 करोड़ हो गया है, जो पिछले वर्ष ₹ 4,683.70 करोड़ था। 31 मार्च, 2015 को आपकी कंपनी की ऋण परिसंपत्ति बुक पिछले वर्ष के ₹ 1,48,641 करोड़ से 21% - बढकर ₹ 1,79,647 करोड़ की ऐतिहासिक ऊंचाई पर पंहुच गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कंपनी की वसूली दर 97.70% रही। कंपनी की गैर-निष्पादन परिसंपत्तियों (एनपीए) का स्तर कम रहा। 31 मार्च, 2015 को कंपनी का कुल एनपीए ₹ 1,335.38 करोड़ था, जो 31 मार्च, 2015 की सकल ऋण परिसंपत्ति का 0.74% है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बाजार से ₹ 41,189.82 करोड़ जुटाऐ हैं, जिनमें पूंजीगत लाभ, कर छूट प्राप्त बांडों के रूप में ₹ 5,337.78 करोड़, गैर प्राथमिक क्षेत्र के बांडों के रूप में ₹ 29,200 करोड़, विदेशी वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) के रूप में ₹ 6,409.03 करोड़ और केएफडब्ल्यू, जर्मनी और जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), जापान से सरकारी विकास सहायता (ओडीए) के रूप में ₹ 243.01 करोड़ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक पत्र (सीपी) के माध्यम से ₹ 5,894.25 करोड़ जुटाए गए। वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर कंपनी के कुल संसाधन ₹ 1,83,175.03 करोड़ थे।

आरईसी के घरेलू ऋण इंस्ट्रुमेंट के लिए इसे क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इकरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से उनके द्वारा समनुदेशित 'एएए' की सर्वोच्च रेटिंग लगातार प्राप्त होती रही है। कंपनी को भारत की उच्चतम रेटिंग के समतुल्य मूडी और फिच जैसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से क्रमशः 'बीएए3' तथा 'बीबीबी' की अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जुटाई गई निधियों के लिए उधार की समग्र भारित औसत वार्षिकीकृत लागत 8.07% प्रति वर्ष थी और ब्याज कवरेज अनुपात 1.63 था। परिणामस्वरूप, कंपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर ऋण का वित्तपोषण कर पाई।

लाभांश

27 फरवरी, 2015 को प्रदत्त ₹ 8 (केवल आठ रुपए) प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.70 प्रति शेयर (केवल दो रुपए और सत्तर पैसे) (प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) की दर से अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो 46वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कुल लाभांश प्रति शेयर प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर ₹ 10.70 (केवल दस रुपए सत्तर पैसे) बनता है, जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 107% का द्योतक है। जबकि पिछले वर्ष ₹ 9.50 प्रति शेयर (केवल नौ रुपए पचास पैसे) जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 95% था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अदा किया जाने वाला कुल लाभांश ₹ 1056.58 करोड़ होगा (₹ 212.17 करोड़ का लाभांश संवितरण कर निकालकर)।

विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण

यह कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण करती रही है। यह देश में अपने टीएंडडी पोर्टफोलियो के अधीन विद्युत संबंधी नई बुनियादी सुविधाओं के सृजन और पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के अधीन सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। 'सबके लिए बिजली' सुलभ करवाने और तकनीकी एवं वाणिज्यिक क्षतियों में कमी लाने के देश के उद्देश्य के अनुसार, कंपनी वर्तमान पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं पर विशेष जोर दे रही है और इनमें वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण सबसे महत्वपूर्ण है।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने विद्युत उत्पादन/मरम्मत तथा अनुरक्षण ऋण की 34 स्कीमें मंजूर की हैं, जिनमें अतिरिक्त ऋण सहायता की 22 स्कीमें भी शामिल हैं और इनका कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 22,178.31 करोड़ है, जिसमें अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सामूहिक वित्तपोषण भी शामिल है और चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹ 13,828.07 करोड़ संवितरित किए हैं।

पारेषण और वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने ₹ 25,031.14 करोड़ की कुल ऋण सहायता वाली 552 पारेषण और वितरण स्कीमें मंजूर की हैं। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों के साथ जुड़ी हुई प्रारंभिक विद्युत इवेक्यूशन स्कीमें, आर-एपीडीआर परियोजनाओं सहित तंत्र सुधार से जुड़ी स्कीमें, फीडर पृथक्कीकरण स्कीमें, बल्क ऋण स्कीमें, गहन विद्युतीकरण स्कीमें और पंपसेट ऊर्जायन स्कीमें शामिल हैं। पारेषण और वितरण स्कीमों के अधीन ₹ 16,335.06 करोड़ का कुल संवितरण किया गया।

नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, विद्युत उत्पादन तथा पारेषण एवं वितरण परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के अतिरिक्त, कंपनी ने ग्रिड से जुड़ी 8 नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 547.92 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनकी कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 193.86 मेगावाट है। इनमें 173.06 मेगावाट की 6 सौर फोटो-वोल्टाइक परियोजनाएं तथा 20.8 मेगावाट की 2 पनबिजली परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 1,768.19 करोड़ है और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के तहत ₹ 295.25 करोड़ की कुल राशि संवितरित की गई है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार ने सभी ग्रामीण घरों में बिजली पहुंचाने के लिए वर्ष 2005 में ''ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)'' शुरु की थी। आरईसी इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी थी। बाद में आरजीजीवीवाई स्कीम, वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नई 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' स्कीम में सम्मिलित कर ली गई। आरईसी इस डीडीयूजीजेवाई स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। डीडीयूजीजेवाई स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध कराना और विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके तय किए गए पथ (डिस्कॉम वार) के अनुसार एटी एंड सी क्षतियों को कम करना है ताकि परिभाषित परियोजना घटकों के जरिए गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24x7 बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस वित्तीय वर्ष के दौरान, ₹ 4,002.73 करोड़ की राशि (जिसमें डीडीयूजीवाई के आर ई घटक के तहत ₹ 3605.72 करोड़ की सब्सिडी तथा डीडीजी संबंधी सब्सिडी के तहत ₹ 22.64 करोड़ की राशि शामिल है) संवितरित की गई । कुल मिलाकर 31 मार्च, 2015 तक, इस स्कीम के तहत 1,09,524 अविद्युतीकृत गांवों और 3,14,958 गांवों के गहन विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है और 2.18 करोड़ बीपीएल घरों को बिजली के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम

कंपनी की वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां (डब्ल्यूओएस) हैं :

(i) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड; तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने तृतीय पार्टी निरीक्षण (टीपीआई) के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) आधारित क्षेत्र सर्वेक्षण के जरिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क स्थापित किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसीपीडीसीएल ने डीडीयूजीजेवाई-आरई 12वी पंचवर्षीय योजना के तहत 61 और झारखंड डिस्कॉम के लिए आरई कार्यों के तहत 11 डीपीआर तैयार की हैं तथा विभिन्न स्कीमों के लिए तृतीय पक्षकार निरीक्षण (टीपीआई) किए हैं। इसके अतिरिक्त, आरईसी द्वारा अपनी सीएसआर पहल के अधीन उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान और पंजाब में 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत विद्यालयो में शौचालयों के निर्माण के लिए आरईसीपीडीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

आरईसीपीडीसीएल का वित्तीय कार्यनिष्पादन संवृद्धि के पथ पर अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी की सकल आय 16.75% से बढ़कर ₹ 87.76 करोड़ हो गई है, जो विगत वर्ष में ₹ 75.16 करोड़ थी। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत के ₹ 50.18 करोड़ की तुलना में 4.66% बढ़ कर ₹ 52.52 करोड़ हो गया है। कर पश्चात् लाभ (पीएटी) भी विगत वर्ष के ₹ 33 करोड़ की तुलना में 5.35% बढ़कर ₹ 34.77 करोड़ हो गया है। आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर ₹ 100/-प्रति इक्विटी शेयर की दर से अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 1000%, लाभांश देने की सिफारिश की है, जो उनकी आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतरराज्य पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को 'बोली प्रक्रिया समन्वयक' (बीपीसी) के रूप में पदनामित किया है। ताकि विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर आबंटित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए पारेषण सेवा प्रदाताओं का चयन किया जा सके। एमओपी द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र पारेषण परियोजना का विकास शुरू करने के उद्देश्य से, आरईसीटीपीसीएल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) गठित किया है। आरईसीटीपीसीएल की पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (287) के अनुसार आरईसी की पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां भी है। दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को उसकी सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को हस्तांतरित कर दिया गया है। आज की तारीख तक आरईसीटीपीसीएल की सहायक कंपनियों के रूप में निम्नलिखित परियोजना स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) विद्यमान हैं :

1. नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड
2. बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड
3. माहेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड
4. वेमागिरी-II ट्रांसमिशन लिमिटेड
5. अलीपुरदुआर ट्रांसमिशन लिमिटेड
6. एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसीटीपीसीएल की 4 (चार) नई सहायक कंपनियां बनाई गई अर्थात गदरवारा (ए) ट्रांसको लिमिटेड, गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड, माहेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड और विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड। वर्ष 2014-15 के दौरान आरईसीटीपीसीएल की 4 (चार) सहायक कंपनियां अर्थात एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड और विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड सफल बोलीदाताओं को हस्तांतरित कर दी गई।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसीटीपीसीएल ने ₹ 72.44 करोड़ की आय दर्ज की। कर पूर्व लाभ और कर पश्चात् लाभ क्रमशः ₹ 69.92 करोड़ और ₹ 47.54 करोड़ है। आरईसीटीपीसीएल की आरईसी द्वारा वर्ष 2007 में लगाई गई ₹ 0.5 करोड़ की शुरूआती पूंजी की तुलना में आरईसीटीपीसीएल का नेटवर्थ ₹ 105.01 करोड़ है। आरईसीटीपीसीएल के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर ₹ 1,902/-प्रति इक्विटी शेयर की दर से अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 19,020% लाभांश देने की सिफारिश की है, जो उनकी आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

इसके अलावा, आरईसी ने समान भागीदार के रूप में पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी नामक तीन अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ मिलकर 10 दिसम्बर, 2009 को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसिज लिमिटेड (ईईएसएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया था। ईईएसएल का गठन विशेष रूप से जन सुविधाएं जैसे नगरपालिका, भवन, कृषि, उद्योग आदि में ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बाजार में पंहुचाने और उसे बनाए रखने तथा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीशिएंसी, एमओपी की विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए किया गया था। वर्तमान में, ईईएसएल विभिन्न म्यूनिसिपल कारपोरेशन के साथ म्यूनिसिपल स्ट्रीट लाईटिंग परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र में अदक्ष कृषि पंपसेटों के प्रतिस्थापन के लिए एजीडीएसएम परियोजनाएं, विभिन्न यूटिलिटियों के साथ एस्को मोड में घरेलू आवासीय क्षेत्र में डीएसएम बेस्ड एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम (डीईएलपी) तथा विभिन्न कंपनियों की सीएसआर परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

आरईसी ने 31 मार्च, 2015 तक ईईएसएल की इक्विटी शेयर पूंजी में ₹ 22.50 करोड़ (ईईएसएल की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 25%) का अंशदान किया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी ने ईईएसएल में इक्विटी अंशदान के लिए ₹ 25 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। वर्ष के दौरान

ईईएसएल के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है और यह संवृद्धि के पथ पर अग्रसर है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, ईईएसएल का कर पश्चात् लाभ (पीएटी) विगत वित्त वर्ष के ₹ 1.02 करोड़ की तुलना में ₹ 9.05 करोड़ था।

सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन (सायर)

आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना की गई, जिसकी स्थापना विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र तथा विद्युत एवं ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों और प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास की आवश्यकताओं को पूरा करना है। सायर द्वारा विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण तथा अक्षय ऊर्जा स्रोतों के महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डीडीयूजीजेवाई योजना के मानव संसाधन विकास घटक के तहत फ्रैंचाइजी और सी एंड डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय ने सायर को नोडल एजेंसी का दर्जा दिया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, फ्रैंचाइजी और सी एंड डी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वय और मॉनीटरिंग के अतिरिक्त, सायर ने विभिन्न विषयों पर 128 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और प्रशिक्षण के 14,582 श्रम दिवसों सहित 2,539 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है। वर्ष के दौरान, सायर को 22वें बिजनेस स्कूल अफेयर में देवांग मेहता बिजनेस स्कूल द्वारा संस्थान के नेतृत्व, विकास, नवाचार और उद्योगों के साथ संपर्क की मान्यता स्वरूप 'एजूकेशन लीडरशिप अवार्ड' प्रदान किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन

कर्मचारियों की दक्षता और कौशल को उन्नत करने सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में और उच्च कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्राथमिकता दी जाती रही है। कंपनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित कारोबार कौशल तथा सक्षमता को अधिक प्रखर बनाना है और कर्मचारियों को अपने कार्य-निष्पादन एवं उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उन्हें सभी संभव अवसर तथा सहायता उपलब्ध कराना है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, व्यावसायिक अपेक्षाओं की बेहतर समझ को उन्नत करने और ऐसे सामाजिक-आर्थिक वातावरण, जिसमें कंपनी का प्रचालन है, के प्रति कर्मचारियों को सुग्राही बनाने एवं आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और मनोवृत्ति के लिए कर्मचारियों को लाभ प्राप्त करने में सहायता करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहल

सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, कंपनी में 2009 से एकीकृत ईआरपी तंत्र प्रचालन में है, जिसके अंतर्गत कंपनी के प्रमुख कार्य शामिल हैं। पूरी कंपनी के कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल सहित एचआर कार्यों के स्वचलन के लिए एचआर-ईआरपी प्रणाली का कार्यान्वयन काफी आगे बढ़ चुका है। एचआर-ईआरपी समाधान के लिए जनवरी, 2015 में कंपनी में एक आपदा राहत तंत्र की भी स्थापना की गई है। आरईसी के दोनों प्राइमरी डाटा सेन्टर (पीडीसी) और डिजास्टर रिकवरी सेन्टर (डीआरसी) आईएसओ/आईईसी 27001:2013 प्रमाणित हैं और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के अनुसार हैं। आरईसी, कंपनी के सभी कार्यालयों में उपयुक्त वीडियो कॉफ्रेंसिंग (वीसी) कार्यान्वित कर रहा है। चरण- I में वीसी समाधान, मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों में कार्यान्वित किए जाएंगे। आरईसी ने सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑन लाईन 'ई-खरीद' तंत्र और वार्षिक संपत्ति विवरणी तंत्र, आगंतुक प्रबंधन तंत्र, लेखापरीक्षा प्रबंधन तंत्र, आदि जैसे विभिन्न आंतरिक सिस्टम भी कार्यान्वित किए हैं।

निगमित सुशासन

विद्यमान विनियामक ढांचे के तहत विभिन्न शेयर धारकों के स्थायी मूल्य सृजन के लिए आरईसी, निगमित सुशासन नैतिक और जिम्मेदार तरीके से कारोबार का प्रबंधन कर रहा है। कंपनी का ऐसी सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाने में विश्वास है, जो निगमित सुशासन के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनाई जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी द्वारा अनुसरित अच्छी निगमित सुशासन पद्धतियों की मान्यतास्वरूप, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित सांविधिक संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा कंपनी को निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए 13वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में आपकी कंपनी, कंपनी अधिनियम तथा सूचीकरण करारों में निर्धारित निगमित सुशासन की अपेक्षाओं और डीपीई के दिशानिर्देशों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक सहित अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति संबंधी मामला विद्युत मंत्रालय के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

स्वच्छ भारत अभियान

कंपनी में 25 सितंबर, 2014 से 2 अक्टूबर, 2014 तक 'स्वच्छ भारत अभियान' सप्ताह मनाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2014 को, आरईसी के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा 'स्वच्छ भारत दिवस' बड़े उत्साह से मनाया गया और इस अवसर पर कारपोरेट कार्यालय में 'स्वच्छता शपथ' दिलाई गई, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि यह अभियान 'सतत प्रक्रिया' के रूप में चलाया जाए और सभी कर्मचारियों को इस महान अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

आरईसी के सभी कार्यालयों द्वारा अड़ोस-पड़ोस में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें कर्मचारियों ने अत्यधिक उत्साह और जोश से भाग लिया। इस संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन बनाए गए और स्वच्छता के इस मुद्दे पर कर्मचारियों की जानकारी बनाए रखने के लिए इन्हें आरईसी के सभी कार्यालयों में लगाया गया। इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की गई, जिनमें कंपनी के सभी फाइल कवरों

और पत्र शीर्षों पर 'स्वच्छ भारत मिशन' लोगो का मुद्रण, काम की जगह को साफ रखने और व्यवस्थित दिखाने के लिए पुराने रिकार्ड की छंटाई, सामान रखने का स्थान सुलभ कराने, सूचीबद्ध तरीके से रिकार्ड और फाइलों को रखने, तार/केबिल को उपयुक्त तरीके से क्लिप करने, आईटी हार्डवेयर और फर्नीचर को हटाने, मार्गों पर पंहुच और उनकी स्वच्छता आदि शामिल हैं। कंपनी भारत को स्वच्छ बनाने के कारणों के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है और अपने परिसर में तथा उसके आसपास की जगह की स्वच्छता एवं उसमें सुधार लाने का प्रयास करती रहेगी।

कंपनी द्वारा 'स्वच्छता और पवित्रता में ईश्वर का निवास होता है' विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई, जिसमें बहुत से कर्मचारियों ने भाग लिया। 'अपने काम के स्थान की स्वच्छता को कैसे सुधारा जाए' विषय पर कर्मचारियों के लिए सुझाव स्कीम चलाई गई और उत्तम सुझावों को पुरस्कृत किया गया।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास

कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास (सीएसआर एंड एसडी) संबंधी पहल सक्रिय रूप से जारी रखी गई। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 103.25 करोड़ की राशि का सीएसआर बजट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के 2% की दर से) आबंटित किया गया। वर्ष के दौरान, कंपनी में कौशल विकास कार्यक्रम, शिक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता, वयोवृद्ध तथा निःशक्त लोगों के लिए सुविधाओं सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, पेयजल तथा 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' में भागीदारी सहित साफ सफाई एवं स्वच्छता संबंधी सुविधाएं, चुने हुए अविद्युतीकृत /कम विद्युतीकृत गांवों में एलईडी आधारित स्ट्रीट लाइटों आदि के क्षेत्र में विभिन्न पहल की गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 251.22 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई, जिसमें 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत स्कूलों में शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 190 करोड़ शामिल हैं जिसमें से ₹ 67 करोड़ का आबंटन वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए तथा ₹ 123 करोड़ का आबंटन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए किया गया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी ने वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के तहत अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹ 103.25 करोड़ की राशि (खातों में प्रावधान किए गए ₹ 57.21 करोड़ सहित) व्यय की। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान की गई ₹ 57.21 करोड़ की यह राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दी गई है।

समझौता ज्ञापन रेटिंग एवं पुरस्कार

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94 से, जब सरकार के साथ पहली बार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह लगातार 21वां वर्ष है, जब आरईसी ने 'उत्कृष्ट'' रेटिंग प्राप्त की है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए भी, निष्पादन के आधार पर यह कंपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने के लिए तत्पर है। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2014 के अधीन 'ऑपरेशनल परफार्मेंस एक्सीलेंस' के लिए 'कंपनी ऑफ द ईयर' पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी को दैनिक भास्कर और डीएनए से इंडिया प्राइड अवार्ड 2014-15 के अधीन ''एक्सीलेन्स इन फाइनेंशियल सर्विसेज'' पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

अन्य पहल

आपकी कंपनी बाजार आवश्यकताओं के साथ-साथ अपने निगमित उद्देश्यों और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप बनने के लिए अपनी उधार देने तथा प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाविधियों की सतत् समीक्षा करती है तथा उनमें सुधार/संशोधन करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने नियामक परिसंपत्ति के लिए फंडिंग, जोखिम प्रबंधन, संसाधन आयोजना, असामयिक चुकौती/पूर्वभुगतान, व्हिसल ब्लोअर/जागरूकता संबंधी तंत्र और सीएसआर व धारणीयता संबंधी नीतियों की भी समीक्षा की है।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, वर्ष के दौरान कंपनी स्वस्थ माहौल, कारोबार संवृद्धि के अपने उद्देश्यों में संतुलन और लाभात्मकता बनाए रखने में सफल रही।

भावी कार्यनीति

आपकी कंपनी उपभोक्ताओं की विशिष्ट वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपभोक्ता सेंगमेंटों को ध्यान में रखते हुए बहुत से उत्पाद पेश करती है। आरईसी अपने मूल वित्तीय क्रियाकलापों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और विद्युत उपकरणों के वित्तपोषण, ऊर्जा दक्षता संबंधी क्रियाकलाप, इक्विटी वित्तपोषण आदि जैसे विभिन्न सहबद्ध क्षेत्रों में भी नए कारोबार की संभावना तलाशने के लिए प्रयास करेगा।

आपकी कंपनी सौर, बायोमास और पवन ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा के वित्तपोषण की दिशा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बना रही है, जिससे बिजली की कमी, कार्बन के उत्सर्जन और ईंधन की आपूर्ति की समस्या को कम करने में सहायता मिलेगी। नवीकरणीय, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से, आपकी कंपनी ने अधिक नवीकरणीय परियोजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से अपनी उधार नीति को तर्कसंगत बनाया है। इन परियोजनाओं के लिए बेहतर शर्तों पर वित्त उपलब्ध कराते समय आपकी कंपनी ने विभिन्न प्रौद्यौगिकियों में जोखिम मूल्यांकन का ध्यान रखने के लिए ऋण की अवधि 15 वर्ष तक बढ़ा दी है, ब्याज दर नीति में थोड़ा सा परिवर्तन और एकीकृत रेटिंग तंत्र शुरू किया है।

आपकी कंपनी ने वरिष्ठ अधिकारियों वाले ''कार्यनीतिक कारोबार समूह'' का गठन किया है। ताकि वे कारोबार के नए अवसरों का पता लगा सकें और कंपनी के कारोबार विकास के संबंध में नए उत्पादों की खोज कर सकें।

आपकी कंपनी विकास को त्वरित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा वह सभी शेयर धारकों तथा कुल मिलाकर समाज के दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य को संवर्धित करने के उद्देश्य से प्रबंधन वर्ग के कार्यकलापों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा व्यावसायिकता से युग्मित प्राधिकार तथा स्वतंत्रता पर जोर देते हुए निगमित सुशासन के सर्वोत्तम मानकों को हासिल करना जारी रखेगी।

पूर्वानुमान/योजना

विद्युत उत्पादन की दृष्टि से, ब्रिक्स देशों में भारत शिखर पर है, तथापि ब्रिक्स राष्ट्रों के बीच भारत की प्रति व्यक्ति बिजली खपत न्यूनतम है। प्रति व्यक्ति कम बिजली खपत देश में बिजली की व्यापक अंतर्निहित मांग की ओर इशारा करती है। 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना (2012-22) के दौरान, 180 गीगा वाट की अनुमानित कुल क्षमता संवृद्धि एवं ₹ 34 लाख करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेश दोनों से देश में विद्युत क्षेत्र की संभावनाओं को गति मिलेगी। ग्राम विद्युतीकरण पर जोर, सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान सहित अक्षय ऊर्जा और विकेंद्रित संवितरित उत्पादन (डीडीजी) देश में बिजली की पंहुच को दूर तक बढ़ाएंगे, जिससे बिजली की मांग और बढ़ेगी।

बृहत पूंजी व्यय, संवितरण क्षेत्र में भावी विस्तार के लिए अत्यधिक संभाव्यता को मिलाकर समान रूप से विशाल प्रचालनात्मक बुनियादी सुविधाओं के विकास से कंपनी के लिए अत्यधिक आशावादी कारोबार दृष्टिकोण निर्मित होता है। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस में कार्य निष्पादन अवस्थिति निर्माण से वितरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेश के प्रति आकर्षण बढ़ने और इसे गति मिलने की संभावना है, जिससे क्षतियों में कमी, राजस्व की बेहतर वसूली और स्वचालन लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी आएगी। मैं, आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रतिशमित जनबल की सहायता से आपकी कंपनी उपभोक्ताओं को उत्तम सेवाएं देकर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतया तैयार है। इससे उपभोक्ता सेवाओं के प्रति हमारी सम्पूर्ण प्रतिबद्धता लागू होगी, जो कारोबार करने का सार है। सरकार के निर्णय में बदलाव से सुधारोन्मुख सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुआ है। निवेश बढ़ाना, सब्सिडी की पुनः संरचना और प्रतिस्पर्धात्मक, पूर्वानुमेय और स्पष्ट कर नीति वातावरण जैसे कदम उठाना आज की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, कंपनी की लाभात्मकता और संवृद्धि कम लागत पर संसाधनों के विवेकपूर्ण जुटाव और इन निधियों के अधिकतम उत्पादक नियोजन को सुनिश्चित करने में निहित है।

आभार

मैं, इस अवसर पर माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सचिव (विद्युत), अपर सचिव, एमओपी, संयुक्त सचिव, एमओपी और विद्युत मंत्रालय के अन्य अधिकारियों से आपकी कंपनी को प्राप्त असीम समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा दिए गए लगातार सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मैं उनका भी आभारी हूं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस कंपनी में विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं, हमारे ऋणदाताओं और निवेशकों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।

मैं, निदेशक मंडल के अपने सम्मानित सहयोगियों और आरईसी के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं तथा अपने कार्य के प्रति उनकी अथक प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना करता हूं। मैं कंपनी के अन्य सभी शेयरधारकों को भी विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना अमूल्य समर्थन और सहयोग दिया है और कंपनी के कार्य-निष्पादन में निरंतर अपना विश्वास बनाए रखा है।

मुझे पूरा विश्वास है कि समर्पित एवं प्रतिबद्ध कर्मचारियों और हमारे सम्मानित शेयरधारकों के सहयोग से आपकी कंपनी अपनी जिम्मेदारियों का निरंतर निर्वाह करेगी और आगामी वर्षों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन की दिशा में अग्रसर रहेगी।

शुभकामनाओं सहित,

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

7 अगस्त, 2015

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (''आरईसी'' या ''कंपनी'') की छियालीसवीं (46वीं) वार्षिक आम बैठक **बुधवार 16 सितंबर 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वेटलिफ्टिंग सभागार, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003,** में निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करने के लिए आयोजित की जाएगी :

साधारण कार्य

1) निदेशक मंडल की रिपोर्ट और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी का लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, उन्हें अनुमोदित करना और उन्हें अंगीकृत करना।

2) वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश की अदायगी की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3) श्री प्रकाश ठक्कर (डीआईएन : 01120152) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो क्रमावर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण उन्होंने अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है।

4) वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।

विशेष कार्य :

5) निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें आशोधन (आशोधनों) के साथ या उसके (उनके) बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हों, (जिनमें तत्समय प्रवृत्त कोई सांविधिक आशोधन या उनका पुनः अधिनियमन शामिल है) तथा सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम तथा सूचीयन) (संशोधन) विनियम, 2012 तथा अन्य प्रयोज्य सेबी विनियमों तथा दिशानिर्देशों, कंपनी की संस्था अंतर्नियमावली के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यथाप्रयोज्य आवश्यक अनुमोदनों तथा ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमतियां तथा स्वीकृतियां, जो आवश्यक हों, जिनमें कराविलेख की शर्तों के अधीन किन्हीं विद्यमान उधारदाताओं/ऋणपत्र धारकों के न्यासियों का अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, शामिल हैं, की प्राप्ति के अधीन, जो ऐसे अनुमोदन, अनुमतियां तथा स्वीकृतियां प्रदान करते समय उनमें से किसी के द्वारा निर्धारित या अधिरोपित किए गए हों जिन्हें कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति ने या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी ने स्वीकार किया हो, कंपनी की सहमति एतद्द्वारा **इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान** रुपया 42,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए प्रदान की जाती है, जो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, चाहे वे कंपनी के बांड/ऋणपत्र धारक हों या न हों, जैसा कि बोर्ड (या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य प्राधिकारी) अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्णीत करे, जिन में पात्र निवेशक शामिल हैं (चाहे वे निवासी हों तथा/अथवा अनिवासी हों तथा/अथवा घरेलू/तथा/अथवा एक या अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में संस्थाएं/निगमित निकाय हो तथा/अथवा एकल तथा / अथवा न्यासी तथा / अथवा बैंक या अन्यथा हों) जिनमें अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), उद्यम पूंजी निधियां, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, विकास वित्तीय संस्थाएं, निगमित निकाय, कंपनियां, निजी या सरकारी या अन्य निकाय, प्राधिकारी शामिल हैं, तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को उनके एक या अधिक संयोजनों में एक या अधिक किश्तों में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर तथा ग्रीन शू विकल्प के प्रयोग सहित (यथोपरि रुपया 42,000 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर), यदि कोई हो, यथा प्रयोज्य दिशानिर्देशों के तहत यथा निर्धारित शर्तों पर तथा ऐसी शर्तों तथा निबंधनों पर जिन्हें बोर्ड या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसा अन्य प्राधिकारी निर्धारित करे, कंपनी के अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड / ऋण जारी करके जुटाई जाएगी।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ ऋण पत्रों के किसी प्राइवेट प्लेसमेंट को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') को या बोर्ड की किसी विधिवत गठित समिति को या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी को एतद्द्वारा निर्गम की शर्तें निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिनमें प्राइवेट प्लेसमेंट पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित निवेशकों की श्रेणी का निर्धारण जिसे बांड / ऋणपत्र आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किश्त में आबंटित किए जाने जाने वाले बांडों / ऋणपत्रों की संख्या, निर्गम मूल्य, अवधि, ब्याज दर, प्रवृत्त बाजार कीमत पर प्रीमियम / डिस्काउंट निर्गम की राशि, बांड / ऋण पत्र धारकों की श्रेणी को निर्गम मूल्य पर डिस्काउंट, सूचीयन किसी घोषणा / बचनबद्धता इत्यादि के निर्गम इत्यादि तथा तत्सयम प्रवृत्त किसी अन्य विनियामक अपेक्षा का निर्धारण शामिल है।''

6) निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें आशोधन (आशोधनों) के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना :

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 तत्समय प्रवृत उसके किसी सांविधिक आशोधन (आशोधनों) या पुनः अधिनियमन सहित) के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों यदि कोई हों, तथा तत्समय प्रवृत्त किसी संविधि के तहत किन्हीं अन्य प्रयोज्य कानूनों/नियमों के अनुसरण में तथा ऐसे समुचित प्राधिकारियों के अनुमोदन / सहमति के अध्यधीन, कंपनी की सहमति **इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लि.(ईईएसएल)**रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों तथा एसोशिएट कंपनी (कंपनियों) (वर्तमान तथा भावी दोनों) के साथ उन्हें सामान्य व्यवसाय के क्रम में समय-समय पर लागत आधार पर आवश्यक

अवसंरचनात्मक सहायता, जनशक्ति तथा / अथवा अन्य निविष्टियां / सहायता/सेवाएं उपलब्ध कराने, किसी भी प्रकार की सम्पति को पट्टे पर देने, किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सामग्री या सम्पति का क्रय/विक्रय करने तथा/अथवा सेवाएं प्राप्त करने/देने के स्वरूप में संविदा (संविदाएं) या व्यवस्था (व्यवस्थाएं) या लेनदेन करने हेतु प्रदान की जाती है बशर्ते कि **इस संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान** ऐसे संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) का संचयी मूल्य पूर्ववर्ती वित्त वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) से अधिक नहीं होगा।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को या बोर्ड की किसी अन्य विधिवत गठित समिति को या मंडल द्वारा यथानुमोदित किसी अन्य प्राधिकारी को एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के भीतर **एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लि.(ईईएसएल)** रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों तथा एसोशिएट कंपनी (कंपनियों) के साथ एकल संविदा (संविदाओं), या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेनदेन (लेनदेनों) को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जिसमें अन्य बातों के अलावा, संविदा के मूल्य, किए जाने वाले / प्राप्त किए जाने वाले अग्रिम भुगतान, यदि कोई हों, कीमत निर्धारण नियत करने के तरीके तथा संविदा के भाग के रूप में शामिल तथा संविदा का भाग न माने जाने वाली अन्य वाणिज्यिक शर्तों तथा / अथवा इस संबंध में निर्णीत किए जाने वाले किसी अन्य मामलों सहित संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध का स्वरूप, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपिनयों तथा एसोशिएट कंपनी (कंपनियों) के साथ निष्पादित की जाने वाली संविदा या व्यवस्था का स्वरूप, अवधि तथा विवरण, ऐसी संविदा या व्यवस्था की महत्वपूर्ण शर्तें शामिल हैं।''

''**आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी समिति या निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी सहित) को एतद्द्वारा ऐसे सभी कृत्य, विलेख तथा कार्य करने तथा निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जो उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों।''

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(जे.एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
कोर-4 स्कोप कांप्लेक्स,
7 लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
सीआईएन : एल40101डीएल1969जीओआई005095
दिनांक : 07 अगस्त 2015

टिप्पणियां :-

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए तथा मतदान करने के लिए पात्र सदस्य अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रतिनिधि का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित प्रॉक्सी फॉर्म वार्षिक आम बैठक के आरंभ होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फॉर्म और बैठक स्थल का रूट मैप सलंग्न है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.recindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।**

   कोई व्यक्ति मताधिकार रखने वाले तथा कुल मिलाकर कंपनी की कुल अंश पूंजी का अधिकतम दस प्रतिशत धारण करने वाले अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से प्रतिनिधि के रू प में कार्य कर सकता है। मतदान का अधिकार रखने वाला सदस्य जिसके पास कुल अंश पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक शेयर हैं, प्रतिनिधि के रू प में एक ही व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रतिनिधि के रू प में कार्य नहीं करेगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में विशेष कारोबार की प्रत्येक मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. स्टाक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीयन करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित पुनः नियुक्ति के लिए प्रयासरत अथवा पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद से नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त इतिवृत्त इसके साथ संलग्न है और इस नोटिस का भाग है।

4. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां **शुक्रवार 11 सितंबर, 2015 से बुधवार 16 सितंबर, 2015 तक** (**जिनमें ये दोनों शामिल हैं**) बंद रहेंगी।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधानों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा 28 मई 2015 को आयोजित अपनी बैठक में यथा अनुशंसित 2.70 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश, **यदि वह वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, सदस्यों को अथवा उनके अधिदेशियों को जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में बुधवार 7 अक्तूबर 2015 का या उससे पूर्व कंपनी / आर एवं टी ए के पास दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को प्रभावी करने के पश्चात कंपनी के सदस्य रजिस्टर में विद्यमान हैं, वीरवार पहली 10 सितंबर 2015 को अदा किया जाएगा डिमेटिरियलाइज शेयरों के संबंध में, अंतिम लाभांश शेयरों के उन ''लाभार्थी स्वामियों'' को देय होगा जिनके नाम वीरवार 10 सितंबर 2015 को कारोबारी बंद होने के समय नेशनल सिक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामित्व विवरण में विद्यमान होंगे।**

   इसके अतिरिक्त निदेशक मंडल ने 13 फरवरी, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी पर प्रति इक्विटी शेयर 8.00 का अंतरिम लाभांश घोषित किया था जो 27 फरवरी 2015 को अदा किया गया था। शेयरधारकों से भी इसकी पुष्टि करने का अनुरोध है।

6. भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे शेयरों के अंतरण, ट्रांसमिशन, उपविभाजन, समेकन के पंजीकरण से संबंधित या किसी अन्य शेयर से संबंधित मामले से संबंधित तथा / अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के बारे में समस्त पत्राचार कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर लिमिटेड को भेजें तथा इलेक्ट्रानिक मोड में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे समस्त पत्राचार अपने संबंधित निक्षेपागार भागीदार को भेजे।

7. जिन सदस्यों को अपने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं हुए हैं, जिन्होंने उनका नकदीकरण उसकी वैधता अवधि में नहीं कराया है, वे वारंटों का पुनः वैधीकरण कराने या ऐसे वारंटों के बदले डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान प्राप्त करने के लिए कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय के पते पर या कंपनी के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट कार्वी कम्प्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड को पत्र लिख सकते हैं।

   कंपनी अधिनियम, 1956 के लागू प्रावधानों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तद्नुरूपी प्रावधानों), जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है, के अनुसरण में सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त / अदावाकृत पड़ी लाभांश राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष / (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (कंपनियों के पास अप्रदत्त /अदावाकृत पड़ी राशियों के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियमावली, 2012 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी ने 18 सितंबर, 2014 (पिछली वार्षिक आम बैठक की तिथि) की स्थिति के अनुसार कंपनी में अप्रदत्त तथा अदावाकृत पड़ी राशियों के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.gov.in) पर तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिए हैं।

8. कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक में अपनी ओर से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए प्रॉक्सी फॉर्म / उपस्थिति पर्ची के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र (मुखत्यारनामे) की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

9. **सदस्यों से अनुरोध है कि वे :-**

   क. नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वार्षिक आम बैठक में वितरित नहीं की जाएंगी और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति लानी होगी :

   ख. बैठक में भाग लेने के लिए, एतद्द्वारा इसके साथ प्रेषित उपस्थिति पर्ची, बैठक के प्रवेश स्थल पर विधिवत भरी हुई तथा हस्ताक्षरित रू प में प्रस्तुत करें, क्योंकि सभागार में प्रवेश, बैठक स्थल के काउंटरों पर उपलब्ध प्रवेश पर्ची के आधार पर ही होगा, जिसे उपस्थिति पर्ची के बदले दिया जाएगा;

   ग. कंपनी/आर एंड टीए के साथ समस्त पत्राचार में अपना फोलियो / क्लांइट आईडी और डीपीआईडी संख्या का उल्लेख करें;

   घ. नोट करें कि सुरक्षा कारण से ब्रीफ केस, खाने के सामान तथा अन्य सामान को सभागार के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी; तथा

   ड. नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।

10. चूंकि सेबी ने निवेशकों को नकद अदायगी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके का उपयोग अनिवार्य कर दिया है, अतः सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस)/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी)/प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश प्रस्तुत करें, ताकि कंपनी एनईसीएस/एनईएफटी/प्रत्यक्ष क्रेडिट/वारंटों के माध्यम से लाभांश की अदायगी कर सके। जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयरधारित है, वे कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) अर्थात कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 17-24 विट्ठलराव नगर, मधापुर, हैदराबाद-500081 भारत से / एनईसीएस/एनईएफटी/ डायरेक्ट क्रेडिट अधिदेश फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा उन्हें भेज सकते हैं। जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारित हैं, वे अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) से एनईसीएस/एनईएफटी / प्रत्यक्ष क्रेडिट अधिदेश फार्म पहले ही प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें इसे दोबारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

11. लाभांश वारंटों के कपटपूर्ण नकदीकरण की घटनाओं को रोकने के लिए, जो सदस्य एनईसीएस /एनईएफटी / प्रत्यक्ष क्रेडिट सुविधा का विकल्प नहीं देना चाहते हैं, उनको सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक के ब्यौरे अर्थात् बैंक का नाम और शाखा का पता, बैंक खाता संख्या, शाखा का 9 अंकों वाला एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, और खाते का प्रकार 16 सितंबर 2015, तक कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को अवश्य भेज दें, ताकि वे लाभांश के वारंट पर इन विवरणों को मुद्रित करवा सकें।

12. **सेबी ने अंतरिती (अंतरितियों) के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के भौतिक रू प में धारित शेयरों के अंतरण के संबंध में पंजीकरण और प्रतिभूति बाजार लेन-देनों तथा ऑफ- मार्केट/प्राइवेट लेन- देनों के लिए कंपनी / आरटीए को पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत**

करें। तदनुसार, भौतिक रू प में शेयरधारण करने वाले सदस्य कंपनी / आरटीए को प्रेषित अंतरण के प्रत्येक अनुरोध के संबंध में अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि संलग्न करें।

13. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में बहु- फोलियों में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संगत शेयर प्रमाण-पत्रों सहित कंपनी को या उसके रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट को उनके समेकन के लिए आवेदन पत्र भेजें। यदि संयुक्त शेयरधारक बैठक में उपस्थित हो रहे हों तो केवल वही संयुक्त शेयरधारक मतदान करने का अधिकारी होगा, जिसका नाम क्रम में सबसे ऊपर हो।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी)द्वारा नियुक्त अथवा पुन: नियुक्त किया जाता है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में अथवा ऐसे तरीके से तय किया जाएगा, जो कंपनी, आम बैठक में तय करें।

    18 सितंबर 2014 को आयोजित 45वीं वार्षिक आम बैठक में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के साथ पठित धारा 142 के अनुसरण में शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल को लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों / संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, निदेशक मंडल ने 10 नवंबर 2014 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, चार्टर्ड लेखाकार और मैसर्स पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी चार्टर्ड लेखाकार में समान रूप से बांटे जाने के लिए 25,00,000/-(पच्चीस लाख रुपए मात्र) और लागू सेवाकर पारिश्रमिक की अदायगी के रूप में अनुमोदित किया था। निदेशक मंडल ने यह भी अनुमोदित किया है कि उपर्युक्त पारिश्रमिक के अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों को समुचित यात्रा भत्ता और बाह्य स्टेशन पर लेखापरीक्षा कार्य के लिए जेब खर्च की ऐसी वास्तविक समुचित अदायगी की जा सकती है, जैसा कि अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशक (वित्त) द्वारा निर्णीत किया जाए।

    इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसरण में, राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002074 एन) और ए. आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 002744C) को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्ताव है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए वार्षिक आम बैठक में सदस्यों का अनुमोदन उसी प्रकार प्राप्त किया जाए, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया था। **तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करें कि वह वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, जैसा वह उपयुक्त समझें, कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों / संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करे।**

15. कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत यथा अनुमत नामांकन करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी (शेयरपूंजी और ऋणपत्र) नियमावली 2014 में यथानिर्धारित प्रपत्र एसएच-13 में कपंनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को लिखें। रिक्त नामांकन पत्र कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.recindia.gov.in) पर उपलब्ध है। डिमेटिरियलाइज रूप में धारित शेयरों के मामले में नामांकन पत्र सीधे संबंधित निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास जमा कराया जाना अपेक्षित है।

16. **इस बैठक की कार्यवाही की किसी भी मद के संबंध में कोई सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें ताकि अपेक्षित सूचना बैठक के समय उपलब्ध कराई जा सके।**

17. कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपिनयों को यह अनुमति दी गई है कि वे अपने सदस्दयों को वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेज भौतिक रूप से भेजने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज सकती है। तदनुसार कंपनी का प्रस्ताव अपने शेयरधारकों को सभी दस्तावेज अर्थात नोटिस, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, निदेशकों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इत्यादि अब से उनके पंजीकृत इमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने का है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आप उपर्युक्त दस्तावेज और इस संबंध में कानून के अधीन सभी अन्य अपेक्षित दस्तावेज कंपनी से अनुरोध करने पर निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार हैं।

    जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराएं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के निक्षेपागार भागीदार के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए) / संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास अपना ई- मेल पता पंजीकृत करवाएं और कंपनी की हरित पहल में अपना योगदान दें।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अधीन रखा जाने वाला निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अधीन रखे जाने वाले संविदा और व्यवस्था रजिस्टर, जिसमें निदेशक रुचि रखते हों और इस नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों को (शनिवार और रविवार को छोड़कर) 11.00 बजे पूर्वाह्न से 1.00 बजे अपराह्न के बीच कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय बैठक के स्थान पर भी उपलब्ध होंगे।

19. अनिवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कार्वी को तत्काल निम्नलिखित के संबंध में सूचित करें- (क). स्थायी निवास के लिए भारत लौटने पर अपनी आवासीय स्थिति में परिवर्तन के बारे में। (ख). भारत में चालू अपने बैंक खाते के ब्यौरे, शाखा का पूरा नाम, खाते की किस्म, खाता संख्या तथा बैंक के पिनकोड संख्या के साथ बैंक का पता, यदि ये पहले प्रस्तुत न किए गए हों।

20. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014, स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज सूचीकरण करार के खंड 35 ख और आईसीएसआई द्वारा जारी आम बैठकों संबंधी सचिवालयी मानकों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, यह कंपनी शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा दे रही है, ताकि वे नोटिस में उल्लिखित मदों के संबंध में अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप में कर सकें। इस प्रयोजन के लिए ई-मतदान की सुविधा प्रदान करने हेतु मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली जा रही हैं, ताकि वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें, जो शेयरधारक ई- मतदान न करना चाहें, वे वार्षिक आम बैठक में मत- पत्र की प्रक्रिया के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया की निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए संजय ग्रोवर एण्ड एसोशिएट्स, प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव श्री संजय ग्रोवर को संवीक्षाकर्ता के रूप में नियुक्त किया है, ताकि शेयरधारकों द्वारा ई-मतदान प्लेटफार्म पर और बैठक में मत-पत्र प्रक्रिया दोनों ही माध्यमों से किए गए मतदान की संवीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा सके।

इसके अलावा कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या वार्षिक आम बैठक में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए **अंतिम तारीख वीरवार, 10 सितंबर 2015 तय की है।** जो व्यक्ति इस अंतिम तारीख तक सदस्य न हो, वह इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझे।

ई-मतदान का पोर्टल, **शनिवार, 12 सितंबर, 2015 (10.00 बजे) से मंगलवार, 15 सितंबर 2015 (17.00 बजे)** तक खुला रखा जाएगा। ई-मतदान की उपर्युक्त अवधि की समाप्ति पर ई-मतदान के पोर्टल को तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों की ई-मेल आईडी कंपनी / आर एंड टीए के पास पंजीकृत हो, उन्हें प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड की सूचना देते हुए आर एंड टीए द्वारा ई-मेल भेज दिया जाएगा। अन्य सदस्यों के लिए विशिष्ट पासवर्ड, प्रोक्सी फार्म पर मुद्रित किया जाता है। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रू प से अपने मतदान करने से पहले निम्नलिखित अनुदेशों और अन्य सूचना को सावधानी से पढें।

(i) कार्वी से किसी सदस्य को ई-मेल प्राप्त होने पर https://evoting.karvy.com पर लॉग - ऑन कोरं या ई-मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, यदि आप ई-मतदान के लिए कार्वी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तो अपने मतदान के लिए विद्यमान प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

(ii) इस नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्सी फार्म के नीचे अथवा आर एंड टी ए से प्राप्त ई- मेल में उल्लिखित लॉगइन क्रेडेंशियल (अर्थात् प्रयोक्ता-आईडी और पासवर्ड) को अन्यथा दर्ज करें। आपका फोलियो/डीपी आईडी और ग्राहक आईडी ही आपका प्रयोक्ता आईडी होगा।

प्रयोक्ता आईडी	**डिमेट रू प में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए :**
	क) एनएसडीएल के लिए: 8 डिजिट वाले डीपीआईडी के पश्चात 8 अंक का डीपी आईडी
	ख) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट का लाभकर्ता आईडी
	फिजिकल रू प में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए :-
	ईवीईएनटी संख्या के पश्चात कंपनी में पंजीकृत फोलियो संख्या
पासवर्ड	आपका विशेष पासवर्ड नोटिस के साथ संलग्न प्रॉक्सी (प्रतिनिधि) पत्र पर मुद्रित है / कार्वी से प्राप्त ई-मेल में भी उल्लिखित है।
कैपचा	सत्यापन कोड प्रविष्टि करें अर्थात शब्दों तथा संख्या को उसी तरीके से प्रविष्ट करें जैसे सुरक्षा कारणों से वे प्रदर्शित किए गए हैं।

(iii) समुचित रूप से इन ब्यौरों को प्रविष्ट करने के पश्चात, ''लॉगइन'' पर क्लिक करें।

(iv) अब आप पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू पर पहुंच जाएंगे जहां पहुंचकर आप के द्वारा अपना पासवर्ड अनिवार्य रूप से बदला जाना अपेक्षित है। नए पासवर्ड में कम से कम 8 शब्द होंगे जिनमें से कम से कम एक बड़े अक्षरों (A-Z) में, एक छोटे अक्षरों (a-z) में, एक संख्या (0-9) में तथा एक विशेष वर्ण (@,#,$ इत्यादि) होगा। सिस्टम आपको प्रथम लॉग-इन पर अपना पासवर्ड बदलने तथा सम्पर्क ब्यौरे तथा मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी इत्यादि अद्यतन करने के लिए कहेगा। आप पासवर्ड भूल जाने के स्थिति में अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का कोई गुप्त प्रश्न तथा उसका उत्तर भी प्रविष्ट कर सकते हैं। आपको यह चेतावनी दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा यह कि आप अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(v) आपको अपने नए ब्यौरों के साथ पुनः लॉग-इन करना होगा।

(vi) सफलतापूर्वक लॉग-इन करने पर, सिस्टम आपको रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लिए ई-वोटिंग-इवेंट संख्या का चयन करने के लिए कहेगा।

(vii) मतदान पृष्ठ पर ''के लिए / के विरोध में'' नीचे अंतिम तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या (जो मतों की संख्या दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से 'के लिए' में आप अंशतः कोई भी संख्या के नीचे और अंशतः ''विरोध में'' के नीचे प्रविष्ट कर सकते हैं किन्तु ''के लिए / विरोध में'' के तहत कुल संख्या मिलाकर यहां ऊपर यथा उल्लिखित आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप निषेध विकल्प का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि शेयरधारक ''के लिए या ''के विरोध में'' में से किसी को भी निर्दिष्ट नहीं करता है, तो इसे ''निषेध'' माना जाएगा तथा धारित शेयरों की गणना किसी भी शीर्ष के तहत नहीं की जाएगी।

(viii) बहु फोलियो / डिमैट खाता धारित करने वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो / डिमैट खाते के लिए पृथक-पृथक रूप से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।

(ix) नोटिस की प्रत्येक मद के लिए मतदान पृथक-पृथक किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्टि मद पर अपना मत नहीं डालना चाहते तो उसे ''निषेध'' के रूप में माना जाएगा।

(x) तब आप किसी समुचित विकल्प का चयन कर अपना मत डालेंगे और ''प्रस्तुत'' पर क्लिक करेंगे।

(xi) एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि के लिए ''ओके'' पर क्लिक करें अथवा आशोधित करने के लिए ''निरस्त'' पर क्लिक करें। आपके द्वारा एकबार पुष्टि कर दिए जाने के पश्चात आपको अपना मत आशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, सदस्य कितनी भी बार लॉग इन कर सकते हैं जब तक कि वे संकल्प (संकल्पों) पर अपना मत नहीं डाल देते।

(xii) कारपोरेट / संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्ति विशेष, हिन्दु अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोड़कर) से भी अपेक्षित है कि वे ई-मेल आईडी scrutinizer.recl@gmail.com पर संवीक्षाकर्ता को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के साथ बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र इत्यादि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्यप्रति (पीडीएफ प्रारूप में) भेजें तथा उसकी एक प्रति evoting.karvy.com को चिन्हांकित करें। उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति नाम दिए गए प्रारूप ''Corporate Name_EVEN NO.'' में होनी चाहिए।

(xiii) यदि कोई व्यक्ति वार्षिक आम बैठक की सूचना प्रेषित किए जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और अंतिम तारीख को शेयरधारण करता हो तो वह कंपनी के आर एंड टी ए से ई-मतदान के लिए प्रयोक्ता आई कार्ड और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

(xiv) इसके अलावा ई-मतदान से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर हेल्प एण्ड एफ ए क्यू को देखें, या टोल फ्री नंबर 1800 345 4001 पर हमारे आर और टी ए पर संपर्क करें या श्री एस. वी. राजू / श्री एस. बालाजी रेड्डी, मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32 गची बोवली फाइनेशियल, जिला नानक्रमगुडा, हैदराबाद 500032, फोन नंबर 040-67161569/67161571 ई-मेलःeinward.ris@karvy.com/raju.sv@karvy.com/balaji.reddy@karvy.com पर संपर्क करें।

21. शेयरधारक द्वारा एकबार संकल्प पर मत डाल देने के पश्चात, शेयरधारकों को तदंतर उसमें परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी

22. बैठक में कार्य-सूची की मदों पर एकबार चर्चा पूरी होने पर प्रत्येक प्रस्ताव को मत- पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान करने के लिए बैठक में रखा जाएगा। जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान किया है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से पुनः मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

23. संवीक्षाकर्ता, वार्षिक आम बैठक में मत-पत्रों की प्रक्रिया के माध्यम से मतदान सम्पन्न होने के बाद, मत-पत्रों के माध्यम से बैठक में डाले गए मत- पत्रों की गिनती करेगा और उसके पश्चात ऐसे कम से कम दो साक्षी, जो कंपनी में सेवारत न हों की उपस्थिति में ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतों (वोट) को खोलेगा और संवीक्षाकर्ता की समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे बैठक के अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

24. प्रत्येक प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में किए गए मतों की संख्या अमान्य मतों की संख्या के परिणाम का उल्लेख और इस बात का उल्लेख करते हुए कि प्रस्ताव (प्रस्तावों) को स्वीकार किया गया है या नहीं तथा संवीक्षाकर्ता की रिपोर्ट, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाएगा और इन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.recindia.gov.in) और कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर डाला जाएगा और निर्धारित समय-सीमा के अंदर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी प्रस्तुत किया जाएगा, इसके अलावा यदि प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है, तो उन्हें वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित समझा जाएगा।

25. कंपनी इस बैठक के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है।

26. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 102 (1) के अनुसरण में विवरण निम्नलिखित विवरण में नोटिस में निर्धारित विशेष कार्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।

मद संख्या. 5

कंपनी (विवरणिका तथा प्रतिभूति आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 तथा कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियमावली, 2014 के नियम 18 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं करेगी जबतक कि प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश को या प्रतिभूतियों में भागीदारी अथवा अंशदान करने के आमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों ने ऐसी प्रत्येक पेशकश या आमंत्रण के लिए विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित न कर दिया हो। तथापि, **'अपरिवर्तनीय ऋणपत्र' के लिए पेशकश या आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा कि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे ऋणपत्रों के लिए सभी पेशकशों या आमंत्रणों हेतु वर्ष में केवल एकबार एक पूर्ववर्ती विशेष संकल्प पारित करें।**

तद्नुसार कंपनी के शेयरधारकों ने 18 सितंबर, 2014 को आयोजित कंपनी की पिछली (45वीं) वार्षिक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था, ताकि कंपनी के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बंध-पत्रों/ऋण-पत्रों को जारी करके रुपया 35,000 करोड़ तक के अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बंध-पत्र/ऋण-पत्रों के माध्यम से निधि जुटाई जा सके। यह निधि एक या एक से अधिक किश्तों में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को बंध-पत्र/ऋण-पत्र जारी

करके जुटाई जाएगी जो वे कंपनी के समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी के बंध- पत्र / ऋण-पत्र धारक हों या नहीं। लेकिन शेयरधारकों का उपर्युक्त अनुमोदन 17 सितंबर, 2015 तक विधिमान्य है, उसके बाद निधि जुटाने की सुविधा के लिए और उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों के अनुसार इस प्रस्ताव को पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अप्रतिभूति/प्रतिभूति अपरिवर्तनीय बंध-पत्रों/ऋण-पत्रों के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाने के लिए इस वार्षिक आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है।.

अतः अनुरोध है कि एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाए ताकि यह प्रस्ताव पारित किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थात् 15 सितंबर, 2016 तक अप्रतिभूति/प्रतिभूति अपरिवर्तनीय बंध-पत्र/ऋण- पत्र के प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से रुपया 42,000 करोड़ तक निधि जुटाई जा सके। यह निधि एक या एक से अधिक किश्तों में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को बंध- पत्र/ऋण-पत्र जारी करके जुटाई जाएगी, जो समय-समय पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी के समग्र बाजार उधार कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनी के बंध-पत्र/ऋण-पत्र धारक हों या नहीं। इसके अलावा रुपए 42,000 करोड़ की उपर्युक्त सीमा, 10 जून, 2014 को डाक मत-पत्रों के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव के जरिए शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित समग्र उधार की सीमा के अंदर है।

इसके अलावा, कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी समिति को या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को अधिकृत किया जाएगा कि वह प्राइवेट प्लेसमेंट के पेशकश पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित निर्गम की शर्ते निर्धारित करे तथा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विनियामक अपेक्षा का निर्धारण, जिनमें निवेशकों की श्रेणी, जिसे बांड / ऋण-पत्र आबंटित किए जाने हैं, प्रत्येक किश्त में आबंटित किए जाने वाले बांडों/ऋणपत्रों की संख्या, निर्गम का मूल्य, अवधि, ब्याज दर, तत्समय प्रवृत्त बाजार दर पर प्रीमियम/बट्टा निर्गम की राशि, बांड/ऋणपत्र धारकों की किसी श्रेणी को निर्गम मूल्य पर बट्टे, सूचीयन, किसी घोषणा/वचनबद्धता का निर्गम करना इत्यादि शामिल है।

संस्था ज्ञापन और अंतर्नियमावली तथा सभी संबंधित दस्तावेज, कारोबार समय के दौरान सभी कार्य दिवसों में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सदस्यों के देखने के लिए उपलब्ध रहेंगे और ये दस्तावेज वार्षिक आम बैठक के स्थल पर भी उपलब्ध रहेंगे।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में दिए गए प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश की गई है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की मद संख्या 5 में दिए गए विशेष प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति देने की कृपा करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके संबंधियों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के सिवाए उक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में कोई सरोकार या हित, वित्तीय या अन्यथा हित निहित नहीं है।

मद संख्या. 6

कंपनी (बोर्ड की बैठकें तथा इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 15 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों की पूर्व सहमति के सिवाए किसी 'संबंधित पक्षकार' के साथ उक्त अधिनियम और नियमावली के अधीन (निर्धारित सीमा से अधिक) कोई संविदा या व्यवस्था नहीं करेगी। ''संबंधित पक्षकार'' में अन्य पक्षकारों के साथ- साथ ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) भी शामिल है, जो रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) से एक एसोशिएट कंपनी है।

आरईसी को, कंपनी अधिनियम 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक के लिए समय समय पर ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ संविदा / व्यवस्था/ लेन-देन करने की आवश्यकता है। अतः **इस प्रस्ताव के पास होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान आरईसी** द्वारा की जाने वाली किसी संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेन-देन (लेन-देनों) के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव है, ये कार्य ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ समय-समय पर माल की बिक्री / खरीद या किसी प्रकार की सामग्री या संपत्ति (प्रत्यक्ष रूप से या एजेंट के माध्यम से) किसी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देने, सेवाओं का लाभ उठाने या सेवा प्रदान करने के लिए किए जाएंगे, जिनमें वित्तीय सहायता, जनशक्ति की नियुक्ति, सहायक और अन्य सेवाएं भी शामिल हैं, परंतु ऐसे पक्षकारों के साथ की जाने वाले संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) या लेन-देन (लेन-देनों) का संचयी मूल्य तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2014-15 के आरईसी के कुल कारोबार के 2 प्रतिशत (2%) से अधिक नहीं होगा।

अत्यंत महत्वपूर्ण लेनदेनों को छोड़कर कारोबार के साधारण क्रम में कंपनी द्वारा किए गए किन्हीं लेनदेनों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, प्रस्तावित अनुमोदन केवल उन लेनदेनों के लिए मांगा जाता है जो ईईएसएल या आरईसी की किसी अन्य संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ किए जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण लेनदेन न हों।

इसके अलावा कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) को या बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी समिति को या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित किसी प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के कुल कारोबार के दो प्रतिशत (2%) की समग्र सीमा के भीतर ईईएसएल या आरईसी की संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के साथ संविदा (संविदाओं) या व्यवस्था (व्यवस्थाओं) के स्वरूप, महत्वपूर्ण शर्तों, मौद्रिक मूल्य तथा विवरणों को अंतिम रूप देने तथा अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

कंपनी के निदेशक मंडल ने 7 अगस्त, 2015 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और कंपनी के सदस्यों द्वारा नोटिस में दिए गए प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश की गई है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की मद संख्या 6 में दिए गए साधारण प्रस्ताव के संबंध में अपनी सहमति देने की कृपा करें।

निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके संबंधियों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा के सिवाए उक्त विशेष प्रस्ताव को पारित करने में कोई सरोकार या हित, वित्तीय या अन्यथा हित निहित नहीं है।.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(जे.एस. अमिताभ)
महाप्रबंधक और कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :
कोर-4 स्कोप कांप्लेक्स,
7 लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003
सीआईएन : एल 40101 डीएल 1969जीओआई005095
दिनांक : 07 अगस्त 2015

18 सितंबर, 2014 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से नियुक्त निदेशकों का संक्षिप्त विवरण:

18 सितंबर, 2014 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक से किसी निदेशक को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया है।

46 वीं वार्षिक आम बैठक में पुनः नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

नाम	श्री प्रकाश ठक्कर (डीआईएन : 01120152)
जन्म की तारीख	20 अक्तूबर, 1955 (उम्र : 59 वर्ष)
नियुक्ति की तारीख	2 मई, 2011
शैक्षणिक योग्यता	महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री
विशिष्ट प्रकार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री ठक्कर को विद्युत क्षेत्र में 36 वर्ष का समृद्ध तथा विविध अनुभव है, जिसमें हाइड्रो विद्युत उत्पादन, सब-स्टेशन इंजीनियरी और वितरण क्षेत्र का अनुभव भी शामिल है। उन्होंने वर्ष 1985-86 के दौरान देवी घाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। वे एआईएमए के सदस्य हैं और उन्होंने विभिन्न कंपनियों के निदेशक मंडल में नामिती निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। वे इनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष और निदेशक भी हैं। वे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विचार गोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए विभिन्न तकनीकी लेखों के लेखक / सहलेखक रहे हैं।
अन्य कंपनियों में धारित निदेशक का पद	• आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड; • आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड; और • एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड
आरईसी के अलावा सभी सरकारी कंपनियों की समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता	शून्य
कंपनी में धारित शेयरों की संख्या	प्रत्येक 10 रुपये के 4,030 इक्विटी शेयर
अदा किया गया पारिश्रमिक	सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी के निदेशक मंडल के निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

निदेशकों का विवरण

श्री राजीव शर्मा, *अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(सीएमडी)(डीआईएन: 00973413)*

श्री राजीव शर्मा, आयु 55 वर्ष, 29 नवंबर, 2011 से हमारी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) हैं। उन्होंने गोविन्द बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंतनगर से वैद्युत इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्यूनिकेशंस इंजीनियरिंग) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, रूड़की से इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग) में मास्टर डिग्री प्राप्त की हैं।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है। उन्हें विद्युत के विभिन्न क्षेत्रों में 30 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में, आरईसी ने सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है और विगत सभी लक्ष्यों और कार्यनिष्पादनों को पीछे छोड़ दिया है। आरईसी में कार्यग्रहण करने से पहले, श्री शर्मा, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. में निदेशक (प्रोजेक्टस) थे, जहां उन पर परियोजना प्रभाग के सारे क्रियाकलापों, जिनमें कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का मूल्यांकन शामिल है, का उत्तरदायित्व था। पीएफसी में कार्यकारी निदेशक की सेवा अवधि के दौरान वे कृष्णापटनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास हेतु निदेशक (प्रभारी) रहे और उन पर भारत में आर-एपीडीआरपी के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी थी। उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में भी कार्य किया, जहां वह नाथप्पा झाकरी हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (1500 मे.वा.) के डिजाइन, इंजीनियरिंग और परामर्शी कार्यों से जुड़े थे। विद्युत मंत्रालय में कार्यरत रहने के दौरान, वह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., टीएचडीसी, एसजेवीएनएल, बीबीएमबी और नीपको के प्रचालन कार्यों को देख रहे थे। उनकी एपीडीआरपी और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)के लिए नीतियां बनाने में भी मुख्य भूमिका रही।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार श्री राजीव शर्मा के पास कंपनी के 60 इक्विटी शेयर थे।

श्री प्रकाश ठक्कर, *निदेशक(तकनीकी)(डीआईएनः 01120152)*

श्री प्रकाश ठक्कर, आयु 59 वर्ष, 02 मई 2011 से हमारी कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्हें महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त है। श्री ठक्कर को विद्युत क्षेत्र में 36 वर्षों का विविध एवं समृद्ध अनुभव है, जिसमें विद्युत उत्पादन और सब-स्टेशन इंजीनियरिंग शामिल है। वे निगम द्वारा वित्तपोषित विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण क्षेत्रों की विभिन्न परियोजनाओं तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं के सभी तकनीकी एवं प्रचालन संबंधी पक्षों के प्रभारी हैं।

इस कंपनी में निदेशक (तकनीकी) का पदभार संभालने से पहले वे इसी निगम में कार्यकारी निदेशक (पारेषण एवं वितरण/आरजीजीवीवाई) पद पर सेवारत थे। उन्होंने 19 सितंबर, 2005 को प्रतिनियुक्ति के आधार पर हमारी कंपनी में महाप्रबंधक (तकनीकी) का कार्यभार संभाला था और 18 सितंबर, 2007 को इस कंपनी की सेवा में स्थायी रूप से आमेलित हो गए। इस कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पहले वे 11 वर्षों तक एनएचपीसी में (हाइड्रो जेनरेटरों के अधिष्ठापन और हाइड्रो स्टेशनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण) और 15 वर्ष तक पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर सेवारत थे। वह उस टीम में भी शामिल थे जिसने भारत में पहली 400 केवी की थ्रिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कंपनसेशन (टीसीएससी) परियोजना लागू की थी। वह 800/400/220/132 केवी स्विचगीयर उपकरण विनिर्देशन के भी कोर मेंबर थे। वर्ष 1985-86 में उन्होंने देवीघाट हाइड्रो-इलेक्ट्रिक परियोजना के संचालन एवं अनुरक्षण के बारे में नेपाल सरकार के सलाहकार के रूप में सेवा की।

श्री ठक्कर एआईएमए के सदस्य हैं और वे विभिन्न कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक रहे हैं। वे एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विचारगोष्ठियों में प्रस्तुत किए गए विभिन्न तकनीकी पेपर्स के लेखक/सह लेखक रहे हैं।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार श्री प्रकाश ठक्कर के पास कंपनी के 4030 इक्विटी शेयर थे।

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, *निदेशक (वित्त) (डिआईएन 02231613)*

श्री अजीत कुमार अग्रवाल, आयु 55 वर्ष, 01 अगस्त, 2012 से हमारी कंपनी के निदेशक (वित्त) हैं। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कामर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम.(आनर्स) हैं। वे भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान के फेलो सदस्य हैं। श्री अग्रवाल को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 32 वर्ष का अनुभव है। आरईसी में महाप्रबंधक/कार्यकारी निदेशक (वित्त) के पद पर उन्होंने विभिन्न वित्तीय कार्यों का संचालन किया है, जिनमें संसाधनों का सृजन, ऋण संवितरण और कारपोरेट लेखा और कराधान शामिल है। 29 मार्च, 2007 को हमारी कंपनी में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में महाप्रबंधक थे। वह इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लि.(आईईएक्स) के बोर्ड में नामिती निदेशक भी हैं।

उनका दायित्व वित्तीय नीतियां और योजनाएं तैयार करना है, ताकि कंपनी अपने सपनों को साकार कर सके। वह निगम के वित्तीय प्रबंधन और प्रचालनों के संबंध में दिशानिर्देश देते हैं, जिसमें संगठनात्मक एवं वित्तीय आयोजना, वित्तीय नीति तैयार करना, वित्तीय लेखाकरण, प्रबंधन नियंत्रण प्रणाली, रोकड़ और निधि प्रबंधन, कर आयोजना, संसाधनों का सृजन और प्रबंधन, वित्तीय संस्थानों और पूंजी बाजार व्यावसायियों के साथ संपर्क करना शामिल है। वे खजाना संबंधी कार्यों का पर्यवेक्षण, उधार प्रचालन और कारपोरेट जोखिम प्रबंधन संबंधी मामलों पर सलाह भी देते हैं ।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार श्री अजीत प्रसाद अग्रवाल के पास कंपनी के 242 इक्विटी शेयर थे ।

श्री बी.एन.शर्मा, *सरकारी नामिती निदेशक, (डिआईएन 01221452)*

श्री बी.एन.शर्मा, आयु 56 वर्ष, 23 अगस्त 2012 से हमारी कंपनी के सरकारी नामिती निदेशक हैं। वह वित्तीय प्रबंधन में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हैं। वह वर्ष 1985 से राजस्थान संवर्ग के आईएएस अधिकारी हैं और लगभग 30 वर्षों से सिविल सेवा में हैं। इस समय वह विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव हैं, जहां वह ग्राम विद्युतीकरण और वितरण के प्रभारी हैं और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. के बोर्ड में सरकारी नामिती निदेशक भी हैं। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार में पदभार संभालने से पहले वह चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान में प्रमुख सचिव थे। उन्होंने राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग में आयुक्त, राजस्थान राज्य औद्योगिक और निवेश निगम लि. (आरआईआईसीओ) में प्रबंध निदेशक, राजस्थान वित्त निगम (आरएफसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वित्त(व्यय)विभाग और प्रारंभिक, सेकेंडरी और संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान में सचिव के पद पर भी कार्य किया है। इससे पूर्व उन्होंने राजस्थान में जयपुर, अलवर और टोंक जिलों के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर, के सचिव के पद पर कार्य किया है। श्री शर्मा विभिन्न कंपनियों के निदेशक/नामित निदेशक के तौर पर रहे हैं। वह राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि., राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लि., राजस्थान असेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लि., राजस्थान ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लि. और राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लि. के अध्यक्ष भी थे।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार श्री बी.एन.शर्मा के पास कंपनी के ''शून्य'' इक्विटी शेयर थे।

मंडल की रिपोर्ट

सेवा में,

शेयरधारकगण

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण सहित 46 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

1. कार्य-निष्पादन की मुख्य बातें

1.1 पिछले वर्ष के कार्य-निष्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में कंपनी के कार्य- निष्पादन की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(₹ करोड़ में)

मापदंड	वि.व.2014-15	वि.व.2013-14
स्वीकृत ऋण (डीडीयूजीजेवाई-आरई तथा डीडीजी के अधीन स्वीकृति को छोड़कर)	**61,421.37**	70,739.48
संवितरण (डीडीयूजीजेवाई-आरई तथा डीडीजी के अधीन सब्सिडी सहित)	**46,446.82**	37,969.99
वसूलियां (ब्याज सहित)	**32,005.56**	30,755.36
कुल प्रचालन आय	**20,229.53**	17,017.98
कर पूर्व लाभ	**7,427.04**	6,531.12
कर पश्चात लाभ	**5,259.87**	4,683.70

1.2 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी की कुल प्रचालन आय पिछले वर्ष के दौरान ₹ 17,017.98 करोड़ से 19% बढ़कर ₹ 20,229.53 करोड़ हो गई है। कर-पश्चात लाभ पिछले वर्ष के दौरान ₹ 4,683.70 करोड़ की तुलना में 12% बढ़कर ₹ 5,259.87 करोड़ हो गया है।

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की ऋण परिसंपत्ति बही में 21% की बेहतरीन वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹ 1,48,641 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,79,647 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार बकाया उधार की राशि ₹ 1,51,024 करोड़ थी।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) ₹ 10/ के प्रत्येक शेयर पर ₹ 53.27 था जो पिछले वर्ष के दौरान ₹ 47.43 करोड़ था । 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की नेटवर्थ में 20% की वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष के दौरान ₹ 20,669 करोड़ से बढ़कर ₹ 24,857 करोड़ हो गई है।

1.3 लाभांश

27 फरवरी, 2015 को प्रदत्त ₹ 8.00 (आठ रुपए मात्र) प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.70 (दो रुपए सत्तर पैसे मात्र) प्रति शेयर (₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो 46वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कुल लाभांश प्रति शेयर (₹ 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य पर) ₹ 10.70 (दस रुपए और सत्तर पैसे मात्र) परिकलित होगा,जो कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी के 107% को दर्शाता है जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 9.50 (नौ रूपए पचास पैसे मात्र) प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी के 95% का द्योतक था। वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अदा किए जाने वाले कुल लाभांश की राशि ₹ 1,056.58 करोड़ (जिसमें 212.17 करोड़ का लाभांश संवितरण कर शामिल नहीं है) होगी।

श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी, श्री पीयूष गोयल, माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार को ₹ 518.53 करोड़ के अंतरिम लाभांश का चैक देते हुए

1.4 शेयर पूंजी

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कंपनी की निर्गत और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़ थी, जो प्रत्येक ₹ 10 के 1,20,00,00,000 इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित 1200 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी की तुलना में प्रत्येक ₹ 10 के 98,74,59,000 इक्विटी शेयरों के रूप में विभाजित थी।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी की धारिता 65.64% है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रोमोटर की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति ने आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 5% शेयर अर्थात 4,93,72,950 इक्विटी शेयरों का विनिवेश/विक्रय 8 अप्रैल, 2015 को ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के माध्यम से किया था और आपकी कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी के 0.003% शेयर अर्थात 27,588 इक्विटी शेयरों का 10 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यम विनिमय व्यापारित कोष (सीपीएसई ईटीएफ) के अधीन बाजार से हटकर लेन-देन किया था। तदुनुसार, भारत के राष्ट्रपति के पास इस तारीख को कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 60.64% अधिकार है।

2. मंजूर ऋण

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 61,421.37 करोड़ का ऋण मंजूर किया है जबकि पिछले वर्ष ₹ 70,739.48 करोड़ का ऋण मंजूर किया था। इसमें दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना-आरई घटक (डीडीयूजीजेवाई-आरई) तथा विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी) के अधीन स्वीकृत राशि शामिल नहीं है। इस वित्त वर्ष के दौरान मंजूर ऋण का राज्य और श्रेणी-वार विवरण क्रमशः संलग्न **तालिका 1 और 2** में दिया गया है। इस निगम के प्रारंभ होने से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2015 तक मंजूर संचयी राशि ₹ 6,16,008.13 करोड़ थी जिसमें केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना तक डीडीयूजीजेवाई-आरई तथा डीडीजी परियोजना लागत (पूंजीगत सब्सिडी तथा ऋण) के तहत सब्सिडी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2014-15 तक मंजूरियों की संचयी राज्यवार स्थिति संलग्न **तालिका - 3** में दी गई है।.

3. संविरण

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल ₹ 42,818.46 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी, जबकि पिछले वर्ष ₹ 35,546.02 करोड़ की राशि संवितरित की गई थी। डीडीयूजीजेवाई के तहत ₹ 4,002.73 करोड़ (डीडीयूजीजेवाई-आरई घटक के तहत ₹ 3,605.72 करोड़ और डीडीजी सब्सिडी के तहत ₹ 22.64 करोड़ की सब्सिडी मिलाकर) की राशि संवितरित की गई थी। इस निगम की स्थापना से लेकर दिनांक 31 मार्च, 2015 तक संवितरित की गई संचयी राशि ₹ 2,83,512.55 करोड़ थी जिसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार संचयी आंकड़े और बाकी ऋण सहित वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य-वार संवितरण और उधारकर्ताओं द्वारा लौटाए गए ऋण का विवरण संलग्न **तालिका 4** में दिया गया है।

4. वसूलियां

4.1 आपकी कंपनी मूलधन, ब्याज आदि संबंधी अपनी देयताओं की समय से वसूली को अत्यधिक प्राथमिकता देती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, ब्याज सहित वसूल की जाने वाली राशि ₹ 32,759.07 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 31,312.57 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 32,005.56 करोड़ की कुल राशि की वसूली की है जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह राशि ₹ 30,755.36 करोड़ थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 97.70% की वसूली दर का लक्ष्य हासिल किया। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, चूककर्ता उधारकर्ताओं से अतिदेय राशि ₹ 1,549.18 करोड़ थी।

4.2 आपकी कंपनी की गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां (एनपीए) निम्न स्तर पर बनी रहीं। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की सकल गैर-निष्पादक परिसंपत्तियां ₹ 1,335.38 करोड़ थी। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, सकल ऋण परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में एनपीए की प्रतिशतता 0.74% थी जबकि 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार यह प्रतिशत 0.33% थी। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, निवल एनपीए की राशि ₹ 969.93 करोड़ थी, जो सकल ऋण परिसम्पत्तियों का 0.54% है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, पुनः सूचीबद्ध ऋण के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(₹ करोड़ में)

विवरण		**वि.व. 2014-15**	वि.व. 2013-14
पुनः सूचीबद्ध किए गए मानक ऋण*	उधारकर्ताओं की सं.	**27**	18
	बकाया राशि	**35,024.03**	32,231.84

* पुनः सूचीबद्ध किए गए ऋण में ₹ 10,671.47 करोड़ की राशि शामिल है जिसमें संबंधित परियोजना के देरी से शुरू होने के कारण पहली चुकौती की तारीख आगे बढ़ा दी गई है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, अवसामान्य और संदिग्ध ऋणों के संबंध में कोई भी सूचीबद्ध ऋण नहीं थे।

5. वित्तीय समीक्षा

5.1 वित्तीय परीणामों का सारांश

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वि.व.2014-15	वि.व.2013-14	**वि.व.2014-15**	वि.व.2013-14
प्रचालनों से राजस्व	**20,229.53**	17,017.98	**20,383.96**	17,122.21
अन्य आय	**158.52**	102.82	**165.90**	106.73
कुल आय	**20,388.05**	17,120.80	**20,549.86**	17,228.94
वित्त लागत	**11,844.61**	10,038.46	**11,839.72**	10,034.74

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडअलोन		समेकित	
	वि.व.2014-15	वि.व.2013-14	**वि.व.2014-15**	वि.व.2013-14
अन्य प्रचालन व्यय	**313.44**	239.20	**353.33**	264.90
प्रावधान और आकस्मिकताएं	**802.96**	312.02	**804.47**	312.59
कुल व्यय	**12,961.01**	10,589.68	**12,997.52**	10,612.23
कर पूर्व लाभ	**7,427.04**	6,531.12	**7,552.34**	6,616.71
कराधान के लिए प्रावधान	**2,167.17**	1,847.42	**2,207.92**	1,875.46
कर-पश्चात लाभ	**5,259.87**	4,683.70	**5,344.42**	4,741.25
घटाएं:विनियोजन				
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,629.00**	1,291.00	**1,629.00**	1,291.00
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**353.00**	288.00	**353.00**	288.00
लाभांश	**1,056.58**	938.09	**1,056.58**	938.09
लाभांश संवितरण कर	**212.17**	159.40	**214.21**	159.46
डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**185.79**	185.79	**185.79**	185.79
सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**526.00**	470.00	**530.76**	490.30
तुलन पत्र में ले जाई गई अधिशेष निधि	**1,297.33**	1,351.42	**1,375.08**	1,388.61

5.1.1 राष्ट्रीय राजकोष में अंशदान

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने राजकोष में ₹ 3134.24 करोड़ की राशि का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष ₹ 2424.27 करोड़ का अंशदान किया था। यह अंशदान कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता, लाभांश संवितरण कर, प्रत्यक्ष कर, और सेनवेट क्रेडिट सहित सेवा कर आदि के भारत सरकार को अदा किए गए लाभांश की अदायगी के रूप में था जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

विवरण	**वि.व.2014-15**	वि.व.2013-14
भारत सरकार को अदा किया गया लाभांश	**631.96**	610.14
लाभांश संवितरण कर *	**187.26**	155.20
प्रत्यक्ष कर	**2,285.04**	1,640.42
सेनवैट क्रेडिट सहित सेवाकर	**29.98**	18.51
जोड़	**3,134.24**	2,424.27

* इसमें पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश और चालू वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश पर लाभांश संवितरण कर शामिल है।

5.1.2 अनुपात विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के महत्वपूर्ण अनुपातों का तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	**वि.व.2014-15**	वि.व.2013-14
प्रति शेयर अर्जन (₹)	**53.27**	47.43
औसत नेटवर्थ पर प्राप्ति (%)	**23.11**	24.57
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	**251.73**	209.32
ऋण इक्विटी अनुपात (गुना)	**6.08**	6.11
मूल्य अर्जन अनुपात (गुना)*	**6.25**	4.84
ब्याज व्याप्ति अनुपात (गुना)	**1.63**	1.65

* मूल्य अर्जन अनुपात का परिकलन एनएसई में क्रमशः 31 मार्च, 2015 तथा 31 मार्च, 2014 को बाजार बंद होने पर आरईसी के शेयर मूल्य के आधार पर किया गया है।

5.2 संसाधनों का दोहन

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, बाजार से ₹ 41,189.82 करोड़ जुटाए हैं। इसमें पूंजीलाभ कर छूट प्राप्त बांडों के रूप में ₹ 5,337.78 करोड़, गैर प्राथमिकता क्षेत्र के बांडों के रूप में ₹ 29,200 करोड़, विदेशी वाणिज्यिक उधारियों (ईसीबी)) के रूप में ₹ 6,409.03 करोड़ अर्थात (यूएसडी 1,050 मिलियन) और सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में जर्मनी के क्रेडिटांस्टाल्ट फ्योर वाइडरऑफबाओ (केएफडब्ल्यू) जर्मनी तथा जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से ₹ 243.01 करोड़ जुटाए थे। इसके अतिरिक्त, ₹ 5,894.25 करोड़ कमर्शियल पेपर (सीपी) के माध्यम से जुटाए गए।

नकद उधार सुविधाएं.

आपकी कंपनी को अपने दिन-प्रतिदिन के प्रचालनों के लिए विभिन्न बैंकों से ₹ 5000 करोड़ की सीमा तक अनुमोदित नकद उधार क्रेडिट /डब्ल्यूसीडीएल उपलब्ध है।

5.3 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

घरेलू

आरईसी की घरेलू ऋण लिखतों को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों-क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इकरा से ''एएए'' रेटिंग प्राप्त होना जारी रहा है जो इन एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है।

अंतर्राष्ट्रीय

कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे मूडी और फिच से सार्वभौमिक रेटिंग के समतुल्य अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है, जो क्रमशः ''बीएए3'' और ''बीबीबी'' है।

5.4 उधार की लागत

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान जुटाई गई निधियों की वार्षिक आधार पर समग्र औसत भारित लागत 8.07% प्रतिवर्ष थी और ब्याज व्याप्ति अनुपात 1.63 था। इसके परिणामस्वरूप, आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी दरों पर ऋण वित्तपोषण करने में समर्थ रही।

5.5 उन्मोचन और पूर्व-भुगतान

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने कुल ₹ 20,833.10 करोड़ की रकम का पुनर्भुगतान किया। इसमें ₹ 4.86 करोड़ भारत सरकार को, ₹ 7,491.68 करोड़ गैर प्राथमिकता/ प्राथमिकता क्षेत्र के बांडधारकों को, ₹ 5,239.36 करोड़ पूंजीलाभ कर छूट प्राप्त बांडों को, ₹ 307.80 करोड़ सरकारी विकास सहायता (ओडीए) ऋण के रूप में शामिल थे। कंपनी ने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ₹ 1,689.40 करोड़ के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋण और ₹ 6,100 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र विमोचित किए।

5.6 वर्ष के अंत में संसाधनों का नियोजन

वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर, आपकी कंपनी के कुल संसाधन ₹ 1,83,175.03 करोड़ के थे। इस राशि में से इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 987.46 करोड़, आरक्षित तथा अधिशेष ₹ 23,869.57 करोड़, वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों से ऋण, और बांडों के माध्यम से बाजार उधार ₹ 1,51,024.12 करोड़, आस्थगित कर देयताएं ₹ 107.32 करोड़ और अन्य देयताएं तथा प्रावधान ₹ 7,186.56 करोड़ के रूप में शामिल थे। इस निधि का नियोजन ₹ 1,79,281.49 करोड़ के दीर्घकालिक/अल्पकालिक ऋण (जिसमें निवल भत्ते ₹ 365.45 करोड़), ₹ 81.32 करोड़ (कार्यशील पूंजी शामिल कर) की स्थायी परिसंपत्ति (मूल्यह्रास घटाकर), ₹ 1,613.47 करोड़ के निवेश, ₹ 522.90 करोड़ नकद और बैंक शेष तथा ₹ 1,675.85 करोड़ की अन्य परिसंपत्तियों के रूप में किया गया।

5.7 नीतिगत पहल

आपकी कंपनी बाजार की अपेक्षाओं के अनुसार तथा साथ ही अपने कारपोरेट उद्देश्यों के अनुसार भी अनुकूलता बनाए रखने के लिए अपनी उधार और प्रचालन नीतियों/प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा करती है और उनमें संशोधन करती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने नियामक परिसंपत्ति के लिए फंडिंग, जोखिम प्रबंधन, संसाधन आयोजना, असामयिक चुकौती/पूर्वभुगतान, मुखबिर/ जागरूकता संबंधी तंत्र और सीएसआर व धारणीयता संबंधी नीतियों की भी समीक्षा की है। वर्ष के दौरान आवधिक ऋण और अल्पावधि ऋण के संबंध में ब्याज दरों की भी समीक्षा की गई/उनमें संशोधन किया गया।

बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, वर्ष के दौरान कंपनी स्वस्थ माहौल, कारोबार संवृद्धि के अपने उद्देश्यों में संतुलन और लाभात्मकता बनाए रख पाई है।

6. वर्तमान पारेषण और वितरण परिदृष्य और प्रमुख चुनौतियां

पारेषण और वितरण (टी एंड डी) उद्योग का विद्यमान परिदृश्य विगत वर्षों की तुलना में तबसे बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है जबसे हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक की सबसे अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 88000 मेगावाट की और क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए देश अपने बिल्कुल सही रास्ते पर है और अब तक 61,000 मेगावाट के लगभग क्षमता अभिवृद्धि की जा चुकी है। आगामी वर्षों के दौरान अपेक्षित पारेषण और वितरण की बुनियादी सुविधाओं के सृजन की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि विद्युत उत्पादन की सुविधाओं से उप-केन्द्रों तक या लाइनों के जरिए उपभोक्ताओं तक बिजली के अंतरण हेतु विश्वसनीय, सन्तुलित और दक्ष प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके।

वितरण को विद्युत मूल्य श्रृंखला में सबसे कमजोर कड़ी माना गया है और उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों द्वारा वहनीय, विश्वसनीय और उत्कृष्ट विद्युत की निरंतर बढ़ती हुई मांग जैसे कारणों से इससे संबंधित कार्रवाई करना कठिन होता है। आपकी कंपनी नई अवसंरचना के सृजन और विद्यमान नेटवर्क के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का लगातार प्रयास करती रही है। आपकी कंपनी विद्युत वितरण कंपनियों को प्रोत्साहित करती हैं कि वे विभिन्न सुधारात्मक उपायों को तत्काल लागू करें और सर्वोत्तम परिपाटियों को अपनाएं जिनमें प्रणाली/स्मार्ट ग्रिड का आधुनिकीकरण और स्वचालन, मीटरिंग और उपभोक्ता सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणाली तथा जो उनके प्रचालन तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उनकी सहायता करती हैं, शामिल है।

वितरण क्षेत्र द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों में ये शामिल हैं - संचित हानियां, उच्च एटीएंडसी हानियां, पूंजीगत व्यय वाली योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सीमित क्षमता, प्रशुल्क आदेश में विलम्ब से विनियामक परिसंपत्तियों का सृजन, प्रशुल्कों के तर्कसंगतीकरण में कमी के कारण क्रॉस सब्सिडी का होना, विलम्ब से राजस्व संग्रहण चक्र इत्यादि के कारण डिस्कॉम के नकदी प्रवाह में कमी आई है। समय तथा गत्यात्मक माहौल के साथ मिलकर चलने के लिए, आपकी कंपनी आज संपूर्ण वितरण परियोजनाओं का वित्तपोषण मोटे तौर पर प्रणाली सुधार और उसके उन्नयन, हानियों में कमी के उपायों, आईटी समर्थित बनाने, उपभोक्ताओं की संतुष्टि और विवेक तथा ठोस मूल्यांकन तंत्र पर आधारित वितरण कंपनियों की किन्हीं भी विशेष मांगों/आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्यों के साथ कर रही है।

आपकी कंपनी अपनी सभी प्रमुख पहलों में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भागीदारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और वह दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए (नोडल एजेंसी), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), राष्ट्रीय विद्युत कोष (एनईएफ) के लिए (नोडल एजेंसी), वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी),स्मार्ट ग्रिड कार्यबल आदि जैसे कार्यक्रमों में गहरी रूचि के साथ देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार करने और उसमें परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सभी महत्त्वपूर्ण प्रयासों के द्वारा आपकी कंपनी को आशा है कि वितरण परिदृश्य शीघ्र ही बेहतर हो जाएगा।

6.1 वितरण क्षेत्र में प्रमुख सुधार

भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, राष्ट्रीय विद्युत नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण नीति आदि जैसे विभिन्न अन्य नीतिगत उपायों द्वारा समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, ताकि एक व्यापक ढांचा उपलब्ध कराया जा सके और विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार की जा सके। इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार के संकेत दिखे हैं जिनमें अभी काफी कुछ हासिल किया जाना बाकी है।

विगत दशक में भारत सरकार ने कई कार्यक्रम जैसे एपीडीआरपी का उद्देश्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण तथा हानियों को कम करना, आरंभ किए हैं, ताकि इन डिस्कॉमों की समस्याओं का निराकरण करके उन्हें लाभ पहुंचाया जा सके। आरजीजीवीवाई का उद्देश्य अधिकतम संयोजकता सुनिश्चित करना और बीपीएल परिवारों को बिजली का सर्विस कनेक्शन जारी करना है, आर-एपीडीआरपी का गठन शहरी क्षेत्रों में सुधार करने और वितरण प्रणाली को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित बनाना है और वर्तमान में इसका शुभारंभ डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के लिए किया गया है। एनईएफ-ब्याज सब्सिडी योजना का कार्यान्वयन पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने और वितरण क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया है। भारत सरकार ने वित्तीय पुनः संरचना योजना के रूप में राज्य सरकारों की संयुक्त भागीदारी से डिस्कॉम की लिक्वीडिटी बढ़ाने के लिए ऋण संबंधी पुनर्गठन के प्रयास किए हैं।

विद्युत वितरण क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शुरूआत से विद्युत प्रणाली को ''स्मार्ट'' बनाया जा सकेगा और ये वास्तविक समय जैसी सूचना से यूटिलिटी एकीकृत फेमवर्क के रूप में पूरे सिस्टम का प्रबंध कर सकेंगी जिससे परिवर्तनों का सक्रिय रूप से पता लगा कर उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। भारतीय माहौल में विभिन्न कार्यप्रणालियों का परीक्षण करने के लिए भारत सरकार के 50% निधियन के साथ विद्युत मंत्रालय ने 14 स्मार्ट ग्रिड प्रायोगिक परियोजनाएं अनुमोदित कीं। भारत सरकार 100 स्मार्ट शहरों के विकास को भी बढ़ावा दे रही है जिससे वितरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम पद्धति अपनाने के लिए बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे।

इन उपायों का परिणाम मिलना शुरू हो गया है जो कई राज्यों में विनियामक द्वारा समय पर प्रशुल्क अधिसूचित करने, एमवाईटी याचिकाएं दाखिल करने, एआरआर में इक्विटी पर प्राप्ति का दावा करने, राज्य सरकार द्वारा राजस्व सब्सिडी जारी करने इत्यादि के रूप में परिलक्षित है। डिस्कॉम की ओर से बढ़े हुए पूंजीगत व्यय से नेटवर्क सुदृढ़ हो पाएगा जैसे कि लगातार उच्च स्तरीय एटीएंडसी हानियों के कारण अत्यधिक लागत भार को कम किया जा सकेगा और परिणामस्वरूप वास्तविक उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण/विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

6.2 राष्ट्रीय विद्युत निधि

आरईसी राष्ट्रीय विद्युत निधि नामक ब्याज सब्सिडी योजना के लिए नोडल एजेंसी है जिसमें 2 वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 के दौरान स्वीकृत वितरण स्कीमों के लिए ₹ 25,000 करोड़ के ऋण संवितरण पर 14 वर्षों तक ₹ 8,466 करोड़ (ब्याज सब्सिडी के लिए) उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार वितरण क्षेत्र में अवसंरचना सुधार के लिए प्राइवेट तथा सरकारी, दोनो क्षेत्रों में वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) को संवितरित ऋणों पर ब्याज सब्सिडी देगा। इस योजना का उद्देश्य वितरण में अति आवश्यक निवेश के लिए प्रोत्साहन देना है। यह योजना सुधारों से जुड़ी हुई है और ऐसे डिस्कॉमों को 3% से 7% की ब्याज सब्सिडी देय है जो एनईएफ के दिशानिर्देशों में उल्लिखित सुधार के मापदंडों को प्राप्त कर लेते हैं। आपकी कंपनी वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान एनईएफ के अधीन लाभ उठाने के लिए 14 राज्यों में 25 डिस्कॉमों के लिए ₹ 25000 करोड़ के प्रावधानों के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत कर चुकी है। उतराखंड, मध्यप्रदेश, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की यूटिलिटियां इस स्कीम के तहत अनुमोदित ₹ 7.51 करोड़ की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा चुकी हैं। अन्य राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियां भी अपनी वार्षिक उपलब्धियों के आधार पर ब्याज दर पर सब्सिडी का लाभ लेना शुरूकर देंगी। ये उपलब्धियां मुख्यतः दो प्रमुख बेंचमार्क मापदंडों अर्थात समग्र, तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों में कमी करने और राजस्व अंतर (एसीएस एंड एआरआर) में कमी करने से संबंधित हैं।

7. वित्तपोषण संबंधी कार्यकलाप

आपकी कंपनी गांवों के विद्युतीकरण के साथ-साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रमुख वित्तपोषण संबंधी कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है :

7.1 विद्युत उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कंपनी ने 34 विद्युत उत्पादन/आर एंड एम से संबंधित ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें ₹ 22,178.31 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय वाली 22 अतिरिक्त ऋण सहायता शामिल हैं। इसमें अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ कंसोर्टियम वित्तपोषण करना भी शामिल है और चल रही विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए ₹ 13,828.07 करोड़ का ऋण संवितरित किया जा चुका है।

अतिरिक्त ऋण सहायता सहित स्वीकृत किए गए ऋणों का क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋणों की सं.	ऋण राशि
राज्य क्षेत्र		
नया ऋण	10	15,405.68
अतिरिक्त ऋण	7	
प्राइवेट क्षेत्र		
नया ऋण	2	6,772.63
अतिरिक्त ऋण	15	
जोड़	**34**	**22,178.31**

7.2 नवीकरणीय ऊर्जा

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी ने कुल 193.86 मेगावाट की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी 6 नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹ 547.92 करोड़ की ऋण सहायता मंजूर की है, जिनमें 173.06 मेगावाट की 6 सौर फोटो वोल्टाइक परियोजनाएं, 20.8 मेगावाट की 2 विंड परियोजनाएं शामिल हैं।

इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹ 1768.19 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 295.25 करोड़ का कुल संवितरण किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

जिला पाटन, गुजरात के चरंका सौर पार्क में स्थित अन्य उधारकर्ताओं के साथ संकाय के रूप में आरईसी द्वारा वित्तपोषित मैसर्स किन्डल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड की 50 मेगावाट क्षमता वाली सौर फोटो वोल्टाइक विद्युत परियोजना

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (ग्रिड से जुड़ी) को सहायता	यूनिट	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	संख्या	**8**	6
स्वीकृत परियोजनाओं की क्षमता	मेगावाट	**193.86**	98
परियोजनाओं की लागत	₹ करोड़	**1,768.19**	993.08
स्वीकृत ऋण	₹ करोड़	**547.92**	295.48
संवितरित ऋण	₹ करोड़	**295.25**	134.99

7.3 पारेषण और वितरण

आपकी कंपनी अपने पारेषण और वितरण कार्यों (टी एंड डी पोर्टफोलियो) के तहत देश में पारेषण और वितरण नेटवर्क के अधीन नई अवसंरचना के सृजन के लिए और विद्यमान अवसंरचना में सुधार के लिए सक्रिय भूमिका निभाती आ रही है। अवसंरचना सृजन करके सभी को बिजली उपलब्ध कराने और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के भारत सरकार के उद्देश्यों के अनुरूप आपकी कंपनी पारेषण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण और खास तौर पर वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण की योजनाओं को वित्तपोषित करती आ रही है।

जिला नांदेड़, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य बिजली पारेषण कंपनी लिमिटेड का आरईसी द्वारा वित्तपोषित स्विचयार्ड सब-स्टेशन

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कंपनी ने 552 पारेषण और वितरण योजनाओं को स्वीकृति दी है, जिनमें ₹ 25,031.14 करोड़ की कुल ऋण सहायता शामिल थी। इनमें विद्युत उत्पादन संयंत्रों से संबद्ध प्राथमिक विद्युत निकासी की योजनाएं, आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं सहित प्रणाली सुधार से जुड़ी योजनाएं, फीडर पृथक्करण योजनाएं, बल्क लोन योजनाएं, गहन विद्युतीकरण योजनाएं और पंपसेट ऊर्जायन योजनाओं सहित तंत्र सुधार योजनाएं भी शामिल हैं।.

स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरे क्रमशः **तालिका 1 और 2** में दिए गए हैं। पारेषण और वितरण (टी एंड डी) मंजूरियों के अधीन आपकी कंपनी द्वारा जिन प्रमुख कार्यक्रमों पर कार्य किया गया है, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :

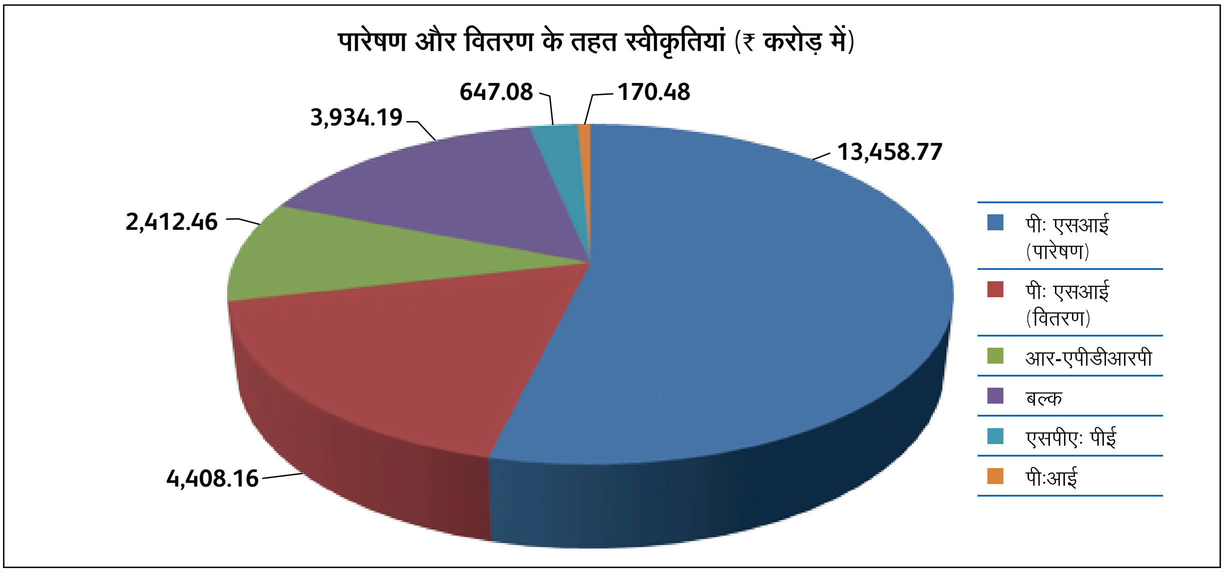

7.3.1 प्रणाली सुधार और बल्क लोन

प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए आरईसी विद्युत वितरण नेटवर्क के प्रणाली अध्ययनों के आधार पर प्रणाली सुधार योजनाओं का वित्तपोषण करता है, जिसमें प्रणाली की क्षमताओं की विद्यमान स्थिति, संबद्ध मांग, वोल्टेज प्रोफाइल और हानियों के स्तर तथा भावी लोड वृद्धि की गुंजाइश पर विचार किया जाता है।

प्रणाली सुधार कार्यक्रम में मीटर, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, कंडक्टर, पोल इत्यादि की खरीद के लिए बनाई गई बल्क ऋण योजनाएं भी शामिल हैं। प्रणाली सुधार योजनाओं से एटीएंडसी क्षतियां काफी हद तक कम हो जाती है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 467 प्रणाली सुधार योजनाएं और बल्क ऋण योजनाएं स्वीकृत की गई जिनका ऋण परिव्यय ₹ 24,213.57 करोड़ था। इसमें (i) ट्रांसफार्मर, मीटर, कैपिसिटर आदि जैसे आवश्यक उपस्करों की संस्थापना के रूप में वितरण प्रणाली में निवेश के वित्तपोषण के लिए ₹ 3,934.19 करोड़ की ऋण सहायता संबंधी 96 योजनाएं, (ii) वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए ₹ 4,408.16 करोड़ की 161 योजनाएं (iii) आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के भाग (ख) के प्रतिपक्षी वित्तपोषण के लिए 2,412.46 करोड़ की ऋण सहायता वाली 77 योजनाएं; और (iv) पारेषण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए ₹ 13,458.77 करोड़ की ऋण सहायता वाली 133 योजनाएं शामिल हैं।

7.3.2 गहन विद्युतीकरण

इस कार्यकलाप के अधीन आने वाली योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पहले से ही विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण करना है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, कुल 23 गहन विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की गई, जिनका ऋण परिव्यय ₹ 170.48 करोड़ था।

7.3.3 पंपसेटों का ऊर्जायन

आरईसी के ऋण संबंधी कार्यों में कृषि पंपसेटों के ऊर्जायन के लिए ऋण सहायता देना भी शामिल है। यह सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी की वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2,56,026 विद्युत सिंचाई पंपसेटों का ऊर्जायन किया गया। इस श्रेणी के अधीन इस वर्ष के दौरान 62 नई योजनाओं के लिए ₹ 647.09 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। 31 मार्च, 2015 तक ऊर्जायित पंपसेटों का राज्य-वार विवरण और संचयी स्थिति संलग्न **तालिका-5** में दी गई है।

7.4 पूर्वोत्तर राज्यों में वित्तपोषण संबंधी कार्यकलाप

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, पूर्वोत्तर राज्य (सिक्किम) में स्थित मै. तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड को विद्युत उत्पादन योजनाओं के लिए बढ़ी हुई लागत हेतु ₹ 968 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई। टीएंडडी के अधीन आर-एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए मणिपुर स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को ₹ 39.88 करोड़ की ऋण सहायता भी स्वीकृत की गई।

विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 418.99 करोड़ की ऋण सहायता राशि संवितरित की गई जबकि पिछले वर्ष यह राशि ₹ 977.41 करोड़ थी। इसमें मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड को स्वीकृत ₹ 287.01 करोड़, मैसर्स लैंकों एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹ 43.82 करोड़, मैसर्स डैन्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए ₹ 88.16 करोड़ शामिल हैं।

7.5 वित्तपोषण के लिए मूल्यांकन प्रणाली

प्राइवेट क्षेत्र की विद्युत उत्पादन तथा पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग के लिए आरईसी की अपनी स्वयं की प्रविधि है। आरईसी की ब्याज दरें प्राइवेट क्षेत्र की परियोजनाओं तथा राज्य विद्युत यूटिलिटियों को समनुदेशित ग्रेडों के साथ संबद्ध हैं। पीएफसी के साथ आरईसी राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लिए एकीकृत दर निर्धारण में विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है तथा विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा दृष्टिकोण में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर विद्युत मंत्रालय द्वारा यथा संशोधित रेटिंग को अपनाता है। राज्य विद्युत यूटिलिटियों की ग्रेडिंग विभिन्न मापदंडों अर्थात वित्तीय, तकनीकी, प्रशुल्क, विनियामक उपायों, सरकारी सहायता तथा प्रबंधन इत्यादि पर आधारित निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है।

8. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास

आरईसी ने विंड/लघु जल विद्युत/बायोमास को-जेनरेशन/बायोमास विद्युत/सौर पीवी/सौर थर्मल और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 100 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 675 करोड़) का ओडीए ऋण लेने के लिए 30 मार्च, 2012 को केएफडब्ल्यू, फ्रैंकफर्ट जर्मनी के साथ अपने तीसरे ऋण करारनामे पर हस्ताक्षर किए थे। यह ऋण 5 वर्षों अर्थात दिसंबर, 2017 तक आहरित किया जाएगा। केएफडब्ल्यू-।।। के तहत, अनुमोदित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है तथा 77.68 मिलियन यूरो (लगभग ₹ 597.07 करोड़) की संचयी राशि दिनांक 31 मार्च 2015 तक आहरित कर ली गयी है। जे आईसीए-II ओडीए ऋण के तहत 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल 10,923.90 मिलियन जापानी येन (लगभग ₹ 591.68 करोड़) की (राशि आहरित की गई है।

9. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

भारत सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों में बिजली पंहुचाने के लिए अप्रैल 2005 में दिनांक 18 मार्च, 2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा ''ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी अवसंरचना और घरेलू विद्युतीकरण की राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)'' शुरू की। आरईसी इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी थी। इस स्कीम के तहत, भारत सरकार द्वारा 90% की सब्सिडी दी जा रही है, जो राज्य की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को आरईसी के माध्यम से जारी की जाएगी। बाद में, आरजीजीवीवाई स्कीम दिनांक 3 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नई 'दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना' स्कीम में सम्मिलित कर ली गई। आरईसी इस डीडीयूजीजेवाई स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। डीडीयूजीजेवाई के तहत, परियोजना लागत का 60% (विशेष राज्यों के लिए 85%) भारत सरकार द्वारा ग्रांट के रूप में दिया जाता है और 15% (विशेष राज्यों के लिए 5%) तक की अतिरिक्त ग्रांट भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर दी जाती है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों में बिजली उपलब्ध कराने और विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके तय किए गए लक्ष्य (डिस्कॉमवार) के अनुसार एटीएंडसी क्षतियों को कम करना है ताकि परिभाषित परियोजना घटकों के जरिए गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24X7 बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति का लक्ष्य निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से प्राप्त किया जा सके:

डीडीयूजीजेवाई के माध्यम से ग्रामीण जीवन स्तर में परिवर्तन

i. ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गैर कृषि और कृषि फीडरों का पृथक्करण;

ii. डिस्ट्रीबयूशन ट्रंसफार्मरों की मीटरिंग/फीडर्स/उपभोक्ताओं सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना को मजबूत करना और संवर्धन;

iii. 12वीं तथा 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के तहत निर्धारित ग्राम विद्युतीकरण घटक डीडीयूजीजेवाई में सम्मिलित कर लिए गए।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, विद्युत मंत्रालय की मॉनीटरिंग समिति द्वारा ₹ 8,853.12 करोड़ (हिमाचल प्रदेश - ₹ 159.12 करोड़, पश्चिम बंगाल- ₹ 4,262.10 करोड़, मध्य प्रदेश- ₹ 2,865.25 करोड़, तमिलनाडु - ₹ 924.12 करोड़, उत्तर प्रदेश - ₹ 313.93 करोड़ और आंध्र प्रदेश- ₹ 328.60 करोड़) अनुमोदित किए जा चुके हैं और भारत सरकार द्वारा ₹ 500 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

9.1 आरई घटक: गांवों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का विद्युतीकरण

10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ₹ 5,000 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के लिए आरंभिक अनुमोदन दिया गया था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में ₹ 28,000 करोड़ के परिव्यय के साथ जारी रखने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा

दिनांक 6 फरवरी, 2008 के कार्यालय ज्ञापन के तहत स्वीकृति संसूचित की गई। इसके अतिरिक्त, 11वी पंचवर्षीय योजना में विद्युत मंत्रालय द्वारा भी परिव्यय के रूप में ₹ 6000 करोड़ की अतिरिक्त बजटीय राशि आबंटित की गई।

31 मार्च, 2015 तक 10वीं 11वीं पंचवर्षीय योजना में संयुक्त रूप से 648 परियोजनाओं को क्रियान्वयन हेतु विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया है जिनमें ₹ 43,222 करोड़ की लागत से 1,11,974 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण, 3,63,507 गांवों का गहन विद्युतीकरण और 2.64 करोड़ बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन देना शामिल है। राज्य-वार ब्यौरे **तालिका-6** में दिए गए हैं।

12वीं तथा 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भी इस योजना को ₹ 35,447 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी के साथ जारी रखने के लिए भी विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें से ₹ 23,397 करोड़ की पूर्ति 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के जरिए तथा शेष ₹ 12050 करोड़ की राशि की पूर्ति 13वीं पंचवर्षीय योजना से की जाएगी।

12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ₹ 23,607 करोड़ की कुल स्वीकृत परियोजना लागत के साथ 8,830 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 2,32,376 गांवों का गहन विद्युतीकरण तथा 132.36 लाख बीपीएल परिवारों को शामिल करने वाली 273 परियोजनाओं को भी विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृति दी गई है। इनके राज्यवार ब्यौरे **तालिका - 7** में दिए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, 15660 गांवों (1,405 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण तथा 14,255 गांवों का गहन विद्युतीकरण) में विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया जा चुका है और 7,59,377 बीपीएल आवासों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के लिए आरईसी को ₹ 2,874.41 करोड़ की सब्सिडी संवितरित की गई है। संचयी रूप से इस योजना के अधीन 31 मार्च, 2015 तक 1,09,524 अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण और 3,14,958 गांवों के गहन विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है और 2.18 करोड़ बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इनके राज्य-वार ब्यौरे **तालिका-8** में दिए गए हैं।

इस वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 4002.73 करोड़ की राशि (डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के तहत ₹ 3,605.72 करोड़ की सब्सिडी तथा डीडीजी सब्सिडी के तहत ₹ 22.64 करोड़ सहित) संवितरित की गई है। इसके अलावा कुल 3,173 गांवों का विद्युतीकरण किया गया और समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निर्धारित 300 परियोजनाओं के लक्ष्य की तुलना में 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत 275 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

10. डीडीयूजीजेवाई- विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डीडीजी)

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विकेन्द्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) ऐसे अविद्युतीकृत गांवों/हैबीटेशन, जहां ग्रिड संयोजकता व्यवहार्य अथवा किफायती नहीं होती, को बिजली की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए शुरूकी गई है। 12वीं पंचवार्षीय योजना में डीडीजी का विस्तार ग्रिड संयोजित क्षेत्रों में भी कर दिया गया है ताकि ऐसे क्षेत्रों में, जहां विद्युतापूर्ति दिन में छः घंटे से कम है, वहां पूरक तौर पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। परंपरागत अथवा नवीकरणीय स्रोतों जैसे बायोमास, बायोईंधन, बायोगैस, लघु पनबिजली, सौर आदि से विकेद्रित संवितरित उत्पादन किया जा सकता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सब्सिडी के लिए ₹ 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तथापि, योजना की समग्र लागत के भीतर किसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए डीडीजी के तहत आबंटन घटाया-बढ़ाया जा सकेगा अर्थात यह लचीला होगा।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, 156 परियोजनाओं का ठेका दिया गया। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, असम और ओडिशा राज्यों में 3,119 कि.वा. की लगभग क्षमता सहित ₹ 128.66 करोड़ की राशि वाली 505 डीडीजी परियोजनाओं पर विचार किया है। तकनीकी समिति द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मॉनीटरिंग समिति को सिफारिश की गई है।

11. मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आपकी कंपनी, राज्य विद्युत यूटिलिटियों को वितरण प्रणाली में लगातार तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान कर रही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए तकनीकी विनिर्देश और निर्माण मानकों का सभी राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह कंपनी नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विद्युत वितरण क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान और विकास का प्रयोग करते हुए निरंतर नवाचारों की खोज करती है।

डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक की 11वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन में सामग्री और निर्माण की उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के अनुसार स्तर-II के अधीन आरईसी गुणवत्ता मॉनीटर (आरक्यूएम) की नियुक्ति की गई है, जिसके अधीन 25 राज्यों की 413 परियोजनाएं शामिल की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, आरक्यूएम द्वारा 2920 गांवों और 28 सब-स्टेशनों का निरीक्षण किया गया है और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विनिर्माता के परिसर में 93 सामग्री निरीक्षण भी किए गए हैं।

12. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है जिसके अंतर्गत परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति और सुरक्षा नीति आती है। एएलएम नीति में असंगताओं की परिभाषा, मापन और मॉनीटरिंग की व्यवस्था तथा सुरक्षा नीति के अंतर्गत मुद्रा जोखिम प्रबंधन शामिल है। वर्ष के दौरान कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति की समीक्षा की गई और संशोधित नीति निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनाई गई।

12.1 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) का गठन किया और निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक और वित्त तथा प्रचालन प्रभागों के महाप्रबंधक इसके सदस्य हैं।

एएलसीओ नकदी की तरलता, ब्याज दरों और मुद्रा दरों से संबंधित जोखिमों को मॉनीटर करती है। नकदी की तरलता संबंधी जोखिम की मॉनीटरिंग नकदी की कमी के विश्लेषण द्वारा की जाती है और यह समिति नकदी जोखिम का प्रबंधन अनुमानित संवितरण और तरला की संबंधी परिपक्वता प्रोफाइल पर आधारित संसाधन बढ़ाने के कार्यक्रम जैसी भावी कार्यनीतियों के मिश्रित समूह के माध्यम से करती है। ब्याज दर जोखिम की मॉनीटरिंग ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण के माध्यम से की जाती है और इसका प्रबंधन उधार देने की दरों, उधार की लागत और उधार लेने तथा देने की शर्तों की समीक्षा के माध्यम से किया जाता है। विनिमय दर और ब्याज दर से संबद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से किया जाता है।

12.2 उद्यम व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने कंपनी के एकीकृत जोखिमों की मॉनीटरिंग करने के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन किया है और निदेशक (वित्त) तथा निदेशक (तकनीकी) इसके सदस्य हैं। केवल अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की मार्च, 2015 को अवधि समाप्त होने पर समिति का पुनर्गठन किया जाना है।

आरएमसी का मुख्य कार्य विभिन्न जोखिमों, जिनके उत्पन्न होने की संभावना हो तथा कम्पनी द्वारा अपनाई गई पद्धतियों की मॉनीटर करना और साथ ही प्रचालन में उत्पन्न जोखिमों और कंपनी के अन्य संबंधित मामलों से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है। कंपनी ने अपने विभिन्न जोखिमों की पहचान कर ली है और उन्हें कम करने के समुचित उपाय किए हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

i) ऋण (क्रेडिट)जोखिम:

ऋण जोखिम सम्सपोजर एक ऐसा जोखिम है जो वित्तपोषण उद्योग में अंतर्निहित होता है और इसमें उधारकर्ता के क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी से होने वाली हानियों का जोखिम शामिल होता है और यह जोखिम होता है कि उधारकर्ता ऋण या पेशगी के अधीन संविदा में उल्लिखित पुनर्भुगतान में चूक करेगा। इसे कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम का मूल्यांकन हेतु सुव्यवस्थित, संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाती है। इन प्रक्रियाओं में विस्तृत मूल्यांकन प्रविधि, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा क्रेडिट जोखिम को न्यूनतम करने के उपाय शामिल होते हैं।

ii) बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम संभावित हानि होती है जो बाजार दरों और बाजार कीमतों में परिवर्तन से उत्पन्न होती है। हमारे प्राथमिक बाजार जोखिम उदभासन (एक्सपोजर) मुख्यतः ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में घट-बढ़ के कारण होते हैं। ब्याज दर जोखिम कम करने के लिए कंपनी अपनी उधार लागत के आधार पर उधार देने की अपनी दरों की आवधिक समीक्षा करती है। इसके पश्चात हम लागू बाजार दरों, हमारी भारित औसत वित्तपोषण लागत की और हमारे कर-पश्चात लाभों (मार्जिनों) पर आधारित उधार देने की अपनी दरों को निर्धारित करते हैं।

iii) लिक्विडिटी जोखिम:

लिक्विडिटी जोखिम देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने में हमारी संभावित असमर्थता संबंधी जोखिम होता है। हम ऐसी लिक्विडिटी जोखिमों का सामना करते हैं, जिनके कारण निधियों को जुटाने या प्रतिकूल शर्तों पर परिसंपत्तियों का परिसमापन करने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। हम अपने नकदी जोखिम का प्रबंधन ऐसी मिश्रित कार्यनीति के माध्यम से करते हैं, जिसमें अनुमानित संवितरण और परिपक्व देयताओं पर आधारित संसाधन जुटाने का अनुमान लगाना शामिल है।

iv) विदेशी मुद्रा जोखिम :

विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम में मुद्राओं में विनिमय दर की घट-बढ़ शामिल है जिसका विदेशी मुद्रा, मूल्यवर्गित परिसंपत्तियों, देयताओं और तुलन-पत्र से इतर व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी विनिमय दर और ब्याज दर से जुड़े विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से करती है। इसके लिए कंपनी ने विदेशी मुद्रा के उधार से संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए एक बचाव (हेजिंग) नीति लागू की है।

v) विधिक जोखिम :

विधिक जोखिम हमार उधारकर्ताओं के दायित्वों से संबंधित संविदाओं के प्रवर्तन की अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। यह प्रवर्तन की प्रक्रिया को विलंब से शुरू करने या संविदा के दायित्वों की प्रयोज्यता में कठिनाई के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हम विधिक प्रलेखन और विधिक दस्तावेजों में भावी संविदात्मक प्रावधानों के द्वारा विधिक जोखिम को कम करने का प्रयास करते हैं।

vi) प्रचालनात्मक जोखिम :

प्रचालनात्मक जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जो अपर्याप्त और असफल आंतरिक प्रक्रिया, लोगों और प्रणालियों या बाह्य घटनाओं से उत्पन्न होते हैं। हमने अपने व्यवसाय में प्रचालन जोखिमों का पता लगाने और उन्हें कम करने के लिए अपनी प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का निरंतर सुदृढ़ीकरण किया है।

13. अधिमानी ग्राहक नीति

व्यवसाय संवर्धन कार्यनीति के भाग के रूप में, अधिमानी ग्राहक नीति 2008 में तैयार की गई जिसका मूल उद्देश्य कंपनी के ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था और उनके साथ लम्बे समय तक परस्पर लाभप्रद संबंध बनाए रखना था। इस नीति में पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए है जिनमें अधिमानी ग्राहकों का निर्धारण करने और उन्हें विभिन्न बाहरी एजेंसियों और हैदराबाद स्थित सायर द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण/घरेलू/

अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजित करने के लिए उधारकर्ता की बकाया ऋण राशि, ऋण संबंध की अवधि, ऋण के पुनर्भुगतान का पिछला रिकार्ड आदि जैसे विभिन्न कारक ध्यान में रखे जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, इस नीति के तहत, अधिकांशतः राज्य यूटिलिटियों अर्थात महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (एमएसईडीसीएल), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लि. (एमएसईटीसीएल), महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (एमएसपीजीसीएल), तमिलनाडु उत्पादन और वितरण कारपोरेशन लि. (टीएएनजीईडीसीओ), बंगलौर बिजली आपूर्ति कंपनी लि. (बीईएससीओएम), कर्नाटक पॉवर कारपोरेशन लि. (केपीसीएल), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (सीएसपीडीसीएल), राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. (आरआरवीपीएनएल), पंजाब राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (पीएसपीसीएल), उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (यूएचबीवीएनएल), आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि. (एपीजीईएनसीओ) तथा उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लि. (यूपीपीसीएल) से ऐसे दस अधिमानी ग्राहकों को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित ''विद्युत क्षेत्र में सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटियां'' पर 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आरईसी द्वारा प्रायोजित किया गया।

14. सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहल

कंपनी के सभी बड़े कारोबार संबंधी कार्यों को शामिल करते हुए एकीकृत ईआरपी प्रणाली 2009 से चल रही है। बेहतर सेवा के भाग के रूप में, ईआरपी प्रणाली के लाभ उधारकर्ताओं को भी दिए जा रहे हैं। कंपनी में कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल सहित एचआर संबंधी कार्यों के स्वतः संचालन के लिए एकीकृत एचआर-ईआरपी सॉल्यूशन का कार्यान्वयन अग्रिम चरण पर है। कंपनी में एचआर-ईआरपी सॉल्यूशन के लिए आपदा निवारण केद्र भी जनवरी, 2015 में स्थापित किया गया है। दक्ष इलेक्ट्रॉनिक सुशासन और पारदर्शिता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹ 5 लाख से अधिक की वस्तुओं की खरीद और सेवाओं के लिए ऑनलाइन 'ई-खरीद' प्रणाली कायान्वित की है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक दक्षता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए, आरईसी ने वार्षिक सम्पत्ति विवरणी प्रणाली, बिलों का भुगतान, भुगतान करने वाले चुनिन्दा विभागों में ट्रैकिंग प्रणाली, आगंतुक प्रबंधन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली, फाइल संचलन प्रणाली आदि जैसी विभिन्न आन्तरिक प्रणालियों को विकसित कर उन्हें कार्यान्वित किया है।

आरईसी के प्राथमिक डाटा केंद्र (पीडीसी) तथा आपदा निवारण केंद्र (डीआरसी) दोनों ही आईएसओ/आईईसी 27001 : 2013 प्रमाणित हैं और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के अनुरूप हैं। आरईसी कंपनी के सभी कार्यालयों में उपयुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)सुविधा कार्यान्वित कर रहा है। चरण- I में वीसी सॉल्यूशन निगमित और आंचलिक कार्यालयों में कार्यान्वित किए जाएंगे।

कर्मचारियों को सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित बनाने के लिए लगभग 100% कर्मचारियों (श्रेणी-IV कर्मचारियों को छोड़कर) को डेस्कटॉप कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी का आईटी विभाग आंतरिक अपेक्षाओं और ईआरपी के लिए अनुरोध पर बाह्य एजेंसी के लिए भी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण देता है।

15. केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)

आरईसी के तत्वावधान में वर्ष 1979 में हैदराबाद में केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर) की स्थापना की गई थी, ताकि विद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्र तथा विद्युत और ऊर्जा से संबंधित अन्य संगठनों के इंजीनियरों एवं प्रबंधकों की प्रशिक्षण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नवीनतम विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान, सायर को 22वें बिजनेस स्कूल अफेयर में देवांग मेहता बिजनेस स्कूल द्वारा संस्थान के नेतृत्व, विकास, नवीनता और उद्योगों के साथ संपर्क की मान्यता स्वरूप 'एजूकेशन लीडरशिप अवार्ड' प्रदान किया गया है।

15.1 डीडीयूजीजेवाई के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

सायर को आरजीजीवीवाई कार्यक्रम के मानव संसाधन विकास घटक के अधीन फ्रैंचाइजी और समूह ग तथा घ कर्मचारियों से संबंधित राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (एनटीपी) के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। ये कार्यक्रम, ग और घ श्रेणी के 1,25,000 कर्मचारियों तथा 25,000 विद्यमान फ्रैंचाइजियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी रखे गए हैं। वर्ष के दौरान, सायर/आरईसी ने 33 विद्युत यूटिलिटियों/प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए हैं। विभिन्न विद्युत कंपनियों/संस्थाओं द्वारा श्रेणी ग और घ के 30,453 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, सायर ने अपने बैनर तले विद्युत कंपनियों के अनुरोध पर श्रेणी ''ग'' व ''घ'' कर्मचारियों के लिए 47 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें विभिन्न स्थलों पर विद्युत कंपनियों के 1,187 प्रतिभागी शामिल हुए और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) के लिए 204 प्रतिभागियों सहित 8 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15.2 आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम

सायर ने भागीदार प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम आयोजित किए। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, सायर ने वितरण तंत्र में दक्षता सुधार के उपाय, वितरण प्रचालन तथा प्रबंधन प्रणाली में सर्वोत्तम परिपाटियां, चालू होने के बाद के दृश्य विधान में संचार और ग्राहक संबंध, चालू होने के बाद के दृश्य विधान में राजस्व प्रबंधन तथा हानि में कमी तथा लाईनमैन के लिए उप केद्रों का ओएडंएम जैसे विभिन्न विषयों पर 24 आर-एपीडीआरपी (''क'' और ''ख'' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 18 तथा ''ग'' और ''घ'' श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 6) कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें विभिन्न विद्युत कंपनियों से 370 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

15.3 अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर को आईटीईसी/एससीएएपी के अधीन विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान, सायर ने 9 अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 153 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर आधारित थे यथा विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली की योजना और प्रबंधन (8 सप्ताह), विद्युत कंपनियों के लिए वित्तीय प्रबंधन और लेखाकरण प्रणाली (आईएफआरएस सहित) (8 सप्ताह), विद्युत वितरण क्षेत्र में सर्वोत्तम पद्धतियाँ (5 सप्ताह), विद्युत परियोजनाओं की आयोजना, मूल्यांकन और वित्तीय प्रबंधन (8 सप्ताह), सूचना प्रौद्योगिकी/ऑटोमेटेड सॉल्यूशन का उपयोग करके विद्युत कंपनियों का प्रबंधन (5 सप्ताह), ईएचवी उपकेद्र का अभिकल्प, उन्निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण (4 सप्ताह), सौर विद्युत उत्पादन - ग्रिड इनेब्लिंग (4 सप्ताह), विद्युत उत्पादन में रूझान और विकास (8 सप्ताह) तथा विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन और ग्रामीण विद्युत वितरण प्रबंधन (8 सप्ताह)।

इन कार्यक्रमों में विभिन्न देशों यथा अफगानिस्तान, अल्जीरिया, बांग्लादेश, भूटान, इक्वाडोर, मिश्र, इथिओपिया, गैम्बिया, गुआना, इंडोनेशिया, ईरान, जॉर्डन, कीनिया, किर्गीस्तान, लाओस, लेबनान लाइबेरिया, मलावी, मॉरीशस, म्यांमार, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपिन्स, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, सूडान, सीरिया, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, यूक्रेन, वियतनाम, जिम्बाब्वे इत्यादि, देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

15.4 नियमित राष्ट्रीय कार्यक्रम

सायर ने विभिन्न विषयों जैसे वितरण प्रणाली के लिए तकनीकी विनिर्देश; निर्माण मानक; भारतीय मानकों तथा आईएफआरएस के संदर्भ में विद्युत क्षेत्र का लेखाकरण; बिजली चोरी की समस्याएं, चुनौतियां तथा निवारक उपाय; उप-केद्रों में संरक्षण प्रणाली; वैद्युत संस्थापनाओं में अर्थिंग पद्धतियां तथा सुरक्षा के उपाय; सुलभ पहुंच, विद्युत कारोबार तथा प्रशुल्क; विद्युत तथा वितरण ट्रांसफॉर्मर-दक्ष प्रचालन तथा अनुरक्षण; उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली; वितरण स्वचलन; पर्यवेक्षी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण (स्काडा) और स्मार्ट ग्रिड; सौर विद्युत उत्पादन और ग्रिड एनेब्लिंग; विद्युत तथा नियंत्रण केबलों सहित गैस इंसुलेटिड तथा इनडोर उप-केद्र; 33/11 केवी उप-केद्रों में जांच, कमीशनिंग और संरक्षा पहलू; जल विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प, प्रचालन और अनुरक्षण; विद्युत वितरण प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धति; विद्युत कारक सुधार-रिएक्टिव विद्युत प्रबंधन; विद्युत क्रय करार; प्रशुल्क नीति तथा ए आर आर प्रस्तुतीकरण-रेगुलेटरी अनुपालन; ईएचवी लाइनों और ईएचवी सब-स्टेशनों के प्रचालन और अनुरक्षण में सर्वोत्तम पद्धति; थर्मल पॉवर स्टेशन में दक्षता सुधार उपाय; गैर तकनीकी अधिकारियों के लिए तकनीकी पहलू; वितरण प्रणाली प्रबंधन तथा मीटरिंग, बिलिंग और संग्रहण के लिए आईटी एप्लिकेशन में अद्यतन रूझान पर विभिन्न विद्युत यूटिलिटियों/वितरण कम्पनियों के कार्मिकों के लिए 24 नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सायर ने भारतीय विद्युत कंपनियों में अपनाने के लिए आईएनडी-एएस (आईएफआरएस) पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।

15.5 सहयोग से आयोजित किए गए कार्यक्रम

सायर प्रमुख प्रबंधन संस्थान अर्थात लोक उद्यम संस्थान के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तथा इसने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, 4 कार्यक्रम आयोजित किए - विद्युत *कंपनियों के मानव संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम पद्धतियां; सामग्री प्रबंधन, ई-खरीद तथा संविदा प्रबंधन; विद्युत *कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 तथा संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन आदि जिनमें 47 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

15.6 आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान,'विद्युत वितरण प्रबंधन' पर सायर कैम्पस में मणिपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंधकों के लिए दो प्रवेश कार्यक्रम और पंजाब राज्य विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यपालकों के लिए दो कार्यक्रम आयोजित किए गए।

15.7 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

सायर ने आरईसी के कर्मचारियों के लिए भी 7 आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में 104 कर्मचारियों ने भाग लिया। शामिल किए गए विषयों में ई-खरीद/उल्टी नीलामी; सौर विद्युत उत्पादन और ग्रिड एनेब्लिंग; ऋण प्रलेखन और विधिक मुद्दे; सीएसआर और धारणीयता विकास; कम्पनी अधिनियम, 2013 और आईएफआरएस; कर्मचारी सहभागिता अभिप्रेरण, टीम बनाना तथा हिन्दी कार्यशाला।

15.8 वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, श्रेणी ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों तथा फ्रैंचाइजियों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन तथा निगरानी के अलावा, सायर ने विभिन्न विषयों पर 128 कार्यक्रम आयोजित किए तथा 14,582 प्रशिक्षण श्रम दिवसों के साथ 2,539 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया।

16. आईएसओ 9001 : 2008 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन

आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय के 6 प्रमुख प्रभागों और देश-भर में फैले सभी आंचलिक/परियोजना कार्यालयों में दावा संसाधन के लिए आईएसओ 9001: 2008 मानकों के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू कर दी है।

17. मानव संसाधन प्रबंधन

आरईसी के कार्यपालकों की जनशक्ति को व्यावसायिक बनाने के लिए तथा नए युवा लोगों को शामिल करने के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, 24 कार्यपालकों को खुले विज्ञापन के जरिए नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की कुल कर्मचारियों की संख्या 631 थी, जिसमें 427 कार्यपालक और 174 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

17.1 रोजगार में आरक्षण

कंपनी द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में जारी निर्देशों का अनुपालन किया गया। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कुल कर्मचारी संख्या में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का समूहवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
क	359(377)	33(35)	12(12)
ख	121(122)	17(18)	2(2)
ग	42(45)	7(7)	0(0)
घ	79(87)	24(27)	1(1)
जोड़	**601(631)**	**81(87)**	**15(15)**

(कोष्ठकों में दी गई संख्या पिछले वर्ष की सदृश स्थिति दर्शाती है)

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कुल कर्मचारियों में से 10 कर्मचारी अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की श्रेणी में हैं जो कंपनी की कुल जनशक्ति का 1.66% है।

17.2 प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास

कर्मचारी कौशल समूहों के उन्नयन सहित क्षमता निर्माण के उपाय के रूप में तथा उच्च कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी जाती रही। कम्पनी की प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास नीति का उद्देश्य बेहतर कर्मचारी कार्यनिष्पादन के लिए अपेक्षित व्यवसाय कौशलों तथा सक्षमता को प्रखर बनाना है तथा कर्मचारियों को उनकी कार्यनिष्पादन तथा उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सभी संभव अवसर तथा सहायता प्रदान की जाती है। उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने में और उन्हें सामाजिक-आर्थिक वातावरण जिसमें कारोबार किया जाता है, के प्रति सुग्राही बनाने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा प्रशिक्षण जो कर्मचारियों की आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और अभिवृत्ति में परिवर्तन की प्रक्रिया में सहायक होता है, भी दिया गया।

नई दिल्ली में 17-20 फरवरी, 2015 के दौरान ''जोखिम प्रबंधन'' पर आयोजित कार्यक्रम

कर्मचारियों को व्यावसायिक रूप से तैयार करने की दृष्ट से, कम्पनी ने देश तथा विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में शामिल होने के लिए 380 कर्मचारियों को प्रायोजित किया। इसके अलावा, तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक रूप से आयोजित किए गए जिनमें 60 कर्मचारियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर, इन पहलों से कंपनी 1,083 प्रशिक्षण श्रम दिवसों का लक्ष्य प्राप्त कर सकी और इस मापदंड के संबंध में समझौता ज्ञापन लक्ष्य संबंधी उत्कृष्ट रेटिंग भी प्राप्त करने में समर्थ हुई है। 24 अधिकारियों को संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, ताईवान, फ्रांस, चीन, सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

इसके अलावा समझौता ज्ञापन लक्ष्य की दृष्ट से, वित्त वर्ष 2014-15 में 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने के उद्देश्य से ''कंपनी के समक्ष मौजूदा विभिन्न जोखिम अर्थात विनिमय जोखिम/ क्रेडिट जोखिम/ब्याज जोखिम और जोखिम को कम करने के उपाय'' के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु 80 के स्थान पर 93 श्रम दिवस समर्पित किए गए और ''नेतृत्व विकास'' पर 25 के स्थान पर 28 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

17.3 कर्मचारी कल्याण

कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपनी ने 8 और अस्पतालों को जोड़कर प्रत्यक्ष भुगतान योजना के अधीन पैनलबद्ध अस्पतालों की सूची का विस्तार किया है। इसके अलावा, 4 विशेषज्ञता प्राप्त अंशकालिक चिकित्सकों को कार्यस्थल पर कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित किया गया है। कंपनी कर्मचारियों के प्रयोग और तन्दरूस्ती के संवर्धन के लिए खेलकूद और मनोरंजन के उपकरणों हेतु भी वित्तपोषण कर रही है।

खेल कूद संबंधी क्रियाकलाप

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी ने इंटर-सीपीएसयू टेबल टेनिस प्रतियोगिता की मेजबानी की है और अपने कर्मचारियों को विभिन्न इंटर-सीपीएसयू खेलकूद प्रतियोगिता के लिए प्रायोजित किया, जिनमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम, कबड्डी और चैस जैसे टूर्नामेंट शामिल थे, जिन्हें विद्युत खेलकूद नियंत्रण बोर्ड (पीएससीबी) के तत्वावधान में विद्युत क्षेत्र के विभिन्न सीपीएसयू द्वारा आयोजित किया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों को स्कोप, विद्युत मानव संसाधन मंच, आईएमए जैसे प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा संचालित विभिन्न प्रश्नोत्तरी, शोध पत्र प्रस्तुतीकरण तथा अन्य अनुकरणीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान एक कर्मचारी श्री विजय बेहड़ा ने इंटर-सीपीएसयू बैडमिंटन प्रतियोगिता (एकल श्रेणी) में गोल्ड मेडल जीता है, जिसकी मेजबानी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई थी।

17.4 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कम्पनी में 99 स्थायी महिला कर्मचारी हैं, जो कुल कार्यबल का 16.47% है। महिला होने के आधार पर इन कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। महिला कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान देने और उनके समग्र विकास के लिए कंपनी में एक महिला प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। आरईसी के महिला प्रकोष्ठ द्वारा 08 मार्च, 2015 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।

17.5 औद्योगिक संबंध

वित्त वर्ष 2014-15 में भी औद्योगिक संबंध मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बने रहे। औद्योगिक अशांति के कारण श्रम दिवसों की कोई हानि नहीं हुई है। कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मुद्दों पर आरईसी कर्मचारी यूनियन और आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया गया। इससे विश्वास और सहयोग का वातावरण बनाने में मदद मिली, जिसके परिणामस्वरूप कार्यबल अभिप्रेरित बना रहा और कारोबार के कार्य-निष्पादन में लगातार सुधार हुआ। कंपनी में कोई अनुशासनिक मामला लंबित नहीं है।

17.6 लोक शिकायत निवारण तंत्र

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण समिति गठित की है। लोक शिकायतों को सुनने के लिए भी इस समिति के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया है। सप्ताह के दौरान एक दिन बैठक रहित दिवस के रूप में नियत किया गया है ताकि विभागाध्यक्षों द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके।

18. कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 2014 से लागू 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व पर आरईसी की नीति' कंपनी के निदेशक मंडल की 28 मार्च, 2014 को हुई 402वी बैठक में उनके द्वारा अनुमोदित की गई। 21 अक्टूबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन फाइल सं. (13) 2013-डीपीई (जीएम) द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों के लिए सीएसआर और धारणीयता के दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर नीति को पुनः यह नाम दिया गया-'कारपोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता नीति' और निदेशक मंडल की 26 दिसंबर, 2014 को हुई 410वी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए 1 अप्रैल, 2014 से लागू कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियमों के संशोधनों को शामिल करने के लिए उन्हें अद्यतन किया गया। 'आरईसी कारपोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता नीति' कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों और कारपोरेट सामाजिक दायित्व और धारणीयता पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी ने 'कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति' बनाई हुई है। सीएसआर समिति के संयोजन और विचारणीय विषयों से संबंधित ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन पर रिपोर्ट में दिए गए हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास (सीएसआर एवं एसडी) संबंधी पहलें इस दृष्टि से आरंभ की गई हैं कि आरईसी के सभी हितधारकों के हित को मान्यता देने हेतु इसके कारोबार प्रचालनों और सामाजिक प्रक्रियाओं को एक साथ निषादित किया जा सके। कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास संबंधी परियोजनाओं को स्थायी विकास के सिद्धांत से जोड़ा गया इस कार्यनीतिक बल का फोकस कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा स्थायी विकास की उन पहलों के प्रति था जो राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा कर सकें, जिनमें महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता, कौशल उन्नयन, उद्यमशीलता और स्थानीय संस्थाओं/लोगों के साथ सह-सृजनात्मक मूल्यों द्वारा रोजगार पैदा करना सुनिश्चित करते हुए मिलेनियम विकास लक्ष्य को पूरा करना भी शामिल है। ऐसी पहलों को अभिनिर्धारित करते समय, कंपनी ने सामुदायिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के निवारण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अंगीकृत किया है, जिसे ट्रिपल बॉटम लाइन के दृष्टिकोण के रूप में मापा जाता है। वर्ष के दौरान, देशभर में विभिन्न स्थलों/जिलों में कम्पनी ने कौशल विकास/उन्नयन कार्यक्रमों, शिक्षा, पर्यावरणीय धारणीयता, स्वास्थ्य देखभाल संवर्धन जिसमें वयोवृद्ध तथा निःशक्त लोगों की देखभाल शामिल है, पेयजल तथा सफाई स्वच्छता, 'सवच्छ विद्यालय अभियान'

2 अक्टूबर, 2014 को बलिया, उत्तर प्रदेश में 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' की शुरूआत पर सीएमडी, आरईसी

में हिस्सेदारी, चुनिन्दा अविद्युतीकृत/ कम विद्युतीकृत गांवों में सौर आधारित स्ट्रीट लाइटों आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर पहलें की हैं। सीएसआर कार्यनीति का विकास परियोजना आधारित जवाबदेही दृष्टिकोण में कार्य योजना के साथ किया गया है। अधिकांश सीएसआर क्रियाकलापों को आधार रेखा सर्वेक्षण, विनिर्दिष्ट समय सीमा, अभिनिर्धारित उपलब्धियों तथा आवधिक निगरानी और प्रभाव मूल्यांकन के साथ परियोजना मोड में क्रियान्वित किया गया है। सीएसआर के तहत आबंटित निधियों के संवितरण संबंधी उपलब्धियों तथा परिणामों की प्राप्ति के साथ जोड़ा गया। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए ₹ 251.22 करोड़ की कुल वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई जिसमें 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत स्कूलों में शौचालयों के निर्माण हेतु ₹ 190 करोड़ शामिल है जिसमें से ₹ 67 करोड़ का आबांटन वित्त वर्ष 2014-15 के लिए तथा ₹ 123 करोड़ का आबंटन वित्त वर्ष 2015-16 के लिए किया गया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी ने वर्ष के दौरान कार्यान्वयनाधीन अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹ 103.25 करोड़ (खातों बही में प्रावधान किए गए ₹ 57.21 करोड़ सहित) की राशि व्यय की है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान व उपलब्ध कराई गई ₹ 57.21 करोड़ की राशि का वित्त वर्ष 2015-16 में भुगतान किया जा चुका है।

कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 की दृट से, सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

19. सतर्कता क्रियाकलाप

सतर्कता प्रभाग कार्य प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता में सुधार लाने और कंपनी के कर्मचारियों के बीच नैतिकता और सत्यनिष्ठा को प्रोन्नत करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता आ रहा है। वर्तमान नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई और जहां कहीं विषयनिष्ठा और पारदर्शिता बढ़ाने को ढर्रे पर लाने/का आशोधन अपेक्षित था,सतर्कता प्रभाग ने हस्तक्षेप किया। सतर्कता प्रभाग ने सभी संबंधितों पर यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखी कि कंपनी में सीवीसी के निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन किया जाए। सतर्कता प्रभाग के क्रियाकलापों की व्यापक जानकारी देने की दृष्टि से, आरईसी इंटरानेट वेबसाइट पर उपलब्ध सतर्कता प्रभाग को पुनः संरचित किया गया और सीवीसी के सभी परिपत्र और सतर्कता प्रभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र कर्मचारियों की सूचना के लिए इंटरानेट पर नियमित रूप से डाले गए। सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के नियमित / अकस्मात निरीक्षण किए गए और कर्मचारियों को सतर्कता की महत्ता से अवगत कराया गया और यह भी अवगत कराया गया कि नियमों और कार्यवाहियों के अनुपालन में लापरवाही के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सतर्कता की दृष्टि से छानबीन की गई।

इसके अतिरिक्त, सतर्कता प्रभाग की पहलों के अनुसरण में, वर्ष के दौरान नए कार्यान्वयन थे-(क) कंप्यूटरीकृत आगंतुक रिकार्ड मैनेजमेंट प्रणाली को प्रचालन में लाया गया (ख) स्थायी परिसंपत्तियों के समाधान और रख-रखाव के लिए व्यापक नीति और प्रक्रिया बनाकर कार्यान्वित किया गया (ग) वकीलों को रखने की नीति को और व्यापक बनाया गया (घ) बिल ट्रैकिंग प्रणाली के माध्यम से तृतीय पार्टी की भुगतानों की समीक्षा शुरूकी गई (ड) 'उल्टी बोली' प्रक्रिया के बारे में संबंधित अधिकारियों को सुग्राही बनाया गया (च) सतर्कता प्रभाग में फाइल संचलन प्रणाली कार्यान्वित की गई (छ) संवेदनशील पदों का पता लगाया गया और इन पदों पर कार्य कर रहे अधिकारियों के क्रमावर्तन द्वारा स्थानांतरणों को प्रभावी करने के लिए मानव संसाधन प्रभाग को सूचना दी गई।

सीवीसी के निर्देशों के अनुसार, आरईसी ने 27 अक्टूबर, 2014 से 1 नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाया। कुल मिलाकर अधिकाधिक कर्मचारियों की प्रतिभागिता सूचीबद्ध करने के लिए कारपोरेट कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए गए। कारपोरेट कार्यालय में प्रश्नोत्तरी तथा निबंधन लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तथा सतर्कता के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आरईसी के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए विशिष्ट हस्तियों को आमंत्रित किया गया। केंद्रीय ग्राम विद्युतीकरण संस्थान (सायर), हैदराबाद में आयोजित किए जा रहे आरईसी कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सतर्कता संबंधी मामलों पर एक सत्र शामिल किया गया। अवधि के दौरान दिए गए कान्ट्रेक्ट्स के कुछ मामलों में निविदा प्रक्रियाओं की संवीक्षा की गई तथा निविदा तंत्र को सुधारने/समर्थ बनाने के लिए संबंधित प्रभागों को विभिन्न सुझाव दिए गए ताकि प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्पक्षता को बढ़ाया जा सके। रहस्योद्घाटन/अनियमितताओं के निवारण के लिए कदम उठाए गए और कार्यालय परिसर में सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाया गया। संबंधित अधिकारियों को ई-खरीद पर भी प्रशिक्षण दिया गया और सतर्कता प्रभाग द्वारा ई-खरीद मोड के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी की गई।

सतर्कता संबंधी मामलों के बारे में कर्मचारियों की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक सतर्कता बुलेटिन तिमाही रूप से जारी किया जा रहा है। सभी कार्यपालकों के अचल सम्पत्ति विवरणी (आईपीआर) के ब्यौरे आरईसी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं तथा सतर्कता समाशोधन को आईपीआर के सामयिक प्रस्तुतीकरण के साथ संबद्ध किया गया है। कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति विवरणी की भी प्रणालीबद्ध ढंग से संवीक्षा की गई। आवधिक विवरणियां सीवीसी/एमओपी को समय पर भेजी गई। सीवीओ द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की गई सतत् समीक्षाओं के अलावा सतर्कता विभाग के कार्यनिष्पादन की सीवीसी, निदेशक मंडल तथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की गई।

20. राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 के वार्षिक कार्यक्रम में नियत लक्ष्यों के संदर्भ में कंपनी का निष्पादन उत्कृष्ट रहा। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सभी प्रोत्साहन योजनाएं कंपनी में लागू की गई हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने हिंदी में अत्यंत रूचि दर्शाई जिसके परिणामस्वरूप रोजमर्रा के कामकाज में इसका प्रयोग बढ़ा है। शासकीय कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, कारपोरेट कार्यालय में 6 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें 55 अधिकारियों

तथा 59 कर्मचारियों ने भाग लिया। इससे रोजमर्रा के कामकाज में हिंदी के प्रयोग के प्रति उनकी झिझक दूर करने में सहायता मिली। 'ग' क्षेत्र के लिए सायर, हैदराबाद में 19 से 20 जून, 2014 और आईकुडी तिरूनेवेली, तमिलनाडु में 19 से 20 सितंबर, 2014 के दौरान हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें क्रमशः 51 और 14 अधिकारियों ने भाग लिया।

कारपोरेट कार्यालय में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2014 के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के लिए हिन्दी प्रश्नोत्तरी और सुलेख प्रतियोगिता आदि सहित नौ प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उन कर्मचारियों को जिन्होंने हिंदी में मूल कार्य स्कीम 2013-14 के दौरान हिंदी में अधिकतम मूल कार्य किया, को 14 नवंबर 2014 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में योग्यता प्रमाण पत्र तथा नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। उक्त समारोह की अध्यक्षता सीएमडी, आरईसी द्वारा की गई और सुप्रसिद्ध हिन्दी कवियों जैसे श्री हरि ओम पवार, डॉ. दिनेश रघुवंशी तथा डॉ. पी.सी. टंडन को आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपने हिंदी काव्य पाठ से श्रोतागण को मंत्रमुग्ध किया। डॉ. पी.सी. टंडन, वरिष्ठ रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय ने श्रोतागण को संबोधित भी किया तथा शासकीय कार्य में राजभाषा के महत्व के बारे में बताया। हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए आंचलिक कार्यालय-पंचकूला और परियोजना कार्यालय-शिमला को संबंधित नराकास द्वारा क्रमशः तृतीय और द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी को भारतीय राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा राजभाषा को प्रोन्नत करने के लिए ''राजभाषा श्री सम्मान'' और ''विशेष राजभाषा श्री सम्मान'' से सम्मानित किया गया।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन की चार तिमाही समीक्षा बैठक आयोजित की गईं जिनमें प्रगति की समीक्षा के लिए विस्तृत चर्चा की गई और लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से कठिनाईयों को दूर करने के उपाय सुझाए गए। वर्ष के दौरान, हिंदी के प्रगामी प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए कारपोरेट कार्यालय के 11 प्रभागों और 9 परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण किया गया और कर्मचारियों को कमियां सुधारने के उपाय बताए गए। विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान दो परियोजना कार्यालयों का निरीक्षण भी किया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2014-15 में नियत कारपोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों के 25% निरीक्षण लक्ष्य के मुकाबले कंपनी ने कारपोरेट कार्यालय और परियोजना कार्यालयों में लक्ष्य से दुगुने निरीक्षण किए।

आरईसी की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है और इसे समय-समय पर नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। सभी कम्प्यूटरों पर द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध कर दी गई है। सभी प्रकाशन, रिपोर्ट, ज्ञापन, प्रेस रिलीज, समझौता ज्ञापन, निविदाएं, वार्षिक रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में जारी की गई हैं। हिंदी में पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए मानक प्रारूप/प्रपत्र इंटरानेट पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी के पुस्तकालय में बड़ी संख्या में हिंदी की साहित्यिक पुस्तकें, पत्रिकाएं और संदर्भ प्रकाशन उपलब्ध हैं और हिंदी और अंग्रेजी पुस्तकों की खरीद में अपेक्षित अनुपात भी सुनिश्चित किया जाता है।

21. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी मुद्रा से आय एवं व्यय के संबंध में विवरण

21.1 ऊर्जा संरक्षण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के अधीन ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन से संबंधित कोई महत्त्वपूर्ण ब्यौरे नहीं दिए गए हैं, क्योंकि आपकी कंपनी के स्वामित्वाधीन अपनी कोई विनिर्माण सुविधा नहीं है। तथापि, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपने प्रचालनों में प्रौद्योगिकी का गहन उपयोग किया है।

''स्कोप परिसर'' जहां कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, की सभी सिविल, वैद्युत संस्थापना तथा रख-रखाव के कार्य स्वायत्त निकाय नामतः स्थायी लोक उद्यम समिति (स्कोप) द्वारा किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, स्कोप ने 4 लाख यूनिट के लगभग बिजली की खपत कम करके ₹ 40 लाख की बचत की है जो चिलिंग यूनिट, एलीवेटर आदि प्रचालनों की मुख्य रूप से प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और शिड्यूल बनाने और ऊर्जा दक्ष उपस्करों के संस्थापन, परंपरागत लाइट फिटिंग्स/सीएफएल आदि को बदलकर एलईडी लाइट फिटिंग्स लगाने और लगभग 1.0 के पास विद्युत फैक्टर बनाए रखने जैसे कार्यों की शुरूआत से संभव हुआ है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी ने अपने पंजीकृत कार्यालय में सभी परंपरागत लाइट फिटिंग्स/सीएफएल आदि को एलईडी लाइट फिटिंग्स से बदलने की कार्रवाई की है।

21.2 विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की गई थी। तथापि, ब्याज, वित्तीय प्रभारों तथा अन्य व्ययों के कारण वित्त वर्ष के दौरान ₹ 513.09 करोड़ की कुल विदेशी मुद्रा व्यय की गई।

22. सहायक कम्पनियां

वितरण, पारेषण आदि के क्षेत्र में अतिरिक्त परामर्शी कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आपकी कंपनी की निम्नलिखित दो पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनियां (डब्ल्यूओएस) हैं :

(i) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीआईएनःयू40101डीएल2007 जीओआई 165779); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (सीआईएनःयू40101डीएल2007जीओआई 157558)

इसके अतिरिक्त विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र पारेषण परियोजना का विकास आरंभ करने के उद्देश्य से आरईसीटीपीसीएल ने एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) को पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी के रूप में निगमित किया है तथा सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, संबंधित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल एसपीवी को इसकी सभी परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया गया है। आज की तारीख के अनुसार, निम्नलिखित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) आरईसीटीपीसीएल की सहायक कम्पनियों के रूप में विद्यमान हैं:

i. नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएनःयू40104डीएल2012 जीओआई 245654);

ii. बेरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल) (सीआईएनःयू40106डीएल2013 जीओआई 247564);

iii. माहेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड (एमटीएल) सीआईएनःयू40102डीएल2014 जीओआई 270446);

iv. वेमगिरी-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (वी-।। टीएल) (सीआईएनःयू40106डीएल2015 जीओआई 278746)#;

v. अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड (एटीएल) (सीआईएनःयू40109डीएल2015 जीओआई 278992)#;

vi. एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (एन-।। टीएल) (सीआईएनःयू40106डीएल2015 जीओआई 279300)#;

 # इन्हें 31 मार्च, 2015 के बाद निगमित किया गया है।

22.1 आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ने तृतीय पक्ष निरीक्षण (टीपीआई) में उत्कृष्ट कार्य किया है और क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित ग्लोबल पॉजीशनिंग सिस्टम (जीपीएस) के जरिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में गुणवत्ता का बेंचमार्क स्थापित किया है। वर्ष के दौरान आरईसीपीडीसीएल द्वारा शुरू की गई नवीन पहलों में शामिल हैं :

i. गोवा बिजली विभाग के लिए आर-एपीडीआरपी भाग-ए के तहत आईटी कार्यान्वयन कार्य, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने संबंधी कार्य;

ii. आर-एपीडीआरपी भाग-बी के तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेन्सी (पीएमसी) सेवाएं/आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई/ गोआ बिजली विभाग (जीईडी) की कोई अन्य विभागीय योजना

iii. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीयूवीवीएनएल) के 17 जिलों और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के 21 जिलों में डीडीयूजीजेवाई-आरई XIIवीं पंचवर्षीय योजना के तहत पीएमसी कार्य

iv. विद्युतापूर्ति क्षेत्र (जमशेदपुर, दुमका, धनबाद) के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण के पुनरद्धार के लिए डीपीआर तैयार करना, असम पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल) और बिजली विभाग, नगालैंड के लिए भारत सरकार की विकेंद्रीकृत वितरण उत्पादन योजना (डीडीजी) के तहत डीपीआर तैयार करना;

v. खुली संविदा के जरिए नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) और साऊथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) हेतु डीडीयूजीजेवाई-आरई 12वीं पंचवर्षीय योजना के उत्थापन कार्य और सामग्री का तृतीय पक्ष निरीक्षण;

vi. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के तहत शोलापुर जिले में डीडीयूजीजेवाई-आरई 12वीं पंचवर्षीय योजना का तृतीय पक्ष निरीक्षण कार्य और वर्कमैनशिप;

vii. दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कॉस्ट डाटा बुक तैयार करना;

viii. एनर्जी एफीशियेंसी सर्विर्सिज लिमिटेड (ईईएसएल) के लिए डीएसएम के तहत साऊथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल) और नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसीएल) के लिए मांग (लोड) अनुसंधान विश्लेषण;

ix. इन कार्यों के अतिरिक्त, आरईसीपीडीसीएल भारत सरकार की डीडीयूजीजेवाई और /आईपीडीएस योजनाओं के लिए निम्नलिखित डिस्कॉम में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी (पीएमए) के रूप में कार्यरत है:

   1. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीएसवीवीएनएल)
   2. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल)
   3. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमपीएमकेवीवीएनएल)
   4. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमपीपीकेवीवीएनएल)
   5. पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आरईसीपीडीसीएल ने डीडीयूजीजेवाई-आरई 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 61 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) और झारखंड डिस्कॉम के लिए आरई कार्यों के अंतर्गत 11 डीपीआर तैयार की हैं तथा विभिन्न योजनाओं के लिए तृतीय पक्षकार निरीक्षण (टीपीआई) संचालित किए।

आरइसी ने अपनी सीएसआर पहल के तहत राष्ट्र को प्रधानमंत्री के आह्वान के फल स्वरूप 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगना, राजस्थान और पंजाब में विद्यालयों में शौचालयों के निर्माण हेतु आरईसीपीडीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन और निगरानी एजेंसी नियुक्त किया है। आरईसीपीडीसीएल ने 2 अक्टूबर, 2014 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के 90 स्कूलों में उद्घाटन समारोह आयोजित कर परियोजना की शुरूआत की।

कंपनी के कारपोरेट कार्यालय में पर्यावरण सरंक्षण के माध्यम से सभी प्रशासनिक और अन्य सहबद्ध क्रियाकलाप करने संबंधी पर्यावरणीय पहलुओं के प्रबंधन के क्षेत्र में आईएसओ 14001:2004 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को आईएसओ 14001:2004 गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए अपनी नियंत्रक कंपनी अर्थात रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा आरईसीपीडीसीएल के कार्यानिष्पादन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए भी, कार्य निष्पादन के आधार पर आरईसीपीडीसीएल 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने के लिए तत्पर है।

आरईसीपीडीसीएल के कार्य निष्पादन में सुधार आया है तथा कंपनी का वित्तीय कार्य निष्पादन तीव्र संवृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी की सकल आय विगत वर्ष में ₹ 75.16 करोड़ की आय की तुलना में 16.75% बढ़कर ₹ 87.76 करोड़ हो गई है। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के ₹ 50.18 करोड़ की तुलना में 4.66% बढ़ कर ₹ 52.52 करोड़ हो गया है। कर पश्चात लाभ (पीएटी) भी विगत वर्ष के ₹ 33 करोड़ की तुलना में 5.35% बढ़कर ₹ 34.77 करोड़ हो गया है। आरईसीपीडीसीएल के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर ₹ 100/-प्रति इक्विटी शेयर की दर से अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 1000%, लाभांश देने की सिफारिश की है जो उनकी आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

22.2 आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण/विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को ₹ 21,040 करोड़ की सकल अनुमानित लागत सहित निम्नलिखित आठ अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणालियों के लिए विकासकर्ता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया है:

i. एनटीपीसी (भाग-ए) की गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मे.वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली;

ii. एनटीपीसी (भाग-बी) गदरवारा एसटीपीएस (2x800मे.वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली;

iii. माहेश्वरम (हैदराबाद) 765/400 केवी पूलिंग सब-स्टेशन के लिए संयोजकता लाइनें;

iv. विंध्याचल-V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण;

v. नेवेली में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि. टीएस-I (प्रतिस्थापन) (एनएनटीपीएस) के लिए 400 मेगावाट के एलटीए के लिए पारेषण प्रणाली;

vi. भूटान में नए एचईपी से बिजली के अंतरण के लिए भारतीय प्रणाली में पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण;

vii. एनईआर प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना- II; और

viii. वेमगिरी से आगे पारेषण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अन्तर्राज्य पारेषण परियेजना का विकास शुरूकरने के उद्देश्य से, आरईसीटीपीसीएल ने अपनी पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी के रूप में परियोजना विशिष्ट स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) निगमित किया है। पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में विकासकर्ता के चयन हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की दर आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक पारेषण परियोजना के लिए अर्हता हेतु पृथक अनुरोध (आरएफक्यू) और प्रस्ताव के लिए अनुरोध वाली दो चरणीय बोली प्रक्रिया अपनाई गई है। पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के पश्चात, संबंधित परियोजना विशिष्ट एसपीवी को उसकी सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया गया है।

ऐसी पारेषण परियोजनाओं जिनके लिए वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान और वित्त वर्ष 2015-16 (30 अप्रैल, 2015 तक) के दौरान बोली प्रक्रिया पूरी की है, के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	पारेषण परियोजना का नाम	आबंटन का वर्ष	परियोजना विशिष्ट एस्सपीवी का नाम	चयनित बोलीदाता का नाम	चुने गए बोलीदाता को परियोजना विशिष्ट एस्सपीवी के अंतरण की तारीख
1.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना एनआरएसएस-XXXI (भाग-ए)	2013-14	एनआरएसएस-XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया	12 मई, 2014

क्र.सं.	पारेषण परियोजना का नाम	आबंटन का वर्ष	परियोजना विशिष्ट एसपीवी का नाम	चयनित बोलीदाता का नाम	चुने गए बोलीदाता को परियोजना विशिष्ट एसपीवी के अंतरण की तारीख
2.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना एनआरएसएस-XXXI (भाग-बी)	2013-14	एनआरएसएस-XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड	एस्सेल इफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	12 मई, 2014
3.	उत्तरी क्षेत्र प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना एनआरएसएस-XXIX	2013-14	एनआरएसएस- XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड	स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड	4 अगस्त, 2014
4.	विंध्याचल-V के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली सुदृढ़ीकरण	2014-15	विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	26 फरवरी, 2015
5.	एनटीपीसी (भाग-ए) की गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मे.वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली;	2014-15	गदरवारा (ए) ट्रंसको लिमिटेड	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24 अप्रैल, 2015
6.	एनटीपीसी (भाग-बी) की गदरवारा एसटीपीएस (2x800 मे.वा.) के साथ संबद्ध पारेषण प्रणाली	2014-15	गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड	पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24 अप्रैल, 2015

इसके अलावा वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, तीन पूर्णतया स्वामित्वाधीन सहायक कम्पनी के रूप में आरईसीटीपीसीएल के परियोजना विशिष्ट स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) अर्थात (i) 6 अप्रैल, 2015 को वेमगिरी ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40106डीएल2015जीओआई 278746); (ii) 13 अप्रैल, 2015 को एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40109डीएल2015जीओआई 278992); (iii) 21 अप्रैल, 2015 को अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएनःयू40106डीएल2015 जीओआई279300) के रूप में निगमित किए हैं।

नेवेली में 2x500 मेगावाट नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि. टीएस-(प्रतिस्थापन)(एनएनटीपीएस) के लिए 400 मेगावाट के एलटीए के लिए पारेषण प्रणाली के संबंध में, परियोजना के छोटे आकार को देखते हुए सीईए ने विद्युत मंत्रालय को सिफारिश की है कि परियोजना को दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से अनधिसूचित कर दिया जाए। वर्ष के दौरान, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 2015 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा पारेषण परियोजना अर्थात बैरा सियोल एचईपी-सरना 220 केवी डी/सी लाइन को दर आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से अनधिसूचित कर दिया था। विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 2 जनवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा ट्रांसमिशन सिस्टम फॉर कनेक्टिविटी फॉर एनसीसी पावर प्रोजेक्टस लि. (1320 मेगावाट) को सीईआरसी मानदंडों की तुलना में उच्चतर प्रशुल्क पर जाने के कारण पहले ही अनधिसूचित कर दिया था।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, आरईसीपीटीसीएल ने ₹ 72.44 करोड़ की आय दर्ज की। कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 69.92 करोड़ तथा ₹ 47.54 करोड़ है। आरईसीपीटीसीएल की नेटवर्थ वर्ष 2007 में आरईसी द्वारा सन्निविष्ट ₹ 0.05 करोड़ की आरंभिक पूंजी की तुलना में अब ₹ 105.01 करोड़ है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, निदेशक मंडल की वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन शेयरों के प्रदत्त मूल्य पर 19,020% की दर से (₹ 10/- प्रत्येक के प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 1902/-) लाभांश की सिफारिश की है।

23. संयुक्त उद्यम और संबद्ध कंपनी के ब्यौरे

आरईसी ने 10 दिसम्बर, 2009 को विद्युत क्षेत्र के तीन अन्य उद्यमों अर्थात पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी और पीएफसी को समान भागीदार बनाकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी गठित की है, जिसका नाम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) है। 31 मार्च, 2015 तक आपकी कंपनी ने ₹ 22.50 करोड़ (25% प्रदत्त पूंजी) का अंशदान किया है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, आरईसी ने ईईएसएल में इक्विटी अंशदान के लिए ₹ 25 करोड़ की अतिरिक्त राशि का निवेश किया है।

ईईएसएल का गठन विशेष रूप से नगरपालिका, भवनों, कृषि, उद्योग, इत्यादि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों की बाजार पहुंच का सृजन करने तथा उसे बनाए रखने एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के ऊर्जा सक्षमता ब्यूरो की अनेक योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किया गया है। ईईएसएल जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से एक मिशन अर्थात वर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) के बाजार से संबंधित क्रियाकलापों का भी नेतृत्व कर रहा है। कंपनी के व्यवसाय संबंधी मूलभूत तत्वों में अन्यों के अलावा कृषि मांग पक्ष प्रबंधन (एजीडीएसएम), नगरपालिक मांग पक्ष प्रबंधन (एमयूडीएसएम), वितरण ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं, भवन, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एसएमई), परफॉर्म, एचीव एण्ड ट्रेड-ज्वांयट इम्पलीमेंटेशन प्लान (पीएटी - जेआईपी), कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से जुड़े क्रियाकलापों इत्यादि में ऊर्जा सेवा कम्पनी (ईएससीओ) मोड में परियोजनाएं क्रियान्वित करना शामिल है।

वर्तमान में, ईईएसएल विभिन्न नगरपालिक निगमों के साथ नगरपालिक स्ट्रीट लाइट गली प्रकाशन परियोजनाएं, कृषि क्षेत्र में अदक्ष कृषि पंपसेट प्रतिस्थापित करने के लिए एजीडीएसएम परियोजनाएं, विभिन्न कंपनियों के साथ ईएससीओ मोड में घरेलू रिहायशी क्षेत्र में डीएसएम आधारित दक्ष प्रकाशन कार्यक्रम (डीईएलपी) और विभिन्न कंपनियों की सीएसआर परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान ईईएसएल के कार्य निष्पादन में सुधार आया है तथा कंपनी का वित्तीय कार्य निष्पादन संवृद्धि के मार्ग पर अग्रसर है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी की सकल आय विगत वर्ष की ₹ 16.75 करोड़ रुपए की आय की तुलना में ₹ 62.53 करोड़ हो गई है। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के ₹ 4.81 करोड़ की तुलना में ₹ 13.57 करोड़ हो गया है। कर पश्चात लाभ (पीएटी) भी विगत वर्ष के ₹ 1.02 करोड़ की तुलना में ₹ 9.05 करोड़ हो गया है। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.71 करोड़ अर्थात पीएटी का 30% लाभांश देने की सिफारिश की है जो उनकी आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

24. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और लेखाकरण मानक -21 के अनुसरण में कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों अर्थात आरईसीपीटीसीएल और आरईसीपीडीसीएल और संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात ईईएसएल सहित समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया है, जिसे 46वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण सहित सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तथापि, उन सहायक कंपनियों जिन्हें कंपनी द्वारा तदनंतर निपटान के लिए निगमित किया गया है, को कंपनी के वित्तीय विवरण में समेकित नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के अनुसरण में सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनी के फार्म एओसी-1 में वित्तीय विवरण की मुख्य झलक वाले विवरण का भाग है।

कंपनी की सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षित लेखाओं सहित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण इस कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।तथापि, ये दस्तावेज, कंपनी के किसी भी ऋण पत्र धारक के सदस्य अथवा न्यासी को उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर निरीक्षण के लिए कार्यालय समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। कंपनी इनकी प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाले कंपनी के किसी भी सदस्य द्वारा विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें उपलब्ध कराएगी।

25. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति का अधिकार विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी के निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार नियत किया जाता है। अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को मंडल और समिति की बैठकों में आने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर (कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निधार्रित सीमा के भीतर) निधार्रित सदस्यता शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार की शर्तो के अनुसार, सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/ सदस्यता शुल्क के हकदार नहीं हैं। निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक/ सदस्यता शुल्क के ब्यौरे इस रिपार्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

इसके अलावा कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना द्वारा योग्यताएं, सकारात्मक गुण निधार्रित करने और निदेशकों की स्वतंत्रता और निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी नीति बनाने के लिए मापदंड बनाने संबंधी अपेक्षाओं से सरकारी कंपनियों को छूट दी गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त) और कंपनी सचिव मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। कंपनी के सीईओ की भूमिका सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका निदेशक (वित्त) द्वारा निभाई जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ने न तो इस्तीफा दिया है और न ही किसी को नियुक्त किया गया है।

इसके अलावा 1 अप्रैल, 2014 को कंपनी के बोर्ड में तीन अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक थे-डॉ देवी सिंह (डीआईएनः00015681), श्री वेंकटरत्नम सुब्रामन्यन (डीआईएनः00357727) और डॉ सुनील कुमार गुप्ता (डीआईएनः948089)। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने यह घोषणा की हुई है कि वे कंपनी अधानियम, 2013 की धारा 149 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता मापदंड पूरा करेंगे।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, डॉ देवी सिंह और श्री वेंकट रमन सुब्रमनियम, अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक का तीन वर्ष का कार्यकाल 9 जून, 2014 को पूरा हो गया था। परिणामस्वरूप, वे संबंधित तारीखों से कंपनी के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे। बोर्ड ने डॉ देवी सिंह, श्री वेंकटरत्नम सुब्रामन्यन और डॉ सुनील कूमार गुप्ता द्वारा कंपनी को दिए गए अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए अनुशंसा रिकार्ड की है।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार और कंपनी के संस्थागत अन्तर्नियमों के अनुच्छेद 82 (4) के प्रावधानों की दृष्टि से, श्री प्रकाश ठक्कर (डीआईएनः01120152) 46वीं वार्षिक आम बैठक में क्रमावर्तन पर सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव देंगे। निदेशक मंडल उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक निदेशक के रूप में उनकी पुनः नियुक्ति के लिए सिफारिश करेंगे। उनका संक्षिप्त इतिवृत्त वार्षिक आम बैठक के नोटिस के साथ संलग्न है।

26. निदेशक मंडल/स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी सूचीबद्ध कंपनी से अपने बोर्ड की रिपोर्ट में विवरण द्वारा यह प्रकट करना अपेक्षित है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

किस तरीके से किया गया है। विनिमय केंद्र के साथ किए गए सूचीकरण करार के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित मापदंड भी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित हैं।

आरईसी सरकारी कंपनी होने के कारण, प्रकार्यात्मक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा किया जाता है और सीएमडी, कंपनी और उसके बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन सचिव (विद्युत), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कार्य निष्पादन के मूल्यांकन का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे भारत के राष्ट्रपति के पास है।

इसके अलावा कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना द्वारा निधार्रित किया गया है कि बोर्ड द्वारा अपने, अपनी समितियों और वैयक्तिक निदेशक के कार्य निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन करने की अपेक्षा सरकारी कंपनियों के मामले में लागू नहीं है चूंकि यह कार्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

27. समझौता ज्ञापन रेटिंग और पुरस्कार

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की दृष्टि से आपकी कंपनी के कार्य निष्पादन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है। वर्ष 1993-94 से यह लगातार 21वां वर्ष है जब आरईसी ने 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए भी, निष्पादन के आधार पर यह कंपनी 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने के लिए तत्पर है। । वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी को पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2014 के अधीन 'ओपरेशनल परफारमेन्स एक्सीलेन्स' के लिए 'कंपनी ऑफ द ईयर' पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी को दैनिक भास्कर और डीएनए से इंडिया प्राइड अवार्ड 2014-15 के अधीन ''एक्सीलेन्स इन फाइनेन्शियल सविर्सिज'' पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

श्री राजीव शर्मा, सीएमडी, आरईसी समझौता ज्ञापन 2015-16 दस्तावेज श्री पी.के.सिन्हा, पूर्व सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से आदान-प्रदान करते हुए

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कम्पनी द्वारा अनुसरित बेहतर निगमित सुशासन पद्धतियों की मान्यतास्वरूप, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित सांविधिक संस्थान भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा कंपनी को निगमित सुशासन में उत्कृष्टता के लिए 13वां आईसीएसआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

28. मंडल और मंडल की समितियां

मंडल का गठन, विचारार्थ विषय और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान हुई मंडल और समितियों की बैठकों की संख्या के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न निगमित सुशासन रिपोर्ट में संलग्न हैं।

29. निदेशकों के दायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के संदर्भ में इस बात की पुष्टि की गई है कि :

(i) 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है और उनसे कोई महत्त्वपूर्ण विचलन नहीं किया गया है;

(ii) ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सतत रूप से लागू किया गया है। वित्तीय विवरणों की लेखा टिप्पणियों में यथा प्रकटित लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को छोड़कर तथा लिए गए अधिनिर्णय और लगाए गए अनुमान विवेकपूर्ण तथा युक्ति संगत हैं ताकि वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यो की स्थिति और उस अवधि के संबंध में कंपनी के लाभ का सही और उचित चित्रण किया जा सके;

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार लेखाकरण रिकार्ड रखने के संबंध में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई, ताकि कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा की जा सके और कपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके तथा उनका पता लगाया जा सके;

(iv) वार्षिक लेखे चालू कंपनी प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए गए हैं;

(v) कंपनी द्वारा अपनाए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं; और

(vi) उपयुक्त प्रणालियां बनाई गई हैं ताकि लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से चल रही हैं।

30. 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' पहल

कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनियों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट, तथा अन्य दस्तावेज अपने सदस्यों को भौतिक रूप में भेजने के अलावा उनके पंजीकृत ई-मेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेज सकते हैं।

एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय की 'हरित (ग्रीन) पहल' के कार्यान्वयन में सक्रिय सहयोग दिया है और वार्षिक आम बैठक की सूचना और 2010-11 से वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक सूचना (पत्राचार) से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल आईडी पहले ही संबंधित निक्षेपागार भागीदार (डीपीएस) के पास पंजीकृत थे और जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट को भौतिक रूप से प्राप्त करने का विकल्प नहीं दिया था। लाभांश (अंतिम/अंतरिम) की सूचना भी उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल पते पंजीकृत थे।

जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते कम्पनी के पंजीयक/शेयर अंतरण एजेंट (आरएंडटीए)/संबंधित सदस्य के निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत कराएं और इलेक्ट्रॉनिक सूचना (पत्राचार) प्राप्त करने तथा 'थिंक ग्रीन, गो ग्रीन' को समर्थित करने के लिए कम्पनी की हरित पहल में भाग लें।

यह पुनः अवगत कराया जाता है कि इन दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी के विकल्प का प्रयोग करने वाले सदस्यों सहित किसी भी सदस्य से मांग प्राप्त होने पर कंपनी का प्रत्येक सदस्य कंपनी के तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले विधि द्वारा अपेक्षित सभी अन्य अपेक्षित दस्तावेज तथा कंपनी के लाभ एवं हानि लेखे और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार है।

इसके अलावा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में कंपनी सभी सदस्यों को ई-मतदान सुविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे वार्षिक आम बैठक वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नोटिस में दिए गए सभी संकल्पों पर अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें। ई-मतदान के लिए विस्तृत अनुदेश वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की नोटिस सूचना में दिए गए हैं।

31. स्वच्छ भारत अभियान

कंपनी में 25 सितंबर, 2014 से 2 अक्टूबर, 2014 तक 'स्वच्छ भारत अभियान' सप्ताह मनाया गया। 2 अक्टूबर, 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर, आरईसी के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा 'स्वच्छ भारत दिवस' बड़े उत्साह से मनाया गया और इस अवसर पर कारपोरेट कार्यालय में सीएमडी द्वारा 'स्वच्छता शपथ' दिलाई गई जिसमें उन्होंने इस पर जोर दिया कि यह अभियान सतत प्रक्रिया' के रूप में चलाया जाए और कर्मचारियों से अपील की कि इस महान अभियान को आगे बढ़ाएं।

कंपनी में मनाए जा रहे 'स्वच्छ भारत अभियान' के दौरान कारपोरेट कार्यालय तथा उसके आस-पास की जगह के स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी

आरईसी के सभी कार्यालयों के आस-पास में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें कर्मचारियों ने अत्यधिक उत्साह और जोश से भाग लिया। इस संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए इश्तहार बनाए गए और स्वच्छता के इस मुद्दे पर कर्मचारियों की जानकारी बनाए रखने के लिए इन्हें आरईसी के सभी कार्यालयों में लगाया गया। इस अभियान को और आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की गई जिनमें कंपनी के सभी फाइल कवरों और पत्र शीर्षों पर 'स्वच्छ भारत मिशन' लोगो का मुद्रण, काम की जगह को साफ रखने और सुंदर एवं आकर्षक दिखाने के लिए पुराने रिकार्ड की छंटाई, सामान रखने का स्थान सुलभ कराने, सूचीबद्ध तरीके से रिकार्ड और फाइलों को रखना, तार/केबिल को उपयुक्त तरीके से क्लिप करना, आईटी संबंधी पुराने लोहे के सामान और फर्नीचर को हटाना, मार्गों पर पंहुच और उनकी स्वच्छता आदि शामिल है। कंपनी स्वच्छ भारत बनाने के कारणों के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है और अपने परिसर में तथा उसके आसपास की जगह की स्वच्छता में सुधार लाने का प्रयास करती रहेगी।

इसके अलावा कंपनी में 'स्वच्छता भक्ति का अगला कदम है' विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित कराई गई जिसमें बहुत से कर्मचारियों ने भाग लिया। 'अपने कार्यस्थल की स्वच्छता को कैसे सुधारा जाए' विषय पर कर्मचारियों के लिए सुझाव स्कीम आयोजित की गई और उत्तम सुझावों को पुरस्कृत किया गया।

32. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आरईसी में 'सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005' को लागू करने के लिए कंपनी ने आवश्यक कदम उठाए हैं तथा आवेदनों की प्राप्ति और उनसे संबंधित जानकारी प्रेषित करने संबंधी कार्य का समन्वयन करने के लिए एक स्वतंत्र आरटीआई प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक आरटीआई पुस्तिका आरईसी की वेबसाइट पर दी गई है, जिसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई से संबंधित आवेदनों की स्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं.	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त आवेदन पत्र (31 मार्च, 2015 तक)	263
2.	निपटाए गए आवेदन पत्र (31 मार्च,2015 तक)	248
3.	बाद में निपटाए गए आवेदन पत्र	15
4.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा प्राप्त अपीलें	19
5.	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आरईसी द्वारा निपटाई गई अपीलें	19
6.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) से प्राप्त द्वितीय अपील सूचनाएं	शून्य
7.	केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा निपटाई गई द्वितीय अपील सूचनाएं	शून्य

33. चौकसी तंत्र (विजिल मकैनिज्म) की स्थापना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और विनिमय केंद्र के साथ किए गए सूचीकरण करारनामे के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए 'चौकसी तंत्र' स्थापित किया है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कंपनी की आचार संहिता अथवा नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंता अथवा शिकायतों की रिपोर्ट कर सकें। ऐसे चौकसी तंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में, आरईसी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी बनाई गई है। यह पॉलिसी आरईसी और/ अथवा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी के भीतर किसी अनुपयुक्त गतिविधि का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से बनाई गई है और यह कंपनी की वेबसाइट पर लिंक http://www.recindia.nic.in/images/pdf-files/Whistle_Blower_Policy.pdf. पर भी उपलब्ध है। और ब्यौरों के लिए, कृपया इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'निगमित सुशासन पर रिपोर्ट' देखें।

34. सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईएस) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के अधीन रिपोर्टिंग

एससी/एसटी के स्वामित्वाधीन सूक्ष्म और लघु उद्यमों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमईएस) द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, सार्वजनिक क्रय नीति आदेश, 2012 में उल्लिखित सभी निदेशों को आरईसी के खरीद दिशानिर्देशों में शामिल कर लिया गया है और इसे आरईसी की वेबसाइट पर लिंक http://www.recindia.nic.in/images/pdf-files/Public _Procurement _Policy.pdf. पर अपलोड कर दिया गया है।

वित्तीय संस्था होने के वारण आरईसी कोई परियोजना निष्पादित नही कर रहा है। अतः छोटे विक्रेताओं से लेखन सामग्री और कार्यालय उपकरण जैसी केवल खुदरा खरीद की जाती है।

35. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक एनजीओ के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया है। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी अवस्थिति भी आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में बताई गई है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी को यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहां हुई।

36. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के अनुसरण में, वार्षिक विवरणी का सार फार्म एमजीटी-9 में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

37. संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षकारों के साथ की गई संविदाओं अथवा व्यवस्थाओं के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न फार्म एओसी-2 में प्रकट किए गए हैं।

38. सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002074एन), नई दिल्ली और मैसर्स पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 006747एन), नई दिल्ली को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है।

इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) नें मैसर्स राज हर गोपाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002074एन), नई दिल्ली और मैसर्स ए. आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 002744सी), नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आपकी कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है और संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी नियुक्ति स्वीकार कर ली है। कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन आगामी

वार्षिक बैठक में लिया जाएगा ताकि वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत किया जा सके।

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स चंद्र शेखरन एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव, नई दिल्ली को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा करने के लिए आपकी कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अधीन बनाए गए नियमों की शर्तों के अनुसार, उन्होंने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और यह इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

38.1 लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2014-15 के कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में शर्त रहित (अनअर्हक) रिपोर्ट दी है। तथापि, उन्होंने यह सुझाव दिया है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। टिप्पणियों /सलाह पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार हैं:

संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के खंड 'अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अधीन अनुच्छेद 1 में उल्लिखित स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक का बिंदु (iv) स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण	
कुछ क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है यथा विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों/विद्युत उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की निगरानी और पर्यवेक्षण, जिसमें दिए गए ऋण के प्रति तैयार किए गए प्रभारों से संबंधित जांच रिपोर्ट प्राप्त करना, तथा वाणिज्यिक प्रचालनों की तारीख के बाद प्रतिभूति के रूप में आरईसी को प्रभारित परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन, करना शामिल है।	उक्त क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है।
समेकित वित्तीय विवरण में विषय संबंधी अनुच्छेद पर बल	
आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड जो समूह में सहायक कंपनियों में से एक है, के संबंध में, ध्यान आकर्षित किया जाता है कि प्राप्य से पर्याप्त पुष्टि नहीं की गई है। तथापि, इस संबंध में हमारी राय नहीं बदली है।	टिप्पणी, जिसका पहले भी लेखापरीक्षकों द्वारा उल्लेख किया जा चुका है, हमारी सहायक कंपनी में से एक - आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के संबंध में है। सहायक कंपनी द्वारा प्राप्य से पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुधारने के प्रयास किए जांएगे। तथापि, उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ता सहित सहायक कंपनी के प्राप्यों का समूह की कुल परिसंपत्तियों से अनुपात केवल 0.0004% है।

कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और मंडल तथा उसकी समितियों के गठन संबंधी कुछ टिप्पणी की हैं। टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर इस प्रकार हैं:

सचिवालयी लेखापरीक्षकों की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1. कंपनी ने महिला निदेशक सहित मंडल के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के संबंध में सूचीकरण करारनामे की धारा 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नही किया है। 2. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में सूचीकरण करारनामे की धारा 49 के साथ पठित धारा 177/178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।	आरईसी सरकारी कंपनी है और कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अंतर्नियम 82 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के मंडल के निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य कर रहे भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास है। कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से निदेशक महिला सहित मंडल के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है और यह प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा एक बार महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के बाद, कंपनी मंडल और उसकी समितियों के गठन संबंधी सीपीएसई के लिए निगमित सुशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सूचीकरण करारनामा और डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन कर सकेगी।

39. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने दिनांक 30 जुलाई, 2015 के पत्रों के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के अधीन 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के संबंध में आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के संबंध में 'शून्य टिप्पणी' दी है। वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र प्रस्तुत की गई है।

40. ऋण-पत्र (डिबेंचर) न्यासी

ऋण सूचीयन करार की अपेक्षाओं के अनुपालन में, समय-समय पर कंपनी द्वारा निर्गत बांडों की भिन्न-भिन्न श्रृंखला के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

41. सांविधिक प्रकटन

क) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई अंतर नहीं था।

ख) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की।

ग) विनियामकों अथवा न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा ऐसे कोई महत्वपूर्ण अथवा वास्तविक आदेश जारी नही किए गए जो चल रहे चिन्ता के मुद्दों की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों पर प्रभाव डालते हों।

घ) कंपनी उपयुक्त निगरानी प्रक्रिया जिससे विभिन्न लेनदेनों की सही और समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है, प्रचालनों की दक्षता और सांविधिक विधि, विनियम और कंपनी नीतियों का अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणाली बनाई हुई है। ब्यौरों के लिए, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न 'प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (11) के अनुसार, अपने कारोबार की सामान्य प्रक्रिया में कंपनियों को वित्तपोषण अथवा अवसंरचना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के कारोबार में रत कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी अथवा उपलब्ध कराई गई सिक्योरिटी कंपनी पर लागू नहीं है अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त निवेश के ब्यौरे स्टैंडअलोन वित्तीय लेखा विवरण पर टिप्पणी की टिप्पणी 10 में दिए गए हैं।

च) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं, अतः प्रकटन किया जाना अपेक्षित नहीं है।

छ) कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं की गई है जो वित्त वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच किए गए ।

ज) कंपनी ने निदेशकों अथवा किसी कर्मचारी को स्टॉक ऑप्शन जारी नहीं किए हैं।

42. गुड़गांव में कारपोरेट कार्यालय की नई बिल्डिंग

चूंकि पिछले दशक के दौरान आरईसी के क्रियाकलाप बहुविध बढ़े हैं, अतः आरईसी स्कोप काम्प्लेक्स स्थित वर्तमान कार्यालय में जगह की बहुत कमी पड़ रही है। आरईसी ने हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथोरिटी (हुडा) और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथोरिटी (नोएडा) से वर्ष 2004 में अपने कार्यालय के निर्माण हेतु प्लॉट आबंटित करने का अनुरोध किया था। तदनुसार, हुडा, गुड़गांव ने वर्ष 2006 में सेक्टर-29, गुड़गांव में 4.21 एकड़ का एक संस्थागत प्लॉट आबंटित किया। अब आरईसी ने गुड़गांव में आबंटित संस्थागत प्लॉट पर अपने कारपोरेट मुख्यालय भवन का अप्रैल, 2015 से निर्माण शुरू कर दिया है जिसके अगले तीन वर्ष में पूरे होने की संभावना है।

गुड़गांव स्थित आरईसी की प्रस्तावित कारपोरेट मुख्यालय बिल्डिंग की संकल्पनात्मक दृश्य

आरईसी के प्रस्तावित कार्यालय भवन का किफायती, अच्छी तकनीक, जैविक आधारित आबोहवा वाले भवन के रूप में डिजाईन बनाया गया है ताकि भवन के आकार को इस ढंग से किया जा सके कि उस पर वातावरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और शहरी क्षेत्रीय तापीय प्रभाव को कम किया जा सके। भवन की योजना इस तरह बनाई गई है कि हवादार और जैविक आधारित आबोहवा वाला अग्रभाग, प्राकृतिक दृश्य समाकलित कार्य वातावरण और कार्यस्थल स्वस्थ हो जिसमें कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान के अनुसार बनावट वाला फर्नीचर, पुनः समायोजन योग्य पार्टीशन, फिनिश मुक्त सफेद कंक्रीट छत, पुनः प्रयोग होने वाले उच्च सामग्री वाले उत्पाद और उपयोगी मंजिल प्रणाली में चल सेवाएं शामिल हैं। स्लैब की रेडिएंटकूलिंग का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि उससे सिस्टम लोड, बिजली खपत, पानी की खपत और कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके।

भवन को 100% गंदे पानी के पुनः प्रयोग के लिए, तीसरे तहखाने में 60 लाख लीटर पानी को इकटठा करते हुए पूरी साइट के बरसाती पानी का संचयन करने के लिए एवं प्राकृतिक दृश्य के लिए ड्रिप इरीगेशन नेटवर्क के प्रयोग के लिए भी डिजाइन किया गया है। भवन के कम्प्लेक्स में 400 सीट की क्षमता वाले ऑडीटोरियम का भी प्रावधान है।

जीआरआईएचए रेटिड बिल्डिंग संबंधी भारत साकार के निर्देशों और हुडा की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए, अक्षय ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करने के लिए बिल्डिंग की छत पर एक 964 केडब्ल्यूपी सोलर पैरागोला भी संस्थापित किया जाएगा।

43. अपेक्षित सांविधिक और अन्य सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली सूचना, स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार, सरकारी दिशानिर्देश आदि इस रिपोर्ट के साथ नीचे दिए अनुसार संलग्न हैं :

विवरण	अनुबंध
प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	I
निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट	II
निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र	III
कारोबार दायित्व रिपोर्ट	IV
कंपनी के सचिवालयी लेखापरीक्षकों द्वारा जारी की गई सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट	V
कारपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी विस्तृत रिपोर्ट	VI
वार्षिक विवरणी का सारांश	VII
संबंधित पक्षकारों सहित संविदाओं और व्यवस्थाओं के विवरण	VIII
बांडों की विभिन्न श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त ऋण-पत्र न्यासियों के ब्यौरे	IX

44. आभार

निदेशकगण भारत सरकार, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, तथा वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति उनके सतत सहयोग, समर्थन और कंपनी के कार्यों और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

निदेशकगण राज्य सरकारों, राज्य बिजली बोर्डों, राज्य विद्युत कंपनियों और अन्य उधारकर्ताओं का कंपनी को निरंतर सहयोग देने और उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं।

निदेशकगण कंपनी के निधि संग्रहण कार्यक्रमों में सम्मानित शेयरधारकों, आरईसी के बांडों के निवेशकर्ताओं, देशी और विदेशी बैंकों, भारतीय जीवन बीमा निगम, जर्मनी के केएफडब्ल्यू तथा जापान के जेआईसीए के सतत सहयोग एवं सद्भाव की भी सराहना करते हैं।

निदेशकगण संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों, मैसर्स राजहर गोपाल एंड कंपनी और मैसर्स पी. के.चोपड़ा एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों, सचिवालयी लेखापरीक्षकों मैसर्स चद्र शेखरन एसोसिएट्स तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भी उनके महत्त्वपूर्ण सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशकगण लगातार एक और वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों को उनके समर्पित प्रयासों और मूल्यवान योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएनः 00973413)

नई दिल्ली
7 अगस्त, 2015

सारणी -1 : आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2014-15 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

(₹ लाख में)

क्र.सं	राज्य	स्कीमों/ परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	**पारेषण एवं वितरण परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	53	5,72,972.80
2	छत्तीसगढ़	16	71,334.85
3	हरियाणा	90	1,65,516.11
4	हिमाचल प्रदेश	25	10,181.92
5	जम्मू और कश्मीर	19	5,143.40
6	कर्नाटक	36	1,10,849.90
7	केरल	2	7,094.46
8	मध्य प्रदेश	1	15,470.00
9	महाराष्ट्र	63	2,02,195.83
10	मणिपुर	13	3,988.00
11	ओडिशा	12	19,772.49
12	पंजाब	46	1,30,628.42
13	राजस्थान	28	1,33,379.09
14	तमिलनाडु	34	2,18,657.93
15	तेलंगाना	57	1,40,981.15
16	उत्तर प्रदेश	21	3,97,304.33
17	उत्तराखंड	13	51,206.54
18	पश्चिम बंगाल	23	2,38,857.85
19	प्राइवेट (टीएंडडी)	0	7,579.00
	उप-जोड़-(क)	**552**	**25,03,114.07**
ख.	**विद्युत उत्पादन परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश / तेलंगाना	0	1,15,200.00
2	बिहार	1	2,37,698.00
3	छत्तीसगढ़	0	1,50,521.00
4	गुजरात	0	11,674.00
5	कर्नाटक	1	1,87,300.00
6	केरल	2	20,386.00
7	महाराष्ट्र	0	1,32,018.00
8	मध्य प्रदेश	1	61,600.00
9	ओडिशा	4	2,59,383.00
10	सिक्किम	0	96,800.00
11	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	2	4,84,074.00
12	उत्तर प्रदेश	1	4,52,395.00
13	उत्तराखंड	0	8,782.00
	उप-जोड़-(ख)	**12***	**22,17,831.00**
ग	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**		
1	आंध्र प्रदेश	1	2,445.00
2	गुजरात	3	21,658.00
3	महाराष्ट्र	2	9,689.00
4	ओडिशा	1	11,200.00
5	राजस्थान	1	9,800.00
	उप-जोड़-(ग)	**8**	**54,792.00**
घ	**लघु अवधि ऋण और अन्य**		
1	दिल्ली	1	50,000.00
2	कर्नाटक	9	1,31,000.00
3	मध्य प्रदेश	5	2,05,000.00
4	मेघालय	2	15,000.00
5	पंजाब	9	1,32,000.00
6	राजस्थान	3	4,30,000.00
7	तेलंगाना	1	1,00,000.00
8	उत्तर प्रदेश	5	2,73,400.00
9	पश्मि बंगाल	2	30,000.00
	उप-जोड़-(घ)	**37**	**13,66,400.00**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**609**	**61,42,137.07**

* इसमें चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण के रुप में स्वीकृत 22 ऋण शामिल नहीं हैं।

टिप्पणी: उपर्युक्त में डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अंतर्गत स्वीकृतियां शामिल नहीं हैं।

सारणी-2: आरईसी द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत 2014-15 के दौरान श्रेणीवार स्वीकृत परियोजनाएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	श्रेणी	श्रेणी कोड	स्कीमों / परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क.	**टी एंड डी परियोजनाएं**			
	वितरण			
1	गहन विद्युतीकरण	पी:आईई	23	17,048.19
2	पंपसेट ऊर्जायन	एसपीए:पीई	62	64,708.59
3	तंत्र सुधार	पी:एसआई-वितरण	161	4,40,815.75
4	बल्क	बल्क	96	3,93,418.76
5	आर-एपीडीआरपी	पी:एसआई (आर-एपीडीआरपी)	77	2,41,245.88
	पारेषण			
1	तंत्र सुधार	पी:एसआई-पारेषण	133	13,45,876.90
	उप:जोड़ (क)		**552**	**25,03,114.07**
ख.	**विद्युत उत्पादन**	**पी:जेन**	**12***	**22,17,831.00**
ग.	**नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं**			
1	सोलर पीवी	एसपीवी	6	45,103.00
2	पवन ऊर्जा	पवन ऊर्जा	2	9,689.00
	उप:जोड़ (ग)		**8**	**54,792.00**
घ.	**एसटीएल और अन्य**		**37**	**13,66,400.00**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)		**609**	**61,42,137.07**

* इसमें चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ऋण के रूप में स्वीकृत 22 ऋण शामिल नहीं हैं।

सारणी -3 : वर्ष 2014-15 तक आरईसी परियोजनाओं के तहत राज्यवार संचयी स्वीकृतियां

(₹ लाख में)

क्र.सं	राज्य	2001-02 तक		10वीं योजना		11वीं योजना		12वीं योजना 2014-15 तक		2014-15 तक संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	आंध्र प्रदेश	4,810	4,40,263	1,104	12,09,532	558	13,00,954	350	23,41,363	6,822	52,92,113
2	अरूणाचल प्रदेश	159	29,954	54	1,04,020	16	73,949	0	0	229	2,07,923
3	असम	393	32,984	33	30,404	20	1,50,197	0	0	446	2,13,585
4	बिहार	1,664	55,272	73	1,89,857	78	16,71,582	2	3,73,646	1,817	22,90,357
5	छत्तीसगढ़	0	0	22	5,16,315	63	4,86,756	32	2,14,370	117	12,17,441
6	दिल्ली	2	817	6	47,323	1	3,63,707	2	60,000	11	4,71,847
7	गोवा	16	2,007	0	0	0	0	0	0	16	2,007
8	गुजरात	1,784	2,53,470	124	5,27,966	42	7,26,832	2	46,224	1,952	15,54,492
9	हरियाणा	1,209	1,16,989	148	3,95,304	253	9,57,795	231	8,77,057	1,841	23,47,146
10	हिमाचल प्रदेश	419	52,240	37	1,16,177	125	2,15,489	70	85,512	651	4,69,418
11	जम्मू और कश्मीर	500	67,243	34	93,792	69	1,62,057	41	1,04,199	644	4,27,291
12	झारखंड	0	0	27	1,47,602	12	2,55,581	0	0	39	4,03,183
13	कर्नाटक	2,384	3,07,390	472	3,88,445	213	12,76,890	245	13,40,160	3,314	33,12,886
14	केरल	1,454	2,42,741	297	2,41,884	20	1,04,897	83	3,41,104	1,854	9,30,626
15	मध्य प्रदेश	5,111	2,36,175	133	2,35,711	255	9,71,789	12	3,22,332	5,511	17,66,008
16	महाराष्ट्र	4,602	4,40,595	833	15,16,910	418	27,53,167	393	19,38,553	6,246	66,49,225
17	मणिपुर	146	20,696	3	9,463	2	9,169	13	3,988	164	43,316
18	मेघालय	105	19,351	4	31,571	10	44,645	2	15,000	121	1,10,567
19	मिजोरम	46	7,879	24	20,360	7	14,343	0	0	77	42,582
20	नगालैंड	71	7,791	23	5,648	36	28,108	0	0	130	41,547
21	ओडिशा	1,624	77,691	21	1,20,627	55	4,08,199	25	6,73,354	1,725	12,79,871
22	पंजाब	1,303	2,59,737	216	6,57,148	125	11,61,462	164	10,77,483	1,808	31,55,830
23	राजस्थान	3,012	3,82,940	597	5,56,042	449	29,02,506	153	17,88,316	4,211	56,29,803
24	सिक्किम	36	2,910	4	5,626	2	3,101	0	0	42	11,637
25	तमिलनाडु	3,003	1,75,458	597	3,80,610	364	26,04,368	132	10,86,416	4,096	42,46,851
26	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	58	2,40,981	58	2,40,981
27	त्रिपुरा	172	15,732	6	36,374	3	11,189	0	0	181	63,295
28	उत्तर प्रदेश	3,027	2,23,840	102	6,70,277	557	21,46,380	448	38,76,068	4,134	69,16,565
29	उत्तराखंड	0	0	84	3,06,792	20	1,72,884	62	4,04,018	166	8,83,694
30	पश्चिम बंगाल	1,256	59,750	198	4,42,875	78	11,26,536	109	14,75,161	1,641	31,04,322
31	पुदुचेरी-संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	2	12,507	1	6,358	3	18,865
32	पारेषण एवं वितरण प्राइवेट	0	0	9	4,955	10	1,07,085	7	2,92,907	26	4,04,947
33	जेनरेशन प्राइवेट	6	3,347	19	6,02,003	64	50,66,680	17	20,66,922	106	77,38,952
34	नवीकरणीय प्राइवेट	0	0	0	0	0	0	21	1,11,642	21	1,11,642
	कुल	**38,314**	**35,35,262**	**5,304**	**96,11,613**	**3,927**	**2,72,90,804**	**2,675**	**2,11,63,134**	**50,220**	**6,16,00,813**

टिप्पणी: उपर्युक्त आंकड़ों में डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी परियोजना लागत (पूंजी सब्सिडी और ऋण) केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना तक शामिल हैं।

सारणी -4 : वर्ष 2014-15 के दौरान राज्यवार एवं कार्यक्रमवार संवितरण तथा कर्जदारों द्वारा अदायगी और 31.03.2015 को बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं	राज्य का नाम	पारेषण एवं वितरण	विद्युत उत्पादन	डीडीयूजीजेवाई आरई (डीडीजी सहित)	एसटीएल/ऋण पुनर्वित्तपोषण	टीएफएल	एमटीएल	वर्ष 2014-15 के लिए कुल संवितरण	वर्ष के अंत तक संवितरित राशि	अदायगी		वर्ष 2014-15 के अंत में बकाया राशि
										वर्ष के दौरान	वर्ष के अंत तक	
1	आंध्र प्रदेश	2,47,910	1,79,182	206	50,000	-	-	4,77,298	29,29,223	1,15,849	12,74,178	16,55,045
2	अरूणाचल प्रदेश	46	-	-	-	-	-	46	24,394	1,408	20,023	4,371
3	असम	-	-	1,280	-	-	-	1,280	52,229	591	27,462	24,767
4	बिहार	3,850	1,63,800	17,023	-	-	-	1,84,673	4,57,104	4,460	45,633	4,11,471
5	छत्तीसगढ़	28,336	2,17,248	-	-	-	-	2,45,584	10,15,102	37,660	1,92,827	8,22,275
6	दिल्ली	-	-	-	50,000	-	-	50,000	51,093	38,889	39,982	11,111
7	गोवा					-	-	-	1,479	-	1,479	-
8	गुजरात	-	66,235	148	-	-	-	66,383	7,51,542	8,125	6,37,943	1,13,599
9	हरियाणा	58,163	830	-	-	15,000	-	73,993	14,14,825	1,18,262	5,66,235	8,48,590
10	हिमाचल प्रदेश	13,280	1,105	-	-	-	-	14,385	3,76,393	8,957	2,23,791	1,52,602
11	जम्मू और कश्मीर	122	1,408	-	-	-	-	1,530	1,27,931	7,899	84,137	43,794
12	झारखंड	-	-	112	-	-	-	112	2,30,925	7,730	97,701	1,33,223
13	कर्नाटक	75,416	47,573	248	60,000	-	50,000	2,33,237	10,82,523	96,439	5,05,160	5,77,363
14	केरल	40,913	-	178	-	-	-	41,091	5,21,892	13,739	3,96,908	1,24,984
15	मध्य प्रदेश	52,042	70,970	3,643	50,000	-	1,55,000	3,31,655	10,79,663	18,552	2,11,711	8,67,952
16	महाराष्ट्र	1,37,806	1,27,140	-	-	-	-	2,64,946	39,82,836	2,03,143	13,09,841	26,72,996
17	मणिपुर	3,988	-	995	-	-	-	4,983	23,613	968	6,348	17,265
18	मेघालय	-	-	-	-	-	12,431	12,431	58,706	185	12,686	46,020
19	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	26,970	393	24,166	2,804
20	नगालैंड	786	-	-	-	-	-	786	24,013	1,346	11,947	12,066
21	ओडिशा	1,842	45,225	16	-	-	-	47,083	3,91,604	3,748	1,37,628	2,53,976
22	पुदुचेरी-यूटी	-	-	-	-	-	-	-	3,574	-	-0	3,574
23	पंजाब	1,88,686	18,083	-	-	-	1,32,000	3,38,769	20,41,592	1,11,823	8,93,910	11,47,682
24	राजस्थान	1,87,960	1,06,228	-	-	3,52,500	30,000	6,76,688	31,50,601	1,43,065	11,88,089	19,62,512
25	सिक्किम	-	41,899	-	-	-	-	41,899	4,27,618	1,519	6,041	4,21,577
26	तमिलनाडु	2,37,684	1,87,348	-	-	-	-	4,25,032	32,09,218	97,360	7,95,618	24,13,601
27	तेलंगाना	64,692	34,670	-	-	-	45,000	1,44,362	1,44,362	0	0	1,44,362
28	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	12,792	128	11,183	1,609
29	उत्तर प्रदेश	1,96,394	70,007	12,236	-	1,49,400	32,241	4,60,278	31,25,467	58,803	11,27,931	19,97,536
30	उत्तराखंड	19,247	13,215	-	-	-	-	32,462	4,90,925	25,917	2,23,452	2,67,473
31	पश्चिम बंगाल	74,343	20,165	1,352	15,000	-	-	1,10,860	11,18,034	54,305	3,11,263	8,06,771
32	विंड एनर्जी	-	-	-	-	-	-	-	3,013	-	1,291	1,722
	कुल	**16,33,506**	**14,12,331**	**37,437**	**2,25,000**	**5,16,900**	**4,56,672**	**42,81,846**	**2,83,51,255**	**11,81,263**	**1,03,86,561**	**1,79,64,694**
	डीडीयूजीजेवाई आरई सब्सिडी							3,60,572				
	डीडीजी सब्सिडी (डीडीयूजीजेवाई आरई के अंतर्गत)							2,264				
	समग्र योग	**16,33,506**	**14,12,331**	**37,437**	**2,25,000**	**5,16,900**	**4,56,672**	**46,44,682**	**2,83,51,255**	**11,81,263**	**1,03,86,561**	**1,79,64,694**

सारणी -5: वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के तहत ऊर्जायित पंपसेट और 31.03.2015 तक की संचयी स्थिति

क्र. सं	राज्य	2014-15 के दौरान उपलब्धि (संख्या)	31.03.2015 तक संचयी उपलब्धि (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	55,048	23,50,045
2	अरूणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	0	1,922
4	बिहार	0	1,13,354
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	दिल्ली	0	0
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	0	4,20,456
9	हरियाणा	0	2,33,570
10	हिमाचल प्रदेश	0	6,535
11	जम्मू और कश्मीर	210	15,761
12	झारखंड	0	0
13	कर्नाटक	0	8,62,387
14	केरल	0	3,40,882
15	मध्य प्रदेश	0	10,54,106
16	महाराष्ट्र	92,433	25,64,706
17	मणिपुर	0	29
18	मेघालय	0	58
19	मिजोरम	0	0
20	नगालैंड	0	164
21	ओडिशा	0	63,015
22	पंजाब	0	5,01,913
23	राजस्थान	5,840	5,16,412
24	सिक्किम	0	0
25	तमिलनाडु	8,461	11,70,007
26	तेलंगाना	94,034	94,034
27	त्रिपुरा	0	1,530
28	उत्तर प्रदेश	0	3,79,544
29	उत्तराखंड	0	0
30	पश्चिम बंगाल	0	82,202
	कुल	**2,56,026**	**1,07,72,632**

सारणी -6 : 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत डीडीयूजीजेवाई-आरई परियोजनाएं

(31.03.2015 की स्थिती के अनुसार)

क्र. सं	राज्य	कुल स्वीकृत परियोजनाएं (10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना)					
		परियोजनाओं की संख्या	जिलों की संख्या	अविद्युतीकृत गांवों की सं.	आंशिक रू प से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण की सं.	बीपीएल आवासों की सं.	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)
1	आंध्र प्रदेश	16	13	0	16,114	19,97,962	556.22
2	अरूणाचल प्रदेश	16	16	2,089	1,306	51,723	1,030.87
3	असम	23	23	8,349	12,852	12,11,535	2,822.20
4	बिहार	43	38	22,939	5,792	22,46,690	4,444.78
5	छत्तीसगढ़	16	14	1,608	15,014	11,65,262	1,212.39
6	गुजरात	25	25	0	16,144	8,42,945	314.98
7	हरियाणा	18	18	0	5,137	1,98,580	155.98
8	हिमाचल प्रदेश	12	12	90	7,896	16,290	335.29
9	जम्मू और कश्मीर	14	14	238	2,915	69,353	954.06
10	झारखंड	22	22	18,621	6,050	14,06,643	3,496.83
11	कर्नाटक	25	25	54	23,311	8,72,610	885.02
12	केरल	7	7	0	594	1,18,361	147.76
13	मध्य प्रदेश	32	32	695	32,842	13,04,520	1,884.14
14	महाराष्ट्र	34	34	0	35,323	12,06,906	663.60
15	मणिपुर	9	9	882	1,378	1,07,369	437.34
16	मेघालय	7	7	1,867	3,090	1,09,886	459.18
17	मिजोरम	8	8	170	517	29,263	317.22
18	नगालैंड	11	11	102	1,152	54,566	268.48
19	ओडिशा	32	30	14,380	27,192	27,81,614	3,948.21
20	पंजाब	17	17	0	6,297	92,988	186.91
21	राजस्थान	40	33	4,163	33,218	11,17,820	1,278.18
22	सिक्किम	4	4	25	413	13,601	217.92
23	तमिलनाडु	26	26	0	9,673	5,01,202	348.19
24	तेलंगाना	10	9	0	9,176	7,08,865	196.88
25	त्रिपुरा	4	4	144	652	1,16,312	309.89
26	उत्तर प्रदेश	64	65	27,760	2,991	10,62,757	3,792.70
27	उत्तराखंड	13	13	1,514	10,090	2,37,921	785.72
28	पश्चिम बंगाल	28	17	4,185	23,637	21,86,111	2,691.05
	कुल	**576**	**546**	**1,09,875**	**3,10,766**	**2,18,29,655**	**34,142.00**
11वीं योजना के चरण -II के तहत स्वीकृत परियोजनाएं							
1	बिहार	11	11	1,149	12,828	30,04,884	2,994.11
2	छत्तीसगढ़	2	2	126	1,077	84,334	175.03
3	हरियाणा	3	3	0	625	21,432	17.00
4	कर्नाटक	2	2	0	587	27,782	119.38
5	केरल	7	7	0	572	23,175	89.83
6	मध्य प्रदेश	20	20	183	15,635	4,96,714	983.20
7	महाराष्ट्र	1	1	0	1,139	19,279	33.64
8	तमिलनाडु	3	3	0	729	24,369	37.27
9	उत्तर प्रदेश	22	22	632	19,257	8,52,769	4,432.32
10	पश्चिम बंगाल	1	1	9	292	24,423	198.99
	जोड़	72	72	2,099	52,741	45,79,161	9,080.77
	कुल जोड़	**648**	**618**	**1,11,974**	**3,63,507**	**2,64,08,816**	**43,222.77**

सारणी -7 : 12 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत स्वीकृत डीडीयूजीजेवाई-आरई परियोजनाएं

क्र. सं	राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	गांव			कुल वासस्थल	आवास		स्वीकृत लागत (₹ करोड़ में)
			अविद्युतीकृत गांवों की सं.	आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण गांवों की सं.	कुल		ग्रामीण	बीपीएल	
1	असम	16	1,009	10,259	11,268	28,884	15,27,797	5,41,953	1,621.07
2	बिहार	27	2,927	21,833	24,760	76,929	1,03,89,254	54,00,947	5,220.65
3	छत्तीसगढ़	4	0	3,236	3,236	8,643	1,12,681	64,033	286.09
4	जम्मू और कश्मीर	3	45	352	397	1,324	42,911	26,233	101.28
5	झारखंड	17	125	18,308	18,433	37,493	12,40,557	4,71,972	1,260.93
6	कर्नाटक	9	1	9,205	9,206	12,274	2,08,099	1,30,785	99.53
7	मध्य प्रदेश	34	422	25,759	26,181	55,870	18,10,337	8,63,166	1,430.93
8	मणिपुर	6	205	1,590	1,795	2,107	47,478	24,362	204.73
9	मिजोरम	8	0	0	0	0	0	0	77.03
10	नगालैंड	11	36	797	833	1,270	47,385	39,314	92.31
11	ओडिशा	31	3,144	41,022	44,166	1,06,615	38,30,573	16,58,147	3,550.47
12	राजस्थान	28	0	25,397	25,397	59,127	13,35,791	4,43,757	1,453.91
13	त्रिपुरा	8	26	778	804	6,881	2,01,381	89,604	316.23
14	उत्तर प्रदेश	64	886	68,212	69,098	1,40,721	94,65,722	32,33,913	7,282.81
15	पश्चिम बंगाल	7	4	5,628	5,632	14,720	5,82,427	2,48,073	609.61
	कुल	**273**	**8,830**	**2,32,376**	**2,41,206**	**5,52,858**	**3,08,42,393**	**1,32,36,259**	**23,607.58**

सारणी -8 : डीडीयूजीजेवाई-आरई : संचयी उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं	राज्य	वित्त वर्ष 2014-15 में उपलब्धि			संचयी उपलब्धि (31.3.2015 की स्थिति के अनुसार)		
		अविद्युतीकृत गांव	गावों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवास	अविद्युतीकृत गांव	गावों का गहन विद्युतीकरण	बीपीएल आवास
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	16,114	19,97,962
2	अरूणाचल प्रदेश	107	47	4,200	2,089	1,306	51,723
3	असम	190	222	79,004	8,328	12,852	11,88,127
4	बिहार	341	2,100	1,90,571	23,253	7,819	23,92,655
5	छत्तीसगढ़	67	1,135	62,172	1,302	15,337	10,98,655
6	गुजरात	0	22	1,726	0	16,144	8,42,945
7	हरियाणा	0	207	1	0	5,137	1,98,580
8	हिमाचल प्रदेश	6	137	324	89	7,896	16,290
9	जम्मू और कश्मीर	9	47	5,260	212	2,905	68,015
10	झारखंड	161	272	12,022	18,294	6,050	12,67,403
11	कर्नाटक	0	355	19,532	54	23,726	8,89,955
12	केरल	0	500	12,329	0	1,109	1,25,551
13	मध्य प्रदेश	86	4,385	1,73,281	780	33,092	13,13,452
14	महाराष्ट्र	0	341	6,702	0	36,146	12,21,291
15	मणिपुर	192	737	40,649	808	1,322	70,307
16	मेघालय	43	48	1,063	1,841	2,938	1,04,682
17	मिजोरम	47	177	10,023	154	517	29,263
18	नगालैंड	10	58	8,300	102	1,152	54,059
19	ओडिशा	13	474	22,149	14,380	26,767	27,81,614
20	पंजाब	0	397	1,206	0	6,297	92,988
21	राजस्थान	70	386	16,755	4,162	33,218	11,17,412
22	सिक्किम	0	16	1,622	25	405	11,751
23	तमिलनाडु	0	0	0	0	9,673	5,01,202
24	तेलंगाना	0	0	868	0	9,176	7,08,865
25	त्रिपुरा	0	0	1,272	144	652	1,16,312
26	उत्तर प्रदेश	59	551	86,750	27,808	3,533	11,48,904
27	उत्तराखंड	4	1,562	0	1,514	10,090	2,37,921
28	पश्चिम बंगाल	0	79	1,596	4,185	23,585	21,86,111
	कुल	**1405**	**14,255**	**7,59,377**	**1,09,524**	**3,14,958**	**2,18,33,995**

बोर्ड के रिपोर्ट का संलग्नक-I

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी के प्रबंधक वर्ग को, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित औद्योगिक परिदृश्य संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कारोबार परिवेश

कुछ अपवादों को छोड़कर वैश्विक आर्थिक सुधार समग्र रूप से नहीं हो पा रहा है। प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय स्थिति अभी भी हमारे लिए चिंता का विषय है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में से केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही प्रगति का संकेत दर्शाया है, जबकि यूरोप में पिछले कुछ वर्षों से जारी मंदी पुर्तगाल और इटली की बीमार अर्थव्यवस्था के बाद ग्रीस भी नये सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है। जापान ने अपने अधीन वृद्धि को बनाए रखने के लिए मात्रात्मक सुविधा का सहारा लिया है और चीन में हाल ही में घटती हुई आर्थिक गतिविधियां देखी जा रही हैं। वर्तमान स्थिति से उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष चुनौती खड़ी हो गई है, ऐसा इन बाजारों से अवमंदित बाह्य मांग के कारण हुआ है। अच्छे दिनों के दौरान ऋण विस्तार की लंबी अवधि के प्रभावी होने से उभरते और विकसित होते हुए बाजारों को वित्तीय असुरक्षा का भय रहता है। तीव्र आर्थिक वृद्धि और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए संक्रमणकाल के जोखिमों का प्रबंधन करना नीति निर्माताओं के लिए प्रमुख चुनौती होगी।

जहाँ तक भारत का संबंध है, हमारी अर्थव्यवस्था ने वैश्विक रुझान के विपरीत वित्त वर्ष 2014-15 में सकारात्मक विकास का स्पष्ट संकेत दर्शाया है। केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के आंकडों के अनुसार, वर्ष 2014-15 में सेवा और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों में, निष्पादन में सुधार के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2015-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.5% की दर से वृद्धि होने का अनुमान है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमान के अनुसार चीन की अनुमानित विकास दर से भी तेज है।

वर्तमान में, भारत की चालू लेखा घाटे (सीएडी) और भुगतान संतुलन (बीओपी) की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। इसका प्रमुख कारण कच्चे तेल की कीमत में तीव्र गिरावट है और ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में शेल गैस का अधिक उत्पादन है, इससे कच्चे तेल की जरूरत अत्यधिक कम हो गई और यूरोजोन और जापान में आर्थिक गतिविधि मंद हो गई। ईरान पर से हाल ही में प्रतिबंध हटा लेने के साथ ही फिर से कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी सीमित रहने की संभावना है। तेल की कीमतों में कमी से मुद्रा स्फीति की दर, मार्च, 2014 में रही 8.3 प्रतिशत से तेजी से घटकर मार्च 2015 में 5.2 प्रतिशत रह गई है। दूसरे महत्वपूर्ण निर्धारक अर्थात् प्रमुख आर्थिक संकेतक सुधार का संकेत दे रहे हैं, विनिमय दर स्थिरता की ओर जा रही है और घटती हुई मुद्रास्फीति ने भारतीय रिजर्व बैंक को जनवरी 2015 से पॉलिसी दर में 75 बीपीएस कटौती करने में सहायता दी और इससे तरलता सुलभ हुई है ।

वित्त वर्ष 2015 के दौरान प्रमुख क्षेत्र, जिसमें कोयला और विद्युत क्षेत्र का विकास भी शामिल है, के समग्र विकास में वास्तविक सुधार से आने वाले वर्षों में विद्युत क्षेत्र के विकास का सकारात्मक संकेतक है। इसके अलावा, सरकार द्वारा विभिन्न सुधारात्मक पहलें करके कारोबार परिवेश के प्रचालन में सुधार करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई और अच्छे मानसून से अन्यथा अवमंदित निवेशचक्र और अर्थव्यवस्था में सुधार होने की संभावना है।

2. औद्योगिक ढांचा और विकास

औद्योगिक सिंहावलोकन

वित्त वर्ष 2014-15 में 22,566 मेगावॉट की उच्चतम ऊर्जा क्षमता वृद्धि देखी गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 17,825 मेगावॉट थी अर्थात वार्षिक वृद्धि के आधार पर यह 26.6 प्रतिशत थी। मुख्य योगदान थर्मल विद्युत का था, जो कुल क्षमता संवर्धन का 92 प्रतिशत था। 22,566 मेगावॉट में से निजी क्षेत्र की भागीदारी 59 प्रतिशत थी और लगभग 64 प्रतिशत का कुल थर्मल क्षमता संवर्धन निजी विकासकर्ताओं द्वारा किया गया। वर्ष 2013-14 में 967 बीयू की विद्युत उत्पादन की उपलब्धि से यह विद्युत उत्पादन 8.4 प्रतिशत अधिक था। वित्त वर्ष 2015 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन 1,048 बीयू था, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह उत्पादन 967 बीयू था।

मार्च 2015 में कुल विद्युत आपूर्ति कमी 2.1 प्रतिशत थी, जबकि व्यस्ततम समय में विद्युत कमी 3.2 प्रतिशत रही। वित्त वर्ष 2014 में कुल विद्युत कमी 4.3 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2013 और वर्ष 2012 में क्रमशः 8.7 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत थी । इसी प्रकार व्यस्ततम समय में विद्युत कमी वित्त वर्ष 2014 में 4.5 प्रतिशत थी, जबकि वित्त वर्ष 2013 में 9.0 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2012 में 11.1 प्रतिशत थी। सभी क्षेत्रों की तुलना में विद्युत आपूर्ति कमी और व्यस्ततम समय में यह कमी पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक थी और उसके बाद उत्तरी क्षेत्र में।

31 मार्च, 2015 को देश की कुल संस्थापित क्षमता 2,67,637 मेगावॉट थी, जो पिछले वित्त वर्ष की समाप्ति पर 10 प्रतिशत अधिक थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्ष के दौरान, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88,537 मेगावॉट के लक्ष्यकृत क्षमता संवर्धन में 61,014 मेगावॉट का क्षमता संवर्धन किया गया ।

10वीं पंचवर्षीय योजना तक के लक्ष्यों की तुलना में क्षमता संवर्धन की उपलब्धि कम थी,जो संबंधित पंचवर्षीय योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के 50 प्रतिशत से थोड़ा सा अधिक थी। हालांकि, 10वीं योजना के बाद विद्युत-उत्पादन क्षमता वृद्धि में सापेक्ष सुधार हुआ है । 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही 62,374 मेगावॉट के लक्ष्य में 88 प्रतिशत का क्षमता संवर्धन हुआ । 12वीं पंचवर्षीय योजना में 88,537 मेगावॉट की विद्युत क्षमता संवर्धन का लक्ष्य अनुमानित था। इस योजना के पहले तीन वर्ष के दौरान बढ़ाई गई विद्युत क्षमता 12वीं योजना की योजनावद्ध क्षमता का संवर्धन 69 प्रतिशत था। पिछले वित्त वर्ष में संवर्धित रिकॉर्ड क्षमता से, ऐसा प्रतीत होता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त करने योग्य है ।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-2017) के लिए विद्युत क्षेत्र हेतु निधि की समग्र आवश्यकता का अनुमान लगभग ₹ 14 लाख करोड़ लगाया गया था। 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए नीति आयोग का अनुमान है कि 9 प्रतिशत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की संवृद्धि दर पर 2022 तक दर्शाई गई मांग आवश्यकता को पूरा करने के लिए 94,000 मेगावॉट के अतिरिक्त क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होगी और पारेषण तथा वितरण प्रणालियों में उसी के अनुरूप विस्तार करना होगा।

औद्योगिक ढांचा

विद्युत उत्पादन

देश में 31 मार्च, 2015 के अनुसार संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2,67,637 मेगावॉट हो गई। इसमें 96,963 मेगावॉट (36.23%) राज्य क्षेत्र में, 72,521 मेगावॉट (27.1%) केंद्रीय क्षेत्र में और 98,153 मेगावॉट (36.67%) निजी क्षेत्र में थी। पिछले तीन वर्ष में निजी क्षेत्र के शेयर में वृद्धि देखी गई है।

31 मार्च, 2015 के अनुसार, विद्युत उत्पादन क्षमता के रूप में थर्मल विद्युत क्षमता 1,88,898 मेगावॉट (70.58 प्रतिशत), हाइड्रो विद्युत क्षमता 41,267 मेगावॉट (15.42%) और नवीकरण ऊर्जा स्रोत 31,692 मेगावॉट (11.84%) था। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नाभिकीय ऊर्जा क्षमता में कोई नई बढ़ोतरी नहीं देखी गई, जो 5,780 मेगावॉट (2.16%) ही रही।

संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ी है, लेकिन इस क्षेत्र को अभी नीतिगत उलझाव के चक्र से बाहर आना है, जिससे पिछले 4-5 वर्ष में विद्युत क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में अभिनिर्धारित परियोजनाओं से दीर्घावधि कोयला उत्पादन क्षेत्र को नहीं जोड़ना, नीलाम किए गए कोयला खदान खंडों (ब्लॉक) से नियोजित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल होना, देशी कोयला और गैस के उत्पादन में आत्मनिर्भरता में कमी होना, आयातित ईंधन के मूल्यों में वृद्धि होना, भूमि अधिग्रहण नियम एवं विनियम और पर्यावरण संबंधी मुद्दें आदि प्रमुख अवरोध हैं।

भारत सरकार ने, पिछले एक वर्ष में, कुछ सकारात्मक पहले शुरूकी हैं। इन पहलों में विशेषकर, कोयला खदानों का आबंटन पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से करना, विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) द्वारा अनुसमर्थित आर्थिक सहायता प्राप्त (सब्सिडाइज्ड) आयातित गैस आपूर्ति के माध्यम से घरेलू गैस आपूर्ति के संबंध में 30 प्रतिशत पीएलएफ से कम पर चलने वाली गैस आधारित असहाय परियोजनाओं और निजी क्षेत्रक परियोजनाओं को जीवित करना, बीमार यूनिटों को राज्य यूटिलिटियों के प्रचालन के अधीन लेने का प्रयास करना, देशी कोयले का उत्पादन बढ़ाकर, सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार पर अधिक बल देते हुए स्वच्छ ऊर्जा पर विशेष ध्यान करना, रेलवे, रक्षा विभाग आदि जैसे सरकारी स्थलों पर स्व-संपोषणीय सौर ऊर्जा संस्थापन मॉडल के विकास को प्रभावी ढंग से सक्षम बनाना, हरित विद्युत निधि का आबंटन करना, केस-I और केस-II बोली प्रक्रिया से संबंधित मानक बोली दिशानिर्देशों में संशोधन करना, विद्युत अधिनियम की समीक्षा करना, त्वरित स्वच्छता और ईंधन संयोजनों के लिए विकासकर्ताओं को संसाध्य बनाना, वर्तमान देशी विनिर्माण क्षमता का आवर्धन और अद्यतन प्रौद्योगिकी अंतः क्षेपों को प्रोतसाहित करना शामिल है।

विद्युत संयंत्र उत्पादन के लिए मुख्य ईंधन के रूप में कोयले पर निर्भरता कम करने, अनुषंगी खपत और हानियों को कम करने, उच्च दक्षता प्राप्त करने और कार्बन फुट प्रिंट में सुधार करने के लिए, 13वीं पंचवर्षीय योजना में अधिकांश परियोजनाओं को सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित किए जाने की योजना है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास के सहायतार्थ, नीति आयोग ने यह दर्शाया है कि वर्ष 2017 तक लगभग 88.5 जीडब्लू की विद्युत उत्पादन क्षमता वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, नीति आयोग के अनुसार वित्त वर्ष 2032 तक 8 प्रतिशत स्थायी आर्थिक संवृद्धि बनाए रखने के लिए भारत को समय के साथ-साथ अपने विद्युत उत्पादन को कई गुना बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2032 तक विद्युत उत्पादन क्षमता को लगभग 8,00,000 मेगावाट तक अवश्य बढ़ाना होगा।

पारेषण और वितरण

पारेषण

अभी हाल तक पारेषण प्रणाली योजना, विद्युत उत्पादन के रिशेड्यूलिंग या लोड शेडिंग किए बिना किसी आकस्मिक स्थिति से सुरक्षित तरीके से निपटने के लिए सक्षम विद्युत प्रणाली, परिसर में स्थापित करने पर आधारित थी। हालांकि, लेकिन नेटवर्क में लोड के स्थानिक विकास, मूल रूप से नियोजित लोड केंद्र उत्पादन यूनिटों की गैर-कमीशनिंग और प्रतिक्रियाशील क्षतिपूर्ति में कमी जैसे विभिन्न कारणों से, विद्युत प्रणाली के कुछ पाकेटों को सामान्य स्थितियों में भी सुरक्षित नहीं चलाया जा सका, जिससे इसे छोड़ना पड़ा और यह व्यर्थ साबित हुआ। अतः दीर्घावधि विद्युत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, पारेषण योजना को पूर्व की उत्पादन निकासी प्रणाली योजना के स्थान पर समेकित प्रणाली योजना की ओर ले जाया गया।

भारत में, पारेषण एवं वितरण तंत्र में क्षेत्रीय ग्रिडों, राज्य ग्रिडों और वितरण तंत्र की त्रिस्तरीय संरचना शामिल है। भौगोलिक संशक्ति के आधार पर बनाए गए पांच क्षेत्रीय ग्रिड, विद्युत की अधिकता वाले राज्य से विद्युत की कमी वाले राज्य में विद्युत के अंतरण करने को सक्षम बनाते हैं। क्षेत्रीय ग्रिड भी बाह्य अनुरक्षण की अभीष्ट समय-सूची बनाने तथा विद्युत संयंत्रों के बीच बेहतर समन्वय को सुसाध्य बनाते हैं। वर्तमान में, ये क्षेत्रीय ग्रिड 46,000 से अधिक मेगावाट की अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण क्षमता के साथ राष्ट्रीय ग्रिड के एक एकीकृत यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे कि एक क्षेत्र में अधिशेष विद्युत को विद्युत के अभाव का सामना कर रहे अन्य क्षेत्र में भेजा जा सके और इससे राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके। इसके लिए अंतर क्षेत्रीय ग्रिड कनेक्टिविटी को लचीला बनाना पड़ा और इस प्रणाली को वापस लाना पड़ा। देश का

राष्ट्रीय ग्रिड, अब विश्व का सबसे बड़ा प्रचालन समकालिक ग्रिड है।

अबाधित अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण, खुली पहुंच उपलब्धता और नई ईएचवी और एचवीडीसी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा, उचित नियंत्रण और संतुलन को बनाए रखा गया है, ताकि ग्रिड की किसी बड़ी हानि से बचने के लिए ग्रिड नियंत्रण को सुदृढ़ किया जा सके। विद्युत अधिनियम, 2003 में उपयुक्त संशोधन करने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ग्रिड को विनियमित करने के लिए आरएलडीसी और एनएलडीसी को विशेष प्राधिकार दिए जा सकें, जिसमें उनके सशक्तिकरण के लिए कानूनी उपबंधों को भी शामिल किया जा सकता है। तत्पश्चात, आरएलडीसी को यह अधिकार होगा कि वह ग्रिड व्यवस्था का अनुपालन न करने वाले राज्यों के लोड को काट सकता है।

वित्त वर्ष 2015 के अंत में, पारेषण लाइनों की कुल लंबाई लगभग 3.13 लाख सीकेएम हो गई, जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह लंबाई लगभग 2.91 लाख सीकेएम थी। वित्त वर्ष 2015 में पारेषण क्षमता में कुल 22.101 सीकेएम की वृद्धि हुई है, जो पिछले वित्त वर्ष में पारेषण क्षमता में हुई वृद्धि से लगभग 32 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान हुई पारेषण क्षमता वृद्धि अब तक की सबसे अधिक क्षमता वृद्धि रही है।

संस्थापित पारेषण लाइन प्रणाली का विवरण निम्नलिखित तालिका के अनुसार है :

पारेषण लाइन	31 मार्च 2015 के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	31 मार्च 2014 के अनुसार (सर्किट किलोमीटर)	वृद्धि (सर्किट किलोमीटर)
765 केवी	18,644	11,096	7,548
400 केवी	1,35,949	1,25,957	9,992
220 केवी	1,49,412	1,44,851	4,561
+/-500 केवी एचवीडीसी	9,432	9,432	0
जोड़	**3,13,437**	**2,91,336**	**22,101**

वित्त वर्ष 2015 के अंत में, 5.95 लाख एमवीए पर समग्र सब स्टेशन रूपांतरण क्षमता 765 केवी, 400 केवी और 220 केवी स्तर पर रही। वित्त वर्ष 2014 के अंत में, कुल क्षमता 5.30 लाख एमवीए थी। एक वर्ष में सब स्टेशन क्षमता वृद्धि में लगभग 65,000 एमवीए होना एक उच्चतम उपलब्धि थी। एक लाख करोड़ रुपए मूल्य की पारेषण लाइनों की बोली के लिए योजनाएं पहले ही प्रकिया में हैं। इसके अलावा, सार्क क्षेत्र के बीच पारेषण क्षमता बढ़ाने के लिए सार्क (एसएएआरसी) समर्पित पारेषण ग्रिड को स्थापित करने की योजना पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार, पारेषण प्रणाली के विकास के लिए अपेक्षित निधि लगभग ₹ 2-3 लाख करोड़ होगी, जिसमें केंद्रीय और राज्य क्षेत्र का हिस्सा भी शामिल होगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा सशक्त एकीकृत ग्रिड नेटवर्क बनाना है, जो देश के एक भाग से दूसरे भाग तक बिजली का व्यापक स्तर पर अंतरण कर सके।

वितरण

वितरण क्षेत्र, विद्युत उत्पादन-पारेषण वितरण की श्रृंखला में राजस्व उत्पादक लिंक, विद्युत क्षेत्र की मूल्यवान श्रृंखला में स्पष्ट रूप से कमजोरतम कड़ी है और इससे विद्युत क्षेत्र के सुधारों की संपूर्ण प्रक्रिया के मार्ग से हटने का खतरा है, जो भारत में संवृद्धि की कहानी के लिए भी एक खतरा है। हालांकि, देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र, वितरण क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है, वितरण क्षेत्र घाटे में चल रहा है और भारत सरकार द्वारा राज्य विद्युत वितरण कंपनियों/ यूटिलिटियों को व्यवहार्य बनाने के लिए विभिन्न उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है।

वितरण क्षेत्र से संबंधित मुद्दें विद्युत उत्पादन और पारेषण क्षेत्र के मुद्दों के समान नहीं हैं। वितरण में महत्वपूर्ण अंतिम लक्ष्य की संयोजकता (कनेक्टिविट) प्रदान की जाती है और इसमें अलग-अलग किस्म के कई और विभिन्न उपभोक्ता होते हैं। हालांकि, अधिकांश राज्य बिजली बोर्डों का विभाजन कर दिया गया है तथापि, वितरण अभी भी काफी हद तक सरकारी यूटिलिटियों के नियंत्रण में है। विभाजन किए जाने से पूर्व विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन अच्छे वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर उनके प्रचालन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। उनकी आपूर्ति औसत लागत (एसीएस्) और प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर) के बीच लगातार बढ़ते हुए अंतर के परिणामतः इन यूटिलिटियों के निवल मूल्य में और गिरावट आ रही है।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों की स्थिति में सुधार करने और उनकी दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए संक्रमणकालीन वित्तीय तंत्र (टीएफएम) नामक, राज्य के स्वामित्व की वितरण कंपनियों के लिए भारत सरकार द्वारा एक वित्तीय पुनर्गठन योजना तैयार की गई है। इस तंत्र में प्रशुल्क (टैरिफ) में संशोधन, केवल ऐसी राज्य सरकार को सब्सिडी देना, जिसे बाद में एआरआर में समायोजित किया जाएगा और नियमित आधार पर लेखापरीक्षित लेखों में दर्ज किया जाएगा, जैसे उपाय शामिल हैं। पुनर्संरचित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) और राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इनमें यूटिलिटी वार समग्र योजना बनाना और उच्च स्तर पर इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करना अन्य महत्वपूर्ण पहलें हैं। अतः यह आवश्यक है कि अत्यधिक उच्च पारेषण और वितरण हानियों, विनियामक संस्थाओं के आंतरिक कार्यों, बेमेल प्रशुल्क (टैरिफ) आदि जैसी बडी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सभी उपायों में सामंजस्य स्थापित किया जाए और उन्हें एकीकृत किया जाए, ताकि विद्युत वितरण क्षेत्र का कायापलट किया जा सके।

नीति के मामले में एक एकीकृत रेटिंग प्रणाली विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य विद्युत वितरण यूटिलिटियों को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सभी यूटिलिटियों के कार्यनिष्पादन के आधार पर उनकी श्रेणी निर्धारित करना और दीर्घकालिक वाणिज्यिक व्यवहार्य प्रचालनों को जारी रखने के लिए उनकी क्षमता को बनाए रखना है। इस तंत्र का मुख्य ध्यान प्रतिष्ठानों की रैंकिंग और उन्हें प्रोत्साहन देने /हतोत्साहित करने

पर है, ताकि उनके प्रचालनात्मक और वित्तीय कार्यनिष्पादन को बढ़ाया जा सके और उसमें सुधार किया जा सके तथा इससे भिन्न यूटिलिटियों की निधि संबंधी आवश्यकता से जुड़े जोखिमों के लिए एकसमान और वास्तविक मूल्यांकन अपनाए जाने हेतु बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है। इससे समुचित ऋणों सहित वित्तपोषण किया जा सकेगा, ताकि उनके प्रचालनात्मक, वित्तीय और प्रबंधकीय कार्यनिष्पादन को और तेज किया जा सके तथा उसमें बढ़ोत्तरी की जा सके।

विद्युत यूटिलिटियों को निधियां प्राप्त करने में सहायता देने हेतु वितरण क्षतियों को कम करने तथा देश में वितरण संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सुधार में निवेश को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने की नीति के लिए वित्त वर्ष 2012-13 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) स्थापना की गई है। यूटिलिटी वितरण कंपनी (डिस्कॉम) कार्यनिष्पादन के आधार पर ब्याज दर पर छूट प्राप्त करने की पात्र होंगी ।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति और उपलब्धता को सुदृढ़ करने, विद्युत की पहुंच में सुधार करने और उसके लेखाकरण हेतु, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और शहरी क्षेत्रों के लिए एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) का कार्यान्वयन शुरू किया है। वर्ष 2019 तक 24X7 विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह भारत सरकार की एक दीर्घकालिक पहल है।

फीडर पृथक्कीकरण योजना के कार्यान्वयन, वितरण तंत्र में उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एचवीडीएस्), स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) जैसे स्मार्ट एनर्जी मीटरों के संस्थापन और द्वि-मार्गी वास्तविक समय डिजिटल संचार वाले 100 प्रतिशत कवरेज तथा रिमोट मीटरिंग के उपयोग की सुविधा, प्रचालन तथा अनुरक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और उसके साथ-साथ सर्वोत्तम प्रबंधन परिपाटियां उपयोग में लाने जैसे तकनीकी उपाय, ऐसे उपाय हैं, जो कम से कम हानि और कम लागत वाली बिजली की सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे हैं।

उपभोक्ता और यूटिलिटी के बीच द्वि-मार्गीय संवाद के अवसर प्रदान करने के लिए इंटेलिजेंट स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करने से बिजली के उपयोग और सुपुर्दगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया जाएगा। चूंकि, भारतीय वितरण क्षेत्र विद्युत मूल्य श्रंखला में कमजोर कड़ी है, अतः गुणवत्तापूर्ण विद्युत सुपुर्दगी की कुशल और विश्वसनीय व्यवस्था के लिए यूटिलिटियों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली स्मार्ट ग्रिड परियोजनाएं दीर्घकालिक व्यवसाय के अवसर पैदा करेंगी।

देश में विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार लाने एवं उसे व्यवस्थित करने के लिए, कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के समन्वय से राष्ट्रीय विद्युत निधि, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत विद्युत विकास योजना, स्मार्ट ग्रिड टास्क फोर्स आदि जैसे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी के द्वारा प्रमुख पहलें शुरू की हैं। इन सभी प्रमुख व्यवस्थापनों से आपकी कंपनी ने एक बेहतर एवं उन्नत वितरण परिदृश्य प्राप्त किया है जबकि संबंधित राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों के संयोजन में इन कार्यक्रमों के परिणाम एवं प्रभाव संपूर्ण वितरण में मालूम होने एवं रूपांतरित होने शुरू हो गए हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, नीति आयोग ने इस क्षेत्र हेतु मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) और ऊर्जा दक्षता के लिए योजनाबद्ध समावेशी निवेश में लगभग ₹ 3.14 करोड़ के निवेश का अनुमान लगाया है।

विद्युत क्षेत्र नीतिगत परिवेश

पिछले कुछ वर्षों में बिजली की निरंतर कमी बने रहने कोयला उपलब्धता संकट तथा भारत में बिजली की मांग में हुई अनुमानित वृद्धि की दर को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र की पुर्नगठन, क्षमता विस्तार, पारेषण और उप-पारेषण तथा वितरण तंत्र में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

अपने नए स्वरूप में विद्युत अधिनियम, 2003 को लागू करने के साथ ही विद्युत क्षेत्र का शासन, पूंजी की व्यवस्था तथा बृहत विद्युत परियोजनाओं का संस्थापन एक वास्तविकता बन गया है। इस अधिनियम ने उन अनेक कानूनों की जगह ले ली है, जिनमें भारतीय बिजली क्षेत्र पहले अधिशासित होता था और इसने एक बहु-क्रेता और बहु-विक्रेता प्रणाली की शुरूआत की है। इसके अलावा, विनियामक प्रशासन को आय प्राप्ति की दर (रेट ऑफ रिटर्न) के विनियमों से बाधित हुए बिना प्रशुल्क निर्धारण में इसे अधिक स्वायत्ता प्रदान की गई है। इसे राष्ट्रीय विद्युत नीति की अधिसूचना द्वारा अनुसरित किया गया था। तत्पश्चात, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति, ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) नीति, राष्ट्रीय जल विद्युत नीति और मेगा पावर नीति अधिसूचित की गई थी। हालांकि, बढ़ते हुए कारोबार परिवेश में विद्युत अधिनियम का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है।

एक स्थान पर आधारित बड़े पैमाने की विद्युत उत्पादन क्षमता को किफायती बनाने के लिए, भारत में बड़ी क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के आधार पर उत्पादन और प्रशुल्क (टैरिफ) को कम करने के लिए अति महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग, 3,500 मेगावाट या उससे अधिक की प्रत्येक संविदा की क्षमता वाली अल्ट्रामेगा विद्युत परियोजना (यूएमपीपी) की संकल्पना विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का सृजन करके लागू की गई थी।

यूएमपीपी के संबंध में अपनाये जाने वाली इसी प्रकार की लाइनों पर अंतःराज्य और अंतर राज्य पारेषण प्रणाली के विकास के लिए एक प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया भी स्वतंत्र विद्युत पारेषण कंपनियों (आईपीटीसी) के लिए लागू की गई है। आईपीटीसी का उद्देश्य विद्युत उत्पादन स्टेशन से बिजली की आपूर्ति करना और पूलिंग स्टेशन से बिजली को अन्य ग्रिड स्टेशनों में अंतरित करना है, जिससे पूरे भारत में इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कई पारेषण परियोजनाएं पिछले कुछ वर्षों में विकासकर्ताओं को अंतरित की गई हैं। केस-I और केस-II बोली प्रक्रिया से संबंधित मानक बोली दिशानिर्देशों को हाल ही में संशोधित किया गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र से निजी को आकर्षित करने के उपाय के रूप में, वर्ष 2008 में जल विद्युत नीति लागू की गई थी। इस नीति का उद्देश्य विद्युत व्यापार को प्रोन्नत करने तथा सांविधिक अनापत्तियों को प्राप्त करने में तेजी लाने के अलावा, निजी विकासकर्ताओं के साथ संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहित करने तथा आईपीपी मॉडल का उपयोग करने के द्वारा निजी क्षेत्र से निधियों को आकर्षित करना है। इस नीति के अंतर्गत भारत में, विशेषतः हिमालयी राज्यों में जल विद्युत उद्योग के त्वरित विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार करना है।

हालांकि, देश पिछले कुछ वर्षों में हाइड्रो विद्युत की बड़ी संभावनाओं का उपयोग नहीं कर सका है, क्योंकि हाइड्रो परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी मुद्दों और न्यायालय के निर्णयों के कारण रुकी पड़ी हैं, जिससे कार्य-स्थल पर काफी विलंब हो रहा है और कई कार्य रुक गए हैं। विद्युत का सबसे सस्ता स्रोत होने के बावजूद, इसका कार्य विलंब से हो रहा है क्योंकि हाइड्रो विद्युत क्षेत्र के निवेशक अनिश्चितता के कारण इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं।

राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वितरण क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी योजना) स्थापित की है। इस योजना में संवितरित ऋण के आधार पर, पूर्व-परिभाषित सुधार संबंधी मापदंडों को प्राप्त करने पर, ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी राज्य विद्युत यूटिलिटियों, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को संवितरित ऋण पर दी जाती है। आपकी कंपनी को, संपूर्ण देश की यूटिलिटियों को ब्याज सब्सिडी की रकम देने संबंधी योजना को संक्रियात्मक करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

जलवायु पर आसन्न चुनौतियों को कम करने के लिए जून 2008 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की घोषणा की गई थी। यह प्रयास देश के कुल बिजली उपभोग में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी करने के लिए किया गया है। इस पहल को गति प्रदान करने के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की क्रय संबंधी बाध्यताओं को राज्य यूटिलिटियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया है। यह तंत्र राज्य की सीमाओं से बाहर कार्बन क्रेडिटों से अप्रभावित रहकर नवीकरणीय ऊर्जा घटक के क्रय-विक्रय को सक्षम बनाएगा।

कोयला आधारित थर्मल पावर संयंत्रों से संबंधित जीवाश्म इंधन और पर्यावरणी संबंधी खतरों को दर्शाते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को काम में लाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के विकास पर विशेष बल देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उपयोग के लिए तंत्र बनाए जा रहे हैं। ₹ 38,000 करोड़ के हरित ऊर्जा कॉरिडोर को नवीकरणीय ऊर्जा में डाले जाने का प्रस्ताव है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना प्रचालन के स्थान से विद्युत भार (लोड) केंद्रों तक नवीकरणीय ऊर्जा को पहुंचाकर के ग्रिड के स्थायित्व को कायम कर सकती है। इसके लिए उसमें अतिरिक्त और पर्याप्त पारेषण क्षमता सृजित की जाती है। केंद्र सरकार की बजट योजना में वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाए जाने की योजना है। यह योजना वर्तमान क्षमता से पांच गुना अधिक रकम की है। 1,75,000 मेगावाट की क्षमता में से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-मास और छोटी हाइड्रो परियोजनाओं का भाग क्रमशः 100,000 मेगावाट, 60,000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, और 5,000 मेगावाट है।

राष्ट्रीय सौर मिशन

सौर क्षमता संवर्धन के संबंध में नवीकरणीय ऊर्जा पर बल देते हुए स्वच्छ ऊर्जा का विकास वर्तमान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ओर एक नया आयाम है। इसमें वर्ष 2022 तक 20,000 मेगावाट के पूर्ववर्ती अनुमानित लक्ष्य से 1,00,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का उत्पादन किए जाने की योजना है। वर्तमान में भारत सरकार की सौर क्षमता 3,000 मेगावाट है। सौर ऊर्जा की संवृद्धि के लिए आकर्षक, संभावित और पर्याप्त सुविधा प्रदान करके निवेशक-अनुकूल तंत्र स्थापित किया जा रहा है।

सौर पार्कों का विकास इस दिशा में एक प्रयास है। प्रत्येक 100 मेगावाट के 25 सौर पार्कों को प्राथमिकता देने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, "ऑफ ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर अनुप्रयोग' आत्म-निर्भरता की दिशा में बड़े क्षेत्र देखे गए हैं। रूफ टॉप सौर संस्थापन का काफी प्रचार किया जा रहा है और इसे किफायती भी बताया जा रहा है। इसके अलावा, बड़े-बड़े सरकारी संस्थान यथा रेलवे, रक्षा आदि को भी सौर ऊर्जा के प्रयोग को समर्पित भूमि देने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय रूप से बिजली के भार (लोड) के लिए ग्रिड पर उनकी निर्भरता भी कम हो जाएगी। इसके अलावा, विशिष्ट सौर संघटकों से नवीकरणीय खरीद के दायित्व (आरपीओ) के जरिए सौर विद्युत को बढ़ावा दिया जा रहा है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए "एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)" नामक एक योजना को अनुमोदित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के उप-वितरण और वितरण तंत्र में सुधार करना है। इसमें अलग घटक के रूप में (i) उप-पारेषण और वितरण तंत्र का सुदृढ़ीकरण, (ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं के लिए मीटरिंग और (iii) आर-एपीडीआरपी से आईपीडीएस कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेनीत करके 12वीं और 13वीं योजना के लिए आर-एपीडीआरपी के अधीन निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आईटी सक्षम वितरण क्षेत्र और वितरण तंत्र को सक्षम बनाना भी है। इस प्रयोजन के लिए आर-एपीडीआरपी की विद्यमान योजना और उसके लक्ष्यों को आईपीडीएस में शामिल कर दिया गया है।

इस योजना के अधीन विशेष श्रेणी के राज्यों (अर्थात विशेष श्रेणी के राज्यों यथा पूर्वोत्तर के सभी राज्य, जिसमें सिक्किम भी शामिल है, जम्मू-

कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 85%) से भिन्न राज्यों को अनुदान के रूप में भारत सरकार से परियोजना लागत का 60% दिए जाने की योजना है, जिसमें से कम से कम 10% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 5%) का अंशदान राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा अपने स्रोतों से किया जाएगा और शेष 30% (विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 10%) की व्यवस्था राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा ऋण के माध्यम से की जाएगी। ऋण के 50% हिस्से को परिवर्तित करके 15% (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 5%) तक अतिरिक्त अनुदान भारत सरकार द्वारा उस स्थिति में दिया जाएगा यदि वे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये निर्धारित लक्ष्य हैं- राज्य सरकार द्वारा समय पर कार्य पूरा किया जाना, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों को कम करना और मीटर पर आधारित खपत, यदि कोई हो, के आधार पर राजस्व सब्सिडी को शुरूमें जारी करना।

इस संबंध में पहले से विद्यमान आर-एपीडीआरपी की योजना और इसके लक्ष्य, आईपीडीएस में एक अलग घटक के रूप में शामिल कर दिए गए हैं, जो वितरण क्षेत्र में आईटी को सक्षम बनाने और वितरण तंत्र (यथा उपर्युक्त (iii) को सुदृढ़ बनाने के लिए है। इस संबंध में ₹ 44,011 करोड़ की लागत वाली योजना अनुमोदित की गई है, जिसमें ₹ 22,727 करोड़ की बजट सहायता भी शामिल है जिसमें उप-पारेषण और वितरण को सुदृढ़ करने के लिए ₹ 25,354 करोड़ की बजट सहायता वाली ₹ 32,612 करोड़ का अतिरिक्त अनुमानित परिव्यय भी शामिल है। यह परिव्यय शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाने से संबंधित है।

आईपीडीएस के कार्यान्वयन का उद्देश्य इसके परियोजना क्षेत्रों में आईटी प्लेटफार्मों पर राजस्व के विश्वसनीय और सत्यापित किए जाने वाले बेसलाइन डेटा को प्राप्त करने के लिए और स्थाई आधार पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक क्षतियों को कम करने के लिए है ताकि इसे वित्तीय रूप से आकर्षक और कार्य-निष्पादन अभिमुखी बनाया जा सके।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

अगस्त 2006 में ग्रामीण विद्युतीकरण नीति अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की पहुंच और बिजली की गुणवत्ता को प्राप्त करना था ताकि कृषि, ग्रामीण उद्योगों आदि में उत्पादन के प्रयोग के लिए बिजली की उपलब्धता द्वारा तेजी से आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

भारत सरकार ने 03 दिसंबर, 2014 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए एक नई योजना ''दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)'' अनुमोदित की है। डीडीयूजीजेवाई स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध कराना और विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके तय किए गए पथ (डिस्कॉम वार) के अनुसार एटी एंड सी क्षतियों को कम करना है ताकि परिभाषित परियोजना घटकों के जरिए गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24X7 बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए आरजीजीवीवाई योजना और इसके 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को डीडीयूजीजेवाई में शामिल कर दिया गया है।

इस योजना की वित्त व्यवस्था का तरीका वही होगा, जो आईपीडीएस योजना के लिए लागू है और जिसका ऊपर उल्लेख कर दिया गया है। ₹ 43,033 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय में से भारत सरकार ₹ 33,453 करोड़ की बजट संबंधी सहायता प्रदान करेगी। आरईसी डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए नोडल एजेंसी है।

उपर्युक्त नीतियों/पहलों के अलावा, भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कुछ अन्य पहलें, मांगपक्ष प्रबंधन (डीएसएस) पहलों के रूप में की हैं, संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई), निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना और ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता (ईसीबीसी) आदि। विद्यमान बिजली के लोड को लाइट इम्मिटिंग डिओड (एलईडी) प्रकाश साधनों में बड़ी मात्रा में बदलने की भी योजना है। पारंपरिक प्रकाश साधन (फिलामेंट और इनकेंडिसेंट बल्ब, सीएफएल) की तुलना में उच्च ऊर्जा दक्ष होने के कारण व्यस्ततम घंटों में 10,000 मेगावाट विद्युत तक की बचत करने का प्रयास किया जा रहा है।

ईंधन की भारी कमी पर काबू पाने और विद्युत क्षेत्र को निधि संबंधी नुकसान से मुक्त करने के प्रयास के रूप में, परियोजनाओं की प्रगति पर रुकावट डालने वाले मुद्दों के तत्काल समाधान और परियोजनाओं की कमीशनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है।

पिछले एक वर्ष में भारत सरकार द्वारा की गई इन प्रमुख नीतिगत पहलों से विद्युत क्षेत्र को सक्षम बनाने और पुनःपरिभाषित किए जाने में सहायता मिल रही है और इस प्रकार इसे आकर्षक निवेश का माध्यम बनाया जा रहा है।

3. अवसर

विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वित्त वर्ष 2012-17) का लक्ष्य 14 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें सहयोजित पारेषण तथा वितरण तंत्र के साथ 88,537 मेगावाट की क्षमता वृद्धि शामिल है। संवर्धित क्षमता की हैंडलिंग के लिए पारेषण एवं वितरण नेटवर्क में लगातार विस्तार के साथ उत्पादन क्षमता में लगभग 94,000 मेगावाट वृद्धि की परिकल्पना 13वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। इसके अलावा, 12वीं योजना और 13वीं योजना में प्रत्येक 30,000 मेगावाट के विस्तार तक हरित ऊर्जा के द्वारा क्षमता बढ़ाई जाएगी जिससे वर्ष 2022 तक 1,75,000 मेगावाट तक की और वृद्धि किए जाने की योजना है। पर्यावरण अनुकूल कॉरिडोर सृजित करने का विचार, जो विशेष रूप से पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए है, जो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने पर मुख्य बल देने के साथ-साथ निकट भविष्य में व्यवसाय अवसर को एक संपूर्ण स्वरग्राम देता है। जीवाश्म इंधन से पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी खतरों के प्रति जागरूकता के कारण स्वच्छ ऊर्जा को काम में लाने पर अधिक बल देने के कारण हरित ऊर्जा के हिस्से को काफी हद तक बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि जीवाश्म

इंधन स्रोत पर निर्भरता को कम किया जा सके। डीडीयूजीजेवाई कार्यक्रम के अधीन आने वाली निधि को मॉनीटर करने और उसे सुचारु बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में यह कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण की सामाजिक-आर्थिक जिम्मेदारी सतत रूप से वहन कर रही है। अतः विद्युत क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है कि वह भविष्य में भी इसमें पर्याप्त निवेश करने की संभावनाओं के प्रति आकर्षित हों।

4. खतरे, जोखिम और चिंताएं

नए कारोबारियों और बैंकों के प्रवेश के साथ विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण उद्योग निरंतर प्रतियोगी और व्यापक आधार वाला हो गया है और ये बातें हमारी कंपनी को कड़ी चुनौती दे रही हैं।

वित्तपोषित अवसंरचना परियोजनाएं, विशेष तौर पर विद्युत में जोखिम कम नहीं है, बजाय इसके जोखिम अधिक है, क्योंकि संबद्ध समय संस्तर लंबा है, और गतिज कारोबारी परिवेश में विभिन्न नीति संबंधी पहलुओं से जुड़ा है। किए गए पुनर्गठन प्रयासों के बावजूद, देशभर में राज्य विद्युत बोर्डों एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों की स्थिति वित्तीय क्षेत्र में एक गंभीर दृश्य प्रस्तुत करती रही है, क्योंकि उनमें से अधिकांश, कुछ को छोड़कर कठोर वित्तीय दावों के अधीन हैं। एंटिटी की अपने ऋण से संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने में असफलता कम लागत निधियों को गतिशील बनाने में हमारी कंपनी की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। चूंकि, कंपनी का इन राज्य विद्युत बोर्डों एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों पर विशेष ध्यान है, अतः हमारी कंपनी के संबंध में जोखिम अवबोधन अधिक है।

हमारी कंपनी प्रचलित प्रकटन मापदंडों, कर बांडों से धन एकत्र करने की सीमा संबंधी बाधा, राज्य वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति, नए कारोबारियों के प्रवेश तथा बैंकों और बहुपक्षीय एजेंसियों से प्रतिस्पर्धा, अस्थायी व्यावसायिक पर्यावरण, बढ़ती हुई ब्याज दर के परिदृश्य ₹ की कीमत में उतार-चढ़ाव तथा डांवाडोल बाजार दशाओं/निधियों की बढ़ती मांग के कारण लागत में संभावित वृद्धि से चिंतित है।

ब्याज दर के क्षेत्र, सांविधिक विनियमों और नीतियों, कच्चे माल की लागत और उपलब्धता, दीर्घ सगर्भता अवधि, बड़ा पूंजी परिव्यय, अन्य प्रमुख निविष्टियां और सामान्य आर्थिक स्थिति पर क्रमिक प्रभाव डालने वाली कार्य की स्थिति और नीतिगत परिवेश का भी परियोजना की व्यवहार्यता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जिससे सेवा संबंधी ऋण की उधारकर्ताओं की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः कम लागत पर विवेकपूर्ण तरीके से ऋण लेने और इन निधियों को अत्यधिक उत्पादक कार्यों पर लगाने को सुनिश्चित करना, इस कंपनी की लाभकारिता और संवृद्धि के लिए एक प्रमुख कारक होगा।

5. खंड-वार या उत्पादन-वार कार्यान्वयन

प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में आरईसी के मुख्य उत्पादों में विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधाओं के सभी खंडों के लिए राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/ राज्य विद्युत विभागों और निजी क्षेत्र को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। हमारी कंपनी का रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग घटक नहीं है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी ने ₹ 61,421.37 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की थी, जिसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन स्वीकृत ऋण शामिल नहीं है। इसमें विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए स्वीकृत ₹ 22,178.31 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए स्वीकृत ₹ 547.92 करोड़, पारेषण और वितरण क्षेत्र के लिए स्वीकृत ₹ 25,031.14 करोड़ और अल्पकालिक तथा अन्य ऋणों के लिए स्वीकृत ₹ 13,664.00 करोड़ के ऋण शामिल है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 46,446.82 करोड़ रुपए का समग्र ऋण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था, जिसमें पिछले वित्त वर्ष में संवितरित ₹ 37,969.99 करोड़ के समक्ष डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन दी गई सब्सिडी भी शामिल है। इसमें विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के अधीन संवितरित ₹ 13,828.07 करोड़, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के अधीन संवितरित ₹ 295.25 करोड़, पारेषण और वितरण योजनाओं के अधीन संवितरित ₹ 16,335.06 करोड़, अल्पकालिक ऋण के अधीन संवितरित ₹ 2,250.00 करोड़, टीएफएल तथा एमटीएल के रूप में अन्य ऋणों के अधीन संवितरित ₹ 9,735.72 करोड़ और डीडीयूजीजेवाई के अधीन संवितरित ₹ 4,002.73 करोड़ (जिसमें डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अधीन ₹ 3,605.72 करोड़ की सब्सिडी और डीडीजी के अधीन 22.64 करोड़ की सब्सिडी सहित) की रकम शामिल है।

6. दृष्टिकोण

देश में विद्युत उत्पादन की निरंतर कमी पर विचार करते हुए वर्तमान में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में निम्न स्तरों तथा दीर्घावधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विकास अनुमानों और विकसित व्यवस्था को छूने के सरकारी प्रयासों से यह महसूस किया गया है कि विद्युत संबंधी बुनियादी सुविधा का क्षेत्र महत्वपूर्ण रूप से लाभ में रहेगा। ₹ 34 लाख करोड़ से अधिक के अनुमानित निवेशों के साथ 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना (वित्त वर्ष 2012 से 2022) के दौरान 180 जीडब्ल्यू की प्राक्कलित समग्र क्षमता वृद्धि देश में विद्युत क्षेत्र की संभावना को पूरा करेगी। ग्रामीण विद्युतीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा और विकेंद्रीकृत वितरित विद्युत उत्पादन (डीडीजी) पर बल देने में, अन्य बातों के साथ-साथ देश में बिजली की पहुंच बढ़ेगी जिससे और मांग भी बढ़ेगी। विद्युत उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुद्दों का समाधान करते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए हस्तक्षेपों के साथ वित्तीय उत्पादों के लिए उपलब्ध पर्याप्त बाजार अवसरों से इस क्षेत्र का भविष्य पूरी तरह आशान्वित करने वाला है।

मांग, आपूर्ति और खपत प्रवृत्तियां भारतीय विद्युत क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करने में अहम होंगी और विद्युत मांग में वर्तमान कमी मुख्य रूप से यूटिलिटियों एवं मौसमी उतार-चढ़ावों से औद्योगिक नरमी, विद्युत प्रापण की कमी से अल्पावधि में बढ़ सकते हैं। विद्युत मांग के लिए दीर्घावधि

दृष्टिकोण मजबूत बना रहेगा। न्यून प्रति व्यक्ति खपत और प्रत्याशित आर्थिक विकास दीर्घावधि ऊर्जा अपेक्षा के संकेतक हैं।

भारत को विद्युत उत्पादन के संबंध में शीर्ष देशों में स्थान प्राप्त है और उत्पादन में ब्रिक्स देशों में लगभग 5 गुना तक चीन को पीछे छोड़ता है। हालांकि, ब्रिक्स राष्ट्रों में भारत की न्यूनतम प्रति व्यक्ति खपत है। न्यून प्रति व्यक्ति बिजली खपत देश में भारी अव्यक्त मांग को व्यक्त करता है। पिछले दो वित्त वर्षों के अपवाद के साथ, पिछले 10 वर्षों के दौरान ऊर्जा घाटा एवं व्यस्ततम घाटा सामान्य तौर पर 5% से 17% की रेंज में बना हुआ है।

इसके अलावा, विश्व की तुलना में भारत में बिजली की प्रति व्यक्ति न्यून खपत भारत में बिजली की मांग में स्थायी संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रस्तुत करती है। भारत में कुल ऊर्जा खपत में तेजी से वृद्धि होने के अनुमान से भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए भारी संभावनाएं पैदा करने का अनुमान है।

विशाल पूंजी व्यय, वितरण क्षेत्र में भावी विस्तारण हेतु भारी संभावना को संघटित करते हुए व्यापक प्रचालनात्मक बुनियादी सुविधा के समान रूप से विकास कंपनी के लिए अतिवादी व्यावसायिक दृष्टिकोण सृजित करता है। डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस में निष्पादनोन्मुखी निर्माण भी वितरण अवसंरचना में आकर्षक एवं त्वरित निवेशों के लिए संभावित है। इस प्रकार, नुकसान को कम करने वाले लक्ष्यों को तेजी से पूरा किया जा सकता है।

7. समझौता ज्ञापन रेटिंग एवं अवार्ड

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के संबंध में आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन को 'उत्कृष्ट' रूप में श्रेणीबद्ध किया गया । यह लगातार 21वां वर्ष है जिसमें आरईसी ने वर्ष 1993-94 से, जब सरकार के साथ पहले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, 'उत्कृष्ट' स्थान प्राप्त किया है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए भी कंपनी के कार्य-निष्पादन की स्थिति 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त करने की है। इस वर्ष के दौरान आपकी कंपनी को पीएसई उत्कृष्टता अवार्ड 2014 के अधीन 'प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन उत्कृष्टता' के लिए 'वर्ष की कंपनी' का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी को दैनिक भास्कर एवं डीएनए से इंडिया प्राइड अवार्ड 2014-15 के अधीन 'वित्तीय सेवा में उत्कृष्टता' पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी ने उपयुक्त मॉनीटरिंग क्रियाकलापों सहित आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली को बनाए रखा है, जो विभिन्न संव्यवहारों की परिशुद्ध और सामयिक वित्तीय रिपोर्टिंग, प्रचालनों की कुशलता तथा सांविधिक नियमों, विनियमों और कंपनियों की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। एकरूपी अनुपालन के लिए शक्तियों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है और लेखांकन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी नियंत्रण प्रणालियां सुव्यवस्थित हैं, कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रभाग द्वारा विभिन्न प्रभागों/कार्यालयों की नियमित और व्यापक रूप से आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है तथा कुछ चयनित परियोजना कार्यालयों की सनदी लेखाकारों की अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित रूप से लेखापरीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा में वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अभिनिर्धारित गंभीर/जोखिम के क्षेत्रों सहित प्रचालन के सभी प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति, कंपनी अधिनियम और सूचीकरण करार में निर्धारित विभिन्न लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की आवधिक रूप से समीक्षा करती है।

9. वित्तीय और प्रचालन संबंधी कार्य-निष्पादन

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 61,421.37 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 70,739.48 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया था (जिसमें डीडीयूजीजेवाई-आरई और डीडीजी के अधीन स्वीकृत ऋण शामिल नहीं है)। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 46,446.82 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया था, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 37,969.99 करोड़ का ऋण संवितरित किया गया था (इसमें डीडीयूजीजेवाई आरई और डीडीजी के अधीन दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है)।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज सहित वसूल की जाने वाली रकम ₹ 32,759.07 करोड़ थी, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह रकम ₹ 31,312.57 करोड़ थी। 31 मार्च, 2015 को चुककर्ता उधारकर्ताओं से वसूल की जाने वाली बाकी रकम ₹ 1,549.18 करोड़ थी। कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 32,005.56 करोड़ की रकम वसूल की है, जबकि पिछले वर्ष के दौरान ₹ 30,755.36 करोड़ की रकम वसूल की गई थी।

इस वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्टैंडअलोन आधार पर प्रचालन आय में ₹ 3,211.55 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दर्ज की गई वृद्धि अर्थात ₹ 17,017.98 करोड़ से बढ़कर ₹ 20,229.53 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-15 में कर-पूर्व लाभ ₹ 7,427.04 करोड़ था जबकि यह वर्ष 2013-14 में ₹ 6,531.12 करोड़ था। वित्त वर्ष 2014-15 में कंपनी का निवल लाभ ₹ 5,259.87 करोड़ था अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 576.17 करोड़ की वृद्धि हुई। 31 मार्च, 2015 को कंपनी का निवल मूल्य 24,857.03 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹ 20,669.46 करोड़ था और इस प्रकार इसमें 20% की वृद्धि हुई है।

10. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

आरईसी के कार्यपालक संवर्ग को व्यावसायिक बनाने और युवाओं को भी इसमें शामिल करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 24 कार्यपालकों को नियुक्त किया गया। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की कुल जनशक्ति 601 कार्मिकों की है, जिसमें 427 कार्यपालक और 174 गैर-कार्यपालक शामिल हैं।

कार्मिकों को व्यावसायिक बनाने के लिए, कंपनी ने देश के अंदर और विदेश में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं आदि में 380 कार्मिकों को प्रायोजित किया था। इसके अलावा, आंतरिक रूप से 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 60 कार्मिकों ने भाग लिया। इस प्रकार कुल मिलाकर, इन पहलों से कंपनी ने 1083 प्रशिक्षण श्रम दिनों के लक्ष्य को प्राप्त किया और इस मापदंड की दृष्टि से समझौता ज्ञापन के लक्ष्य में 'उत्कृष्टता' रेटिंग प्राप्त की। 24 अधिकारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ताइवान, फ्रांस, चीन, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों में आयोजित कार्यक्रमों में भेजा गया।

11. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास (सीएसआर एवं एसडी) संबंधी पहलों पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की गई थी। तद्नुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्ष के औसत निवल लाभ के 2 प्रतिशत की दर से वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व बजट आवंटित किया गया था, जिसकी रकम ₹ 103.25 करोड़ थी। इस वर्ष के दौरान कंपनी ने कौशल विकास कार्यक्रमों, शिक्षा, पर्यावरण संबंधी स्थायित्व, वृद्ध एवं निःअशक्त व्यक्तियों सहित सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ाने, ''स्वच्छ विद्यालय अभियान'' में भागीदारी सहित पेयजल और सफाई सुविधाएं चुने गए अविद्युतीकृत/अल्प विद्युतीयकृत गांव आदि में एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर पहलें की हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन विभिन्न परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 251.22 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसमें ''स्वच्छ विद्यालय अभियान'' के अधीन विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण करने के लिए स्वीकृत ₹ 190 करोड़ भी शामिल हैं। इसमें से जिनमें से ₹ 67 करोड़ वित्त वर्ष 2014-15 के लिए आवंटित किए गए हैं और ₹ 123 करोड़ वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आरईसी ने इस वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वित की जा रही अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹ 103.25 करोड़ (जिसमें लेखा बहियों में किए गए ₹ 57.21 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है) की रकम खर्च की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए किए गए ₹ 57.21 करोड़ के प्रावधान की अदायगी अब वित्त वर्ष 2015-16 में की गई है।

सचेतक टिप्पणी

''प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण'' खंड में कतिपय कथन भावी दृष्टिकोण से हो सकते हैं और लागू कानूनों तथा विनियमों की अपेक्षा के अनुसार कहे गए हैं। कई कारणों से वास्तविक परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, जो भावी कार्यनिष्पादन तथा दृष्टिकोण के संबंध में प्रबंधन की परिकल्पना से भिन्न हो सकते हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध-।।

निगमित सुशासन पर रिपोर्ट

प्रभावी निगमित सुशासन संबंधी व्यवहार एक ऐसी सशक्त नींव डालता है, जिस पर सफल निगमित एंटिटियों का निर्माण होता है। आरईसी पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा और जवाबदेही के मूल्यों पर आधारित निगमित सुशासन संबंधी व्यवहारों के सर्वोच्च मानकों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्नशील है। हमारी कंपनी की नीतियां नैतिक मानकों और कारपोरेट सामाजिक दायित्व के साथ समझौता किए बिना दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। हमारे मार्गदर्शी सिद्धांतों और संव्यवहारों का संक्षिप्त वर्णन इस निगमित सुशासन रिपोर्ट में किया गया है।

सूचीकरण करार के उपबंधों पर बल देने के साथ-साथ, कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 का भी पालन कर रही है। कंपनी आईसीएसआई द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानकों का भी पालन कर रही है। लेखापरीक्षकों द्वारा निगम सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र सहित निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने संबंधी एक रिपोर्ट नीचे दी गई है।

1. निगमित सुशासन की संहिता पर कंपनी की विचारधारा

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) का निगमित सुशासन एक नीतिपरक और जिम्मेदार ढंग से व्यवसाय का प्रबंधन कर रहा है, जो लागू विनियामक संरचना के अंदर हितधारकों के लिए सतत मूल्य सृजन के लिए प्रयासरत है। कंपनी उन सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को अपनाने में विश्वास रखती है जिन्हें दुनिया भर में निगमित सुशासन के क्षेत्र में अपनाया जाता है। कंपनी में अच्छी, पारदर्शी और नीतिपरक सरकारी परिपाटियों को अपनाने की मजबूत परंपरा है। आरईसी, त्वरित वृद्धि तथा ग्रामीण एवं शहरी जनता के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बिजली की उपलब्धता को सुसाध्य तथा देश में विद्युत उत्पादन, विद्युत संरक्षण, विद्युत पारेषण तथा विद्युत वितरण तंत्र के लिए परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं उन्नयन हेतु प्रतिस्पर्धा, ग्राहक अनुकूल तथा विकासोन्मुखी उन्मुखी संगठन के रूप में कार्य करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

आरईसी के निगमित सुशासन ढांचे का आधार वाक्य निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है:

- कानून, विषयों और विनियमों का सही अर्थ में अक्षरशः पालन करना;
- अपने समस्त हितधारकों के हितों की रक्षा, संवर्धन और सुरक्षा के लिए समुचित पारदर्शी तंत्र प्रणाली और प्रक्रिया विधियां अपनाना; तथा
- समस्त महत्वपूर्ण सूचना को पारदर्शी ढंग से और समय पर प्रकट करके विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाना।

आरईसी द्वारा अपनाए गए निगमित सुशासन संबंधी व्यवहारों को मान्यता देते हुए वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी को भारतीय कंपनी सचिवालय संस्थान (आईसीएसआई), जो कंपनी सचिवालय अधिनियम, 1980 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है, द्वारा निगमित सुशासन के लिए 13वां राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आरईसी 24 अगस्त, 2014 को कोलकाता में आयोजित पुरस्कार समारोह में श्री अरुण जेटली, माननीय वित्त, रक्षा और निगम कार्य मंत्री से '13वां आईसीएसआई निगमित सुशासन राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार' प्राप्त करते हुए।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल नेतृत्व और मार्गदर्शन करता है, उद्देश्यपरक निर्णय लेता है और उसके साथ ही कंपनी के कार्यनीति संबंधी दिशानिर्देशों को मानीटर करता है। कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में पद धारण करने वाले अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर था और इस वर्ष के दौरान पद धारण करने वाले सभी अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों के पास पर्याप्त योग्यताएं, विशेषज्ञताएं और अनुभव हैं, जिससे वे कंपनी के प्रबंधन में प्रभावी योगदान देने में समर्थ हो सके हैं।

(क) बोर्ड का गठन

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 65.64 प्रतिशत इस समय भारत के राष्ट्रपति के नाम है। सरकारी कंपनी होने के कारण निदेशक मंडल के निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है, जो प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हैं। इसके अलावा, कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या 03 से कम और 15 से अधिक नहीं होगी।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीकरण करार में यह उपबंधित किया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशक अधिक से अधिक संख्या में होंगे, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक भी होगी और निदेशक मंडल में न्यूनतम 50% निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 में भी स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा की गई है और सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल का गठन इस प्रकार है:

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक की पहचान संख्या (डीआईएन)	पद
पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक)			
1	श्री राजीव शर्मा	00973413	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2	श्री प्रकाश ठक्कर	01120152	निदेशक (तकनीकी)
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	02231613	निदेशक (वित्त)
सरकारी नामिती निदेशक (गैर-कार्यकारी निदेशक)			
4	श्री बद्री नारायण शर्मा	01221452	सरकारी नामिती निदेशक

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान डॉ. देवी सिंह (डीआईएनः 00015681) और श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन (डीआईएनः 000357727) नामक अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों का तीन वर्ष का कार्यकाल 09 जून, 2014 को पूरा हो गया था और डॉ. सुनील कुमार गुप्ता (डीआईएनः 00948089) का तीन वर्ष का कार्यकाल 15 मार्च, 2015 को पूरा हो गया था और वे सभी संबंधित तारीखों से कंपनी के निदेशक मंडल में नहीं रहे हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या न होने के कारण वह कंपनी अधिनियम, 2013, सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड ।। (क) और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के उपबंधों के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार, वर्तमान में एक महिला निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षा के अनुसार, कोई भी स्वतंत्र निदेशक विद्यमान नहीं है।

कंपनी ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से पहले ही अनुरोध किया है कि वह कंपनी के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक सहित चार स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने की कृपा करें और इस पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) निदेशक मंडल और उनकी समितियों के बारे में अन्य उपबंध

(i) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों का ब्योरा

कंपनी, निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा निर्णय लेने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करती है। बैठक की तारीखें आमतौर पर सभी निदेशकों के साथ परामर्श करके तय की जाती हैं, ताकि इन बैठकों में पूरे निदेशक मंडल की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। निदेशक मंडल की अगली बैठक की कार्यसूची और उसके संबंध में स्पष्टीकरण टिप्पणियां निदेशक मंडल की बैठक की तारीख से पर्याप्त समय पहले परिचालित कर दी जाती हैं । विशिष्ट तात्कालिक महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लए बैठकें अल्प समय की सूचना पर भी बुलाई जाती हैं, परंतु सूचना की न्यूनतम अवधि का पालन करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। कुछ मामलों में संकल्पों को परिचालित करके भी पारित कराया जाता है, ऐसे संकल्पों को निदेशक मंडल की अगली बैठक में नोट किया जाता है। बोर्ड/बोर्ड की समितियों की बैठकों में चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी मामले को शामिल करने के बारे में निर्णय कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लेते हैं। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों के बारे में अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रभागाध्यक्षों/वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि अपेक्षित होता है तो कार्यसूची की कुछ मदों पर निदेशक मंडल को विस्तृत प्रस्तुति भी उपलब्ध कराई जाती है। निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान आयोजित की जाती हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 10 (दस) बैठकें आयोजित की गईं। ये बैठकें (i) 28 अप्रैल, 2014; (ii) 26 मई, 2014; (iii) 15 जुलाई, 2014; (iv) 12 अगस्त, 2014; (v) 18 सितंबर, 2014; (vi) 16 अक्तूबर, 2014; (vii) 10 नवंबर, 2014; (viii) 26 दिसंबर, 2014; (ix) 13 फरवरी, 2015; और (x) 13 मार्च, 2015 को आयोजित की गईं थीं।

निदेशक मंडल की किन्हीं दो बैठकों के बीच न्यूनतम और अधिकतम अंतराल क्रमशः 25 (पच्चीस) दिन और 50 (पचास) दिन था। प्रबंधन द्वारा निदेशक मंडल को दी जाने वाली सूचना की मात्रा और गुणवत्ता सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से काफी अधिक है।

(ii) निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत सूचना

निदेशक मंडल की कंपनी में उपलब्ध सभी सूचनाओं तक पूरी पहुंच होती है। निदेशक मंडल को नियमित रूप से सूचना दी जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैः

1. वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अन्य अद्यतन सूचना।
2. पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन सूचना।
3. निधियों को बढ़ाने और वित्तीय सहायता की मंजूरियों से संबंधित प्रस्ताव।
4. कंपनी के तिमाही, अर्ध वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम और बोर्ड की रिपोर्ट आदि ।

5. सभी संबंधित पक्षकार लेन देन।
6. लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।
7. निदेशक मंडल स्तर से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के संबंध में सूचना, जिसमें मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या उसे हटाए जाने संबंधी सूचना भी शामिल होती है।
8. ऐसे कारण बताओ नोटिस, मांग, अभियोजन नोटिस और अर्थ दंड नोटिस, जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
9. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई अन्य महत्वपूर्ण निस्सारण या प्रदूषण समस्या, यदि कोई हो।
10. कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वित्तीय देयताओं में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के संबंध में बड़ी गैर-अदायगी।
11. कोई ऐसा मुद्दा, जिसमें सारभूत प्रकृति का संभावित सार्वजनिक या उत्पाद दायित्व शामिल हो, जिसमें कोई न्याय निर्णय या आदेश भी शामिल है, जो कंपनी के आचरण के खिलाफ पारित किया गया हो अथवा किसी ऐसे अन्य उद्यम के बारे में लिया गया प्रतिकूल दृष्टिकोण हो जिससे कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
12. किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण।
13. ऐसा लेन-देन जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के रूप में बड़ी अदायगी शामिल हो।
14. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनका प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण घटना, जैसे मजदूरी करार पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना आदि लागू करना।
15. निवेश, अनुषंगी कंपनियों, परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो सामान्य कारोबार के अंतर्गत नहीं आती हो।
16. विदेशी मुद्रा प्रकटन के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण हो, के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई।
17. किसी विनियामक, सांविधिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और शेयरधारकों की सेवा का अनुपालन न करना, जैसे लाभांश की अदायगी न करना, शेयर अंतरण में विलंब करना आदि।
18. निवेश, अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों, का गठन, कार्यनीति संबंधी संधियां आदि।
19. निधियों की निवेश संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
20. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा के लेखा समाधान विषयक तिमाही अनुपालन।
21. विभिन्न कानूनों के अनुपालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट।
22. सभी लंबित मामलों पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट।
23. कोई अन्य सूचना, जिसे सूचना या अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो।

(iii) वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशकों द्वारा आयोजित निदेशक मंडल की बैठक एवं पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति अन्य निदेशकों की संख्या (भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में)समितियों की सदस्यता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक/ संबंध समिति) (आरईसी से अन्यत्र) का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मंडल की बैठकें			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (18 सितंबर, 2014 को आयोजित)	दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार		
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित हुए	उपस्थिति प्रतिशत		अन्य संस्थाओं की संख्या, जिनमें वह निदेशक है	अन्य समितियों में सदस्यता की संख्या $	
							अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री राजीव शर्मा	10	10	100	उपस्थित	2	शून्य	शून्य
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	10	10	100	उपस्थित	3	शून्य	शून्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	10	10	100	उपस्थित	2	शून्य	1
4.	श्री बद्री नारायण शर्मा	10	9	90	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
5.	डॉ. देवी सिंह (09 जून, 2014 तक)	2	2	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन (09 जून, 2014 तक)	2	2	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
7.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता (15 मार्च, 2015 तक)	10	9	90	उपस्थित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

$सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुरूप भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखापरीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति में समिति सदस्यता संख्या को, गिनने के लिए केवल अध्यक्षता/सदस्यता को ध्यान में रखा गया है।

टिप्पणी

1. कंपनी अधिनियम,2013 और कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 82 (4) के उपबंधों के अनुसार श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी), कंपनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक में क्रमावर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के कारण वे पुनर्नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव देंगे।
2. निदेशक मंडल का कोई भी सदस्य भारतीय सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक मंडल स्तर की 10 से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है, न ही वे ऐसी कंपनियों की 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष हैं, जिनमें वे सदस्य हैं।
3. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी प्रकार से परस्पर रिश्तेदार नहीं है।

3. निदेशक मंडल की समितियां

निदेशक मंडल या तो पूर्ण निदेशक मंडल के रूप में कार्य करता है अथवा गठित की गई विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है, ताकि वह विशिष्ट प्रचालनात्मक क्षेत्रों का पर्यवेक्षण कर सके/ निदेशक मंडल की प्रत्येक समिति का मार्गदर्शन विचारार्थ विषयों द्वारा किया जाता है जिनमें समिति का गठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित किया जाता है। इन समितियों की बैठक नियमित अंतराल में आयोजित की जाती है और इनका ध्यान विशिष्ट क्षेत्र पर होता है और वे उन्हें प्रज्यायोजित प्राधिकार के अंतर्गत अपने निर्णयों की सूचना देते हैं।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की निम्नलिखित समितियां हैं:

1. लेखापरीक्षा समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति (पूर्व में पारिश्रमिक समिति)
3. हितधारक संबंध समिति (पूर्व में शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति)
4. जोखिम प्रबंधन समिति
5. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
6. ऋण समिति
7. कार्यकारी समिति
8. आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति
9. डिबेंचर के अन्यत्र छोड़कर, उधार देने संबंधी उप-समिति।
10. अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति।

इसके अलावा, जैसा कि वर्तमान में मानव संसाधन की नीतियों को काफी समय से मानव संसाधन प्रभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है/उसकी जांच की जा रही है और उसके संबंध में प्रकार्यात्मक निदेशक ने निदेशक मंडल से अनुमोदित करने की सिफारिश की है, अतः मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा और उसे अद्यतन करने के लिए निदेशकों की एक उप-समिति को 13 मार्च, 2015 को कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से समाप्त कर दिया गया है।

समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुच्छेद 93 और लागू सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सूचनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

(i) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति का गठन इस प्रकार था:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या			पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति प्रतिशत	
1	डॉ. देवी सिंह, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (09 जून, 2014 तक)	1	1	100.00	लागू नहीं
2	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (15 जुलाई, 2014 से 15 मार्च, 2015 तक)	5	5	100.00	जी, हां
3	श्री वेंकटारमणन सुब्रामणियन स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (09 जून, 2014 तक)	1	1	100.00	लागू नहीं
4	श्री बद्री नारायणन शर्मा सरकारी नामिति निदेशक	सदस्य (15 जुलाई, 2014 से)	5	0	0.00	जी, हां
5	श्री प्रकाश ठक्कर निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	6	6	100.00	जी, हां

टिप्पणी:

1. 09 जून, 2014 तक इस समिति में डॉ. देवी सिंह अध्यक्ष के रूप में और श्री वेंकटारमणन सुब्रामणियन तथा श्री प्रकाश ठक्कर समिति के सदस्य के रूप में शामिल थे।

2. 09 जून, 2014 को डॉ. देवी सिंह और श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन के पद का कार्यकाल समाप्त होने के कारण निदेशक मंडल ने 15 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 405वीं बैठक में लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया ताकि डॉ. सुनील कुमार गुप्ता को अध्यक्ष के रूप में और श्री बद्री नारायण शर्मा तथा प्रकाश ठक्कर को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके।
3. 15 मार्च, 2015 को डॉ. सुनील कुमार गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निदेशक मंडल ने 15 मई, 2015 को इस समिति का पुनर्गठन किया ताकि उसमें श्री बद्री नारायण शर्मा को अध्यक्ष के रूप में और श्री राजीव शर्मा तथा श्री प्रकाश ठक्कर को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके।

निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के प्रमुख और संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(ii) लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना।

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करना।

(ग) समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना।

(घ) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित अन्य लागू उपबंधों का अनुपालन करना।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की 6 बैठकें (i) 26 मई, 2014, (ii) 12 अगस्त, 2014, (iii) 16 अक्तूबर, 2014 (iv) 10 नवंबर, 2014, (v) 13 फरवरी, 2015 और (vi) 13 मार्च, 2015 को आयोजित की गईं। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल 4 माह से अधिक नहीं था।

डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति, 18 सितंबर, 2014 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त है और लेखापरीक्षा समिति के अन्य सदस्यों को भी वित्तीय मामलों की अच्छी जानकारी है।

3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति (पूर्व में पारिश्रमिक समिति)

(i) आरईसी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, उसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक, प्रकार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रकार्यात्मक निदेशकों और कंपनी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों को बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क की अदायगी की जाती है। यह अदायगी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा के अंदर ही निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती है। भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से कोई पारिश्रमिक/बैठक में उपस्थित होने का शुल्क प्राप्त करने के हकदार नहीं होते हैं।

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) 2010 के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया था, जिसमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होते हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 26 मई, 2014 को आयोजित 404वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का नाम बदलकर "नामांकन और पारिश्रमिक समिति" कर दिया है और इसके विचारार्थ विषयों को संशोधित कर दिया है।

ये विचारार्थ विषय आरईसी पर जिस सीमा तक लागू होते हैं, वे इस प्रकार हैं

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी (निदेशक मंडल की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार अपेक्षाओं का पालन करना;

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करना; और

(ग) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन, 2010 संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करना, जिसमें वार्षिक बोनस की मात्रा, परिवर्तनशील वेतन और ईएसओपी योजना की नीति, पेंशन योजना आदि के संबंध में निर्णय लेना भी शामिल है। यह निर्णय समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा अधिसूचित पूर्णकालिक निदेशकों, कार्यपालकों और गैर-संगठित पर्यवेक्षकों के संबंध में किया जाएगा।

इसके अलावा, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना के जरिए स्वतंत्र निदेशकों की योग्यता के निर्धारण, सकारात्मक निर्णय संबंधी मापदंडों को तैयार करने से संबंधित अपेक्षाओं और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के संबंध में सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान की है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार किया गया था:

क्रम सं.	समिति सदस्यों के नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या		
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति	उपस्थिति प्रतिशत
1.	डॉ. देवी सिंह, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (09 जून, 2014 तक)	1	1	100.00
2.	श्री वेंकटारमणन सुब्रामणियन स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (09 जून, 2014 तक)	1	1	100.00
3.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (15 मार्च, 2015 तक)	1	0	0.0

कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर इस समिति का पुनगर्ठन किया जाएगा।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित दो सदस्य होते हैं । निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) और कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन)/महाप्रबंधक (मानव संसाधन) को नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में नियमित रूप से बुलाया जाता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 26 मई, 2014 को आयोजित की गई थी।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया गया था। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को अदा किए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	नाम	वेतन और भत्ते	अन्य लाभ	कार्य-निष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन*	सीपीएफ अंशदान	पेंशन निधि अंशदान	छुट्टी नकदीकरण	जोड़
1.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	25,84,222	10,12,091	20,51,480	2,46,711	1,85,034	1,66,354	62,45,892
2.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	25,24,837	7,28,152	15,09,189	2,41,030	1,80,772	3,84,991	55,68,971
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	25,96,311	1,24,776	14,36,008	2,20,780	1,65,590	-	45,43,465
4.	श्री जे. एस. अमिताभ, कंपनी सचिव	23,01,952	1,94,575	5,53,782	2,05,050	1,53,786	-	34,09,145

* कार्य-निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की प्रोत्साहन योजना पर आधारित है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान स्टॉक के किसी विकल्प को जारी नहीं किया है।

स्वतंत्र और सरकारी नामिती निदेशकों का पारिश्रमिक

स्वतंत्र निदेशकों को 28 मई, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 395वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक और उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए 20,000/- रुपए की दर से केवल बैठक शुल्क अदा किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा के अंदर है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को अदा किए गए बैठक शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(रकम ₹ में)

क्रम सं.	अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक शुल्क		जोड़
		निदेशक मंडल की बैठकें	समिति की बैठकें	
1.	डॉ.देवी सिंह (09 जून, 2014 तक)	40,000	1,00,000	1,40,000
2.	श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन (09 जून, 2014 तक)	40,000	60,000	1,00,000
3.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता (15 मार्च, 2015 तक)	1,80,000	2,60,000	4,40,000
	जोड			**6,80,000**

सरकारी नामिती निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक/बैठक शुल्क लेने के हकदार नहीं हैं।

3.3 हितधारक संबंध समिति (पूर्व में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति)

(i) हितधारक की संबंध समिति का गठन

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित सूचीकरण करार की अपेक्षाओं के अनुसार शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का गठन किया था। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के उपबंधों के अनुसार निदेशक मंडल ने 26 मई, 2014 को आयोजित अपनी 404वीं बैठक में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति का नाम बदलकर ''हितधारी संबंध समिति'' कर दिया है और सांविधिक उपबंधों के अनुसार कंपनी के विचारार्थ विषयों को संशोधित कर दिया है।

यह समिति शेयर धारकों और निवेशकों की शेयरों के अंतरण, तुलन-पत्र के प्राप्त न होने और लाभांश की घोषणा आदि जैसी शिकायतों पर विशेष रूप से ध्यान देती है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान हितधारी संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रम सं.	समिति के सदस्य का नाम	समिति में पद	बैठकों की संख्या	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	श्री वेंकटारमणन सुब्रामणियन स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (09 जून, 2014 तक)	1	1
2.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (15 जुलाई, 2014 से 15 मार्च, 2015 तक)	3	3
3.	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	4	4
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4

टिप्पणी:

1. श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन, 09 जून, 2014 तक इस समिति के अध्यक्ष थे।
2. दिनांक 09 जून, 2014 को श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निदेशक मंडल ने 15 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 405वीं बैठक में इस समिति का पुनर्गठन किया ताकि इसमें डॉ. सुनील कुमार गुप्ता को अध्यक्ष के रूप में और श्री प्रकाश ठक्कर तथा श्री अजीत कुमार अग्रवाल को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके।
3. 15 मार्च, 2015 को डॉ. सुनील कुमार गुप्ता का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस समिति का पुनः पुनर्गठन किया गया ताकि इसमें श्री बद्री नारायण शर्मा को अध्यक्ष के रूप में और श्री प्रकाश ठक्कर तथा श्री अजीत अग्रवाल को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके।

हितधारक संबंध समिति की बैठक के कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित 2 सदस्य हैं । इसके अलावा, कंपनी द्वारा नामित रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टी ए) के प्रतिनिधियों को हितधारक संबंध समिति की बैठकों में नियमित रूप से बुलाया जाता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान हितधारी संबंध समिति की चार (4) बैठकें (i) 26 मई, 2014, (ii) 12 अगस्त, 2014, (iii) 10 नवंबर, 2014 और (iv) 13 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थीं ताकि शेयरधारकों/निवेशकों की लंबित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जा सके।

श्री जे एस अमिताभ, कंपनी सचिव सूचीकरण करार के खंड 47(क) के अनुसार कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष 18 सितंबर, 2014 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

(ii) शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों की स्थिति:

यह कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों पर तत्परता से और तुरंत ध्यान देती है। सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में इक्विटी शेयरों/सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में 01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की अवधि में शेयरधारकों/निवेशकों की स्थिति इस प्रकार हैं:

वित्त वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	0
वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	3188
वित्त वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	3187
31 मार्च, 2015 के अनुसार अनिर्णीत शिकायतें	1*

* 31 मार्च, 2015 को लंबित शिकायत, इक्विटी शेयरों और शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से संबंधित थी, जो 02 अप्रैल, 2015 को पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है और अब इस शिकायत का भी समाधान हो गया है।

कंपनी ने निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए तीन स्तर स्थापित किए हैं, जिनमें संबंधित रजिस्ट्रार से समर्थन सेवा, आंतरिक निवेशक प्रकोष्ठ और हितधारक संबंध समिति द्वारा प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण शामिल है। इनके परिणामतः सभी शिकायतों का समय पर समाधान किया गया है। सभी शिकायतों का समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की एक बेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् एससीओआरईएस (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली नामक शिकायत निवारण प्रणाली)। इसके माध्यम से शेयरधारक कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायतों को दायर कर सकते हैं। प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है और शेयरधारक शिकायतों के अनुस्मारक भी भेज सकते हैं। इसके अलावा, इस प्रणाली के माध्यम से निवेशक शिकायतों की स्थिति की जांच कर सकते हैं अर्थात शिकायत किसके पास लंबित पड़ी है, उसकी जिम्मेदारी किस पर निर्धारित की गई है और कितने समय से यह शिकायत लंबित है। जो निवेशक एसएसओआरईएस से परिचित नहीं हैं या जिनकी एसएसओआरईएस तक पहुंच नहीं है, वे वास्तविक रूप में भी शिकायत दायर कर सकते हैं। कंपनी ने एसएसओआरईएस के माध्यम से दायर की गई निवेशक की सभी शिकायतों पर कार्रवाई की है और उन पर तत्परता से तथा तत्काल कार्रवाई की गयी है।

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य उत्पन्न संभावित विभिन्न जोखिमों की मॉनीटरिंग करना और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों और कंपनी द्वारा अपनाई गई परिपाटियों की समीक्षा करना तथा कंपनी के प्रचालन तथा अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करना है।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार जोखिम प्रबंधन इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	डॉ. देवी सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (09 जून, 2014 तक)	1	1
2.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (09 जुलाई, 2014 से 15 मार्च, 2015 तक)	1	1
3.	श्री प्रकाश ठक्कर निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	2	2
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2

टिप्पणी

1. 09 जून, 2014 को डॉ.देवी सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 09 जुलाई, 2014 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया था ताकि डॉ. सुनील कुमार गुप्ता को अध्यक्ष और श्री प्रकाश ठक्कर तथा श्री अजीत कुमार अग्रवाल को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके। इसके अलावा, डॉ. सुनील कुमार गुप्ता का कार्यकाल भी 15 मार्च, 2015 को पूरा हो गया था।
2. कंपनी के निदेशक मंडल में किसी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति होने पर समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

वित्त प्रभाग (संसाधन जुटाना) और परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रभाग के प्रचालन प्रमुख, जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में नियमित रूप से आमंत्रित किए जाते हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें 09 जून, 2014 और 13 मार्च, 2015 को आयोजित की गई थीं।

3.5 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मार्च, 2014 को आयोजित अपनी 402वीं बैठक में सार्वजनिक उद्यम विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार गठित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता समिति का नाम बदलकर 'कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति' कर दिया है और इस समिति के विचारार्थ विषयों में संशोधन कर दिया है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति को तैयार करना और उसकी बोर्ड को सिफारिश करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII में यथा विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा चलाए जाने वाले कार्यकलापों को दर्शाएगा।

ख. समय-समय पर कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को मॉनीटर करना;

ग. खंड (क) में उल्लिखित गतिविधियों पर वहन किए जाने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;

घ. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII की सीमा में आने वाली सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/प्रस्तावों की सिफारिश/समीक्षा करना;

ड. कंपनी द्वारा क्रियान्वित सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु एक पारदर्शी मॉनीटरिंग तंत्र स्थापित करना;

च. कंपनी की सीएसआर पहलों पर कार्यनीतियाँ तैयार करने में निदेशक मंडल की सहायता करना;

छ. सीएसआर नीति का क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है के संबंध में दायित्व विवरण को शामिल करने के साथ-साथ नियमों में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सीएसआर कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट की विषयवस्तु को स्वीकृत करना;

ज. रिपोर्टों को आवधिक रूप में निदेशक मंडल को उनकी जानकारी, विचारण एवं आवश्यक निर्देशन हेतु प्रस्तुत करना; और

झ. समय-समय पर यथासंशोधित कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वनीति संबंधी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करना।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामील थे

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	बैठकें	
			निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
1.	डॉ. देवी सिंह स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (09 जून, 2014 तक)	1	1
2.	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष (18 सितंबर, 2014 से)	4	4
3.	श्री प्रकाश ठक्कर निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	5	5
4.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	सदस्य (18 सितंबर, 2014 तक और 10 नवंबर, 2014 से)	3	3
5.	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (18 सितंबर, 2014 से 15 मार्च, 2015 तक)	4	4

टिप्पणी:

1. डॉ. देवी सिंह 09 जून, 2014 तक इस समिति के अध्यक्ष थे।
2. 09 जून, 2014 को डॉ. देवी सिंह का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निदेशक मंडल ने 18 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी 407वीं बैठक में इस समिति का पुनर्गठन किया था ताकि श्री राजीव शर्मा को इस समिति के अध्यक्ष और डॉ. सुनील कुमार गुप्ता और श्री प्रकाश ठक्कर को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके।
3. 10 नवंबर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 409वीं बैठक में निदेशक मंडल ने इस समिति का पुनर्गठन किया ताकि श्री अजीत कुमार अग्रवाल को इस समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सके।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की बैठक के कोरम में समिति के अध्यक्ष सहित 2 सदस्य हैं । वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की 5 (पांच) बैठकें (i) 26 मई, 2014, (ii) 16 अक्तूबर, 2014, (iii) 10 नवंबर, 2014 (iv) 26 दिसंबर, 2014, और (v) 13 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई थीं।

इसके अलावा, 26 दिसंबर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 410वीं बैठक में कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता संबंधी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित किया गया था। यह संशोधन कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता से संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सभी उपबंधों और संशोधनों को शामिल करके किया गया था और इस नीति का नाम 'आरईसी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व और संधारणीयता नीति' रखा गया।

3.6 ऋण समिति

निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए निदेशकों की ऋण समिति का गठन किया गया है

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्त वर्ष में कुल वार्षिकसीमा (करोड़ ₹ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियाँ या केंद्र /राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए ₹ 500 करोड़ तक	25,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए ₹ 500 करोड़ तक	6,000

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री बद्री नारायण शर्मा	सरकारी नामिती निदेशक	सदस्य

ऋण समिति की बैठक के कोरम में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा सरकारी नामिती निदेशक सहित 3 (तीन) सदस्य हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ऋण समिति की नौ (9) बैठकें (i) 28 अप्रैल, 2014, (ii) 26 मई, 2014; (iii) 15 जुलाई, 2014; (iv) 18 सितंबर, 2014; (v) 02 दिसंबर, 2014; (vi) 26 दिसंबर, 2014; (vii) 20 जनवरी, 2015; (viii) 13 फरवरी, 2015 और (ix) 11 मार्च, 2015 को आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, समिति के सभी सदस्य इन बैठकों में उपस्थित थे।

3.7 कार्यकारी समिति

निदेशक की कार्यकारी समिति का गठन, निम्नलिखित अधिकतम सीमा के अंतर्गत रुपए के आवधिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता स्वीकृत करने के लिए किया गया है:

एंटिटी का प्रकार	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए सीमा	एक वित्त वर्ष में कुल वार्षिक सीमा (करोड़ ₹ में)
केंद्र/राज्य सरकार की विद्युत यूटिलिटियाँ या केंद्र /राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए ₹ 150 करोड़ तक	20,000
निजी क्षेत्र की विद्युत यूटिलिटियां	व्यक्तिगत योजना/परियोजना के लिए ₹ 100 करोड़ तक	5,000

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति के कोरम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो (2) सदस्य हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कार्यकारी समिति की अठारह (18) बैठकें यथा (i) 01 अप्रैल, 2014; (ii) 28 अप्रैल; 2014; (iii) 21 मई, 2014; (iv) 03 जून, 2014; (v) 12 जून, 2014; (vi) 01 जुलाई, 2014; (vii) 25 जुलाई, 2014; (viii) 11 अगस्त, 2014; (ix) 26 अगस्त, 2014; (x) 5 सितंबर, 2014; (xi) 08 अक्तूबर, 2014; (xii) 27 अक्तूबर, 2014; (xiii) 02 दिसंबर, 2014; (xiv) 10 दिसंबर, 2014; (xv) 09 जनवरी, 2015; (xvi) 09 फरवरी, 2015; (xvii) 20 फरवरी, 2015 और (xviii) 11 मार्च, 2015 को आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, समिति के सभी सदस्य इन बैठकों में उपस्थित थे।

3.8 आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति का गठन, अल्पकालिक ऋणों और आवधिक ऋणों के उधार देने की दर की समीक्षा करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, आवधिक ऋण/अल्पावधि ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति की बैठकों के कोरम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण देने संबंधी दरों की समीक्षा के लिए उप-समिति की बाईस (22) बैठकें यथा (i) 2 अप्रैल, 2014; (ii) 16 अप्रैल, 2014; (iii) 01 मई, 2014; (iv) 18 जून, 2014; (v) 02 जुलाई, 2014; (vi) 08 जुलाई, 2014; (vii) 11 अगस्त, 2014; (viii) 21 अगस्त, 2014; (ix) 26 अगस्त, 2014; (x) 05 सितंबर, 2014; (xi) 29 सितंबर, 2014; (xii) 16 अक्तूबर, 2014; (xiii) 03 नवंबर, 2014; (xiv) 01 दिसंबर, 2014; (xv) 09 दिसंबर, 2014; (xvi) 19 दिसंबर, 2014; (xvii) 07 जनवरी, 2015; (xviii) 20 जनवरी, 2015; (xix) 12 फरवरी, 2015; (xx) 10 मार्च, 2015; (xxi) 23 मार्च, 2015 और (xxii) 31 मार्च, 2015 को आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, इस उप-समिति के सभी सदस्य इन बैठकों में उपस्थित थे।

3.9 डिबेंचर के अन्यत्र, उधार देने संबंधी उप-समिति

डिबेंचर के अन्यत्र उधार देने संबंधी उप-समिति का गठन, निदेशक मंडल द्वारा डिबेंचरों के अन्यत्र, उधारों के संबंध में कीमतों, समय, तरीके, उधार के स्रोत और विपणन का निर्णय लेने के लिए किया गया है, जो डिबेंचरों से भिन्न जैसे कः जीवन बीमा निगम, वाणिज्यिक बैंकों आदि से आवधिक ऋण आदि, जो बाज़ार उधार कार्यक्रम के समग्र आकार के अंतर्गत बाज़ार की विद्यमान शर्तों पर आधारित हैं।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार डिबेंचर के अन्यत्र, उधार देने संबंधी उप-समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

डिबेंचर के अन्यत्र उधार देने संबंधी उप-समिति की बैठकों के कोरम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो सदस्य हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान डिबेंचर के अन्यत्र उधार देने संबंधी उप-समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

3.10 अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति

अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति का गठन, अधिशेष निधियों के निवेश के प्रयोजनार्थ किया गया है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्रम सं.	समिति के सदस्यों के नाम	पदनाम	समिति में पद
1.	श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री प्रकाश ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	सदस्य

अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति की बैठकों के कोरम में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित दो निदेशक भी शामिल हैं । यह समिति किसी भी समय अधिकतम बकाया सीमा के अंदर म्यूचुअल फंड में ₹ 1000 करोड़ और सावधि जमा में ₹ 2000 करोड़ तक अधिशेष निधियों के निवेश का अनुमोदन देने के लिए सक्षम है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अधिशेष निधियों के निवेश संबंधी समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

4. शेयर अंतरण समिति

बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित निदेशकों की समितियों के अलावा, जैसा कि उपर्युक्त 3.1 से 3.10 में विस्तृत विवरण दिया गया है, एक शेयर अंतरण समिति भी है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इस समिति का गठन शेयरधारकों से शेयरों को विभाजित करने/समेकित करने और प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति से अधिक वास्तविक शेयरों के अंतरण के संबंध में प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उन्हें अनुमोदित करने के लिए किया गया है।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, शेयर अंतरण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	श्री जे.एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
2.	श्री राजेश कुमार	उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) - संसाधन

निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिभूतियों के विभाजन/समेकन/अंतरण को सुकर बनाने के लिए, रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (आर एंड टीए) को शेयरधारकों से प्रत्येक मामले में 500 इक्विटी शेयर प्रति व्यक्ति तक विभाजन/समेकन एवं वास्तविक शेयर के अंतरण हेतु प्राप्त अनुरोधों पर विचार और अनुमोदन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

5. अनुषंगी कंपनियां

कंपनी की कोई "महत्वपूर्ण गैर-सूचीबद्ध भारतीय सहायक कंपनी" नहीं है जैसा कि तत्काल पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में सूचीकरण करार के खंड 49 में परिभाषित किया गया है। गैर-सूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों के निदेशक मंडल की बैठकों के कार्यवृत्त कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय परिणाम विशेषतः असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा आरईसी के निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियों द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन-देनों और व्यवस्थाओं को आरईसी के निदेशक मंडल के ध्यान में लाया गया था। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के अधीन अपेक्षित "अनुषंगी कंपनियों के महत्व संबंधी नीति" तैयार की है और यह इसकी वेबसाइट www.recindia.gov.in पर में उपलब्ध है।

31 मार्च, 2015 के इस कंपनी के पूर्ण स्वामित्व की निम्नलिखित असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनियां हैं:

(i) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीआईएन: यू40101डीएल2007 जीओआई165779); और

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (सीआईएन: यू40101डीएल2007 जीओआई157558)

इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजना का विकास शुरूकरने के लिए, आरईसी टीपीसीएल ने एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी के रूप में एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एसपीवी) को निगमित किया है और प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद, संबंधित एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाता। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल (एपीवी), आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी कंपनियों के रूप में मौजूद हैं:

i. नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएन: यू40104डीएल2012 जीओआई245654)

ii. बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल) सीआईएन: यू40106डीएल2013 जीओआई247564)

iii. महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड (एमटीएल) (सीआईएन: यू40102डीएल2014 जीओआई270446)

iv. गदरवारा (ए) ट्रांस्को लिमिटेड (जीएटीएल) (सीआईएन: यू40300डीएल2014 जीओआई 269918) *

v. गदरवारा (बी) ट्रांस्को लिमिटेड (जीएटीएल) (सीआईएन: यू40109डीएल2014 जीओआई 269652)*

*इसे 31 मार्च, 2015 के बाद चयनित बोलीदाता अर्थात पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अंतरित कर दिया गया है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आरईसीटीपीसीएल की निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां थीं, जिन्हें प्रशुल्क आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया पूरी होने पर सफल बोलीदाता को अंतरित कर दिया गया था।

1. एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: यू40106डीएल2013जीओआई 256050)

2. एनआरएसएस XXXI (ए) ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: यू40106डीएल2013जीओआई256048)

3. एनआरएसएस XXIX (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: यू40106डीएल2013जीओआई256049)

4. विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: यू40300डीएल2014जीओआई270433)

31 मार्च, 2015 के उपरांत, आरईसीटीपीसीएल की पूर्ण स्वामित्व की निम्नलिखित अनुषंगी कंपनियों को परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया है

1. वेमागिरि- ।। ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: यू40106डीएल2015 जीओआई278746)

2. अलीपुर द्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: यू40109डीएल2015 जीओआई278992)

3. एनईआर- ।। ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन: यू40106डीएल2015 जीओआई279300)

आरईसी की सभी अनुषंगी कंपनियों का लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और संबंधित सूचना, अनुषंगी कंपनियां शीर्ष के अधीन कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है। अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय डेटा वाला एक विवरण, समेकित वित्तीय विववरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के उपबंधों और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित लेखाकरण मानक-21 (एसएस-21) के अनुसरण में, कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए गए समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगी कंपनियों और कंपनी के संयुक्त उद्यम अर्थात एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में भी वित्तीय सूचना शामिल की गई है। हालांकि, आरईसीटीपीसीएल की ऐसी अनुषंगी कंपनियां, जो अनुवर्ती निपटान के प्रयोजन के लिए निगमित की गई हैं, उन्हें लेखाकरण मानक-21 के पैरा 11 के अनुसार कंपनी के लेखों में समेकित नहीं किया गया है।

6. आम सभा की बैठकें

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

बैठक सं.	वित्त वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया
43वीं	2011-12	20 सितंबर, 2012	11.00 बजे पूर्वाह्न	एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, धौला कुआं, नई दिल्ली-110010	जी, हां
44वीं	2012-13	13 सितंबर, 2013	11.00 बजे पूर्वाह्न	मानेक्शा सेंटर, परेड रोड, दिल्ली कैनटोनमेंट, नई दिल्ली-110010	जी नहीं
45वीं	2013-14	18 सितंबर, 2014	11.00 बजे पूर्वाह्न		जी, हां

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी के शेयरधारकों ने उधार से संबंधित तीन विशेष प्रस्ताव पारित किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। ये प्रस्ताव 10 जून, 2014 को डाक मत पत्रों के माध्यम से पारित किए गए। मतदान के परिणामों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	विशेष प्रस्तावों के संक्षिप्त ब्योरा	शेयरों की संख्या और प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए कुल मतों का प्रतिशत		शेयरों की संख्या और प्रस्ताव के विरुद्ध पड़े कुल मतों का प्रतिशत	
		शेयरों की संख्या	कुल मतों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल मतों का प्रतिशत
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधो के अनुसार प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर जारी करना	76,26,94,998	96.33	2,77,90,800	3.51
2.	समग्र उधार परिसीमा में ₹ 200,000 करोड़ भारतीय रुपयों में और 6 बिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य विदेशी मुद्रा में वृद्धि करना	78,52,18,294	99.18	52,64,011	0.66
3.	उपर्युक्त प्रस्ताव के अनुसार उधार की परिसीमा बढ़ाए जाने के संबंध में कंपनी की चल और/या अचल संपत्तियों में, से सभी या किसी पर बंधक और/या प्रभार लगाना	78,52,01,710	99.18	52,79,218	0.67

उपर्युक्त डाक मत-पत्रों की प्रक्रिया के लिए, मैसर्स सविता ज्योति व्यवसायी कंपनी सचिव, हैदराबाद को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और मैसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के आर एंड टी ए को, कंपनी के शेयरधारकों को ई-मतदान की सुविधा देने के लिए एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था।

उपर्युक्त सभी प्रस्ताव शेयरधारकों द्वारा भारी बहुमत से पारित किए गए थे। इसके अलावा, डाक मत-पत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए 46वीं आम वार्षिक बैठक में किसी कारोबार संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं की गई।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 और समय-समय पर यथासंशोधित सूचीकरण करार के खंड 35ख के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के उपबंधों के अनुसार कंपनी ई-मतदान की सुविधा प्रदान की है ताकि शेयरधारकों को 18 सितंबर, 2014 को आयोजित कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समय डाक मत-पत्रों के जरिए पारित प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। ऐसे मतदाताओं को, जिनकी पहुंच ई-वोटिंग तक नहीं थी, कंपनी ने निर्धारित अवधि के अंदर डाक मत-पत्रों पर लिखित रूप में अपनी सहमति या असहमति भेजने की सुविधा प्रदान की है। इसके अलावा, जो मतदाता वार्षिक आम बैठक में ई-मतदान की प्रक्रिया के माध्यम से अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके, उन्हें वार्षिक आम बैठक के स्तर पर मतदान द्वारा, वार्षिक आम बैठक में मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई।

इसके अलावा, कंपनी भावी वार्षिक आम बैठकों में ई-मतदान की सुविधा प्रदान करती रहेगी ताकि शेयरधारक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और ई-मतदान के पोर्टल को सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसी अवधि के लिए खुला रखा जाएगा।

7. इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा दस्तावेज़ों को भेजना

नया कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनियों के दस्तावेज़ों जैसे कि वार्षिक आम बैठक की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज़ों को उनके पंजीकृत पतों पर अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक साधन के जरिए भेजने की अनुमति देता है, जो इन्हें प्रत्यक्ष रूप में भेजने के अतिरिक्त है।

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट सिटीजन के रूप में, आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के "हरित पहल" के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से मदद की है और वर्ष 2010-11 से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक सूचना और अनुबंधों के साथ पोस्टल बैलट सूचना उन शेयरधारकों को भेजी है जिनके ई-मेल आईडी पहले से संबंधित (निक्षेपागार) भागीदारों (डीपी) के पास पंजीकृत थे। अप्रैल, 2011 के बाद प्रदत्त अंतरिम/लाभांश की सूचना भी, उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी गई थी जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत थे।

सदस्य, जिन्होंने अपने ई-मेल पते अभी तक पंजीकृत नहीं किए हैं, वे अपने ई-मेल पते अपने निक्षेपागार भागीदार (डीपी) अथवा रजिस्ट्रार के पास और कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (आर एवं टी ए) के पास इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्राप्त करने के लिए पंजीकृत कराने की कृपा करें।

8. सचिवालयी लेखापरीक्षा

वित्त वर्ष 2014-15 की सचिवालयी लेखापरीक्षा मैसर्स चंद्रशेखरन एसोसिएट्स, व्यवसायी कंपनी सचिव, दिल्ली द्वारा की गई थी और उन्होंने अपनी पूर्ण सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट कंपनी को प्रस्तुत कर दी है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति शेयरधारकों की सूचना के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई है।

9. संबंधित पक्षकार लेन-देन

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 49 के उपबंधों के अनुसार संबंधित पक्षकार लेन-देनों सहित, संबंधित पक्षकार लेन-देनों की वास्तविकता और संव्यवहार के संबंध में एक नीति तैयार की है और वह कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त नीति के अनुसार सभी संबंधित पक्षकार लेन-देनों को, लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। संबंधित पक्षकारों के साथ किए जाने वाले लेन-देन को लेखाकरण मानक (एएस)-18 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू उपबंधों के अनुसार लेखा टिप्पणियों में शामिल किया जाता है। इसके अलावा, संबंधित पक्षकार लेन-देनों की सूची त्रैमासिक आधार पर लेखापरीक्षा समिति और निदेशक मंडल की सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है। संबंधित पक्षकार लेन-देनों के ब्योरे निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न फार्म एओसी-2 में दिए गए हैं।

10. प्रकटन

(i) कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित सूचीकरण करार और सेबी द्वारा निर्धारित विनियमों और दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवालयी मानकों और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सुशासन संबंधी सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया है। परंतु निदेशक मंडल के गठन और इसकी समितियों के गठन के संबंध में इनका पालन नहीं किया गया है।

(ii) कंपनी ने, निदेशकों या प्रबंधकों या उनके रिश्तेदारों के साथ या प्रबंधन अथवा उनके रिश्तेदारों अथवा कंपनियों एवं फर्मों आदि के साथ, जिनके वे प्रत्यक्ष रूप से निदेशकों तथा/अथवा भागीदारों के रूप में अपने रिश्तेदारों के जरिए रुचि रखते हैं, कोई महत्वपूर्ण वित्तीय वाणिज्यिक लेन-देन नहीं किया है।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के सभी सदस्यों ने सभी महत्वपूर्ण वित्तीय और वाणिज्यिक लेन-देन के संबंध में निदेशक मंडल को सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं, जिनमें उनका व्यक्तिगत हित हो, जिससे कंपनी के हित से बड़े स्तर पर भारी विवाद उत्पन्न होता हो (उदाहरणार्थ कंपनी शेयरों की खरीद-बिक्री करना, ऐसे निकायों के साथ वाणिज्यिक संव्यवहार करना, जिनके प्रबंधन में उनकी या उनके रिश्तेदारों की शेयरधारिता हो आदि ।

(iv) विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने वाले पूंजीगत बाजार से संबंधित कोई मामले नहीं थे। इस संबंध में सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी के विरुद्ध न तो कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही कोई भर्त्सना की गई है। सभी विवरणियां/रिपोर्ट स्टॉक एक्सचेंजों/अन्य प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय-सीमा के अंदर जमा कर दी गई थीं।

(v) संबंधित पक्षकारों अर्थात् प्रमोटरों,निदेशकों अथवा प्रबंधन के साथ कोई ऐसा अति महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया गया है, जिसका कंपनी के हित के साथ टकराव हो।

(vi) कंपनी ने जोखिम निर्धारण करने और उसे कम करने के बारे में निदेशक मंडल को सूचित करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। कंपनी का निदेशक मंडल यह सुनिश्चित करने के लिए इन प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है कि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन समुचित रूप से निर्धारित तंत्र के माध्यम से किया जा रहा है।

(vii) वित्त वर्ष 2014-15 के लिए तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह को सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 दिनांक 13 सितंबर, 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन लागू लेखाकरण मानकों के अनुसार तैयार किया गया है।

(viii) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता संबंधी तंत्र स्थापित किया गया है और लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने के लिए किसी भी कार्मिक को रोका नहीं गया है।

(ix) कंपनी ने निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सुझाई गई सभी मदों को अपनाया है।

(x) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा इस कंपनी को कोई राष्ट्रपति के निदेश जारी नहीं किए गए थे।

(xi) कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया है जो कारोबार के प्रयोजन के लिए न हो। इसके अलावा, कंपनी ने ऐसा कोई खर्च नहीं किया था, जो निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन की व्यक्तिगत प्रकृति का था।

(xii) वित्त वर्ष 2014-15 के लिए प्रशासनिक और कार्यालय व्यय ₹ 172.74 करोड़ बढ़ाया गया है जबकि पहले यह ₹ 105.47 करोड़ था। यह बढ़ोतरी 2014-15 के दौरान ₹ 103.25 करोड़ के उच्च कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के कारण मुख्य रूप से थी, जबकि यह वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 38.40 करोड़ थी। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 1.33% है (पिछले वर्ष 1.00%) और वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय व्यय की प्रतिशतता 1.46% है (पिछले वर्ष 1.05%)। विविध अन्य शीर्षों के अधीन व्यय में सीमांत वृद्धि की गई है।

(xiii) सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों

के अनुसरण में, अनुपालन रिपोर्ट तिमाही के अंत से 15 दिन के अंदर विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की जा रही है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विवरण इस प्रकार है:

निम्नलिखित तारीख को समाप्त तिमाही रिपोर्ट	रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
30 जून, 2014	08 जुलाई, 2014
30 सितंबर, 2014	09 अक्तूबर, 2014
31 दिसंबर, 2014	06 जनवरी, 2015
31 मार्च, 2015	08 अप्रैल, 2015

वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों के समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट भी 30 अप्रैल, 2015 को विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है, जिसकी नियत तारीख 31 मई,2015 थी।

(xiv) वित्त वर्ष 2014-15 से संबंधित कोई लेखापरीक्षा आपत्ति नहीं है। हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कुछ टिप्पणियां की हैं, जिनका उत्तर प्रबंधन द्वारा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में दिया गया है। कंपनी, सूचीकरण करार के खंड 31क के उपबंधों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपेक्षित फार्म प्रस्तुत करेगी।

(xv) अपनी अपेक्षाओं के आधार पर निदेशक मंडल के सदस्यों ने, समय-समय पर विभिन्न संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी ने निदेशक मंडल के सदस्यों के प्रशिक्षण की एक नीति तैयार की है। इस वित्त वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों ने तीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज़, रिपोर्टें और आंतरिक नीतियां उपलब्ध करायी गई हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रिया और व्यवहार से परिचित हो सकें। इसके अलावा, कंपनी के कारोबार और कार्य-निष्पादन का प्रस्तुतीकरण निदेशक मंडल की बैठकों में किया जाता है। इसके विवरण http://www.recindia.gov.in/dowload/familiarization_ programmes.pdf में उपलब्ध हैं।

(xvi) स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 24 दिसंबर, 2013 को आयोजित की गई थी, जिसमें गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधक वर्ग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था। 31 मार्च, 2014 तक कंपनी के निदेशक मंडल में तीन (3) अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक थे। वित्त वर्ष 2014-15, के दौरान, डॉ. देवी सिंह और श्री वेंकटारमण सुब्रामणियन, अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशकों ने 09 जून, 2014 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था और वे दोनों उक्त तारीख से निदेशक मंडल के सदस्य नहीं रहे। तभी से, केवल एक स्वतंत्र निदेशक, डॉ. सुनील कुमार गुप्ता निदेशक मंडल में रहे। उनका कार्यकाल भी 15 मार्च, 2015 को पूरा हो गया था। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

11. लागू कानूनों का अनुपालन

कंपनी के पास विभिन्न सांविधिक और प्रक्रिया संबंधी अनुपालनों की मॉनीटरिंग करने के लिए एक सशक्त प्रणाली है। निदेशक मंडल, सांविधिक, नीतिगत और प्रक्रियागत अनुपालनों की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

12. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता

कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 जुलाई, 2007 को आयोजित अपनी 318वीं बैठक में निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता को अनुमोदित किया है। इसके बाद आरईसी के निदेशक मंडल ने 08 सितंबर, 2010 को आयोजित अपनी 367वीं बैठक में सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार इस संहिता को संशोधित किया है और आचरण की विद्यमान संहिता के अधिक्रमण में ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' को अंगीकृत किया है। इसके पश्चात, कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2015 को आयोजित अपनी 413वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 और स्टॉक एक्सचेंज के साथ निष्पादित संशोधित सूचीकरण करार के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों के कर्त्तव्यों को शामिल करके इस संहिता को संशोधित किया है और विद्यमान आचार संहिता का अधिक्रमण करते हुए ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधक वर्ग के कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' को अंगीकृत किया है।

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता एक व्यापक संहिता है, जो कंपनी के सभी निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों पर लागू है। इसे कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है और इसका उद्देश्य कंपनी के प्रबंधकीय कार्यों के प्रबंधन में नैतिकता और पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाना है। कारोबार आचरण और नैतिकता

संबंधी संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से प्राप्त स्वीकारोक्ति के आधार पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक से आचरण संहिता के अनुपालन के बारे में एक घोषणा इस प्रकार की गई है:

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के संबंध में कंपनी के ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' के अनुपालन के संबंध में स्वीकारोक्ति दी है।

ह./-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:00973413)

तारीख: 15 जुलाई, 2015
स्थान: नई दिल्ली

13. आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण संबंधी संहिता

भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 1992 के अनुसार कंपनी ने आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार निवारण के लिए एक व्यापक ''सहिता'' तैयार की है, ताकि गोपनीयता बनाए रखी जा सके और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के दुरुपयोग को रोका जा सके।

इसके अलावा, सेबी ने 15 जनवरी, 2015 की अधिसूचना के जरिए सेबी (आंतरिक व्यापार निषेध) विनियम, 2015 को अधिसूचित और संशोधित किया है, जो 15 मई, 2015 से लागू है । तदनुसार, उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल ने उक्त संहिता में संशोधन किया था।

उक्त संहिता के अधीन, कंपनी का प्रत्येक निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अधिकारी और नामित कर्मचारी का यह कर्त्तव्य है कि वह ऐसी सभी सूचनाओं की गोपनीयता की सुरक्षा करे जो उसे कंपनी में अपने कार्यों के दौरान प्राप्त हुई हो और वह कंपनी के बारे में अपने पद या सूचना का दुरुपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए या किसी तीसरे पक्षकार को लाभ पहुंचाने के लिए न करे। इस संहिता में ऐसे दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं दी गई हैं, जिनका पालन किया जाएगा और कंपनी के शेयरों/प्रतिभूतियों का लेन-देन करते समय प्रकटन किया जाएगा और इस संहिता का अनुपालन न करने पर इसके गंभीर परिणाम होंगे। कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और वह ''आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार के निवारण संबंधी संहिता'' का पालन करने के लिए जिम्मेदार है। इस संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर उपलब्ध है।

जब कभी अप्रकाशित कीमत संवेदी सूचना निदेशक मंडल को प्रस्तुत की जाती है तो, उपर्युक्त संहिता की अपेक्षाओं के अनुसार व्यापार विंडो को तब समय-समय पर बंद कर किया जा रहा है। व्यापार विंडो को बंद करने की सूचना सभी कर्मचारियों को काफी पहले दे दी जाती है और इसकी उचित घोषणा भी की जाती है, जिसमें कंपनी के विंडो के बंद होने पर कंपनी के शेयरों के संबंध में कार्रवाई न करने की संविदा के अधीन नामित कर्मचारियों को पृथक रखा जाता है।

आरईसी के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में आंतरिक व्यापार का निवारण करने संबंधी इस संहिता के अधीन ''नामित कर्मचारी'' से तात्पर्य है

क. कंपनी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य सतर्कता अधिकारी।

ख. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी और कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक।

ग. कॉरपोरेट कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी।

घ. सभी आंचलिक प्रबंधक/मुख्य परियोजना प्रबंधक/प्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर के कर्मचारी तथा समय-समय पर कंपनी के आंचलिक/परियोजना/सायर/उप-कार्यालय में तैनात कर्मचारी।

ड़ अनुषंगी कंपनियों के निदेशक और कर्मचारी।

च. (क) से (ड़) तक के व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदार।

छ. अन्य कोई कर्मचारी, स्थायी या संविदा पर कार्यरत, जिसे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से, अनुपालन अधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

ज. आंतरिक व्यक्ति, जिसके पास अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना हो।

यदि कोई पदनामित कर्मचारी कंपनी की सेवा छोड़ देता है, तो उसे उसके द्वारा कंपनी की सेवा छोड़ देने की तारीख के बाद, छह महीने की अगली अवधि तक के लिए पदनामित कर्मचारी समझा जाएगा।

14. कपट को रोकने की नीति

कपट का पता लगाने और उसे रोकने, किसी पता लगाए गए संदिग्ध कपट की सूचना देने और कपट संबंधी मामलों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए एक प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु आरईसी में कपट के रोकथाम की एक नीति तैयार की गई है। इस नीति में निम्नलिखित उपबंधों को शामिल किया गया है

i. यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन कपट का पता लगाने और इसकी रोकथाम करने के लिए कार्यविधि सुनिश्चित करने तथा कपट हो जाने पर उसका पता लगाने की अपनी जिम्मेदारी से अवगत है;

ii. कर्मचारियों और आरईसी के साथ कार्रवाई करने वाले अन्य लोगों को स्पष्ट निर्देश देना, जिनमें उन्हें किसी कपट में शामिल होने से वर्जित किया गया हो तथा जहां कपट की कार्रवाई का संदेह हो, वहां उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो;

iii. कपट के मामलों की छानबीन करना; और

iv. यह आश्वासन देना कि कपट के किसी या सभी संदिग्ध क्रियाकलाप की पूरी जांच की जाएगी।

15. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

आरईसी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यालय आदेश संख्या 33/5/2004, दिनांक 17 मई, 2004 के जरिए जारी व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी (पीआईडीपीआई संकल्प) को अपना लिया है और इस पॉलिसी को सतर्कता प्रभाग ने अक्तूबर, 2010 में जारी की गई ''सतर्कता पुस्तिका'' में शामिल भी कर लिया है।

इसके अतिरिक्त, सूचीकरण करार के खंड 49 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के निगमित सुशासन के संबंध में सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के खंड 8 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 नवंबर, 2011 को आयोजित अपनी 380वीं बैठक में ''निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' का समर्थन करने के लिए व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी अनुमोदित की थी। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल ने 15 जुलाई, 2014 को आयोजित अपनी 405वीं बैठक में 'संशोधित व्हिसल ब्लोअर नीति' को अंगीकृत किया है, जो 31 जुलाई, 2014 से लागू की गई है। संशोधित व्हिसल ब्लोअर नीति के कारण आईसी और/या इसकी अनुषंगी कंपनियों के निदेशक/कर्मचारी किसी भी तथाकथित ऐसी गलत परिपाटी या गलत कार्यों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, जिनसे कंपनी के कारोबार या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस संशोधित नीति के अधीन सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित तरीके के अनुसार शिकायत की जा सकती है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की इस आशय की घोषणा कि उन्होंने आरईसी और/या उसकी अनुषंगी कंपनियों के किसी निदेशक/कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचने के लिए मना नहीं किया गया है और उसे 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान किसी प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से शिकायतकर्ताओं/व्हिसल ब्लोअरों को समुचित सुरक्षा और संरक्षा प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

कंपनी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा वार्षिक स्वीकारोक्ति

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से मिलने के लिए मना नहीं किया गया है तथा जहां अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किया गया है।

ह./-
(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:00973413)

तारीख: 15 मई, 2015
स्थान: नई दिल्ली

16. संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त/देय शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्यौरे	रकम
1.	लेखापरीक्षा शुल्क (वार्षिक और अर्ध-वार्षिक लेखापरीक्षा शुल्क सहित)	0.40
2.	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.06
3.	सीमित समीक्षा शुल्क	0.09
4.	अन्य सेवाओं के लिए अदायगी	0.04
5.	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.03
	जोड़	**0.62**

17. संचार के साधन

i. कंपनी इस बात को स्वीकार करती है कि शेयरधारकों का अधिकार एवं पत्र- व्यवहार/संचार संपूर्ण निगमित सुशासन ढांचे का महत्वपूर्ण अंग होता है, और इसलिए वह शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ सतत, दक्ष एवं सुसंगत संपर्क पर जोर देती है।

ii. कंपनी अपने शेयरधारकों को वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, साधारण बैठकों और प्रकटनों की सूचना देती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रत्येक वित्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल की जाती है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षित लेखे (एकल और समेकित), निदेशकों की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और निगमित सुशासन संबंधी रिपोर्ट तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल होती है, जिसे सदस्यों और उनके लिए अन्य हकदार व्यक्तियों को परिचालित किया जाता है।

iii. कंपनी के तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज को भेजे जाते हैं और दि इकनॉमिक टाइम्स,टाइम्स आफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट, दि फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड (हिंदी और अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी) आदि में प्रकाशित किए जाते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.recindia.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

iv. कंपनी, निवेशकों के सम्मेलन और आपसी बैठक के माध्यम से अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ भी संपर्क करती है।

v. कंपनी ने समय-समय पर महत्वपूर्ण निगम संबंधी गतिविधियों के बारे में प्रेस रिलीज और निगम प्रस्तुतीकरण भी किए हैं और उन्हें अपनी वेबसाइट में भी दिखाया है।

18. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग एवं आंतरिक नियंत्रण के संबंध में एक प्रमाणपत्र, जो श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, दिनांक 28 मई, 2015 को आयोजित इसकी 413वीं बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष तब प्रस्तुत किया गया था, जब 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए के संबंध में कंपनी के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों पर विचार किया जा रहा था।

19. सामान्य शेयरधारक सूचना

i. वित्त वर्ष 2014-15 की वार्षिक आम बैठक

तारीख एवं दिन	समय	स्थान
16 सितंबर, 2015, बुधवार	11.00 बजे पूर्वाह्न	वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी कालोनी, नई दिल्ली-110003

ii. वित्त वर्ष 2015-16 तथा वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वित्तीय कैलेंडर

विवरण	वित्त वर्ष 2014-15		वित्त वर्ष 2015-16	
लेखाकरण की अवधि	01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015		01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016	
वित्तीय परिणामों की घोषणा	पहली तिमाही	12 अगस्त, 2014	पहली तीन तिमाही	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 45 दिन के अंदर घोषणा
	दूसरी तिमाही	10 नवंबर, 2014		
	तीसरी तिमाही	13 फरवरी, 2015		
	चौथी तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय परिणाम	28 मई, 2015	चौथी तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम	वित्त वर्ष की समाप्ति से 60 दिन के अंदर घोषणा
वार्षिक आम बैठक	16 सितंबर, 2015, बुधवार		सितंबर, 2016	

iii. लाभांश का भुगतान

क. वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश

(1) अंतरिम लाभांश का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के साथ पठित कंपनी के संस्था अंतर्नियमों के अंतर्नियम 104 और कंपनी (लाभांश की घोषणा और अदायगी) नियमावली, 2014 के अनुसरण में, कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के संबंध में 27 फरवरी, 2015 को 8.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक 10/- रुपए के अंकित मूल्य पर) अंतरिम लाभांश की अदायगी की है।

(2) अंतिम लाभांश का विवरण

कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 मई, 2015 को आयोजित अपनी 413वीं बैठक में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ₹ 2.70 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (प्रति ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जिसे 16 सितंबर, 2015 को आयोजित की जाने वाली 46वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कुल लाभांश (जिसमें अंतरिम लाभांश भी शामिल है) ₹ 10.70 प्रति इक्विटी शेयर (प्रत्येक ₹ 10/- के अंकित मूल्य पर) अर्थात कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 1.07% होगा।

ख. पिछले पांच वित्त वर्षों के लाभांश का विवरण

(₹ in crore)

वित्त वर्ष	कुल प्रदत्त पूंजी	प्रदत्त लाभांश की कुल राशि	लाभांश की दर (प्रतिशत)	अदायगी की तारीख	
				अंतरिम लाभांश	अंतिम लाभांश
2009-10	987.46	603.21	65.00	12 जनवरी, 2010	15 सितंबर, 2010
2010-11	987.46	740.59	75.00	24 फरवरी, 2011	28 सितंबर, 2011
2011-12	987.46	740.59	75.00	07 फरवरी, 2012	04 अक्तूबर, 2012
2012-13	987.46	814.65	82.50	18 फरवरी, 2013	27 सितंबर, 2013
2013-14	987.46	938.09	95.00	28 फरवरी, 2014	01 अक्तूबर, 2014

ग. निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण हेतु देय अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश एवं शेयर आवेदन राशि

कंपनी अधिनियम, 1956 (कंपनी अधिनियम, 2013 के तदनुरूपी उपबंधों को अभी अधिसूचित किया जाना है) के लागू उपबंधों के अनुसरण में लाभांश की रकम और शेयर अनुप्रयोग धनराशि, जो 7 वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत रह गई है, को केंद्र सरकार की निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, अप्रदत्त/अदावाकृत रकम, जो आरंभिक पब्लिक ऑफर (आईपीओ) के समय फरवरी/मार्च, 2008 में प्राप्त शेयर अनुप्रयोग रकम से संबंधित है, जिसकी रकम ₹ 84,18,515 है, उसे सात वर्ष की अवधि से अप्रदत्त/अदावाकृत रहने पर अप्रैल, 2015 में निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2007-08 का अंतिम लाभांश और वित्त वर्ष 2008-09 के अंतरिम लाभांश की अप्रदत्त/अदावाकृत रकम, वित्त वर्ष 2015-16 में आईईपीएफ में अंतरण करने के लिए नियत की जाएगी। कंपनी समय-समय पर समाचार -पत्रों में नोटिस जारी करती आ रही है ताकि शेयरधारकों का ध्यान अप्रदत्त और अदावाकृत लाभांश का दावा प्रस्तुत करने के लिए आकर्षित किया जा सके। अतः अप्रदत्त/अदावाकृत शेयर अनुप्रयोग धनराशि और/या लाभांश के संबंध में उसके नकदीकरण की सूचना जारी करने या पुरानी सूचना के स्थान पर पुनः अधिमान्य या डीडी के मुद्दे के संबंध में कंपनी के आर एंड टीए को तत्काल लिखे।

कंपनी ने कंपनी के शेयरधारकों/बांडधारकों की अदावाकृत/अप्रदत्त रकम के विवरण को अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दिया है जिसमें शेयरधारक/बांडधारक का नाम, पता, आईईपीएफ में अंतरित की जाने वाली रकम और आईईपीएफ की रकम के अंतरण की नियत तारीख का उल्लेख किया गया है।

iv. खाता बंद करने की तारीख

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 11 सितंबर, 2015 से बुधवार, 16 सितंबर, 2015 (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रखी जाएंगी।

v. अंतिम लाभांश की अदायगी के लिए पे-आऊट की तारीख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के उपबंधों के अधीन निदेशक मंडल द्वारा यथा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश को, यदि कंपनी के सदस्यों द्वारा अपनी 46वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, बुधवार, 07 अक्तूबर, 2015 को सदस्यों अथवा उनके अधिदेशित व्यक्तियों को अदा किए जाएंगे, जिनके नाम वास्तविक शेयरों के संबंध में बृहस्पतिवार, 10 सितंबर, 2015 को अथवा इससे पहले कंपनी/आर एंड टी ए में दर्ज सभी वैध शेयर अंतरण अनुरोधों को स्वीकार करने के बाद कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं। डिमैट किए गए शेयरों के संबंध में अंतिम लाभांश शेयरों के ऐसे ''लाभार्थी स्वामित्व'' को अदा किया किया जाएगा, जिनके नाम बृहस्पतिवार, 10 सितंबर, 2015 को कारोबारी घंटों के समाप्त होने पर नेशनल सेक्युरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त लाभार्थी स्वामित्व के विवरण शामिल हों।

vi. इक्विटी शेयरों का सूचीकरण

आरईसी के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:

नाम और पता	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल पता/वेबसाइट	क्रिप कोड
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई), एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई-400 051	दूरभाषः (022) 26598100-8114 फैक्सः (022) 26598120 ई-मेल आईडी cmlist@nse.co.in वेबसाइटः www.nseindia.com	आरईसीलिमिटेड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001	दूरभाषः (022) 22721233/4 फैक्सः (022) 22721919 ई-मेल आईडी corp.relations@bseindia.com वेबसाइटः www.bseindia.com	532955

vii. अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन)

आईएसआईएन ट्रेडेड क्रिप की विशिष्ट पहचान संख्या होती है। इस संख्या का कंपनी की डिमैट की गई प्रतिभूतियों से संबंधित प्रत्येक लेन-देन में उल्लेख किया जाना होता है। रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन, आईएनई020बी01018 है।

viii. वित्त वर्ष 2014-15 के बाज़ार कीमत आंकड़े

एनएसई निफ्टी की तुलना में आरईसी शेयर का निष्पादन:

एन एस ई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				एनएसई निफ्टी का संचलन		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)
अप्रैल, 2014	252.50	222.55	237.90	6869.85	6650.40	6696.40
मई, 2014	380.60	236.70	319.70	7563.50	6638.55	7229.95
जून, 2014	380.50	321.50	359.30	7700.05	7239.50	7611.35
जुलाई, 2014	383.40	296.90	306.00	7840.95	7422.15	7721.30
अगस्त, 2014	312.00	257.10	268.35	7968.25	7540.10	7954.35
सितंबर, 2014	289.80	233.10	249.95	8180.20	7841.80	7964.80
अक्तूबर, 2014	303.95	235.60	302.00	8330.75	7723.85	8322.20
नवंबर, 2014	351.50	285.60	337.30	8617.00	8290.25	8588.25
दिसंबर, 2014	352.80	293.70	335.15	8626.95	7961.35	8282.70
जनवरी, 2015	349.90	309.90	333.10	8996.60	8065.45	8808.90
फरवरी, 2015	351.65	307.50	330.55	8941.10	8470.50	8901.85
मार्च, 2015	371.75	318.00	333.20	9119.20	8269.15	8491.00

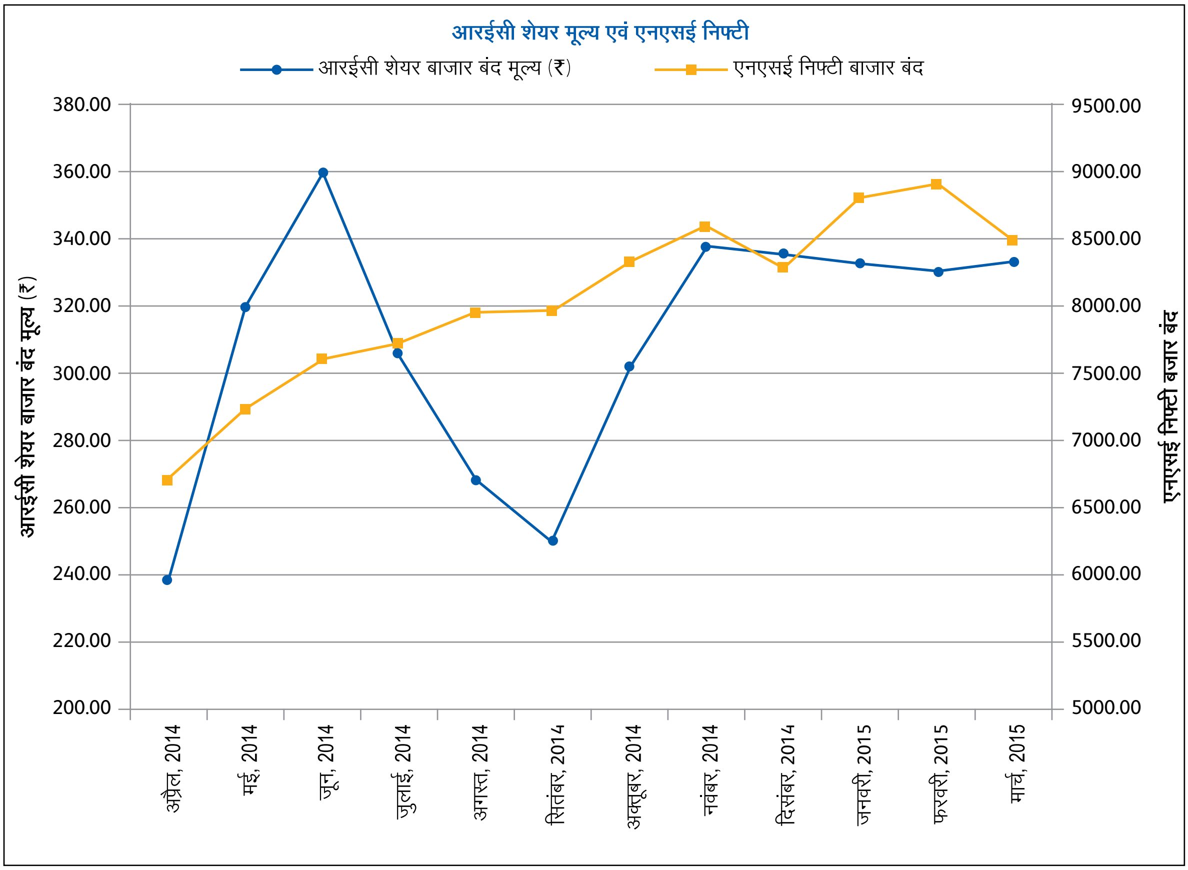

बीएसई सेंसेक्स की तुलना में आरईसी का निष्पादन

बी एस ई में आरईसी के शेयरों का निष्पादन				बीएसई सेंसेक्स की गतिविधि		
माह	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)	उच्च (₹)	निम्न (₹)	माह की समाप्ति पर (₹)
अप्रैल, 2014	252.30	222.50	238.40	22939.31	22197.51	22417.80
मई, 2014	380.65	237.10	319.55	25375.63	22277.04	24217.34
जून, 2014	380.00	321.00	359.20	25725.12	24270.20	25413.78
जुलाई, 2014	383.35	297.10	305.75	26300.17	24892.00	25894.97
अगस्त, 2014	311.70	257.55	268.55	26674.38	25232.82	26638.11
सितंबर, 2014	289.70	234.00	249.70	27354.99	26220.49	26630.51
अक्तूबर, 2014	303.90	235.70	301.75	27894.32	25910.77	27865.83
नवंबर, 2014	351.50	285.70	337.00	28822.37	27739.56	28693.99
दिसंबर, 2014	352.40	293.00	335.05	28809.64	26469.42	27499.42
जनवरी, 2015	349.80	310.00	332.75	29844.16	26776.12	29182.95
फरवरी, 2015	351.65	307.75	330.50	29560.32	28044.49	29361.50
मार्च, 2015	371.05	318.15	332.65	30024.74	27248.45	27957.49

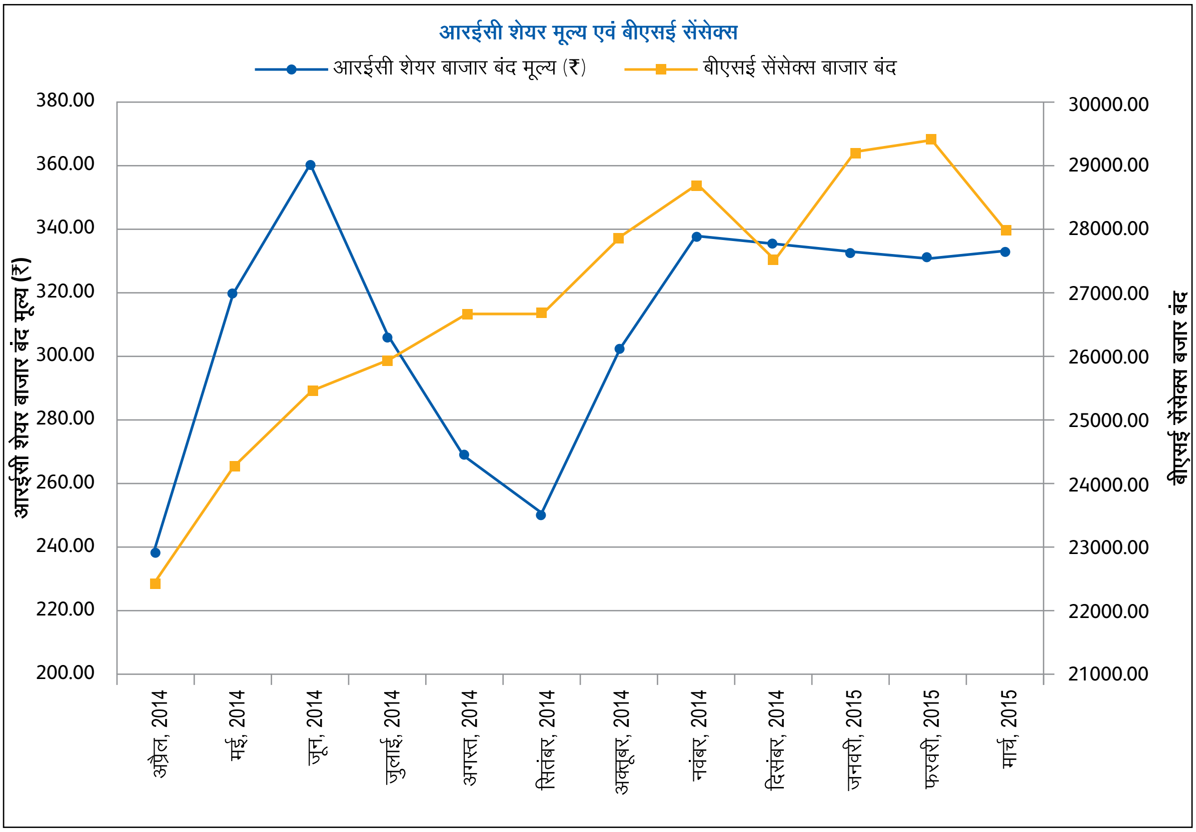

ix. **रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट**

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड,
कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31-32,
गाचीबावली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
हैदराबाद-500 032, भारत
दूरभाष: 91-40-67161500
फैक्स: 91-40-23420814
ई-मेल: einword.ris@karvy.com; raju.sv@karvy.com; balaji.reddy@karvy.com
वेबसाइट: www.karvycomputershare.com

x. शेयर अंतरण प्रणाली

वास्तविक ठांड (फिजिकल सेगमेंट) के तहत शेयरों को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अंतरित किया जाता है। कार्वी, अंतरित से अंतरण विलेख सहित अंतरित किए जाने वाले शेयरों को प्राप्त करता है, इनका सत्यापन करता है और इसका अंतरण ज्ञापन आदि तैयार करता है। प्रत्येक मामले में प्रति व्यक्ति 500 इक्विटी शेयरों तक वास्तविक (फिजिकल) शेयरों के विभाजन/समेकन और अंतरण के अनुरोध को कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सीधे अनुमोदित किया जाता है।

सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुसरण में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक इक्विटी शेयरों के वास्तविक अंतरण हेतु शेयरधारकों से प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने तथा शेयरों के विभाजन/समेकन के लिए शेयर अंतरण समिति भी गठित की गई है।

इसके अलावा, सूचीकरण करार की धारा 47(ग) के अनुसरण में अर्ध-वार्षिक आधार पर शेयर अंतरण औपचारिकताओं के अनुपालन की कंपनी द्वारा पुष्टि करते हुए किसी व्यवसायी कंपनी सचिव से शेयर बाज़ार प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसके अलावा, यह भी पुष्टि की जाती है कि शेयरों का संपूर्ण अंतरण निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरा किया गया था।

xi. शेयरधारिता का वितरण

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	कुल शेयर	रकम (₹)	शेयरों का प्रतिशत
1-5000	2,07,373	96.89	1,83,83,403	18,38,34,030	1.86
5001- 10000	3,740	1.75	27,02,520	2,70,25,200	0.27
10001- 20000	1,193	0.56	17,40,571	1,74,05,710	0.18
20001- 30000	408	0.19	10,33,980	1,03,39,800	0.10
30001- 40000	185	0.09	6,50,751	65,07,510	0.07
40001- 50000	149	0.07	6,91,968	69,19,680	0.07
50001- 100000	251	0.12	17,61,038	1,76,10,380	0.18
100001 और इससे अधिक	722	0.34	96,04,94,769	9,60,49,47,690	97.27
जोड़	**2,14,021**	**100**	**98,74,59,000**	**9,87,45,90,000**	**100**

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता का प्रतिरू प (पैटर्न)

श्रेणी	31 मार्च, 2015 के अनुसार		31 मार्च, 2014 के अनुसार	
	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति *	64,81,68,218	65.64	64,81,68,218	65.64
विदेशी संस्थागत निवेशक	17,95,83,870	18.19	18,44,92,738	18.68
बीमा कंपनियां	3,84,14,283	3.89	5,63,88,536	5.71
म्यूचुअल फंड	3,15,15,282	3.19	3,41,35,283	3.46
निगमित निकाय	2,90,72,645	2.94	2,69,38,990	2.73
निवासी व्यक्ति	2,77,68,025	2.81	2,62,55,532	2.66
विदेशी फोर्टफोलियो निवेशक	2,64,37,401	2.68	0.00	0.00
भारतीय वित्तीय संस्थाएं	21,53,767	0.22	55,35,285	0.56
एचयूएफ	11,99,657	0.12	12,11,477	0.12
अनिवासी भारतीय	8,73,596	0.09	6,18,401	0.06
क्लियरिंग सदस्य	5,26,860	0.05	13,10,192	0.13
कर्मचारी	6,61,054	0.07	8,15,923	0.08
बैंक	5,92,295	0.06	12,76,714	0.13
न्यास	4,92,047	0.05	3,11,711	0.03
जोड़	**98,74,59,000**	**100**	**98,74,59,000**	**100**

*वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने विद्युत मंत्रालय के माध्यम से 08 अप्रैल, 2015 को बिक्री प्रस्ताव द्वारा आरईसी की कुल प्रदत्त पूंजी को 4,93,72,950 इक्विटी शेयर, अर्थात 5% का विनिवेश किया और 10 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम विनिमय व्यापार निधि (सीपीएसई ईटीएफ) के अधीन बाज़ार बाह्य लेन-देनों के माध्यम से आरईसी की कुल प्रदत्त पूंजी के 27,528 इक्विटी शेयरों अर्थात 0.003% का भी विनिवेश किया।

तदनुसार, आज की तारीख तक भारत के राष्ट्रपति ने आरईसी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 60.64% धारण किया, जो 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार 65.64% था।

स्वामित्व के आधार पर शेयरधारिता के प्रतिरूप (31 मार्च, 2015 के अनुसार)

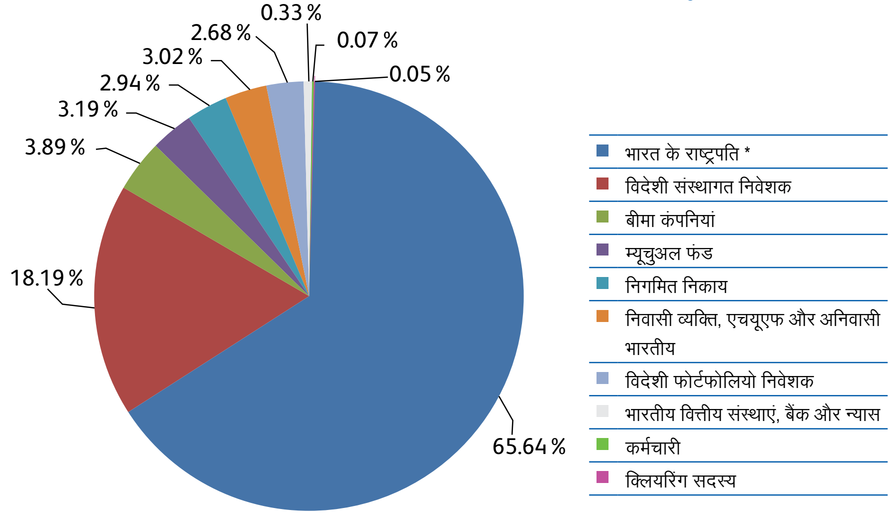

** वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीपीएसई ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की बिक्री और विनिवेश का प्रस्ताव देने के बाद भारत के राष्ट्रपति का शेयरधारण आरईसी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत घटकर 60.64 रह गया है।*

xii. शेयरों को डिमैट किया जाना

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डिमैट किए जाने के खंड (सेगमेंट) में हैं और नेशनल सिक्यूरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएन) दोनों की ट्रेडिंग प्रणाली के लिए उपलब्ध हैं।

डिपॉजटरी के नाम और पता इस प्रकार है:

नेशनल सिक्यूरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड	**सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.**
ट्रेड वर्ल्ड, चौथा तल, कमला मिल्स कंपाउंड सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400 013	फिरोज जीजीभॉय टावर्स 28वीं मंजिल, दलाल स्ट्रीट मुंबई - 400 023

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार डिमैट किए गए और वास्तविक (फिजिकल) रूप में धारित शेयरों की संख्या इस प्रकार है

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	जारी किए गए कुल शेयरों का प्रतिशत
वास्तविक (फिजिकल)	8,465	13,046	नगण्य
एनएसडीएल (डिमैट)	1,45,619	97,87,09,453	99.11
सीडीएसएल (डिमैट)	59,937	87,36,501	0.89
जोड़	**2,14,021**	**98,74,59,000**	**100.00**

xiii. शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का लेखा मिलान

वित्त वर्ष 2014-15 की प्रत्येक तिमाही के लिए मैसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, व्यवसायी सचिव, हैदराबाद ने एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास प्रविष्ट, जारी और सूचीबद्ध कुल शेयर पूंजी का मिलान करने के लिए लेखापरीक्षा की और वित्त वर्ष 2014-15 की प्रत्येक तिमाही की शेयर पूंजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि कुल निर्गमित/प्रदत्त शेयरों की पूंजी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास उपलब्ध वास्तविक (फिजिकल) रूप में शेयरों की कुल संख्या और डिमैट किए गए शेयरों की कुल संख्या से मेल खाती है और यह रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई थी।

xiv. डिमैट उचित लेखा का ब्योरा

कंपनी ने फरवरी, 2008 में 15,61,20,000 इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) जारी किया, जिसमें कंपनी के 7,80,60,000 इक्विटी शेयरों का नया (इश्यू) निर्गम और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित उतने ही शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने फरवरी, 2010 में 17,17,32,000 इक्विटी शेयरों का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक ऑफर) जारी किया, जिसमें कंपनी के 12,87,99,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम (इश्यू) और भारत के राष्ट्रपति के 4,29,33,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री का प्रस्ताव शामिल था।

सूचीकरण करार की धारा 5ए के अनुसार, डिमैट उचित लेखे में 31 मार्च, 2015 के अनुसार अदावाकृत शेयरों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	विवरण	01 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015			
		आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)		अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)	
		मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या	मामलों की संख्या	शामिल शेयरों की संख्या
1.	01 अप्रैल, 2014 के अनुसार शेयरधारकों की कुल संख्या और उचित खाते में अदावाकृत बाकी शेयरों की संख्या	275	22,591	5	450
2.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिन्होंने इस वित्त वर्ष के दौरान अदावाकृत शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी से संपर्क किया था	10	979	1	60
3.	ऐसे शेयरधारकों की संख्या, जिनके अदावाकृत शेयर वित्त वर्ष के दौरान उचित खाते से अंतरित किए गए थे	10	979	1	60
4.	31 मार्च, 2015 के अनुसार शेयरधारकों और अधिशेष खाते में बाकी अदावाकृत शेयरों की कुल संख्या	265	21,612	4	390

उक्त शेयरों के संबंध में वोट देने के अधिकार को उस समय तक बंद रखा जाएगा, जब तक उनके सही मालिक ऐसे शेयरों का दावा नहीं करते हैं।

xv. बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया गया है।

xvi. स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण फीस

कंपनी ने एनएसई और बीएसई को वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक सूचीकरण फीस की अदायगी की है।

xvii. निक्षेपागारों (डिपॉजिटरियों) को वार्षिक अभिरक्षा शुल्क

कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी की है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क की अदायगी संबंधित निक्षेपगारों (डिपॉजिटरियों) से बिल (इनवॉयस) की प्रति पर की जाएगी।

xviii. संयंत्र की अवस्थिति

जैसा कि कंपनी एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था है, इसका कोई संयंत्र नहीं है। तथापि, इसमें पांच आंचलिक कार्यालय, 18 परियोजना कार्यालय, तीन उप-कार्यालय और एक प्रशिक्षण केंद्र हैं।

xix. पत्राचार का पता

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड,
नई दिल्ली-110003, भारत

xx. कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

एल40101डीएल1969जीओआई005095

xxi. अनुपालन अधिकारी और सरकारी प्रवक्ता

श्री जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
दूरभाष: 91-11-24367305, फैक्स: 91-11-24362039
ई-मेल: jsamitabh@recl.nic.in

कृते निदेशक मंडल एवं की ओर से

राजीव शर्मा

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 00973413)

निदेशक की रिपोर्ट का अनुबंध-III

निगमित सुशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
नई दिल्ली

हमने 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसाकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी द्वारा निष्पादित सूचीकरण करार के खंड 49 और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देश 2010 के खंड 8.2.1 में अनुबंधित हैं।

निगमित सुशासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच निगम द्वारा निगमित सुशासन की शर्तों का अनुपालन करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की समीक्षा एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय का प्रकटन करना है।

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित सुशासन की उन शर्तों का अनुपालन किया है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ कंपनी के सूचीकरण के खंड 49 और सार्वजनिक उद्यम विभाग, केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों (सीपीएसई) के लिए जारी किए गए निगमित सुशासन संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2014-15 में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या/महिला निदेशक के न होने के कारण, निदेशक मंडल और समितियों का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के सूचीकरण करार के खंड 49 के उपबंधों तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सरकारी क्षेत्रक उद्यमों के लिए लागू निगमित सुशासन, 2010 के उपबंधों के अनुसार नहीं था।

हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की उस भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है, न ही दक्षता अथवा प्रभावकारिता है, जिसके अनुसार प्रबंधक वर्ग ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते, राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता संख्या 081085

कृते, पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 006747एन

(के. एस. पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता संख्या 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 07 अगस्त, 2015

कारोबार उत्तरदायित्व संबंधी रिपोर्ट

खंड क : कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

1. **कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सी आई एन) :**एल40101डीएल1969जीओआई005095
2. **कंपनी का नाम :** रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
3. **पंजीकृत पता :** कोर 4, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
4. **वेबसाइट :** www.recindia.gov.in
5. **ई-मेल पता :** complianceofficer@recl.nic.in
6. **रिपोर्टाधीन वित्त वर्ष:** 2014-15
7. **क्षेत्र, जिसमें कंपनी कार्य कर रही है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड-वार)**

   ग्रुप : 649, श्रेणी : 6492, उपश्रेणी : 64920 : अन्य वित्तीय सेवा क्रियाकलाप- अन्य ऋण मंजूरी

   विवरण : इस श्रेणी में मुख्यतया उन संस्थानों द्वारा जो मौद्रिक मध्यमान (जैसे कि उद्यम पूंजी कंपनियां, औद्योगिक बैंक, निवेश क्लब) में शामिल नहीं हैं, ऋण देने से संबंधित वित्तीय सेवा कार्यकलाप शामिल हैं, जहां ऋण की मंजूरी कई रूपों में, जैसे कि ऋण, बंधक, क्रेडिट कार्ड, आदि रूप में हो सकती है।

   भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस कंपनी (आईएफसी) के रूप में नामोद्दिष्ट कंपनी एक गैर - बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और कंपनी विद्युत क्षेत्रों को वित्त उपलब्ध कराने के कारोबार में लगी हुई है।

8. **तीन ऐसे मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जिनका कंपनी विनिर्माण कर रही है/प्रदान कर रही है (जिनका उल्लेख तुलनपत्र में है)**

   आरईसी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र, दोनों की विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्रणाली सुधार, विद्युत संयंत्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण संबंधी परियोजनाओं/योजनाओं के वित्तपोषण का कार्य करता है। इसके मुख्य उत्पाद में आवधिक ऋण, मध्यवर्ती ऋण, अल्पावधि ऋण आदि शामिल हैं। आरईसी को सभी ग्रामीण आवासों में बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए ''दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) - ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं और घरेलू आवासों के विद्युतीकरण की योजना'' के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, आरईसी को वितरण क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)की नोडल एजेंसी भी नामित किया गया है जो सरकारी और प्राइवेटक्षेत्र दोनों में राज्य विद्युत यूटिलिटियों, वितरण कंपनियों को संवितरित ऋणों पर ब्याज में सब्सिडी देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना है।

9. **उन स्थानों की कुल संख्या, जहां कंपनी कारोबार संबंधी क्रियाकलाप करती है -**

   i. **अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (पांच प्रमुख क्रियाकलापों का विवरण दें) :**

      शून्य

   ii. **राष्ट्रीय स्थानों की संख्या :**

      देश में आरईसी के 22 स्थानों, नामतः नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, पंचकूला, शिमला, जम्मू, लखनऊ, भोपाल, मुंबई, वड़ोदरा, बेंगलुरू तिरवनंतपुरम, भुवनेश्वर, हैदराबाद (परियोजना कार्यालय तथा केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान {सायर}) शिलांग, गुवाहाटी, रांची, देहरादून, पटना, रायपुर और वाराणसी में कार्यालय हैं।

10. **बाजार, जिनमें कंपनी कार्य कर रही है - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय :**

    आरईसी केवल भारतीय बाजारों में कारोबार करता है और इसका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ है।

खंड ख : कंपनी के वित्तीय विवरण

1. **प्रदत्त पूंजी** (₹) **:** 987.48 करोड़
2. **कुल कारोबार** (₹) **:** 20,388.05 करोड़
3. **कर पश्चात कुल लाभ** (₹) **:** 5,259.87 करोड़
4. **कर-पश्चात लाभ (%) के प्रतिशत के** रूप **में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कुल खर्च :**

   वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान आरईसी ने ₹ 103.25 करोड़ (वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के तहत अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए खातों में प्रावधान किए गए ₹ 57.21 करोड़ सहित)की राशि खर्च की है जो कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं स्थायी विकास पहलों पर पिछले वर्ष के इसके कर-पश्चात लाभ से 2% से अधिक है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान प्रावधान की गई ₹ 57.21 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अब तक दी जा चुकी है।

5. ऐसे क्रियाकलापों की सूची जिन पर उपर्युक्त 4 में खर्च किया गया है :

उपरोक्त व्यय वाले प्रमुख क्षेत्रों में निम्न शामिल है :

क. रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम;

ख. शिक्षा;

ग. पर्यावरणीय स्थायित्व;

घ. स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करना जिसमें प्रौढ़ एवं अशक्त व्यक्ति शामिल हैं;

ड. 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' में भागीदारी सहित पेय जल और सफाई सुविधाएं;

च. चुने हुए अविद्युतीकृत/कमविद्युतीकृत गांवों में एलईडी आधारित सौर गली बत्तियां;

खंड ग :अन्य ब्यौरे

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियां हैं ?

जी हां, 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी की निम्नलिखित दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं :

(i) आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)(सीआईएन:यू40101डीएल2007 जीओआई 165779); तथा

(ii) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) (सीआईएन:यू40101डीएल2007जीओआई 157558)

इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं का विकास शुरूकरने की दिशा में आरईसी ट्रांसमिशन परियोजना कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ने एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल (एसपीवी) को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया है और ट्रांसमिशन परियोजनाओं हेतु अधिसूचित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद संबंधित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एसपीवी को इसकी सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ सफल बोलीदाता को अंतरित किया जाता है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल(एसपीवी) आरईसीटीपीसीएल की सहायक कंपनियों के रूप में मौजूद है:

(i) नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) (सीआईएन:यू40104डीएल2012 जीओआई 245654);

(ii) बेरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसएसटीएल) (सीआईएन:यू40106डीएल2013 जीओआई 247564);

(iii) माहेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड (एमटीएल) (सीआईएन:यू40102डीएल2014 जीओआई 270446);

(iv) गदरवारा (ए) ट्रांसको लिमिटेड (जीएटीएल) (सीआईएन:यू40300डीएल2014 जीओआई 269918) *;

(v) गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड (जीबीटीएल) (सीआईएन:यू40109डीएल2014 जीओआई 269652) *;

**31 मार्च, 2015 के बाद चयनित बोलीदाता अर्थात पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को स्थानांतरित।*

आरईसीटीपीसीएल की भी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां थीं जिन्हें टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए सफल बोलीदाता के चयन के बाद वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान स्थानांतरित कर दिया गया:

1. एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन:यू40106डीएल2013जीओआई 256050);
2. एनआरएसएस XXXI (ए)ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन:यू40106डीएल2013जीओआई 256048);
3. एनआरएसएस XXXI (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड(सीआईएन:यू40106डीएल2013जीओआई 256049);
4. विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड(सीआईएन:यू40106डीएल2014 जीओआई 270433);

31 मार्च, 2015 के बाद, आरईसीटीपीसीएल की निम्नलिखित पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल व्हिकल(एसपीवी) के रूप में शामिल कर लिया गया:

(i) वेमगिरी-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन:यू40106डीएल2015 जीओआई 278746);

(ii) अलीपुरद्वार ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन:यू40109डीएल2015 जीओआई 278992);

(iii) एनईआर-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (सीआईएन:यू40106डीएल2015 जीओआई 279300);

2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियां मूल कंपनी की बीआर पहलों में भाग लेती हैं ? यदि हां,तो ऐसी सहायक कंपनी (कंपनियों) की संख्या का उल्लेख करें।

जी, हां। आरईसी व्यापक विषयों पर कारोबार दायित्व (बीआर) संबंधी पहलों के व्यापक समूहों में भाग लेने के लिए सहायक कंपनियों को प्रोत्साहित करता है। इसके लिए, आरईसी ने पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आरईसीटीपीसीएल को अपनी सीएसआर पहलों के तहत 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अधीन स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए परियोजना कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

3. क्या कोई अन्य प्रतिष्ठान/संस्था (अर्थात आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) है जो कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी पहलों में भाग लेते हैं? यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठान/ संस्थाओं के प्रतिशत का उल्लेख करें। (30% से कम, 30 से 60%, 60% से अधिक)

अपने सभी हितधारकों के लिए संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आरईसी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर बढ़े हुए अपने ध्यान सहित जिम्मेदार कारोबार पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करता है। उक्त के लिए आरईसी आपे कारोबार सहयोगियों को अपनी बीआर पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आरईसी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त कंपनी अपनी सीएसआर पहलों के तहत विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से धारणीयता परियोजनाओं को हाथ में लेता है।

खंड घ : कारोबार दायित्व संबंधी सूचना

1. कारोबार दायित्व के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण

क) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण।

डीआईएनः 01120152

नाम : श्री प्रकाश ठक्कर

पदनाम : निदेशक (तकनीकी)

ख) कारोबार दायित्व के प्रमुख का विवरण

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	डीआईएन (यदि लागू हो)	01120152
2.	नाम	श्री प्रकाश ठक्कर
3.	पदनाम	निदेशक (तकनीकी)
4.	दूरभाष नम्बर	011-24367479
5.	ई-मेल पता	thakkar@recl.nic.in

2. सिद्धांत-वार (एन वी जी के अनुसार) कारोबार दायित्व संबंधी नीति/नीतियां (उत्तर हां/नहीं में दें)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने जुलाई, 2011 में ''कारोबार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक दायित्व संबंधी राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश''जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में निम्नलिखित नौ सिद्धांत हैं जिन्हें अपनी कारोबार की परिपाटियों और एक ढांचागत कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग फार्मेट के भाग के रूप में अंगीकृत करने की आवश्यकता है जिसमें उक्त सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए कुछ विशिष्ट प्रकटन, कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों का प्रदर्शन शामिल है।

पी1 कारोबार को नैतिक, पारदर्शी और दायित्वपूर्ण तरीके से संचालित किया जाना चाहिए और नियंत्रित होना चाहिए।

पी2 कारोबार को ऐसे माल और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में स्थायी योगदान दें।

पी3 कारोबार को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4 कारोबार को सभी हितधारकों और विशेषतः ऐसे हितधारकों का जो साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हैं, के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

पी5 कारोबार को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

पी6 कारोबार को पर्यावरण का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

पी7 जब कारोबार जनता और विनियामक नीति को लागू करने में लगा हो, उसे जिम्मेदार तरीके से कार्य करना चाहिए।

पी8 कारोबार को समावेशी संवृद्धि और समान विकास को समर्थन देना चाहिए।

पी9 कारोबार को चाहिए कि वह जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के काम में लगा रहे और उन्हें बहुमूल्य सेवाएं प्रदान करे।

सिद्धांतवार उत्तर नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
1.	क्या आपकी इन सिद्धांतों के संबंध में कोई नीति/नीतियां हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
2.	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके यह नीति बनाई गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
3.	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो स्पष्ट करें।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

क्र.सं.	प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
4.	क्या इस नीति का निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है? यदि हां, तो क्या इस पर प्रबंध निदेशक/स्वामी/ सीईओ/ समुचित निदेशक मंडल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
5.	क्या कंपनी में किसी नीति के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए निदेशक मंडल/निदेशक/अधिकारियों की कोई विशिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
6.	क्या इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए कोई लिंक है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
7.	क्या सभी संबंधित आंतरिक और बाह्य हितधारकों को इस नीति के संबंध में औपचारिक तौर पर सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
8.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
9.	क्या कंपनी में इस नीति/इन नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए इस नीति/इन नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
10.	क्या कंपनी ने किसी आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्यचालन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां

संगत स्पष्टीकरण/सूचना/लिंकों का इस रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लेख किया गया है।

2क. यदि किसी सिद्धांत के सामने क्रम संख्या 1 का उत्तर ''नहीं'' हो, तो कृपया बताएं कि क्यों नहीं (दो विकल्पों को टिक करें)

लागू नही

3. कारोबार उत्तरदायित्व से संबंधित सुशासन

- **कृपया उस बारम्बारता का उल्लेख करें जिसमें निदेशक मंडल के सदस्य, निदेशक मंडल की समिति या सीईओ कंपनी के कारोबार दायित्व संबंधी कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करते हैं । तीन माह के अंदर, 3-6 माह, वर्ष में, एक वर्ष से अधिक समय के भीतर।**

  वार्षिक आधार पर

- **क्या कंपनी कारोबार उत्तरदायित्व या धारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है?इस रिपोर्ट को देखने का संपर्क साधन क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित की जाती है?**

  जी, हां। आरईसी कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट को अपनी वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित करता है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को देखने हेतु संपर्क सूत्र http://recindia.gov. in/download/ar2014-15. pdf है।

खंड ड. : सिद्धांतवार कार्य निष्पादन

सिद्धांत 1 - नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1. क्या कंपनी में केवल नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति इसके अंतर्गत आती है? हां/नहीं। क्या इसे संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य पर भी लागू किया गया है?

आरईसी अपने सभी क्रियाकलापों में व्यावसायिक रूप से निष्पक्षता के साथ और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस निगम में ''कपट निवारण नीति'' है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह कपट, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के किसी कृत्य के बारे में निवारण, पता लगाने और सूचना देने का कार्य करे। कंपनी ने निदेशकों और कर्मचारियों के लिए 'चौकसी तंत्र' भी स्थापित किया है ताकि वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कंपनी की आचरण संहिता अथवा नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंता अथवा शिकायत की रिपोर्ट कर सकें। ऐसे चौकसी तंत्र के अनिवार्य अंग के रूप में, आरईसी की व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी बनाई गई है। यह पॉलिसी आरईसी और/ अथवा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशकों और कर्मचारियों को कंपनी के भीतर किसी अनुपयुक्त गतिविधि का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में समर्थ बनाने की दृष्टि से बनाई गई है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 'संबंधित पार्टी के लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी के लेनदेन के व्यवहार पर नीति' बनाई है जिसमें पर्याप्त क्रियाविधि निधारित की गई है और जो ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन का निर्धारण करती है।

आरईसी ने आचरण, अनुशासन और अपील नियम (सीडीए) भी बनाए हैं, जिनमें कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता को परिभाषित किया गया है और आचरण, अनुशासन तथा अपील नियमावली के रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि के कृत्यों को कर्मचारी के संबंध में कदाचार के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देश/अनुदेशों आदि का भी इस संबंध में पालन किया जाता है। उपर्युक्त नीति, नियम, दिशानिर्देश/अनुदेश आदि आरईसी की सहायक कंपनियों पर भी लागू होते हैं।अन्य हितधारकों से आरईसी के साथ अपने व्यवहार में निष्पक्षता, नैतिकता और पारदर्शिता के सिद्धांतों की पुष्टि करना अपेक्षित है।

इसके अलावा, ''निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता'' भी अंगीकृत की गई है, जिसमें व्यवहार और नैतिकता के मानदंडों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की उचित प्रक्रिया संहिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन में आरईसी ने भी अपने ऋण से चलने वाले कार्यों के लिए निष्पक्ष व्यवहार संहिता (एफपीसी) तैयार की है जो उचित लेन-देन और अपने व्यावसायिक लेन-देनों में पारदर्शिता लाने हेतु सभी कर्जदारों को कंपनी की प्रतिबद्धता का आश्वासन देने की इच्छा रखती है।

2. पिछले वित्त वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत शिकायतों का संतोषपूर्ण ढंग से समाधान किया गया है ? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण दें।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान,व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी और निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अधीन कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी को 13 सामान्य शिकायतें (अज्ञात/छद्मवेशी शिकायतों के अलावा) प्राप्त हुई थी। इनमें से चार शिकायतें नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार मुद्दों से संबंधित थी जिनकी छानबीन/जांच की गई थी। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, दो शिकायतों (अर्थात 50%) का निपटान/ समाधान कर दिया गया है और दो शिकायतें छानबीनाधीन/जांचाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी को इक्विटी शेयरधारकों एवं बांडधारकों (सूचीबद्ध/गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति) से क्रमशः 581 और 3,614 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान शेयरधारकों एवं बांडधारकों से प्राप्त सभी शिकायतों को संतोषपूर्ण ढंग से हल कर लिया गया सिवाय एक इक्विटी शेयरधारक शिकायत के जिसका भी अब तक समाधान कर लिया गया होगा।

सिद्धांत 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में स्थायित्व

1. अपने उत्पादों या सेवाओं में से किन्हीं 3 की सूची दीजिए जिन्हें सामाजिक या पर्यावरण संबंधी चिन्ताओं, जोखिमों और/या अवसरों के संबंध में शामिल किया गया हो।

आरईसी देश में स्थायी विकास की जरूरत के प्रति सचेत है और हमारा परियोजना वित्त कारोबार अपने ऋण प्रचालनों में सामाजिक एवं पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करता है। आरईसी भारत सरकार की पहल डीडीयूजीजेवाई के अधीन सभी ग्रामीण परिवारों को बिजली पंहुचाने के लिए रियायती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, कंपनी की पूर्वोत्तर राज्यों के विकास तथा स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रियायती दरों पर वित्त उपलब्ध कराने की नीति है।

आरईसी ने अपनी सीएसआर पहल के तहत 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के अधीन स्कूलों में शौचालय बनाने का कार्य हाथ में लिया है। कंपनी ने अपने कार्यालयों में सभी परंपरागत लाइट फिटिंग्स/सीएफल को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट से बदलने की पहल शुरू की है।

2. ऐसे प्रत्येक उत्पाद के संबंध में उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) के संसाधन के उपयोग (ऊर्जा, जल, कच्चे माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण दें :

कंपनी के कारोबार की प्रकृति और ऊपर उल्लिखित उत्पादों/पहलों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित प्रश्न आरईसी पर लागू नहीं होते हैं :-

i. पूरी मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त स्रोत/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी ?

जैसा कि हमारे उत्पाद वित्तीय सेवाएं हैं, खपत का मुख्य स्रोत पेपर है। वर्ष के दौरान, आरईसी ने प्रिंटिंग एवं अपने पेपर प्रापण प्रक्रिया के व्यवस्थापन के जरिए पेपर की खपत को कम करने पर ध्यान दिया है। आरईसी ने कंपनी के परिसरों से रद्दी पेपर एकत्र करने के लिए तथा इसके दोबारा प्रयोग के लिए एक तंत्र भी आउटसोर्स किया है।इसके अतिरिक्त, सभी परंपरागत लाइट फिटिंग्स/सीएफल को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट से बदल कर आरईसी के कार्यालयों को अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया गया है।

ii. पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग(ऊर्जा, जल) के दौरान कमी लाई गई है ?

जैसा कि आरईसी के उत्पाद वित्तीय सेवाए हैं, उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा एवं जल जैसे संसाधन खपत मामूली थे और इसे और कम करने के प्रयास किए गए थे।

3. क्या कंपनी के पास स्थायी स्रोतों के स्थान पर प्रक्रियाएं है (जिसमें परिवहन भी शामिल है) ? यदि हां, तो आपके निवेश की कितनी प्रतिशतता की स्थायी स्रोतों से व्यवस्था की जाती है ?

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। हमारी प्रमुख महत्वपूर्ण अपेक्षाएं कार्यालय, संचार एवं आईटी से संबंधित उपकरण हैं। अपनी प्रापण जरूरतों के सीमित कार्य-क्षेत्र के बावजूद हम अपनी आपूर्ति श्रृंखला में जिम्मेदार स्रोतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पहल बनाए हुए हैं। हमारे प्रमुख प्रापण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने वाले विस्तृत प्रापण दिशानिर्देश हैं।

4. क्या कंपनी ने अपने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों सहित स्थानीय और छोटे उत्पादकों से माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए कोई कार्रवाई की है ? यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और योग्यता में सुधार लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

आरईसी एक वित्तीय संस्थान होने के कारण महत्वपूर्ण निवेशों के संबंध में सापेक्षतः कम संसाधन संवेदी है। तथापि, हम अन्यों से तुलना करने की बजाय स्थानीय रूप से उपलब्ध सामान एवं सेवाओं को तरजीह देते हैं। हम प्रापण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का भी पालन करते हैं।

5. क्या कंपनी में उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए कोई तंत्र है ? यदि हां, तो उत्पादों और अवशिष्ट के पुनः चक्रण की प्रतिशतता क्या है (5 प्रतिशत से कम, 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक, 10 प्रतिशत से अधिक के रू प में अलग-अलग) ।इसके ब्यौरे लगभग 50 शब्दों में अथवा इसके आसपास के शब्दों में दें।

कंपनी, जो एक वित्तीय संस्थान है, के पास उत्पादों एवं अवशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए सीमित तंत्र क्षमता है। तथापि, कंपनी ने इनके पुनः चक्रण के लिए कंपनी के परिसरों से रद्दी पेपरों को एकत्र करने के लिए तंत्र को आउटसोर्स किया है।

इसके अलावा, हमने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा चक्रण यथा अधिसूचित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली, 2011 का भी केवल सरकार/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत ई-अवशिष्ट पुनः चक्रण के जरिए ई-अवशिष्ट की संपूर्ण मात्रा को कम से कम करने के और महत्वपूर्ण निपटान के विशिष्ट उद्देश्य से पालन किया है।

सिद्धांत 3 : कर्मचारी हित

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 601 कर्मचारी थे।

2. कृपया अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर भाड़े पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या का उल्लेख करें।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने अस्थायी/संविदा/नैमित्तिक आधार पर किसी भी कर्मचारी को भाड़े पर नहीं रखा था। तथापि, कंपनी ने अपेक्षाओं के आधार पर समय-समय पर व्यवस्थापन एजेंसियों के जरिए अस्थायी स्टाफ की सेवाओं का उपयोग किया।

3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2015 के अनुसार, कंपनी में 99 स्थायी महिला कर्मचारी थीं।

4. कृपया अशक्त स्थायी कर्मचारियों की संख्या का उल्लेख करें।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कंपनी में 10 निःशक्त स्थायी कर्मचारी थे।

5. क्या आपकी कंपनी में कर्मचारियों की ऐसी कोई संस्था है, जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो ?

जी, हां। कंपनी के पात्र कर्मचारी दो प्रतिनिधि निकायों-आरईसी कर्मचारी यूनियन अथवा आरईसी अधिकारी एसोसिएशन के सदस्य हैं।

6. आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशन का सदस्य हैं ?

कंपनी के सभी नियमित कर्मचारी या तो गैर पर्यवेक्षी कर्मचारी यूनियन या कार्यपालक एसोसिएशन के सदस्य हैं।

7. कृपया पिछले वित्त वर्ष में बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या का उल्लेख करें और वित्त वर्ष के अंत में लंबित ऐसी शिकायतों का उल्लेख करें।

कंपनी को बाल मजदूर, बंधुआ मजदूर, यौन उत्पीड़न के संबंध में पिछले वित्त वर्ष में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और 31 मार्च, 2015 को ऐसी कोई शिकायत भी लंबित नहीं है। इसके अलावा, कंपनी न तो बाल मजदूर/बंधुआ मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर को किसी भी रूप में काम पर लगाती है और न कोई भेदभावपूर्ण नियोजन परिपाटी अपनाती है। कंपनी के पास यौन उत्पीड़न से संबंधित घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए एक उचित ढांचा है।कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कंपनी ने 'आंतरिक शिकायत समिति' का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता कंपनी की वरिष्ठ स्तरीय महिलाओं द्वारा की जाती है और इसके एक सदस्य के रूप में एक एनजीओ प्रतिनिधि शामिल है। कंपनी की यौन उत्पीड़न विरोधी अवस्थिति भी आरईसी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियमावली में बताई गई है।

8. पिछले वर्ष में सुरक्षा और कौशल उन्नयन का क्या प्रशिक्षण दिया गया ?

स्थायी कर्मचारी

स्थायी महिला कर्मचारी

नैमित्तिक/अस्थायी/संविदा कर्मचारी

निःशक्त कर्मचारी

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के संबंध में इन प्रश्नों की सीमित सुसंगता है।

कर्मचारियों का प्रशिक्षण और विकास कंपनी की कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। आरईसी की उचित प्रशिक्षण प्रक्रिया है और यह अपने कर्मचारियों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने के संबंध में किसी मापदंड में भेदभाव नहीं करती है। आरईसी के 73.21% स्थायी कर्मचारियों, 78.78%स्थायी महिला कर्मचारियों और 100% निःशक्त स्थायी कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान कौशल उन्नयन, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और अभिवृत्ति प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें 1,083 प्रशिक्षण श्रम दिवस लगे हैं।

कंपनी का हैदराबाद में ''केंद्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण संस्थान (सायर)'' नामक प्रशिक्षण संस्थान भी है, जहां इसके कर्मचारियों हेतु बदलती हुई कौशल अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नए कर्मचारियों के लिए अभिमुखी सत्र, विभिन्न प्रकार्यात्मक अकादमियों द्वारा संचालित कार्यक्रम, नेतृत्व प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम और अन्य प्रबंधन विकास कार्यक्रम, माध्यमिक स्तर और वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए आयोजित किए जाते हैं।

सिद्धांत 4 : हितधारकों से जुड़ाव

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मापित किया है ?**

   जी, हां।

2. **उपर्युक्त में से, क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है ?**

   जी, हां। कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों का पता लगाया है। आरईसी राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन के साथ पंजीकृत माइक्रो, एससी/एसटी स्वामित्व वाले लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निशुल्क टेंडर सैट जारी करने, बयाना राशि के भुगतान में छूट, जिस मौद्रिक सीमा तक यूनिट पंजीकृत है उतनी सीमा की सिक्योरिटी जमा की छूट, जैसी सुविधाएं देता है।

   आरईसी ने सेवा के दौरान स्टाफ एवं उनके आश्रितों से संबंधित कर्मचारी अभिमुखी नीतियों को सामान्य नियमों एवं विनियमों की दिशा में स्वीकार किया है और ठोस नीतिपरक पद्धतियों का कर्मचारी लाभों, भर्ती में समान अवसरों की प्रतिबद्धता और कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने की प्रतिबद्धता जैसे क्षेत्रों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय रूप से अपनाया है, जो सुरक्षा, पोषण का माहौल प्रदान करने और व्यावसायिक आकांक्षा पूरी करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास है। कंपनी, भर्ती में महिलाओं और ओबीसी/एससी/एसटी/शारीरिक रूप से अशक्त श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/मार्गदर्शी नियमों का भी पालन कर रही है।

   इसके अतिरिक्त, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एवं स्थायी पहलों के तहत, कंपनी ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से युवा रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोषित विद्यार्थियों को शिक्षा की पंहुच में सुधार करने के लिए कार्यक्रम, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के स्थापन/प्रोन्नतकरने और समाज के शोषित वर्गों से चुने हुए अशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक मदद, उपकरण और कृत्रिम अंगों के वितरण पर, भी जोर दिया है।

3. **क्या कंपनी ने साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों के जुड़ाव के लिए कोई विशेष पहल की है ? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें।**

   जी, हां। कंपनी नियमित रूप से अपने आंतरिक एवं बाह्य साधनहीन, संवेदनशील और सीमांत हितधारकों से जुड़ने के लिए पहल करती है।आरईसी मानव अधिकार, श्रम, पर्यावरण और भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में ''यूएन वैश्विक समझौता'' के सिद्धांत कामोटे तौर पर पालन करती है, जो वैश्विक रूप से सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं। एससी/एसटी के स्वामित्वाधीन वाले माइक्रो और लघु उद्यमों सहित एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, लोक प्रापण नीति आदेश, 2012 में उल्लिखित सभी निदेशों को आरईसी प्रापण दिशानिर्देशों में शामिल कर लिया गया है।

   प्रत्येक वर्ष कंपनी सीएसआर और धारणीयता कार्यकलापों के लिए अपने निवल लाभ का कुछ प्रतिशत अलग से निर्धारित करती है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, प्रौढ़, अशक्त व्यक्तियों, बच्चों, युवाओं आदि को समर्थ बनाने की दृष्टि से, बहुत सारे लाभग्राहियों तक पंहुच के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सामाजिक रूप से लाभदायक परियोजनाओं को निधि और समर्थन देने के लिए है।वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान शुरू किए गए इस तरह की कुछ पहलें निम्नवत हैं :

   1. विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्ग और अशक्त व्यक्तियों के बीच विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसासिक कौशल और जीविका बढ़ाने हेतु परियोजनाओं को समर्थन देना;
   2. इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए चुने हुए शोषित विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध कराने, निशक्त बच्चों के लिए स्कूल सहित स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कार्यक्रम;
   3. सोलर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड, सोलर माइक्रो ग्रिड स्थापित करना, चुने हुए जिलों में चुने हुए अविद्युतीकृत एवं कम विद्युतीकृत गांवों में एलईडी आधारित सौर गली बत्तियां और सौर लालटेन का वितरण आदि;
   4. चुने हुए राज्यों के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं, मोबाइल स्वास्थ्य सुरक्षा वैन, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के स्थापन/प्रोन्नत करने और समाज के शोषित वर्गों से चुने हुए अशक्त व्यक्तियों के लिए सहायक मदद, उपकरण और कृत्रिम अंगों का वितरण।

सिद्धांत 5 : मानव अधिकारों को बढ़ावा देना

1. **क्या कंपनी की मानव अधिकार संबंधी नीति के अंतर्गत केवल कंपनी आती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर-सरकारी संगठन/अन्य भी आते हैं ?**

   आरईसी ''यू एन वैश्विक समझौता'' का सक्रिय सदस्य है और मानव अधिकारों, श्रम, पर्यावरण तथा भ्रष्टाचार रोधी क्षेत्रों में इसके सिद्धांतों का

पालन करता है, जो वैश्विक आधार पर सर्वसम्मति से अपनाए जाते हैं और मानव अधिकार की वैश्विक घोषणा मूल सिद्धांतों और कार्य के अधिकार पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की घोषणा, पर्यावरण और विकास संबंधी आरआईओ घोषणा तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध यूनाइटेड नेशन कन्वेन्शन से प्राप्त किए जाते हैं।

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकार केवल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों तक सीमित हैं तथा कर्मचारियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, आरईसी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जो सामान्य कानूनों और विनियमों और राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नैतिक व्यवहार संबंधी पद्धतियों के अनुसार है जो इसके अपने कर्मचारियों के लिए अनुकूल वर्किंग वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

इसके अलावा, कंपनी का विश्वास है कि स्थायी संगठन मानव अधिकारों की नैतिकता और सम्मान की नींव पर खड़ा होता है और कंपनी विविध उम्मीदवारों के पूल से अधिकतम प्रतिभावान लोगों की भर्ती, विकास और उन्हें रिटेन करते हुए कार्यस्थल की विविधता सुनिश्चित करती है। यह उस सिद्धांत को महत्व देती है जो प्रतिभा और कार्य निष्पादन के आधार पर आगे बढ़ता है और समान अवसरों के लिए इसकी प्रतिबद्धता है। कंपनी सुरक्षित सामाजिक वातावरण, सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण सहित मानव के हितों पर भी बल देती है। यह ऐसे आचरण को हतोत्साहित करती है जिसमें निर्णय लेने के लिए पक्षपातपूर्ण अवसरों को प्रदान किया जाता है या उस पर रोक लगाई जाती है और जिससे व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा इसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों द्वारा उसका अनुपालन किया जाता है।

2. पिछले वित्त वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक समाधान किया गया है?

कंपनी को हितधारकों से मानव अधिकारों से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धांत 6 : पर्यावरणीय संरक्षण

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्यों पर भी लागू होती है?

कंपनी अपने समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्योंको पर्यावरणीय संरक्षण और स्थायित्व पर केद्रिंत पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है अतः पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित कंपनी की नीति हमारे सभी ग्रुप की कंपनियों पर लागू है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी की पूर्ण स्वामित्वाधीन कंपनी आरईसीपीटीसीएल ने अपनी सीएसआर पहल के तहत गंगा नदी के नवीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित क्लीन गंगा फंड में अंशदान दिया है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों (उधारकर्ताओं) को अपने परिचालनों में पर्यावरणीय व समाजिक स्थितियों के प्रति सतर्क रहते की आवश्यकता है।

2. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्यनीति/पहल है? यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के संबंध में संपर्क सूत्र दें।

आरईसी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के प्रोन्नतीकरण हेतु वित्तपोषण के लिए विशेष योजना शुरू कर अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है। उक्त के लिए, कंपनी ने सभी परंपरागत लाइट फिटिंग्स/सीएफल को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट से बदलने के लिए पहल शुरू की है और अपने कर्मचारियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने अपनी सीएसआर पहल के तहत, सौर माइक्रो ग्रिड और एलईडी आधारित सौर गली प्रकाशन तंत्र स्थापित करने के लिए भी निधि देती है।

3. क्या कंपनी ने संभावित पर्यावरण संबंधी जोखिम की पहचान और मूल्यांकन कर लिया है? हां/नहीं

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। लेकिन, आरईसी सभी बुनियादी सुविधाओं वाली ऐसी परियोजनाओं में संभावित पर्यावरण और सामाजिक जोखिम का पता लगाता है और उनका मूल्यांकन करता है, जो आरईसी द्वारा वित्तपोषित हैं। आरईसी एकीकृत पर्यावरण संबंधी जोखिम का मूल्यांकन करने और समग्र निवेश जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में इसकी कमी करने में सबसे आगे रहा है। परियोजना मूल्य निरूपण के भाग के रूप में, पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की पहचान की जाती है और एक विस्तृत उचित मूल्यांकन किया जाता है जिसमें कार्यस्थल का निरीक्षण, गौण सूचना संग्रहण और विश्लेषण, लागू अनुपालनों और सहमतियों की समीक्षा भी शामिल है।

4. क्या कंपनी की स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई योजना है? यदि हां, तो उसका विवरण लगभग 50 शब्दों में दें। इसके अलावा, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाती है?

उपर्युक्त प्रश्न कंपनी पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यह विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, आरईसी ने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे पर्यावरण संबंधी वैश्विक मुद्दों का समाधान करने के लिए देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के प्रोन्नतीकरण हेतु वित्तपोषण के लिए विशेष योजना शुरू कर अपने कारोबार संबंधी क्रियाकलापों को विविधता प्रदान की है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जादक्षता, नवीकरणीय ऊर्जाआदि संबंधी कोई अन्य पहलें की हैं ?हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के हाइपर लिंक का उल्लेख करें।**

जी, हां। आरईसी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए रियायती दरों पर ऋण देता है। सभी परंपरागत लाइट फिटिंग्स/सीएफल को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट से बदलकर आरईसी के कार्यालयों को अधिक ऊर्जा दक्ष बनाया गया है। आरईसी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)-ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं और घरेलू आवासों के विद्युतीकरण की योजना के लिए नोडल एजेंसी है जो ऐसे गांवों जहां ग्रिड संयोजकता या तो संभव नहीं है या लागत दक्ष नही है, में बायोमास, बायोगैस, माइक्रो हाइड्रो, पवन, सौर आदि जैसे परंपरागत अथवा नवीकरणीय गैर- परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाओं के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अपनी सीएसआर पहल के तहत, सौर माइक्रो ग्रिड और एलईडी आधारित सौर गली प्रकाशन तंत्र स्थापित करने के लिए भी निधि देती है। कंपनी की संबंधित पहलों के ब्यौरों के लिए, कृपया 'कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व क्रियाकलाप पर रिपोर्ट' देखें जो इस वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

6. **क्या इस वित्त वर्ष के संबंध में सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा उल्लिखित अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन/अपशिष्ट के बारे में सूचना दी गई है ?**

उपर्युक्त प्रश्न की इस कंपनी के संदर्भ में सीमित सुसंगतता है, क्योंकि यह एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी परिसरों एवं प्रचालनों के संबंध में अनुप्रयोज्य पर्यावरणीय विनियमों का पालन करती है।

7. **वित्त वर्ष के अंत तक सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या, जो लंबित पड़े हों (अर्थात जिनका संतोषजनक ढंग से समाधान न हुआ हो)।**

आरईसी को सीपीसीबी/एसपीसीबी से कोई कारण बताओ/कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

सिद्धांत 7 : जिम्मेदार लोक नीति की पैरवी

1. **क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चैम्बर या एसोसिएशन की सदस्य है ? यदि हां, तो केवल ऐसे प्रमुख एसोसिएशन आदि के नाम का उल्लेख करें जिनके साथ आपका संव्यवहार है।**

जी, हां। आरईसी विश्व एनर्जी काउंसिल, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड (सीबीआईपी), स्टैंडिंग कांफ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (स्कोप), दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), पॉवर एचआर फोरम, इंडिया सीएफओ फोरम, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन (एआईएमए), लोक उद्यम संस्थान (आईपीई) और ग्लोबल कंपैक्ट का सदस्य है।

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूहों में भाग लेते हैं।

2. **क्या आपने सरकारी हितों के उन्नयन और सुधार के लिए उपर्युक्त संस्थाओं के माध्यम से पैरवी/लॉबी की है ?हां/नहीं;यदि हां तो व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स : सुशासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा स्थायी कारोबार के सिद्धांत, अन्य)**

कंपनी ने समय-समय पर उपर्युक्त संस्थाओं के विभिन्न मंचों पर स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी मुद्दे उठाए हैं।

कंपनी स्वच्छता प्रबंध, जल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं,चुने हुए राज्यों के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाओं की स्थापना के लिए, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षासंस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के स्थापन/प्रोन्नत करने, तकनीकी संस्थानों में लड़कियों के छात्रावास की स्थापना हेतु, जीविका बढ़ाने वाले महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, सोलर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड, सौर माइक्रो ग्रिड स्थापित करने और चुने हुए जिलों में चुने हुए अविद्युतीकृत एवं कम विद्युतीकृत गांवों में एलईडी आधारित सौर गली बत्तियां और सौर लालटेन का वितरण और ग्रामीणों की जीविका में सुधार लाने के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत जलागम विकास जैसी कई सीएसआर और धारणीयता पहलों पर भी कार्य कर रही है।

सिद्धांत 8 : समावेशी संवृद्धि और न्यायसंगत विकास

1. **क्या कंपनी की सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में विशिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण दें।**

आरईसी भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रम, अर्थात दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के कार्यान्वयन के निरीक्षण हेतु नोडल एजेंसी है जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण घरों में बिजली उपलब्ध कराना और विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करके तय किए गए पथ (डिस्कॉम वार) के अनुसार एटी एंड सी क्षतियों को कम करना है ताकि परिभाषित परियोजना घटकों के जरिए गैर-कृषि उपभोक्ताओं के लिए 24X7 बिजली आपूर्ति और कृषि उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त आरईसी गांवों के गहन विद्युतीकरण और कृषि पंपसेटों के ऊर्जायन के लिए वित्तीय सहायता भी देता है।

इसके अतिरिक्त,डीडीयूजीजेवाई ऐसे गांवों जहां ग्रिड संयोजकता या तो संभव नहीं है या लागत प्रभावी नहीं है, में बायोमास, बायोगैस, माइक्रो हाइड्रो, पवन, सौर आदि जैसे परंपरागत अथवा नवीकरणीय गैर- परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रित वितरित उत्पादन (डीडीजी) परियोजनाओं के लिए भी अनुदान उपलब्ध कराता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में, डीडीजी भी उन क्षेत्रों में जहां आपूर्ति छह घंटे प्रतिदिन से कम है, विद्युत की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ग्रिड कनेक्टेड क्षेत्रों को जोड़ेगी।

आरईसी अपनी सीएसआर और धारणीयता नीति के अनुसरण में समावेशी संवृद्धि और साम्यियुक्त विकास के सिद्धांत के अनुपालन में कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएं हाथ में लेता है। इस नीति के अनुसरण में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान संचालित विशिष्ट कार्यक्रमों और पहलों से संबंधित विस्तृत सूचना ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी कार्यकलाप संबंधी रिपोर्ट'' में दी गई है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

2. क्या इन कार्यक्रमों/परियोजनाओं का संचालन आंतरिक दल/अपने फाउंडेशन/बाह्य गैर सरकारी संगठन/सरकारी ढांचे/ अन्य किसी संगठन द्वारा किया गया है ?

आरईसी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)-ग्रामीण विद्युत बुनियादी सुविधाएं और घरेलू आवासों के विद्युतीकरण की योजना के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए नोडल एजेंसी है। डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन में वितरण यूटिलिटी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, टर्न-की कान्ट्रेक्टर, पंचायती राज संस्थाएं, फ्रेंचाइजी, डीडीजी डेवलपर्स और विभिन्न जिला स्तरीय समितियां शामिल हैं।

कंपनी के अधिकांश कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी परियोजनाएं/पहलें प्रचालन के मुख्य क्षेत्र के अनुसार विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों की सहायता से चलाई जा रही हैं जो या तो सरकारी संगठन/अर्ध-सरकारी/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठन/खंड 8 कंपनियां हैं या भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस),सरकारी विभाग के साथ सूचीबद्ध एजेंसियां और/या जिन्हें इसी प्रकार के कार्यों के संबंध में सरकारी/अर्ध-सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त संगठनों के साथ कार्य करने के अनुभव वाली हैं।

3. क्या आपने अपनी पहलों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है ?

जी हां। आरईसी अपनी चयनित पहलों के प्रभाव को समझने के संबंध में निरंतर फीडबैक प्राप्त करता है, जिसमें इसके अपने दल का कंपनी द्वारा वित्तपोषित विभिन्न परियोजनाओं का दौरा करना भी शामिल है।इसके अतिरिक्त, आरजीजीवीवाई कार्यक्रम-के प्रभाव का मूल्यांकन विभिन्न विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से देश में ग्राम विकास के सामाजिक-आर्थिक ढांचे संबंधी कार्यक्रम के प्रभाव और परिणाम जानने के लिए कराया गया। आरईसी की सीएसआर और धारणीयता नीति के अधीन अपनी सभी पहलों की समीक्षा की एक प्रणाली भी है, जिनमें महत्वपूर्ण पहलों की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है।

4. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपए में राशि और संचालित परियोजनाओं के ब्यौरे ?

आरईसी, वित्तीय संस्था होने के कारण, प्राथमिक तौर पर गांवों के गहन विद्युतीकरण और कृषि पंपसेट के ऊर्जायन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर समुदाय की विकास परियोजनाओं में योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 170.48 करोड़ के ऋण परिव्यय वालीकंपनी द्वारा कुल 23 गहन विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत की गइ। और 2,56,026 बिजली के सिंचाई पंपसेट ऊजार्यित किए गए और वर्ष के दौरान 62 स्कीमों के लिए ₹ 647.09 करोड़ की ऋण सहायता स्वीकृत की गई।

इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल ने ₹ 103.25 करोड़ का बजट अनुमोदित किया जो सीएसआर और धारणीयता क्रियाकलापों के लिए पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी के निवल लाभ का 2% था।वर्ष के दौरान,कंपनी ने विभिन्न सीएसआर और धारणीयता पहलें निम्नलिखित क्षेत्रों में हाथ में ली हैं-रोजगारोन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' में भागीदारी सहित चुने हुए विद्यालयों और गांवों में स्वच्छता प्रबंध, जल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं,सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाएं, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षासंस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के स्थापन/प्रोन्नत करने, तकनीकी संस्थानों में लड़कियों के छात्रावास की स्थापना हेतु, जीविका बढ़ाने वाले महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, सोलर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड, सोलर माइक्रो ग्रिड स्थापित करने और चुने हुए जिलों में चुने हुए अविद्युतीकृत एवं कम विद्युतीकृत गांवों में एलईडी आधारित सौर गली बत्तियां और सौर लालटेन का वितरण और ग्रामीणों की जीविका में सुधार लाने के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत जलागम विकास।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी ने ₹ 103.25 करोड़ (लेखा बुक में उपलब्ध कराए गए ₹ 57.21 करोड़ सहित) का व्यय किया है। यह व्यय वित्त वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के अधीन अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के लिए था। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान उपलब्ध कराई गई ₹ 57.21 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान दी जा चुकी है।

शुरू की गई परियोजनाओं के ब्यौरे हेतु कृपया ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थायी क्रियाकलाप संबंधी रिपोर्ट'' देखें, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई की है कि इस सामुदायिक विकास पहल को समुदाय ने सफलतापूर्वक अंगीकृत किया है ?कृपया, लगभग 50 शब्दों में बताएं।

जी हां, समुदाय विकास परियोजनाओं के प्रभाव को मापने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि समुदाय विकास परियोजनाएं समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपना ली गई हैं, कंपनी ने कदम उठाए हैं।

यह कंपनी अपनी सीएसआर पहलों के तहत, समुदाय, सरकारी एजेंसी/विभाग, गैर-सरकारी संगठन और परियोजना की योजना बनाने, उसके कार्यान्वियन से संबंधित अन्य स्थानीय संस्थाओं जैसे मुख्य हितधारकों को सक्रिय जुड़ाव के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि सामुदायिक स्वामित्व का विकास और निर्माण सुकर हो सके और इसके साथ ही इन कार्यक्रमों के स्थायित्व को भी सुनिश्चित किया जा सके। समुदाय के फीडबैक को उसी अथवा अन्य स्थानों में ऐसे और कार्यक्रम तैयार करने में उपयुक्त रूप से शामिल किए जाता है।

सिद्धांत 9 : ग्राहक मूल्य

1. वित्त वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लंबित हैं ?

रिपोर्टिंग अवधि में, विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी शिकायतों का समाधान कर लिया गया है सिवाए एक इक्विटी हितधारक शिकायत के जिसका अब तक समाधान कर लिया गया है।इसके अतिरिक्त, विभिन्न उपभोक्ता कोर्ट में बांड निवेशकों से संबंधित तीन मामले लंबित हैं।

2. क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य उत्पाद के लेबलों पर उत्पाद की सूचना को प्रदर्शित करती है ?हां/नहीं/लागू नहीं/ टिप्पणी (अतिरिक्त सूचना)

उपर्युक्त लागू नहीं है क्योंकि यह कंपनी एक विनिर्माण कंपनी नहीं है। तथापि, कंपनी सुनिश्चित करती है कि परियोजनाओं के वित्तपोषण के संबंध में इसके उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में उपयुक्त प्रकटन किए गए हैं। इस संबंध में, कंपनी ने ऑनलाइन पर ''उधारकर्ता पोर्टल'' विकसित कर उधारकर्ता को सीधे ईआरपी का लाभ दिया है ताकि वे वास्तविक समय आधार पर ऋणों और स्कीमों की स्थिति जान सकें।

3. क्या किसी हितधारक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत दायर की है और इस वित्त वर्ष के अंत में कितनी शिकायतें लंबित हैं ? यदि हां, तो कृपया लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण दें।

आरईसी अपनी सहायक कंपनियों सहित, नीतिविषयक पद्धतियों और नैतिक और कानूनी कारोबार आचरण के उच्चतम संभव मानकों के लिए प्रतिबद्ध है । वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी की पूर्णतया स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल के विरूद्ध एक मुखबिर (नाम नहीं बताया गया है) द्वारा दायर की गई सूचना पर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2015 के अपने प्रथम दृष्टया आदेश द्वारा कंपनी के विरूद्ध डीपीआर तैयार करने के लिए भारत में विद्युत परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं हेतु आरईसीपीडीसीएल के बाजार को कथित तौर पर बचाने के लिए जांच का आदेश दिया। सीसीआई के पास कार्यवाही लंबित है।

4. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि ट्रेंड का सर्वेक्षण किया है ?

जी हां। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की दृष्टि से कंपनी को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ''उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण करना'' का पैरामीटर दिया गया। कंपनी ने वर्ष 2014-15 में देश में अपने सम्मानित उपभोक्ताओं का उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण करने के लिए मैसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलिज ऑफ इंडिया, हैदराबाद को नियुक्त किया है। इन उपभोक्ताओं में केंद्रीय और सरकार विद्युत प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्रों के विद्युत प्रतिष्ठान शामिल हैं। किए गए सर्वेक्षण का समग्र उपभोक्ता संतुष्टि इंडेक्स (सीएसआई) स्कोर 85.7 था जो औसत अमेरिकन उपभोक्ता संतुष्टि इंडेक्स (एसीएसआई) बैंकिग सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ है।

आरईसी अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने में विश्वास रखता है। समय-समय पर ग्राहकों के साथ बैठक (बैठकें) आयोजित की जाती हैं,ताकि उनकी अपेक्षाओं को समझा जा सके और हम कारोबार में अपनी प्रतियोगिता को अनिवार्य रूप से माप सकें। ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक को सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

कारोबार दायित्व संबंधी रिपोर्ट का अनुबंध

पी1

क्रम संख्या 3 : आरईसी में कंपनी की कपट निवारण नीति, कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता तथा व्हिसल ब्लोअर नीति है। कपट निवारण संबंधी नीति में व्यापक रूप से कपट का पता लगाने और उसके निवारण की प्रणाली, ऐसे कपट की सूचना देने की प्रणाली, जिसका पता लगाया गया हो या जो संदिग्ध हो और निष्पक्ष कपट से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की व्यवस्था है। हालांकि, सूचीकरण करार के अधीन निगमित सुशासन की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता तैयार की है, जो ऐसे व्यावसायिक और नैतिक मानदंडों पर आधारित है, जिनके संबंध में कंपनी का विश्वास है कि उन्हें उसके सभी कर्मचारियों द्वारा अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चौकसी तंत्र के अभिन्न अंग के रूप में,अनैतिक व्यवहार के बारे में उनकी वास्तविक चिंता अथवा शिकायत, वास्तविक अथवा संदिग्ध कपट अथवा कंपनी की आचार संहिता अथवा नैतिकता नीति के उल्लंघन का पता लगाने और उसकी रिपोर्ट करने में आरईसी के निदेशकों और कर्मचारियों और/ या इसकी सहायक कंपनियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से व्हिसल ब्लोअर नीति बनाई गई है। कंपनी ने संबंधित पार्टी लेन-देन पर भौतिकता संबंधी नीति और संबंधित पार्टी लेन-देन संव्यवहार (''आरपीटी नीति'') भी बनाई है जिसमें पर्याप्त प्रक्रिया और ऐसी पार्टियों के साथ लेन-देन करने से पहले किए जाने वाले प्रकटन निधारित किए गए हैं।

क्रम संख्या 6 : कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित संगत नीतियों के लिंक नीचे दिए गए हैं:-

नीति का नाम	**वेबलिंक**
कपट निवारण नीति	http//:recindia.gov.in/download/prevention_fraud_policy.pdf.
व्हिसल ब्लोअर नीति	http//:recindia.nic.in/images/pdf ॐfiles/Whistle_Blower_policy.pdf.
कारोबार आचरण और नैतिकता संहिता	http//:recindia.nic.in/download/code_business_conduct_Ethics.pdf
निष्पक्ष पद्धति कोड	http//:recindia.nic.in/download/fair_practice_code.pdf.
संबंधित पार्टी लेन-देन पर भौतिकता संबंधी नीति और संबंधित पार्टी लेन-देन संव्यवहार	http//:recindia.nic.in/images/pdfॐfiles/Policy_Related_Party_Transactions_&_Dealing_with_RPT.pdf.
सहायक कंपनियों की भौतिकता संबंधी नीति	http://recindia.nic.in/download/Policy_Determining_Material_Subsidiaries.pdf.

अन्य नीतियां आंतरिक दस्तावेजों में हैं और उन तक केवल संगठन के कर्मचारियों की पहुंच है।

पी2

कंपनी के कारोबार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस सिद्धांत की इस कंपनी पर सीमित प्रयोज्यता है। तथापि, कंपनी संवृद्धि और स्थायित्व के दोहरे उद्देश्यको प्राप्त करने के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए धारणीय कारोबार पद्धतियों का अनुसरण करने का प्रयास करती है। यह कंपनी अपने उत्पादों और सेवाओं पर लागू होने वाले विनियमों का पालन करती है और इस कंपनी ने समावेशी संवृद्धि और पर्यावरण संबंधी स्थायित्व को बढ़ावा दिया है।

क्रम संख्या 6 :कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में प्रस्तुत है: http//:recindia.nic.in/images/pdfॐ files/CSR_Sust_policy .pdf.

पी3

क्रम संख्या 3 - सामान्य कानून और विनियमों तथा देश में अपनाए जाने वाले अच्छे नैतिक व्यवहार के अनुरूप कंपनी ने कर्मचारी अभिमुखी नीति अपनाई है, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों का हित और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकना शामिल है जो व्यावसायिक महत्वकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए देखभाल का परिवेश, पोषण और अवसर प्रदान करने के प्रयासकरता है।

क्रम सं.6 - इन नीतियों को केवल संगठन के कर्मचारियों द्वारा वास्तविक रूप से या ऑनलाइन देखा जा सकता है।

पी4

यह सिद्धांत सभी हितधारकों, विशेष रूप से उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी के पहलुओं को सुनिश्चित करता है, जो साधनहीन,संवदेनशील और सीमांत हैं और इसके लिए कंपनी की कोई विशिष्ट नीति नहीं है। कंपनी ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रक्रियाएं तय कर रखी हैं। इसके अलावा, कंपनी रोजगार के अवसर पैदा करने संबंधी कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल जिसमें वृद्धजनों और अशक्तजनों की देखभाल संबंधी पहलें भी शामिल हैं, महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम,गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आदि के प्रोन्नयन जैसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके समावेशी संवृद्धि के संबंध में कार्य करती है।

क्रम संख्या 6 -कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में प्रस्तुत है: http//:recindia.nic.in/images/pdfॐ files/CSR_Sust_policy .pdf.

पी5	क्रम संख्या 3 -मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता (कोड) जिसे कंपनी ने इस सिद्धांत की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अंगीकृत किया है। इस संहिता में निष्पक्ष रोजगार परिपाटी और विविधता, निष्पक्ष प्रतियोगिता,उत्पीड़न और धमकी का निषेध एवं कार्यस्थल पर सुरक्षा पर बल दिया गया है। क्रम संख्या 6 - कारोबार आचरण और नैतिकता संबंधी संहिता कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में उपलब्ध है:http/ :recindia.nic.in/ download/Code_ Business_Conduct_Ethics.pdf.
पी6	इस सिद्धांत के अधीन उल्लिखित पहलू कंपनी के कारोबार की प्रकृति के सुसंगत नहीं हैं। यह कंपनी अपने परिसर और प्रचालन के संबंध में लागू पर्यावरण संबंधी विनियमों का पालन करती है। इसके अलावा, कंपनी पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए की जाने वाली पहलों में भाग लेती है। कंपनी परियोजना ऋण के उधारकर्ताओं से भी यह अपेक्षा करती है कि वे विभिन्न राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानकों/अपेक्षाओं का अनुपालन करें।
पी7	हालांकि, इस सिद्धांत के संबंध में कोई विशिष्ट नीति निर्धारित नहीं की गई है, तथापि कंपनी राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में पहलों के प्रोन्नयन के लिए कार्य कर रही है, ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल,ग्रामीण विकास परियोजनाएं और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के प्रोन्नयन के संबंध में कार्य किया जा सके। इसके अतिरिक्त कंपनी अनुसंधान एवं विकास हेतु निधि उपलब्ध कराती है। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/कार्य समूह में भाग लेते हैं।
पी8	आरईसी अपनी सीएसआर और धारणीयता नीति के अनुसरण में समावेशी संवृद्धि और साम्ययुक्त विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आरईसी ने इस संबंध में विभिन्न पहलें की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-जीविका बढ़ाने वाले महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम, चुने हुए स्वास्थ्य सुरक्षासंस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं के स्थापन/प्रोन्नत करना, चुने हुए जिलों में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाएं, सोलर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड, सोलर माइक्रो ग्रिड और एलईडी आधारित सौर गली बत्तियां स्थापित करना, ग्रामीणों की जीविका में सुधार लाने के लिए किसान-केंद्रित एकीकृत जलागम विकास और चुने हुए जिलों में चुने हुए अविद्युतीकृत एवं कम विद्युतीकृत गांवों में सौर लालटेन का वितरण। क्रम संख्या 6 -कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीसता नीति कंपनी की वेबसाइट पर लिंक में उपलब्ध हैः http/ :recindia.nic.in/images/pdf _files/CSR_Sust_Policy.pdf.
पी9	क्रम संख्या 3 -कंपनी की ऋण और ग्राहक प्रतिपूर्ति नीति के संबंध में उचित परिपाटी और शिकायत निवारण फोरम है, जो इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों की पुष्टि करते हैं। क्रम संख्या 6 - उपरोक्त संहिता/फार्म को क्रमशः http/ :recindia.gov.in/download/ fair_ practice_code.pdf औरhttp/ :recindia.gov.in/download/ griev_ redressal_ form_ loans.pdf पर ऑनलाइन देखा जा सकता है।
	सभी नीतियों और प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा की जाती है और समय-समय पर कंपनी में इनकी आंतरिक समीक्षा की जाती है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट

सदस्य,

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,

हमने लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखापरीक्षाकी है और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा अच्छी कारपोरेट पद्धतियां अपनाई जा रही हैं। सचिवालयी लेखापरीक्षा इस तरीके से की गई है किकारपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय अभिव्यक्त करने का यथोचित आधार उपलब्ध कराया गया है।

कंपनी की लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्ड और सचिवालयी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के भी हमारे सत्यापन पर आधारित, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे लिखे गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी की उपयुक्त बोर्ड प्रक्रिया है और अनुपालन तंत्र सही है और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है;

31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हमने लेखा बही, पेपर्स, कार्यवृत्त पुस्तक, फार्म और फाइल की गई रिटर्न और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड(''कंपनी'') द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1996 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और 55 ए के अधीन बनाए गए विनियम और उपविधि;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्र पार प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निधार्रित किए गए हैं;

- (क) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (शेयरों का मूल अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियम, 2011;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (आंतरिक कारोबार निषेध) विनियम, 1992;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना औरकर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) विनियम, 2009; लागू नही
- (ड.) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंट रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और निर्गत प्रतिभूति की सीमा तक क्लाइंट के साथ व्यवहार संबंधी;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009; लागू नही
- (ज) भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति प्रतिव्रय) विनियम,1998 लागू नही

(vi) कंपनी के प्रबंधन वर्ग द्वारा सूचित और प्रमाणित किए गए अनुसार अन्य विधि जो विशेष रूप से कंपनी आधारित उनके क्षेत्र/उद्योग हैं:

1. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देश और विनियम।

हमने निम्नलिखित की लागू धाराओं के साथ अनुपालन की जांच भी की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालीय मानक; वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लागू नहीं

(ii) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा किए गए सूचीकरण करारनामे;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन उपरिलिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के प्रावधानों का पालन किया है;

1. महिला निदेशक सहित मंडल के स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के संबंध में कंपनी ने सूचीकरण करारनामे की धारा 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

2. लेखापरीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन के संबंध में कंपनी ने सूचीकरण करारनामे की धारा 49 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177/178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि-

उपर्युक्त उल्लिखित टिप्पणियों के अधीन, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्रनिदेशकों में विधिवत संतुलन रखते हुए किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया गया है।

मंडल की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी समय से पहले भेजे गए हैं और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली विद्यमान है।

निदेशक मंडल अथवा मंडल की समिति, जैसा भी मामला हो, की बैठकों के कार्यवृत्त में रिकार्ड किए गए अनुसार निदेशक मंडल अथवा मंडल की समितिकी बैठकों में सभी निर्णय सर्व सम्मति से लिए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुसार लागू विधि, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और कार्यविधि है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी के विशिष्ट परिणाम/कार्रवाई हैं जिनका कंपनी के कार्यों से मुख्य संबंध हैं और जो उपर्युक्त उल्लिखित विधि, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में हैं।

- वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी के विभिन्न कारोबार प्रचालनों के लिए कंपनी ने भिन्न ऋण प्रपत्रों के अधीन ₹ 41,190 करोड़ के दीर्घावधि ऋण जुटाए हैं।

रूपेश अग्रवाल
भागीदार

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए16302
प्रैक्टिस सं. 5673 का प्रमाणपत्र

दिनांक: 17 जुलाई, 2015
स्थान:नई दिल्ली

टिप्पणीः यह रिपोर्ट इसी दिनांक के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का मुख्य भाग है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुबंध-ए

सदस्य,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर 4, स्कोप कम्प्लेक्स,
7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

इस तारीख की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिकार्ड के रख-रखाव का उत्तरदायित्व कंपनी के प्रबंधन वर्ग का है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवालयी रिकार्ड पर अपनी राय देनी है जो हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित होगी।
2. हमने लेखापरीक्षा पद्धतियों और कार्यविधियों का अनुसरण किया है जो सचिवालयी रिकार्ड की अन्तर्वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं।यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन यादृच्छिक जांच आधार पर किया गया है कि सचिवालयी रिकार्ड में सही तथ्य परिलक्षित हो सकें। हमें विश्वास है कि हमने जो कार्यविधियां और पद्धतियां अपनाई हैं वे हमारी राय का उचित आधार है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्ड और लेखा बहियों की यथातथ्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. विधि, नियमों, विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के बारे में प्रबंधन वर्ग के प्रतिनिधि से जहां कहीं अपेक्षित था, जानकारी प्राप्त की गई।
5. कारपोरेट और अन्य लागू विधि, नियम, विनियम, मानक के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता और न ही प्रभाविता और असरदारिता का आश्वासन है जिसके लिए प्रबंधन वर्ग ने कंपनी के कार्य किए हैं।

रूपेश अग्रवाल
भागीदार

कृते चंद्रशेखरन एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. ए16302
प्रैक्टिस सं. 5673 का प्रमाणपत्र

दिनांक: 17 जुलाई, 2015
स्थान:नई दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1.क. कंपनी की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की संक्षिप्त रू परेखा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा 1 अप्रैल, 2014 से उसके अधीन बनाई गई कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 के अनुसार कंपनी की 'सीएसआर नीति' कंपनी के निदेशक मंडल की 28 मार्च, 2014 को हुई 402वीं बैठक में उनके द्वारा संकल्प पारित कर अनुमोदित की गई थी। यह अनुमोदन सीएसआर समिति के निदेशकों की सिफारिशों पर आधारित था।

'सीएसआर नीति' को 21 अक्टूबर, 2014 से **'सीएसआर और धारणीयता नीति'** पुनःनाम दिया गया और इसमें 21 अक्टूबर, 2014 को अधिसूचित 1 अप्रैल, 2014 से लागू 'केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम के लिए सीएसआर और धारणीयता पर डीपीई दिशानिर्देश' और 24 अक्टूबर, 2014 तक अधिसूचित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में हुए संशोधन के अनुसार सीएसआर समिति के निदेशकों की सिफारिशों पर आधारित 26 दिसंबर, 2014 को हुई 410वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से आशोधन किया गया।

कंपनी की 'सीएसआर और धारणीयता नीति' की मुख्य झलक निम्नानुसार हैः

दृष्टिकोणः आरईसी सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सामर्थ्य का लाभ उठाएगा और अपनी संसाधन क्षमताओं को जुटाएगा और अपनी कारोबारी नीति और कार्यनीति को संभव सीमा तक सीएसआर और धारणीयता नीति से संबद्ध करेगा और ऐसे सीएसआर क्रियाकलापों/परियोजनाओं को चुनेगा जिन्हें आंतरिक सुविज्ञता से बेहतर तरीके से मॉनीटर किया जा सके।

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत मुख्य क्रियाकलापः आरईसी निम्नलिखित क्रियाकलापों, जो संभव सीमा तक कार्यनीति रूप से, परियोजना मोड में, संकेंद्रित तरीके से किए जाएंगे, द्वारा समुदाय,सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करेगा।

यद्यपि कंपनी सीएसआर परियोजनाओं को उपलब्ध विकल्पों की वृहत श्रृंखला से चुनेगा, तथापि समाज के कमजोर वर्गों और देश के पिछड़े जिलों के विकास हेतु समाज की समावेशी संवृद्धि, चुने हुए/केंद्रित क्षेत्र और पर्यावरण स्थायित्व संबंधीक्रियाकलापों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उक्त के अनुसार, कंपनी उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन निधारिंत क्रियाकलापों के अनुसार सीएसआरक्रियाकलापों/परियोजनाओं को मूर्त रूप देना सुनिश्चित करेगी।

वित्तीय घटकः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, पिछले लगातार तीन वर्षों के दौरान कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम 2%कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय किया जाएगा।

सीएसआर के अधीनहेतु संस्थागत ढांचाः संस्थागत ढांचा निम्नलिखित अनुसार होगाः

बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति ('दि सीएसआर कमेटी')का गठन इस तरह किया जाएगा कि उसमें तीन अथवा अधिक निदेशक होंगे जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की भूमिका और जिम्मेदारी में अन्य बातों के साथ-साथ-अनुसूची VII में उल्लिखित अनुसार, कंपनी द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप बनाना और बोर्ड को उनकी सिफारिश करना,व्यय राशि को मॉनीटर और संस्तुत करना, निदेशक मंडल को आवधिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना, शामिल होंगे।

निदेशक मंडल की भूमिका और जिम्मेदारी में शामिल होंगे-बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन सुनिश्चित करना, बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के लिए सीएसआर नीति अनुमोदित करना और अपनी रिपोर्ट में ऐसी नीति की विषयवस्तु का प्रकटन, सुनिश्चित करना कि अपनी सीएसआर नीति के क्रियाकलाप उक्त अधिनियम की अनुसूची VIIमें शामिल क्रियाकलापों से संबंधित हैं, आदि।

जबकि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति सभी क्रियाकलापों पर नजर रखेगा, तथापि निगम की सीएसआर परियोजनाओं को चलाने के लिए दो स्तरीय संगठनात्मक ढांचा सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के लिए नियुक्त किया जाएगाः

क) समय-समयपर प्राप्त, जैसा भी मामला हो, विभिन्न सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की स्क्रीनिंग और सिफारिश के लिए डीजीएम/एजीएम स्तर के अधिकारियों के पहले स्तर की समिति और

ख) वित्तीय सहमति के अधीन सीएसआर के तहत वित्तीय सहायता की स्वीकृति की सिफारिश के लिए, मंडल की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के अनुमोदन के लिए दूसरे स्तर की समिति जिसकी अध्यक्षता बोर्ड स्तर के कम से कम एक निचले स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

सीएसआर क्रियाकलाप हेतु प्रणाली: बताई गई सीएसआर नीति के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप परियोजनाएं अथवा क्रियाकलाप (या तो नई अथवा चल रही) के रूप में किए जाएंगे। इसमें इसके कारोबार के सामान्य रूप से किए गए क्रियाकलाप शामिल नहीं हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अनुमत किए गए अनुसार, पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित कंपनी अथवा उसकी नियंत्रक अथवा सहायक कंपनी अथवा एसोसिएट अथवा अन्यथा द्वारा स्थापित कंपनी के माध्यम से कंपनी अपने सीएसआरक्रियाकलाप कराने का निर्णय ले सकती है। उपर्युक्त के अनुसार, अपने प्रचालनों के केंद्रित क्षेत्र के अनुसार कंपनी ऐसे पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसाइटी जो भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए)/टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस)/सरकारी विभाग और ऐसे पंजीकृत ट्रस्ट अथवा पंजीकृत सोसाइटी जिन्हें सरकारी/अर्ध सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त निकाय के साथ कार्य करने का पिछला अनुभव हो, को वरीयता दे सकती है। कंपनी अन्य पीएसयू/सरकारी निकायों के माध्यम से बोर्ड की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति द्वारा अनुमोदित सीएसआर क्रियाकलाप भी कर सकती है।

मॉनीटरिंग: कंपनी सीएसआर परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन प्रगति/मॉनीटरिंग दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन/ की मॉनीटरिंग कर सकती है।

कंपनी अपने आंचलिक कार्यालय/परियोजना कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय में स्थित श्रम शक्ति अथवा बाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन के साथ-साथसीएसआर परियोजनाओं की मॉनीटरिंग अथवा अन्यथा करवा सकती है ताकि बजटीय व्यय और प्रत्यक्ष लक्ष्यों की उपलब्धि की दृष्टि से संभावित आधार पर प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके।

सीएसआर और धारणीयता नीति संबंधी ब्यौरों के लिए कृपया नीचे (सी) में दिए गए ब्यौरों के अनुसार आरईसी वेबसाइट देखें।

ख. हाथ में ली गई परियोजनाएं/लिए गए कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके नियमों के अनुसार, ''कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)'' का अर्थ है और शामिल है पर सीमित नही है:-

(i) अधिनियमकी अनुसूची VII में उल्लिखित क्रियाकलाप अथवा कार्यक्रम; अथवा

(ii) कंपनी की घोषित सीएसआर नीति के अनुसार मंडल की सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मंडल (बोर्ड) द्वारा हाथ में ली गई परियोजनाएं अथवा लिए गए कार्यक्रम

आरईसी ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों, बुजुर्गों, अशक्त, बच्चों, युवाओं आदि को समर्थ बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय विकास एजेंडा में प्रमुख चिंता के मुद्दों को प्राथमिकता देने के सिद्धांत के रूप में और बहुत अधिक लाभग्राहियों तक पंहुच के लिए धारणीयता सहित सामाजिक रूप से लाभदायक परियोजनाओं को अपनी सीएसआर पहलों के माध्यम से निधि और समर्थन देने का प्रयास किया है। वित्त वर्ष के दौरान विषयक क्षेत्रवार परियोजनाओं/हाथ में लिए गए/चल रहे कार्यक्रमों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

i. 'स्वच्छ विद्यालय अभियान'(एसवीए)में भागीदारी सहित भूख, गरीबी और कुपोषण का उन्मूलन, निवारक स्वास्थ्य सुरक्षा और साफ सफाई और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना

चुने हुए विद्यालयों और गांवों में स्वच्छता प्रबंध, जल और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं,चुने हुए जिलों में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संबंधी सुविधाएं,मोबाइल स्वास्थ्य सुरक्षा वैन, चुनी हुई स्वास्थ्य सुरक्षा संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं/सुविधाओं को स्थापन/प्रोन्नत करना, समाज के कमजोर वर्गों से चुने हुए अशक्त व्यक्तियों को सहायक सहायता, उपकरण और कृत्रिम अंगों का वितरण आदि।

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जिला नालगोंडा, तेलंगाना में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेय जल संयंत्र का उद्घाटन करते हुए

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक निःशक्त व्यक्तियों को सहायक सहायता उपकरणों का आरईसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण करते हुए

आरईसी के निदेशक (वित्त) और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जिला रंगरेड्डी, तेलंगाना में 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत निर्मित शौचालय ब्लॉकों को सुपुर्द करते हुए

भारत के छः राज्यों में 32 जिलों में स्कूलों में 10,989 शौचालय के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे भारत सरकार की फ्लैगशिप पहल 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' में विषयक क्षेत्र के अधीन निदेशक मंडल, आरईसी ने भागीदारी को अनुमोदित किया है। निदेशक मंडल, आरईसी ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आरईसी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को परियोजना कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में भी नियुक्त किया है। आरईसीपीडीसीएल ने ई-निविदा के जरिए शौचालयों के निर्माण हेतु एजेंसियों/ठेकेदारों का पता लगाने की प्रक्रिया हाथ में ली और विभिन्न जिलों/राज्यों में शौचालयों के निर्माण का कार्य विभिन्न एजेंसियों/ठेकेदारों को दिया है।

7,095 शौचालयों के निर्माण का कार्य आरईसी स्वयं कर रहा है और मॉनीटरिंग आरईसीपीडीसीएल (परियोजना कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग एजेंसी) द्वारा और आरईसी के राज्य नोडल अधिकारियों द्वारा भी की जा रही है। 7,095 शौचालयों के लिए निर्माण की अनुमानित लागत लगभग ₹ 110 करोड़ है। इसके लिए, राशि जारी की जा रही है जो प्रगति आधारित माइलस्टोन से संबद्ध है। सर्विस कर सहित ₹ 11 करोड़ के लगभग राशि आरईसीपीडीसीएल को उनके परियोजना कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग प्रभार के रूप में देय है। सभी 7,095 शौचालयों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। शौचालयों के निर्माण संबंधी चरण वार छायाचित्रों सहित विद्यालय वार डाटा और प्रगति को आरईसीपीडीसीएल द्वारा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले विद्युत, कोयला और नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जैसे सीपीएसई के लिए 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' हेतु विद्युत मंत्रालय के आम वेब पोर्टल पर और मानव संसाधन मंत्रालय के वेब पोर्टल पर भी नियमित रूप से अपलोड किया जा रहा है।

लगभग 4,123 शौचालयों के लिए निर्माण का कार्य आरईसी के वित्तपोषण के तहत राज्यों द्वारा किया जा रहा है; और राज्यों के संबंधित शिड्यूल दरों पर जमा आधार पर संबंधित राज्य शिक्षा प्राधिकरणों को ₹ 46.55 करोड़ की राशि रिलीज की जा चुकी है।

ii. शिक्षा को प्रोन्नत करना, रोजगार बढ़ाने वाले व्यावसायिक कौशल और जीविका बढ़ाने संबंधी परियोजनाएं:

कम साक्षरता सूचक और प्रवासी आबादी वाले स्थानों के जिलों में चुने हुए माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों तक पहुंच बनाने, उनके सीखने एवं उन्हें रिटेन करने में सुधार लाने के लिए, दूरस्थ जिलों से समाज के कमजोर वर्गों से चुनी हुई छात्राओं के आवासीय शिक्षा संबंधी कार्यक्रम को सहायता, चुने हुए सरकारी विद्यालयों की कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा में सहायता, इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए चुने हुए शोषित विद्यार्थियों को कोचिंग दिलाने वाले कार्यक्रम, चुने हुए सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय की स्थापना, निशक्त बच्चों

आरईसी सीएसआर पहल के तहत आयोजित कौशल विकास कार्यक्रम के प्रतिभागी

निदेशक (वित्त),अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (तकनीकी) आईसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में निःशक्त व्यक्तियों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम हेतु राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास कारपोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदानकरते हुए

के विद्यालयों सहित विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का विकास, सोसाइटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं सहित चुने हुए युवाओं के लिए विभिन्न ट्रेड में रोजगारोन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधी परियोजनाओं के समर्थन द्वारा।

iii. **लिंग समानता को प्रोन्नत करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर और होस्टल बनाना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम और अन्य ऐसी सुविधाओं की स्थापनाः**

तकनीकी संस्थानों में लड़कियों के छात्रावास की स्थापना हेतु, जीविका बढ़ाने वाले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, प्रौढ़ विधवाओं के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना, चुने हए वृद्धाश्रमों में स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने आदि संबंधी परियोजनाओं के समर्थन द्वारा।

iv. **पर्यावरणीय स्थायित्व, आदि सुनिश्चित करनाः**

चुने हुए राज्यों में अविद्युतीकृत/कम विद्युतीकृत गांवों में सोलर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड, सोलर माइक्रो ग्रिड, एलईडी आधारित सोलर गली बत्तियां और सोलर लालटेन आदि संबंधी परियोजनाओं के समर्थन द्वारा

v. **दस्तकारी परंपरा पुनर्जीवित करने, चुने हुए जिलों में चुनी महिला कारीगरों की जीविका में स्थायित्व लाने संबंधी परियोजनाओं के समर्थन द्वारा**

चुनिदां जिलों के चुनिंदा महिला कारीगरों के लिए स्थायी आजीविका शिल्प विरासत को पुनर्जीवित करने और उपलब्ध कराने के लिए परियोजना का समर्थन करके।

vi. **ग्रामीण विकास परियोजनाएंः**

ग्रामीण जीवन में सुधार लाने के लिए किसान केंद्रित एकीकृत जलागम विकास, पुलिया बिल्डिंग संबंधी कार्यक्रमों के समर्थन द्वारा

ग. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति और कार्यक्रम के वेब लिंक

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वित्त वर्ष के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीयता नीति और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के ब्यौरे कंपनी की वेबसाइट- www.recindia.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।

चल रही सीएसआर परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति भी आवधिक रूप से कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है।

2. सीएसआर समिति का गठन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी मंडल की सीएसआर समिति का गठन करेगी जिसमें तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे, जिसमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

20 नवंबर, 2014 से निदेशकों की कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन निम्नलिखित अनुसार हैः

i. श्री राजीव शर्मा, सीएमडी - समिति के अध्यक्ष

ii. डॉ सुनील कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य (15 मार्च, 2015 तक)

iii. श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)- सदस्य

iv. श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)- सदस्य

3. पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पिछले तीन वित्त वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ नीचे दिया गया हैः

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2011-12	3,792.58
वित्त वर्ष 2012-13	5,163.55
वित्त वर्ष 2013-14	6,530.59
जोड़	**15,486.72**
औसत निवल लाभ	5,162.24

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उक्त मद सं. 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)- ₹ 103.25 करोड़

5. वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि के ब्यौरे

(क) वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : ₹ 103.25 करोड़

(ख) वित्त वर्ष के दौरान खर्च की गई कुल राशि : ₹ 46.04 करोड़

(ग) वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के लिए उपलब्ध कराई गई राशि; मुख्य रूप से 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत दिए गए कार्य और जो चल रहे हैं, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किए जाने की संभावना है: ₹ 57.21 करोड़*

* वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान सीएसआर व्यय के लिए उपलब्ध कराई गई ₹ 57.21 करोड़ की राशि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान अब तक रिलीज की जा चुकी है।

(घ) वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अब तक कुल सीएसआर व्यय(ख+ग): ₹ 103.25 करोड़

(ङ.) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो: कृपया उक्त 5 (ग) देखें

(च) वित्त वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि व्यय की गई वह अनुबंध -क में है

6. यदि कंपनी पिछले तीन वर्षों में औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत अथवा उसका कोई भाग व्यय नहीं कर पाती है, तो कंपनी बोर्ड की रिपोर्ट में खर्च न करने के कारण बताएगी:

कृपया उक्त (5) पर उपलब्ध कराई गई सूचना देखें।

7. सीएसआर समिति की उत्तरदायित्व रिपोर्ट:

कंपनी द्वारा सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुसार है।

निदेशक (वित्त) **सीएसआर समिति के अध्यक्ष**

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान खर्च की गई सीएसआर राशि

(₹ रुपय में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा निर्धारित गतिविधियां	प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में शामिल किया गया है।	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें, जहां कार्यक्रम शुरू किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम वार	प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (6क+6ख) **	खर्च की गई राशि: सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
1	**क. स्वच्छता**							
1	संवेदीकरण एवं जागरूकता निर्माण के साथ 234 शौचालयों का निर्माण, एक मध्याह्न भोजन योजना और 5 हैंडपंप यूनिट	मुखमरी, गरीबी और कुपोषण निवारण, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केद्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना	बाराबंकी जिला, उत्तर प्रदेश	*	32,23,000	1,68,981	33,91,981	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	बिहार के 3 स्कूलों में स्वच्छता सुविधाएं		मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिला, बिहार	*	21,87,000	1,14,664	23,01,664	
3	'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत सरकारी स्कूलों में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण		गोपालगंज,पटना,गया, नालंदा मुजफ्फरपुर लखीसराय, भागलपुर, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, किशनगंज, मधेपुरा,मुंगेर एवं जमुई जिला, बिहार, धार, झाबुआ,रतलाम, एवं विदिशा जिला, मध्यप्रदेश गुरूदासपुर एवं पठानकोट जिला पंजाब, अजमेर, भरतपुर,जोधपुर एवं उदयपुर जिला, राजस्थान, नलगोंडा, खम्मम, अदिलाबाद, रंगरेड्डी,वारंगल एवं महबूबनगर जिला, तेलंगाना, बलिया एवं जालौन जिला, उत्तर प्रदेश	1,90,00,00,000	19,03,69,291	99,81,017	20,03,50,308	
4	स्वास्थ्य एवं शिक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए स्कूलों में पेयजल, स्वच्छता एवं पोषण		उनाकोटि जिला, त्रिपुरा	49,26,000	25,03,118	1,31,238	26,34,356	
			उप जोड़ (क)		**19,82,82,409**	**1,03,95,900**	**20,86,78,309**	

(₹ रुपय में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा निर्धारित गतिविधियां	प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में शामिल किया गया है।	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें, जहां कार्यक्रम शुरू किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम वार	प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (6क+6ख) **	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
1	**ख. स्वास्थ्य सुरक्षा**							
1	बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के साथ चल चिकित्सा यूनिट	भुखमरी, गरीबी और कुपोषण निवारण, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित स्वच्छ भारत कोष में अंशदान सहित स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा देना एवं स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना	रायबरेली जिला, उत्तर प्रदेश	*	17,85,650	93,621	18,79,271	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं के साथ चल चिकित्सा यूनिट		अशोक नगर जिला, मध्य प्रदेश	*	18,18,152	95,325	19,13,477	
3	निःशक्तजनों के लिए एम्बुलेंस और फिजियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण		हैदराबाद, आंध्रप्रदेश	*	3,69,746	19,386	3,89,132	
4	पोलियो ग्रस्त विकलांगों के लिए सुधारात्मक सर्जरी और बैसाखियों के साथ कैलीपर्स का वितरण		उदयपुर, राजस्थान	*	1,50,000	7,864	1,57,864	
5	आई केयर नेत्र अस्पताल एवं स्नातकोत्तर संस्थान में सर्जिकल माइक्रोस्कोप और प्लानटेक आपरेशन टेबल		नोएडा, उत्तर प्रदेश	*	-16,332		-16,332	
6	पुनर्वास केंद्र का निर्माण (आंचल)		नई दिल्ली	*	94,50,000	4,95,461	99,45,461	
7	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सुधार लाने के लिए चल मेडिकल यूनिट		सोनभद्र जिला, उत्तर प्रदेश	*	24,00,000	1,25,831	25,25,831	
8	निःशक्तजनों को सहायक उपकरणों का वितरण		मध्य प्रदेश,असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और ओड़िशा	*	69,80,481	3,65,985	73,46,466	
9	पोलियो ग्रस्त व्यक्तियों के लिए सुधारात्मक सर्जरी		उदयपुर, राजस्थान	*	17,00,000	89,131	17,89,131	
10	हॉस्टल ब्लॉक के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार		बेंगलुरु कर्नाटक	*	11,23,786	58,920	11,82,706	
11	मोतियाबिंद निदान और 450 लोगों की सर्जरी के लिए सहयोग		उदयपुर, राजस्थान	*	9,00,000	47,187	9,47,187	
12	बुनियादी ढांचा और चिकित्सा उपकरणों का उन्नयन		कटक, ओड़िशा	*	2,32,32,000	12,18,048	2,44,50,048	
13	निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग उपलब्ध कराना		जयपुर और दिल्ली	60,00,000	30,00,000	1,57,289	31,57,289	
			उप जोड़ (ख)		**5,28,93,483**	**27,74,049**	**5,56,67,532**	
1	**ग. स्वच्छ पेयजल**							
1	स्वच्छ पेय जल की सुविधा	बचाव एवं स्वास्थ्य देख-भाल को बढ़ावा देते हुए भुखमरी, गरीबी एवं कुपोषण का उन्मूलन	नालगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	*	0	0	0	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	स्वच्छ पेय जल की सुविधा		आंध्र प्रदेश, राजस्थान	2,49,60,000	36,96,000	1,93,780	38,89,780	
			उप जोड़ (ग)		**36,96,000**	**1,93,780**	**38,89,780**	
			श्रेणी 1 का उप जोड़		**25,48,71,892**	**1,33,63,729**	**26,82,35,621**	

(₹ रुपय में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा निर्धारित गतिविधियां	प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में शामिल किया गया है।	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें, जहां कार्यक्रम शुरू किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम वार	प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (6क+6ख) **	खर्च की गई राशि: सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
2	क. शिक्षा							
1	बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी	विशेष शिक्षा एवं रोजगार में वृद्धि करने वाले व्यवसाय कौशल को शामिल करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों महिलाओं बुजुर्गों एवं निःशक्त लोगों के लिए, तथा जीवन स्तर सुधार परियोजनाएं	कोन्धवा और मोहम्मदवदी, पुणे, महाराष्ट्र	*	-1,77,300		-1,77,300	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	आईआईटी / एनआईटी और अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग		नई दिल्ली	*	6,60,000	34,604	6,94,604	
3	कंप्यूटर, फर्नीचर, सिलाई मशीन आदि उपलब्ध कराना		बोकारो जिला, झारखंड	*	4,84,500	25,402	5,09,902	
4	नयागढ़ जिला के स्कूलों में अवसंरचना विकास मे सहयोग		नयागढ़ जिला, ओड़िशा	*	54,96,000	2,88,154	57,84,154	
5	गरीब बच्चों के लिए स्कूल में 4 कक्षाओं का निर्माण।		महोबा जिला, उत्तर प्रदेश	*	9,24,000	48,445	9,72,445	
6	सरकारी स्कूलों में 25 पुस्तकालयों की स्थापना		गुंटूर एवं नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	*	11,13,497	58,380	11,71,877	
7	सरकारी स्कूलों में 13 पुस्तकालयों की स्थापना		गुंटूर एवं नलगोंडा जिला, आंध्र प्रदेश	*	20,26,500	1,06,249	21,32,749	
8	एकवर्षीय आवासीय शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए सहयोग		उत्तराखंड एवं सिक्किम	*	18,90,000	99,092	19,89,092	
9	उत्तर और पूर्वी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10 कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करना		नई दिल्ली	*	30,48,075	1,59,810	32,07,885	
10	स्कूलों तक पहुंच, स्थायित्व एवं शिक्षण के परिणामों में सुधार		झबूआ मध्य प्रदेश एवं गोंडा उत्तर प्रदेश	*	66,68,047	3,49,604	70,17,651	
11	सरकारी मत्स्य पालन स्कूलों के लिए फर्नीचर		कुजुथूरा केरल	*	4,86,960	25,531	5,12,491	
12	बुलंदशहर, वीरखेड़ा इंटर स्कूल का विकास कार्य		बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश	*	39,95,500	2,09,483	42,04,983	
13	इंजीनियरिंग परीक्षाओं में चयन के लिए 11 महीने आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग		नोएडा	55,82,000	44,66,000	2,34,151	47,00,151	
14	इंजीनियरिंग परीक्षाओं में चयन के लिए 11 महीने आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहयोग		श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर	44,66,000	35,73,000	1,87,332	37,60,332	
15	बच्चों की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी		कोन्धवा एवं मोहम्मदवदी, पुणे, महाराष्ट्र	43,96,000	31,55,625	1,65,449	33,21,074	
16	बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार		जिला अबेडकर नगर एवं बस्ती	45,09,000	18,03,600	94,562	18,98,162	
			उप जोड़ (क)		**3,96,14,004**	**20,86,249**	**4,17,00,253**	

(₹ रुपय में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा निर्धारित गतिविधियां	प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में शामिल किया गया है।	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें, जहां कार्यक्रम शुरू किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम वार	प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (6क+6ख) **	खर्च की गई राशि: सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
2	**ख. कौशल विकास प्रशिक्षण**							
1	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम	विशेष शिक्षा एवं रोजगार में वृद्धि करने वाले व्यवसाय कौशल को शामिल करते हुए शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं निःशक्त लोगों के लिए तथा जीवन स्तर सुधार परियोजनाएं	अशोक नगर एवं शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश	*	20,20,238	1,05,921	21,26,159	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		होशियारपुर जिला, पंजाब	*	4,87,236	25,546	5,12,782	
3	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		नागापट्नम जिला, तमिलनाडु	*	10,30,340	54,020	10,84,360	
4	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		जिला बंशवारा एवं डुंगरपुर	*	6,40,030	33,557	6,73,587	
5	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		कटनी एवं धार जिला, मध्य प्रदेश	*	5,05,620	26,510	5,32,130	
6	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		ओड़िशा	1,56,50,000	92,88,275	4,86,982	97,75,257	
7	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		उत्तर प्रदेश एवं बिहार	2,60,85,000	81,66,982	4,28,193	85,95,175	
8	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		हरियाणा में सिरसा एवं उत्तर प्रदेश में कौशंबी	1,78,00,000	61,15,325	3,20,625	64,35,950	
9	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		मध्य प्रदेश में कटनी धार बालाघट एवं मंडला, छत्तीसगढ़ में कोरबा	1,48,00,000	92,93,811	4,87,272	97,81,083	
10	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		धमतरी एवं रायगढ़ जिला, छत्तीसगढ़	1,05,02,000	76,70,148	4,02,144	80,72,292	
11	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		भोपाल, मध्य प्रदेश	26,25,000	19,17,143	1,00,515	20,17,658	
12	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		फ़िरोजपुर और अमृतसर, पंजाब	72,25,000	0	0	0	
13	रोजगारोन्मुखी कौशल विकास / उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम		कुड्डालोर और थिरुवनमलाई तमिलनाडु के जिले	1,14,30,000	48,00,019	2,51,664	50,51,683	
			उप जोड़ (ख)		**5,19,35,167**	**27,22,949**	**5,46,58,116**	
			श्रेणी 2 का उप जोड़		**9,15,49,171**	**48,09,197**	**9,63,58,368**	
3	**क. महिला सशक्तिकरण**							
1	खेल-कूद को बढ़ावा	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रों की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय	हरियाणा	*	2,00,000	10,486	2,10,486	प्रत्यक्ष
2	महिलाओं के लिए कौशल विकास एवं आजीविका कार्यक्रम		सीतापुर एवं बाराबंकी, जिला, उत्तर प्रदेश	*	7,36,862	38,634	7,75,496	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
3	25 महिला सिलाई मशीन तथा एक फर्नीचर प्रदान करते हुए कौशल विकास सशक्तिकरण केंद्रों की स्थापना		कोलकाता, पश्चिम बंगाल	*	6,49,050	34,030	6,83,080	
4	गरिमा-सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण (गैर आवासीय) कार्यक्रम		छपरा जिला, बिहार	*	21,98,600	1,15,272	23,13,872	
5	गरिमा-सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण (गैर आवासीय) कार्यक्रम		छपरा जिला, बिहार	24,35,400	24,35,000	1,27,666	25,62,666	
6	आजीविका के लिए उत्पादन और विपणन संसाधन केंद्र की स्थापना		सीतापुर एवं बाराबंकी, जिला उत्तर प्रदेश	28,67,000	15,81,845	82,936	16,64,781	
			उप जोड़ (क)		**78,01,357**	**4,09,023**	**82,10,380**	

(₹ रुपय में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा निर्धारित गतिविधियां	प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में शामिल किया गया है।	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें, जहां कार्यक्रम शुरू किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम वार	प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (6क+6ख) **	खर्च की गई राशि: सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
3	**ख. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं छात्रावास/सुविधाओं की स्थापना**							
1	टीएचडीसी संस्थान हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग और टैक्नोलॉजी, टिहरी में बालिका छात्रावास का निर्माण	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिला सशक्तीकरण, महिलाओं एवं बेसहारा लोगों के लिए आवास एवं छात्रावास का निर्माण, वृद्धावस्था आश्रमों तथा दिवस देखभाल केंद्रों की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप पिछड़े लोगों के लिए असमानता कम करने के उपाय	टेहरी जिला, उत्तराखंड	*	2,40,00,000	12,58,314	2,52,58,314	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	विधवाओं के लिए वृद्धाश्रम का निर्माण		वृंदावन एवं मथुरा, उत्तर प्रदेश	*	37,98,000	1,99,128	39,97,128	
3	वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पैकेज उपलब्ध कराना		आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना राज्यों में 14 शहर	1,45,49,000	12,65,125	66,330	13,31,455	
			उप जोड़ (ख)		**2,90,63,125**	**15,23,773**	**3,05,86,898**	
			श्रेणी 3 का उप जोड़		**3,68,64,482**	**19,32,796**	**3,87,97,278**	
4	**क. पर्यावरणीय धारणीयता, स्वच्छ गंगा निधि, आदि**							
1	सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड का कार्यान्वयन	पर्यावरणीय धारणीयता सुनिश्चित करना, परिस्थितिकीय संतुलन, प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, एवं मृदा की गुणता बनाए रखना, वायु एवं जल के संरक्षण के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा गंगा नदी के उद्धार के लिए निर्मित स्वच्छ गंगा मिशन में योगदान	कोरापुट एवं मयूरभंज जिला, ओडिशा	*	4,95,000	25,953	5,20,953	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	माइक्रो सौर ग्रिड की स्थापना		प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिला, राजस्थान	*	7,35,000	38,536	7,73,536	
3	सोलर माइक्रो ग्रिड		सोनीतपुर एवं लखीमपुर जिला, असम	*	4,95,000	25,953	5,20,953	
4	सौर गली बत्ती आधारित 861 एलईडी		ऊपरसिंग दिबांग वैली, लोवर दिबांग कुरुंग कुमे एवं लोहित जिला, अरूणाचल प्रदेश	*	1,58,69,316	8,32,024	1,67,01,340	
5	सौर गली बत्ती आधारित 1600 एलईडी		अशोक नगर, गुना शिवपुरी जिला, मध्य प्रदेश	*	0	0	0	
6	सौर गली बत्ती आधारित 237 एलईडी		भरतपुर जिला, राजस्थान	*	25,50,890	1,33,743	26,84,633	
			उप जोड़ (क)		**2,01,45,206**	**10,56,208**	**2,12,01,414**	
4	**ख. धारणीय विकास के लिए परियोजनाएं**							
1	ओडिशा, ढेन्कानाल में 5 ऑफ ग्रिड स्थानों में सौर पीवी स्मार्ट मिनी ग्रिड का कार्यान्वयन	धारणीय विकास परियोजनाओं सहित ग्रामीण विकास परिजनाएं	धेनकेनाल, ओडिशा	*	2,16,500	11,351	2,27,851	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
2	उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए 4000 सौर लालटेन और 100 मोबाइल चार्जिंग सौर स्टेशनों की स्थापना उपलब्ध कराना		उत्तराखंड	*	48,98,000	2,56,801	51,54,801	
3	बिहार राज्य के पूर्णिया क्लस्टर में विकेंद्रीकृत बिजली सिस्टम आधारित बायोमास गैसीफायर के माध्यम से नवीन जूट प्रसंस्करण भागीदारी मॉडल की स्थापना करना		बिहार	*	28,65,000	1,50,211	30,15,211	
			उप जोड़ (ख)		**79,79,500**	**4,18,363**	**83,97,863**	
			श्रेणी 4 का उप जोड़		**2,81,24,706**	**14,74,571.677**	**2,95,99,277.68**	

(₹ रुपय में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा निर्धारित गतिविधियां	प्रोजेक्ट जिस क्षेत्र में शामिल किया गया है।	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य क्षेत्र (2) राज्य अथवा जिले का उल्लेख करें, जहां कार्यक्रम शुरू किया गया था	राशि परिव्यय (बजट) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम वार	प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी खर्च (6क+6ख) **	खर्च की गई राशिः सीधे अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
					प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर सीधा खर्च (क)	ओवरहैड (ख)		
5	**ख. ग्रामीण विकास परियोजनाएं**							
1	दो गांवों के बीच नाला पर पुलिया का निर्माण	धारणीय विकास परियोजनाओं सहित ग्रामीण विकास परिजनाएं	संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश	*	48,00,000	2,51,663	50,51,663	कार्यान्यन एजेंसी के माध्यम से
2	धरमनी एवं चमासरन गांवों के बीच कंथैया नाला पर पुलिया की निगरानी (प्रशासन ओवरहैड)		संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश	*	0	1,06,180	1,06,180	
3	ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए किसान केंद्रित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन		महबूब नगर एवं अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	4,23,00,000	2,11,50,000	11,08,889	2,22,58,889	
			श्रेणी 5 का उप जोड़		**2,59,50,000**	**14,66,732**	**2,74,16,732**	
			सभी श्रेणियों का जोड़		**43,73,60,251**	**2,30,47,027**	**46,04,07,278**	

पूरे भारत में प्रचालनों के साथ एक वित्तीय संस्था होने के कारण आरईसी के संदर्भ में सीएसआर परियोजनाओं के लिए स्थानीय क्षेत्र की कोई संकल्पना नहीं है। तदनुसार, कंपनी द्वारा शुरू की गई सभी सीएसआर परियोजनाएं 'अन्य' क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

* पिछले वित्तीय वर्ष में मंजूर तथा वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान चल रही परियोजनाओं से संबंधित है।

** मंजूर एवं चल रही सीएसआर परियोजनाओं (प्रशासनिक मदों के अतिरिक्त खर्च सहित) के संदर्भ में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 46.04 करोड़ संवितरित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मौजूदा परियोजनाओं के संदर्भ में शुरू किए गए/पूरा किए गए कार्यों पर आधारित वित्त वर्ष 2014-15 के सीएसआर व्यय के लिए ₹ 57.21 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। इसके लिए प्रदान की गई राशि वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान जारी की जा रही है। उपरोक्त के साथ वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर व्यय ₹ 103.25 करोड़ है।

बोर्ड के रिपोर्ट को संघग्ट -VII

फार्म सं. एमजीटी-9

वार्षिक प्रतिलाभ का सार

(31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

(i)	सीआईएन	एल40101डीएल1969जीओआई 005095
(ii)	पंजीकरण की तारीख	25 जुलाई, 1969
(iii)	कंपनी का नाम	रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
(iv)	कंपनी की श्रेणी/ उप श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी/केंद्र सरकार कंपनी
(v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	
	पता	कोर-4,स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, भारत
	संपर्क विवरण	दूरभाष नं. 011-24365161 फैक्स नं.-011-24360644
(vi)	सूचीबद्ध कंपनी हां/नहीं	हां
(vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम व पता अगर है तो	
	नाम	कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड
	पता	कार्वी सेलिनियम टावर-बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबोवली वित्तीय जिला,नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 भारत
	संपर्क का विवरण	दूरभाष नं.: 91-40-67161500 फैक्स नं.:91-40-23420814
	ई-मेल	einward.ris@karvy.com, balaji.reddy@karvy.com, raju.sv@karvy.com
	वेबसाइट	www.karvycomputershare.com

II. कंपनी की मुख्य कारोबारी गतिविधियां

कंपनी के कुल टर्नओवर का 10% अथवा इससे अधिक योगदान करने वाली सभी कारोबारी गतिविधियां निम्न अनुसार होगी:-

क्र. सं.	प्रमुख उत्पाद/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1	अन्य वित्तीय सेवाएं और गतिविधियां-अन्य क्रेडिट ग्रांटिंग	64920	100%

टिप्पणी: कंपनी नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत है, कंपनी अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत और वित्त प्रदान करने के कारोबार में जुड़ी है।

III. होल्डिंग, अनुषंगी और सहायक कंपनियों के विवरण 31 मार्च, 2015 को यथास्थिति

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालय का पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/अनुषंगी/ सहायक	धारित शेयरों का प्रतिशत	पात्र अनुभाग
1	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कपनी लि.	कोर-4,स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	यू40101डीएल2007जीओआई165779	अनुषंगी	100%	2(87)
2	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लि. (आरईसीटीपीसीएल)		यू40101डीएल2007जीओआई157558	अनुषंगी	100%	2(87)
3	नेल्लौर ट्रांसमिशन लि.		यू40104डीएल2012जीओआई245654	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
4	बैरास्यूल सरना ट्रांसमिशन लि.		यू40106डीएल2013जीओआई247564	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
5	गदरवारा (क) ट्रांसमिशन लि.		यू40109डीएल2014जीओआई269918	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
6	गदरवारा (ख) ट्रांस्को लि.		यू40300डीएल2014जीओआई269652	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
7	महेश्वरम ट्रांसमिशन लि.		यू40102डीएल2014जीओआई270446	आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी	100%	2(87)
8	एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लि.	चौथा तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066	यू40200डीएल2009पीएलसी196789	सहायक कंपनी	25%	2(6)

टिप्पणी:-

- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने समय-समय पर अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं के लिए पारेषण सेवा प्रदाता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) को नामोद्दिष्ट किया है। विद्युत मंत्रालय द्वारा आबंटित प्रत्येक स्वतंत्र अंतर राज्यीय पारेषण परियोजना के प्रारंम्भिक विकास के लिए, आरईसीटीपीसीएल में इसके पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के रूप में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्पेशल पर्पज व्हिकल शामिल हैं। आरईसीटीपीसीएल के पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के अनुसार आरईसी की पूर्णतः स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां हैं। ऐसी पारेषण परियोजनाओं के लिए अधिसूचित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सफल बोलीकर्ता के चयन के पश्चात, अपनी सभी परिसंपत्तियों और देयताओं सहित संबद्ध प्रोजेक्ट विशिष्ट एसपीवी सफल बोलीकर्ता को अंतरित कर दी जाती है। एएस 21 (समेकित वित्तीय विवरणों) के पैरा 11 के प्रावधानों के अनुसार आरईसी-टीपीसीएल की अनुषंगी कंपनियां आरईसी के वित्तीय विवरणों में समेकित हैं।
- 31 मार्च, 2015 के बाद, आरईसी-टीपीसीएल की समाप्त की जाने वाली अनुषंगी कंपनियों 'गदरवारा (ए) ट्रांस्को लिमिटेड' और 'गदरवारा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड ' 24 अप्रैल, 2015 को सफल बोलीकर्ता अर्थात पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं के साथ अंतरित कर दी गई थी।
- 31 मार्च, 2015 के बाद, आरईसीटीपीसीएल की अनुषंगी कंपनियों के रूप में नई आबंटित ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस अर्थात वेमागिरी-।। ट्रांसमिशन लि. (सीआईएन यू40106डीएल2015जीओआई278746) 6 अप्रैल, 2015 को निगमित, अलीपुर धौर ट्रांसमिशन लि. (सीआईएन यू40109डीएल2015 जीओआई278992) 13 अप्रैल, 2015 को निगमित और एनईआर ।। ट्रांसमिशन लि. (सीआईएन यू40106डीएल2015जीओआई279300) 21 अप्रैल, 2015 को निगमित की गई।

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी शेयर प्रतिशतता के रू प में इक्विटी शेयर पूंजी का विस्तृत विवरण)

(i) (i) श्रेणीवार शेयरधारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की सं. (1 अप्रैल, 2014)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2015)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
क. प्रोमोटर									
1. भारतीय									
क) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ख) केंद्र सरकार	64,81,68,218	0	64,81,68,218	65.64	64,81,68,218	0	64,81,68,218	65.64	0.00
ग) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
घ) निकाय कारपोरेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ड़) बैंक/ वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
च) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
उप जोड़ (क) (1)	**64,81,68,218**	**0**	**64,81,68,218**	**65.64**	**64,81,68,218**	**0**	**64,81,68,218**	**65.64**	**0.00**
(2) विदेशी									
क) अनिवासी- व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) अन्य-व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) निकाय कारपोरेट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ड़) बैंक/ वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च) कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़(क)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
प्रोमोटर की कुल शेयरधारिता(क)= (क)(1)+(क)(2)	**64,81,68,218**	**0**	**64,81,68,218**	**65.64**	**64,81,68,218**	**0**	**64,81,68,218**	**65.64**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
(क) म्यूच्युअल फंड	3,41,35,283	0	3,41,35,283	3.46	3,15,15,282	0	3,15,15,282	3.19	-0.27
(ख) बैंक/ वित्तीय संस्थान	68,11,999	0	68,11,999	0.69	27,46,062	0	27,46,062	0.28	-0.41
(ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरू में धारित शेयरों की सं. (1 अप्रैल, 2014)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं. (31 मार्च, 2015)				वर्ष के दौरान % में परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	डीमैट	भौतिक	कुल	शेयरों का कुल %	
(घ) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ङ) उद्यम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(च) बीमा कंपनियां	5,63,88,536	0	5,63,88,536	5.71	3,84,14,283	0	3,84,14,283	3.89	-1.82
(छ) विदेशी संस्थागत निवेशक	18,44,92,738	0	18,44,92,738	18.68	20,60,21,271	0	20,60,21,271	20.86	2.18
(ज) विदेशी उद्यम पूंजीगत निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(झ) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1):-	**28,18,28,556**	**0**	**28,18,28,556**	**28.54**	**27,86,96,898**	**0**	**27,86,96,898**	**28.22**	**-0.32**
2. गैर संस्थान									
क) निकाय कारपोरेट									
i) भारतीय	2,69,38,990	0	2,69,38,990	2.73	2,90,72,645	0	2,90,72,645	2.94	0.21
ii) विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) व्यक्तिगत									
i) रू 1 लाख तक न्यूनतम शेयरपूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	2,65,95,136	12,147	2,66,07,283	2.70	2,46,21,508	13,046	2,46,34,554	2.50	-0.20
ii) रू 1 लाख से अधिक तक न्यूनतम शेयर पूंजी धारित करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	16,75,649	0	16,75,649	0.17	49,94,182	0	49,94,182	0.51	0.34
ग) +अन्य (नीचे विनिर्दिष्ट)	22,40,304	0	22,40,304	0.22	18,92,503	0	18,92,503	0.19	-0.03
- *क्लियरिंग मेम्बर*	*13,10,192*	*0*	*13,10,192*	*0.13*	*5,26,860*	*0*	*5,26,860*	*0.05*	*-0.08*
- *अनिवासी भारतीय*	*6,18,401*	*0*	*6,18,401*	*0.06*	*8,73,596*	*0*	*8,73,596*	*0.09*	*0.03*
- *न्यास*	*3,11,711*	*0*	*3,11,711*	*0.03*	*4,92,047*	*0*	*4,92,047*	*0.05*	*0.02*
उप जोड़ (ख)(2)	**5,74,50,079**	**12,147**	**5,74,62,226**	**5.82**	**6,05,80,838**	**13,046**	**6,05,93,884**	**6.14**	**0.32**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)=(बी) (1)+(बी)(2)	**33,92,78,635**	**12,147**	**33,92,90,782**	**34.36**	**33,92,77,736**	**13,046**	**33,92,90,782**	**34.36**	**0.00**
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा आयोजित धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल जोड़ (क+ख+ग)	**98,74,46,853**	**12,147**	**98,74,59,000**	**100.00**	**98,74,45,954**	**13,046**	**98,74,59,000**	**100.00**	**0.00**

(ii) प्रोमोटरों की कुल शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के शुरू में शेयरधारिता की सं. (1 अप्रैल, 2014)			वर्ष के अंत में शेयर धारिता (31 मार्च, 2015)			वर्ष में शेयरधारिता के % में परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.	कुल शेयरों में गिरवी / विलंगमित शेयरों की सं.	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों की सं.	कुल शेयरों में गिरवी / विलंगमित शेयरों की सं.	
1	भारत का राष्ट्रपति	64,81,68,218	65.64	-	64,81,68,218	65.64	-	कोई परिवर्तन नहीं
	कुल	**64,81,68,218**	**65.64**	**-**	**64,81,68,218**	**65.64**	**-**	

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रोमोटर की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्टॉक एक्सचेंज मकैनिज्म के माध्यम से बिक्री हेतु प्रस्ताव के अनुसरण में, 8 अप्रैल, 2015 को 4,93,72,950 इक्विटी शेयरों की बिक्री की गई थी और ''सीपीएसई ईटीएफ'' के अंतर्गत ऑफ -मार्किट लेनदेन के माध्यम से 27,588 इक्विटी शेयरों की 10 अप्रैल, 2015 को बिक्री की गई थी। तदनुसार भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता रू 10% प्रति के 59,87,67,680 इक्विटी शेयरों तक कम हो गई है। (अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 60.64%)

(iii) प्रोमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया उल्लेख करें, अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के शुरू में शेयरधारिता (1 अप्रैल, 2014)		वर्ष के अंत में शेयरधारिता की सं. (31 मार्च, 2015)	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत का राष्ट्रपति				
	वर्ष के शुरू में	64,81,68,218	65.64		
	वृद्धि/कमी के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के अंत में			64,81,68,218	65.64

टिप्पणी : वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, प्रोमोटर की शेयरधारिता में कोई परिवर्तन नहीं था। लेकिन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्टॉक एक्सचेंज मकैनिज्म के माध्यम से बिक्री हेतु प्रस्ताव के अनुसरण में, 8 अप्रैल, 2015 को 4,93,72,950 इक्विटी शेयरों और ''सीपीएसई ईटीएफ'' के लिए ऑफ - मार्किट लेनदेन के माध्यम से 27,588 इक्विटी शेयरों की 10 अप्रैल, 2015 को बिक्री की गई थी। तदनुसार भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता रू 10% प्रति के 59,87,67,680 इक्विटी शेयरों तक कम हो गई है। (अर्थात कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी का 60.64%)

(iv) उच्च 10 शेयरधारकों की धेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रोमोटरों, जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा)

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के शुरू में शेयरधारिता(1 अप्रैल, 2014)		शेयरधारिता में वृद्धि/कमी		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2015)	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	वृद्धि	कमी	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	4,17,83,217	4.23		(109,05,436)	3,08,77,781	3.13
2	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.*	1,83,46,074	1.86		(53,86,995)	1,29,59,079	1.31
3	डीबी इंटरनेशनल (एशिया) लि.*	1,75,07,459	1.77	28,30,826		2,03,38,285	2.06
4	एचएसबीसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड खाता एचएसबीसी जीआईएफ मॉरीशस लि.*	1,28,78,435	1.30		(37,10,531)	91,67,904	0.93
5	सीपीएसई इटीएफ*	1,14,38,782	1.16		(63,13,233)	51,25,549	0.52
6	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि.-एचडीएफसी इक्विटी फंड	85,83,350	0.87	12,63,100		98,46,450	1.00
7	वैनगार्ड इमर्जिंग मार्किट स्टाक इंडेक्स फंड,एसीरिज ऑफ वैनगार्ड इंटरनेशनल इक्विटी इंडेक्स फंड *	63,30,551	0.64	1,83,882		65,14,433	0.66
8	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि.-एचडीएफसी टाप 220 फंड @	61,60,603	0.62		(16,21,834)	45,38,769	0.46
9	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्किट प्लस 1 ग्रोथ फंड @	47,13,443	0.48		(47,13,443)	0	0.00
10	लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया पीएंडजीएस फंड * @	46,25,109	0.47		(37,08,659)	9,16,450	0.09
11	अबुधाबी इनवेस्टमेंट अथार्टी-गुलाब #	43,54,098	0.44	2,22,277		45,76,375	0.46
12	मोर्गन स्टैनले एशिया (सिंगापुर) पीटीई. #	0	0.00	50,75,258		50,75,258	0.51
13	विसडमट्री ट्रस्ट अकाऊंट विसडमट्री इंडिया इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, आईएनसी #	0	0.00	62,82,267		62,82,267	0.64

टिप्पणी:

कंपनी के शेयरों का कारोबार दैनिक आधार पर किया जाता है, शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी नहीं दर्शाई जाती।

* 1 अप्रैल 2014 और मार्च 2015 दोनों को सर्वोच्च दस शेयरधारक दर्शाता है

@ केवल 1 अप्रैल, 2014 को सर्वोच्च दस शेयरधारक दर्शाता है

केवल 31 मार्च 2015 को सर्वोच्च दस शेयरधारक दर्शाता है

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमजी) की शेयर धारिता

क्र. सं.	निदेशकों और केएमपी का नाम	वर्ष के शुरू में शेयरधारिता (1 अप्रैल, 2014)		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता (31 मार्च, 2015)	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	श्री राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	60	नगण्य	कोई परिवर्तन नहीं	60	नगण्य
2	श्री प्रकाश ठक्कर, निदेशक (तकनीकी)	4,030	नगण्य	कोई परिवर्तन नहीं	4,030	नगण्य
3	श्री अजीत कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)	242	नगण्य	कोई परिवर्तन नहीं	242	नगण्य
4	श्री बद्री नारायण शर्मा, सरकारी नामिती निदेशक	0	0.00	कोई परिवर्तन नहीं	0	0.00
5	डॉ. देवी सिंह, अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (9 जून, 2014 तक)	0	0.00	कोई परिवर्तन नहीं	0	0.00
6	श्री वेंकटारमन सुब्रामणियन, अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (9 जून, 2014 तक)	0	0.00	कोई परिवर्तन नहीं	0	0.00
7	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता, अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (15 मार्च, 2015 तक)	0	0.00	कोई परिवर्तन नहीं	0	0.00
8	श्री ज्योति शुभ्रा अमिताभ, कंपनी सचिव एवं केएमपी	121	नगण्य	कोई परिवर्तन नहीं	121	नगण्य

V. ऋण ग्रस्तता

बकाया/उपचित ब्याज, लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी की ऋण ग्रस्तता

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रतिभूत ऋण जमा निकाल कर	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के शुरू में ऋण ग्रस्तता (1 अप्रैल, 2014 के अनुसार)				
i) मूलधन की राशि	58,055.71	68,184.48	-	1,26,240.19
i) ब्याज देय लेकिन प्रदत्त नहीं	1.10	-	-	1.10
iii) उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं	1,974.33	2,450.14	-	4,424.47
कुल (i+ii+iii)	**60,031.14**	**70,634.62**	**-**	**1,30,665.76**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन				
* वृद्धि	18,802.78	23,191.44	-	41,994.22
* (कमी)	9,729.64	7,543.46	-	17,273.10
* विदेशी मुद्रा लाभ हानि	-	62.80	-	62.80
शुद्ध परिवर्तन	**9,073.14**	**15,710.78**	**-**	**24,783.92**
वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31 मार्च, 2015 के अनुसार)				
i) मूलधन की राशि	67,128.85	83,895.27	-	1,51,024.12
ii) ब्याज देय लेकिन प्रदत्त नहीं	1.10	-	-	1.10
iii) उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं	2,624.65	2,676.94	-	5,301.59
कुल (i+ii+iii)	**69,754.60**	**86,572.21**	**-**	**1,56,326.81**

टिप्पणी: वर्ष के दौरान जुटाए और विमोचित किए गए कमर्शियल पेपर्स और कार्यशील पूंजी डिमांड ऋण का ''वृद्धि/कमी'' मद में विचार नहीं किया गया है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मेहनताना

क. प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक और/अथवा प्रबंधक का मेहनताना

(₹ रुपए में)

क्र. सं.	मेहनताना के विवरण	श्री राजीव शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री प्रकाश ठक्कर निदेशक (तकनीकी)	श्री अजीत कुमार अग्रवाल निदेशक (वित्त)	कुल राशि
1	सकल वेतन				
	क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	50,13,141	44,98,378	41,45,923	136,57,442
	ख) आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य	8,01,006	6,48,791	11,172	14,60,969
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	स्टॉक आप्शन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3	स्वीट इक्विटी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4	कमीशन				
	: लाभ के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	: अन्य उल्लेख करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	नियोक्ता सांविधिक पीएफ अंशदान	2,46,711	2,41,030	2,20,780	7,08,521
	नियोक्ता सांविधिक पेंशन अंशदान	1,85,034	1,80,772	1,65,590	5,31,396
	जोड़ (क)	**62,45,892**	**55,68,971**	**45,43,465**	**163,58,328**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	सरकारी कंपनियों के लिए 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार छूट			

ख. अन्य निदेशकों का मेहनताना

(₹ रुपए में)

क्र. सं.	मेहनताना के विवरण	स्वतंत्र निदेशक			सरकारी नामिति निदेशक	कुल राशि
		डॉ. देवी सिंह (9 जून, 2014 तक)	श्री वेंकटारमन सुब्रामणियन (9 जून, 2014 तक)	डॉ. सुनील कुमार गुप्ता (15 मार्च, 2015 तक)	श्री बद्री नाथ शर्मा	
1	**स्वतंत्र निदेशक**					
	* बोर्ड/कमेटी मीटिंग में उपस्थिति शुल्क	1,40,000	1,00,000	4,40,000		6,80,000
	* कमीशन	शून्य	शून्य	शून्य		शून्य
	* कृपया उल्लेख करें (नीचे @ नोट का संदर्भ)	10,000	शून्य	शून्य		10,000
	जोड़ (1)	**1,50,000**	**1,00,000**	**4,40,000**		**6,90,000**
2	**अन्य गैर कार्यपालक निदेशक**					
	* बोर्ड/कमेटी मीटिंग में उपस्थिति शुल्क				शून्य	शून्य
	* कमीशन				शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				शून्य	शून्य
	जोड़ (2)				**शून्य**	**शून्य**
	जोड (ख) =(1+2)	**1,50,000**	**1,00,000**	**4,40,000**	**शून्य**	**6,90,000**
	जोड़ प्रबंधकीय मेहनताना(क+ख)					**170,48,328**
	अधिनियम के अनुसार समग्र अधिकतम सीमा	सरकारी कंपनियों के लिए 5 जून, 2015 की एमसीए अधिसूचना के अनुसार छूट				

@ विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में भाग लेने के लिए मानदेय के रूप में प्रदत्त

ग. प्रबंध निदेशक, प्रबंधक/ डब्ल्यूटीडी के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को मेहनताना

(₹ रुपए में)

क्र. सं.	मेहनताना के विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि
		सीईओ	श्री जे.एस. अमिताभ, कंपनी सचिव	सीएफओ	
1	सकल वेतन				
	क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		28,82,525		28,82,525
	ख) आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) के तहत परिलब्धियों का मूल्य		1,67,784		1,67,784
	ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में लाभ		शून्य		शून्य
2	स्टॉक आप्शन		शून्य		शून्य
3	स्वीट इक्विटी		शून्य		शून्य
4	कमीशन	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	
	: लाभ के प्रतिशत के रूप में		शून्य		शून्य
	: अन्य उल्लेख करें		शून्य		शून्य
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें				
	नियोक्ता सांविधिक पीएफ अंशदान		2,05,050		2,05,050
	नियोक्ता सांविधिक पेंशन अंशदान		1,53,786		1,53,786
	जोड़ (ग)		**34,09,145**		**34,09,145**

नोटः आरईसी सरकारी कंपनी होने के कारण, सीईओ के रू प में भूमिका ''अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक'' आरईसी और सीएफओ के रू प में निदेशक (वित्त), द्वारा निष्पादित की जा रही है।

VII. अपराधों हेतु जुर्माना/दंड/समझौता

क्र. सं.	प्रकार	कंपनी के अधिनियम की धारा	संक्षेप में विवरण	लगाया गया जुर्माना दंड समझौता शुल्क	प्राधिकारी [आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गई अपील यदि कोई है (विवरण दें)
क.	**कंपनी**					
	जुर्माना					
	दंड			कोई नहीं		
	समझौता					
ख.	**निदेशक**					
	जुर्माना					
	दंड			कोई नहीं		
	समझौता					
ग.	**डिफाल्ट में अन्य**					
	अधिकारी					
	जुर्माना			कोई नहीं		
	दंड					
	समझौता					

राजीव शर्मा

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन-00973413)

फार्म नं. एओसी-2

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8(2) के अनुरू प)

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित तथा उसमें दिए गए तीसरे नियम के तहत कुछ आर्म्स लेंथ लेन-देन सहित कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए अनुबंधों/समझौतों के ब्यौरे के प्रकटीकरण के लिए फार्म

1. गैर आर्म्स लेंथ आधार पर अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन का ब्योरा:

संबंधित पार्टी के/ का नाम एवं संबंध की प्रकृति	अनुबंध/ समझौते / लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों/ समझौते/ लेन-देन की अवधि	मूल्य सहित, यदि कोई हो, अनुबंधों अथवा समझौतों अथवा लेन-देन की मुख्य शर्तें	ऐसे अनुबंधों, समझौतों अथवा लेन-देन का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम भुगतान की गई राशि, यदि कोई है	धारा 188 के पहले नियम के तहत जैसा आवश्यक है, आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित होने की तारीख
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी	परियोजना कार्यान्वयन एवं स्वच्छ विद्यालय अभियान, के तहत सीएसआर प्रोजेक्ट के लिए मॉनीटरिंग एजेसी	9 महीने	आरईसी की सीएसआर पहलों के अंतर्गत 6 राज्यों के 32 जिलों में 'स्वच्छ विद्यालय अभियान' के तहत स्कूलों में टॉयलेट निर्माण के लिए परियोजना कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए आरईसीपीडीसीएल के साथ समझौता जिसमें कुल लागत 110 करोड़ रू है (आरईसीपीडीसीएल को परियोजना कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग प्रभार के रूप में देय 11 करोड़ रूपए को छोड़ कर) जिसमें से वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 19.04 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।	परियोजना के राष्ट्रीय महत्व, परिमाण, तथा समयबद्ध प्रकृति एवं परियोजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन मे अनुषंगी कंपनी की सामर्थ्य तथा अनुभव को देखते हुए कंपनी की ऑडिट कमेटी एवं निदेशक मंडल के अनुमोदन से आरईसी पीडीसीएल को नामांकन आधार पर परियोजना कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग एजेंसी का दायित्व सौंपा गया।	16 अक्तूबर, 2014 एवं 7 अगस्त, 2015	शून्य	18 सितंबर, 2014

2. आर्म्स लेंथ आधार पर सामग्री अनुबंधों अथवा समझौता अथवा लेन-देनों का ब्योरा:

कंपनी द्वारा किसी संबंधित पार्टी के साथ किसी प्रकार का सामग्री अनुबंध अथवा समझौता अथवा लेन-देन नहीं किया गया है।

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन-00973413)

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-IX

31 मार्च 2015 के अनुसार अलग-अलग बांड श्रृंखलाओं के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर न्यासियों के विवरण सेबी परिपत्र सं सीआईआर/आईएमडी/डीएफ/18/2013 दिनांक 29 अक्तूबर 2013 की शर्तों के अनुसार

क्र.सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन सं.	सीरीज सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	रिडेम्पशन की तारीख	कूपन दर
1	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001 संपर्क:श्री अजीत गुरूजी, फोन: 022-40807001 फैक्स: 022-66311776 ई-मेल: ajit.guruji@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com वेबसाइट: www.idbitrustee.com	आईएनई020बी07बीएक्स5	77	प्रतिभूत	30-06-2015	7.30 %
		आईएनई020बी07सीके0	78	प्रतिभूत	31-01-2016	7.65 %
		आईएनई020बी07सीएल8	79	प्रतिभूत	14-03-2016	7.85 %
		आईएनई020बी07सीएम6	80	प्रतिभूत	20-03-2016	8.20 %
		आईएनई020बी07सीक्यू7	81	प्रतिभूत	20-01-2017	8.85 %
		आईएनई020 बी07सीयू9	82	प्रतिभूत	28-09-2017	9.85 %
		आईएनई020बी07डीई1	83	प्रतिभूत	28-02-2018	9.07 %
		आईएनई020बी07डीजी6	85	प्रतिभूत	13-06-2018	9.68 %
		आईएनई020बी07डीटी9	86-ए	प्रतिभूत	29-07-2018	10.70 %
		आईएनई020बी07डीडब्ल्यू3	86-बी III	प्रतिभूत	14-08-2018	10.85 %
		आईएनई020बी07डीवाई9	87 - II	प्रतिभूत	30-09-2018	10.85 %
		आईएनई02007ईबी5	87ए - III	प्रतिभूत	24-10-2018	11.15 %
		आईएनई020बी07ईजी4	88	प्रतिभूत	15-01-2019	8.65 %
		आईएनई020बी07ईपी5	90	प्रतिभूत	03-08-2019	8.80 %
		आईएनई020बी07ईआर1	90बी-II	प्रतिभूत	04-09-2019	8.72 %
		आईएनई020बी07ईवी3	90सी-II	प्रतिभूत	06-10-2019	8.80 %
		आईएनई020बी07ईवाई7	91-II	प्रतिभूत	17-11-2019	8.80 %
		आईएनई020बी07एफसी0	92-II	प्रतिभूत	22-01-2020	8.65 %
		आईएनई020बी08427	94	अप्रतिभूत	08-06-2025	8.75 %
		आईएनई020बी08435	95-I	अप्रतिभूत	12-07-2019	8.70 %
		आईएनई020बी08443	95-II	अप्रतिभूत	12-07-2025	8.75 %
		आईएनई020बी08450	96	अप्रतिभूत	25-10-2020	8.80 %
		आईएनई020बी08468	97	अप्रतिभूत	29-11-2020	8.80 %
		आईएनई020बी08476	0 सीपीएन-I	अप्रतिभूत	15-12-2020	0
		आईएनई020बी08484	0 सीपीएन-II	अप्रतिभूत	03-02-2021	0
		आईएनई020बी08492	98	अप्रतिभूत	15-03-2021	9.18 %
		आईएनई020बी08567	100	अप्रतिभूत	15-07-2021	9.63 %
		आईएनई020बी08583	101-II	अप्रतिभूत	10-08-2016	9.45 %
		आईएनई020बी08591	101-III	अप्रतिभूत	10-08-2021	9.48 %
		आईएनई020बी08609	102	अप्रतिभूत	06-09-2016	9.38 %
		आईएनई020बी08617	103-I	अप्रतिभूत	19-10-2016	9.35 %
		आईएनई020बी08641	105	अप्रतिभूत	11-11-2021	9.75 %
		आईएनई020बी08658	106	अप्रतिभूत	15-02-2017	9.28 %
		आईएनई020बी08740	107	अप्रतिभूत	15-06-2022	9.35 %
		आईएनई020बी08757	108-I	अप्रतिभूत	20-07-2017	9.40 %
		आईएनई020बी08765	108-II	अप्रतिभूत	20-07-2019	9.39 %
		आईएनई020बी08773	109	अप्रतिभूत	27-08-2017	9.25 %
		आईएनई020बी08799	111-I	अप्रतिभूत	19-11-2019	9.02 %
		आईएनई020बी08807	111-II	अप्रतिभूत	19-11-2022	9.02 %
		आईएनई020बी08815	112	अप्रतिभूत	01-02-2018	8.70 %
		आईएनई020बी08823	113	अप्रतिभूत	08-03-2020	8.87 %
		आईएनई020बी08831	114	अप्रतिभूत	12-04-2023	8.82 %
		आईएनई020बी08849	115	अप्रतिभूत	31-05-2023	8.06 %
		आईएनई020बी7एचडब्ल्यू4	116-I	प्रतिभूत	17-10-2016	9.05 %
		आईएनई020बी07एचएक्स2	116-II	प्रतिभूत	17-10-2018	9.24 %
		आईएनई020बी07एचवाई0	117	प्रतिभूत	06-11-2018	9.38 %
		आईएनई020बी07एचजेड7	118	प्रतिभूत	03-01-2019	9.61 %

क्र.सं.	डिबेंचर ट्रस्टी का नाम एवं पता	आईएसआईएन सं.	सीरीज सं.	प्रतिभूत/ अप्रतिभूत	रिडेम्पशन की तारीख	कूपन दर
		आईएनई020बी07आईए8	119	प्रतिभूत	05-02-2019	9.63%
		आईएनई020बी07आईबी6	120	प्रतिभूत	10-03-2017	9.67%
		आईएनई020बी07आईआई1	121	प्रतिभूत	25-03-2017	9.52%
		आईएनई020बी07आईवी4	122	प्रतिभूत	18-06-2019	9.02%
		आईएनई020बी07आईडब्ल्यू2	123-I	प्रतिभूत	17-07-2021	9.40%
		आईएनई020बी07आईएक्स0	123-II	प्रतिभूत	08-08-2016	9.27%
		आईएनई020बी07आईवाई8	123-III-3 वर्ष	प्रतिभूत	25-08-2016	9.25%
		आईएनई020बीB07आईजेड5	123-III-10 वर्ष	प्रतिभूत	24-08-2024	9.34%
		आईएनई020बी07जेए6	123-IV	प्रतिभूत	08-09-2016	8.97%
		आईएनई020बी07जेबी4	124	प्रतिभूत	23-09-2017	9.06%
		आईएनई020बी08856	125	अप्रतिभूत	12-10-2019	9.04%
		आईएनई020बी08864	126	अप्रतिभूत	12-11-2019	8.56%
		आईएनई020बी08872	127	अप्रतिभूत	04-12-2021	8.44%
		आईएनई02008880	128	अप्रतिभूत	21-12-2024	8.57%
		आईएनई020बी08898	129	अप्रतिभूत	23-01-2025	8.23%
		आईएनई020बी08906	130	अप्रतिभूत	06-02-2025	8.27%
		आईएनई020बी08916	131	अप्रतिभूत	22-02-2025	8.35%
		आईएनई020बी08922	132	अप्रतिभूत	09-03-2022	8.27%
2	एसबीआईसीएपी ट्रस्टीशिप कंपनी लि. छठां तल, अप्पेजे हाऊस, 3 दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020 संपर्क : श्री अजीत जोशी फोन : 022-43025566 फैक्स : 022-22040456 ई-मेल : corporate@sbicaptrustee.com, investor.cell@sbicaptrustee.com	वित्त वर्ष 2012-13 एवं वित्त वर्ष 2013-14 में आबंटित आरईसी टैक्स फ्री बांडो के लिए सार्वजनिक निर्गम हेतु।				
3	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17 आर, कमानी मार्ग, मुंबई-400001 संपर्क : श्री अजीत गुरुजी फोन : 022-40807001 फैक्स : 022-66311776 ई-मेल : ajit.guruji@idbitrustee.com, response@idbitrustee.com	श्रृंखला-I (वित्त वर्ष 2010-11) के तहत आबंटित इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों एवं श्रृंखला-VIII एवं श्रृंखला-IX के तहत आबंटित 54 ईसी कैपिटल गेन बांडों के लिए				
4	आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लि. दि आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051 संपर्क : श्री संजय दोदती फोन : 022-26593644 फैक्स : 022-26533297 ई-मेल : sanjay.dodti@ilfsindia.com, shailesh.kokate@ilfsindia.com	श्रृंखला-II (वित्त वर्ष 2011-12) के तहत आंबटित इंफ्रास्ट्रक्चर बांडो के लिए एवं वित्त वर्ष 2011-12 के आबंटित आरईसी टैक्स फ्री बांडो के सार्वजनिक निर्गम हेतु				

31 मार्च, 2015 के अनुसार तुलन-पत्र

(करोड़ ₹ में)

	ब्योरे	टिप्पणी संख्या	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
I.	इक्विटी और देयताएं			
(1)	शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी	1	**987.46**	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	2	**23,869.57**	19,682.00
	उप-जोड़ (1)		**24,857.03**	20,669.46
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	3	**1,31,168.32**	1,10,162.30
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	4	**107.32**	173.69
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	5	**36.16**	23.52
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	6	**1,007.09**	442.24
	उप-जोड़ (2)		**1,32,318.89**	1,10,801.75
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	7	**734.00**	2,540.00
	(ख) अन्य चालू देयताएं	8	**24,811.40**	18,583.73
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	6	**453.71**	257.96
	उप-जोड़ (3)		**25,999.11**	21,381.69
	जोड़ (1+2+3)		**1,83,175.03**	1,52,852.90
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	9		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**72.50**	69.67
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**1.43**	2.45
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**7.39**	9.71
			81.32	81.83
	(ख) गैर-चालू निवेश	10	**1,174.81**	1,660.63
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	11	**1,64,213.78**	1,35,898.97
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	**77.13**	32.12
	उप- जोड़ (1)		**1,65,547.04**	1,37,673.55
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	10	**438.66**	47.16
	(ख) रोकड़ और बैंक शेष	13	**522.90**	1,192.94
	(ग) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	14	**1,100.24**	381.58
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	15	**15,566.19**	13,557.67
	उप-जोड (2)		**17,627.99**	15,179.35
	जोड़ (1-2)		**1,83,175.03**	1,52,852.90

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 49 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
संदस्यता सं. 081085

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण

(करोड़ ₹ में)

ब्योरे		टिप्पणी संख्या	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	16	20,229.53	17,017.98
II.	अन्य आय	17	158.52	102.82
III.	कुल राजस्व (I+II)		20,388.05	17,120.80
IV.	व्यय			
(i)	वित्तीय लागत	18	11,844.61	10,038.46
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	19	133.94	129.91
(iii)	मूल्यह्रास और परिशोधन	9	6.76	4.21
(iv)	अन्य व्यय	20	172.74	105.47
(v)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	21	802.96	312.02
	कुल व्यय (IV)		12,961.01	10,590.07
V.	पिछली अवधि की मदों और कर पूर्व लाभ (III-IV)		7,427.04	6,530.73
VI.	पिछली अवधि की मदें		-	-0.39
VII.	कर पूर्व लाभ (V-VI)		7,427.04	6,531.12
VIII.	कर व्यय			
(i)	चालू वर्ष		2,231.86	1,704.66
(ii)	पिछले वर्ष/(वापसियां)		1.30	14.04
(iii)	आस्थगित कर		-65.99	128.72
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		2,167.17	1,847.42
IX.	सतत प्रचालन से वर्ष का लाभ (VII-VIII)		5,259.87	4,683.70
X.	प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)		-	-
XI.	इस वर्ष का लाभ (IX+X)		5,259.87	4,683.70
XII.	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 रुपए के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में)			
(1)	मूल	22	53.27	47.43
(2)	डायल्यूटेड	22	53.27	47.43

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 49 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2015

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
संदस्यता सं. 081085

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखाकरण परम्परा :** वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परम्परा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 की संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(क) **अनुमानों का उपयोग :** वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रोविजनिंग

निगम ने स्वयं के विस्तृत विवेकपूर्ण मानदंडों का निरूपण किया है। लेखांकन आरईसी के इन विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान की मुख्य विशेषताएं नीचे पैरा 2.1क, 2,1च, 2.2, 2.3 एवं 2.4 में दिए गए हैं।

2.1. आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः संरचित एवं प्रतिधारित हो, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है। (अनर्जक परिसम्पत्तियां) ऋणों के संबंध में आय को प्रोद्भवन आधार पर तब स्वीकार किया जाता है जब उचित रूप से अपेक्षित हो कि कर्जदारों से देय राशियों की प्राप्ति की कोई अनिश्चितता नहीं है और यह तब तक पुनः बातचीत अथवा पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना शर्तों के अधीन संतोषप्रद निष्पादन नहीं है जब तक कि पुनः बातचीत अथवा पुनः निर्धारण अथवा पुनःसंरचना शर्तों के तहत संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है।

ख. आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. डीडीयूजीजेवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ड़. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

च. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

2.2 परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामत :

(i) **मानक परिसंपत्तियां :** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन और ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबंद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

मानक अवसंरचना ऋण परिसम्पत्ति का पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना अथवा पुनः वार्ता को पुनः वर्गीकृत किए जाने की जरूरत नहीं होगी यदि संशोधित परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सक्षम होना पाया गया हो।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(ii) उप-मानक परिसंपत्तियां : 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है :

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जो 18 महीने से अनधिक अवधि तक अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों;

(ख) ऐसी परिसंपत्तियां जिनके संबंध में ब्याज और/या मूलधन के बारे में करार की शर्तों के संबंध में पुनः बातचीत की गई हो या जिन्हें पुनः निर्धारित किया गया हो या जिन्हें पुनर्गठित किया गया हो, बशर्ते कि बातचीत या पुनः निर्धारण या पुनर्गठन की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन का एक वर्ष समाप्त न हुआ हो।

(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां : संदिग्ध परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो 18 माह से अधिक अवधि तक उप-मानक परिसंपत्ति रही हो।

(iv) हानि परिसंपत्तियां : हानि वाली परिसंपत्ति से तात्पर्य है :

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिन्हें आरईसी द्वारा उस सीमा तक हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया हो, जिस सीमा तक आरईसी द्वारा इसे बट्टेखाते नहीं डाला गया हो या ऐसी परिसंपत्ति जो 5 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में रही हो, इनमें से जो भी पहले हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि श्रेणी में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, सुविधाओं को निम्नलिखित अपवाद के साथ कर्जदार-वार वर्गीकृत किया जाएगा :

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग रूप में अभिज्ञेय हो और उसी परियोजना पर प्रयुक्त होती है, आरईसी परियोजना-वार आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी :

(i) हानि वाली परिसंपत्तियां : समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाए के लिए 100% प्रावधान किया जाएगा :

(ii) (ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां :**

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अन्तर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को प्रावधान के संदिग्ध % के रूप में माना गया है :	प्रावधान की प्रतिशतता
1 वर्ष तक	20 %
1 से 3 वर्ष	30 %
3 वर्ष से अधिक	50 %

(iii) उप-मानक परिसंपत्तियां : 10% का प्रावधान किया जाएगा।

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है, एक उप-मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में परिसंपत्ति अथवा संदिग्ध परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो, बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः संरचना से पूर्व थी। ऐसी उक्त परिसंपत्ति पर उसे उन्नयीकृत किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

(iv) मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं:-

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पारेषण एवं वितरण के अधीन उन्नयन एवं आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार परियोजनाएं तथा हिमालयी क्षेत्र की अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हाइड्रो परियोजनाओं से भिन्न पुनगर्ठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय बंदी के समय निर्धारित वास्तविक डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया हो	31 मार्च,2015 के अनुसार बकाया ऋणों के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता निम्नानुसार होगी
क. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो 4 वर्ष ·	31 मार्च, 2015 से 2.75%
ख. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अलावा तो 3 वर्ष) ·	31 मार्च, 2016 से 3.50%

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतिया

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
	· 31 मार्च, 2017 से 4.25% · 31 मार्च, 2018 से 5.00% 1 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।
ऊपर दिए गए से भिन्न मानक परिसंपत्तियों के लिए	बकाया ऋण राशि का 25%

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितकरण के बाद ही प्रत्यायित है।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसम्पत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1. परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम,1913 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2. वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, बशर्ते कि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया गया हो बजाय इस पर मूल्यह्रास क्रय / बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3. वर्ष के दौरान क्रय की गई र. 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4. पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान की तुलना में व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। कोटेड वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है। अनकोटेड वर्तमान निवेश को लागत अथवा फेयर मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिंसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलपनपत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलपनपत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलपनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1. बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2. निगम बांड संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3. निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (विदेशी वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

12. पूर्वावधि/पूर्व प्रदत्त समयोजन

12.1. व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षो की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2. प्रत्येक मामलों में ₹ 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1. उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2. कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

14.1. विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरूहोने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरूके अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के अंतर का अंतरण लेखा'' में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

14.2. भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन-देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1. व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2. व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**1,20,00,00,000**	**1,200.00**	1,20,00,00,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46
योग	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46

1.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम 2013 (लागू सीमा में) के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड) के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त होते.

1.2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक:

नाम	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**64,81,68,218**	**65.64%**	648,168,218	65.64 %
भारतीय जीवन बीमा निगम	**30,877,781**	**3.13%**	59,352,864	6.01 %

08 अप्रैल, 2015 को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 5% शेयरधारिता की बिक्री के प्रस्ताव तथा 10 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई ईटीएफ) लॉयल्टी यूनिटों के लिए ऑफ-मॉर्केट लेन-देन के फलस्वरूप, वित्तीय विवरणों के हस्ताक्षर किए जाने की तिथि को भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता 60.64%(59,87,67,680) है।

2. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
पूंजीगत आरक्षित निधि		**105.00**		105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 2.1 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**3,223.72**		3,222.48
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन		**-**		1.24
वर्ष के अंत में शेष		**3,223.72**		3,223.72
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 2.2 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**345.98**		160.19
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**185.79**		185.79
वर्ष के अंत में शेष		**531.77**		345.98
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**6,820.64**		5,529.64
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**1,629.00**		1,291.00
वर्ष के अंत में शेष		**8,449.64**		6,820.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		**1,268.97**		980.97
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		**353.00**		288.00
वर्ष के अंत में शेष		**1,621.97**		1,268.97

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 2.3 के संदर्भ में)				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		-532.65		-160.28
जोड़ें : वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)		-62.80		-676.64
वर्ष के दौरान परिशोधन		259.99		304.27
वर्ष के अंत में शेष		-335.46		-532.65
सामान्य आरक्षित निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		3,581.40		3,111.40
जोड़ें : अधिशेष लेखा से अंतरित रकम		526.00		470.00
वर्ष के अंत में शेष		4,107.40		3,581.40
अधिशेष लेखा				
वर्ष के प्रारंभ में शेष		4,868.94		3,517.52
घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 (टिप्पणी 2.4 के संदर्भ में) के उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास का अंतरण।		0.74		-
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ		5,259.87		4,683.70
घटाएं : विनियोजन				
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	1,629.00		1,291.00	
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	353.00		288.00	
- लाभांश				
- अंतरिम लाभांश	789.97		765.28	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम) (टिप्पणी 2.5 के संदर्भ में)	266.61		172.81	
- लाभांश संवितरण कर				
- अंतरिम लाभांश	157.89		130.06	
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	54.28		29.34	
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	185.79		185.79	
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	526.00	3,962.54	470.00	3,332.28
वर्ष के अंत में शेष		6,165.53		4,868.94
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि		23,869.57		19,682.00

2.1 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन निजी प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बांडों के निर्गम पर प्राप्त शून्य रुपए (पूर्ववर्ती वर्ष 1.24 करोड़ रुपए) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

2.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है।

तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने रु. 185.79 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 185.79 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

2.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 31 मार्च, 2015 को 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि रु. 335.46 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 532.65 करोड़) है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

2.4 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - II के उपबंधों के अनुरूप स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में रु 0.74 करोड़ (रु. 0.38 करोड़ के कर का निवल) की राशि को प्रतिधारित आमदनी में समायोजित किया गया है, जहां ऐसी परिस्थितियों की शेष उपयोगी कालावधि 01 अप्रैल, 2014 को शून्य थी।

2.5 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित हैं:

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर	राशि	राशि
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	266.61	172.81
- लाभांश की दर	27.00%	17.50%
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	2.70	1.75

3. दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त "दीर्घावधि उधार " के रूप में वर्गीकृत किया गया और टिप्पणी 8 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ए) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क) बांड				
- संस्थागत बांड	35,446.70	2,992.80	24,974.50	2,925.88
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड	10,687.69	4,903.25	10,253.16	5,239.36
- कर मुक्त बांड	11,648.41	-	11,648.41	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंकों से	-	-	-	19.40
- वित्तीय संस्थाओं से	1,100.00	350.00	2,645.00	350.00
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	58,882.80	8,246.05	49,521.07	8,534.64
(बी) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क) बांड				
- संस्थागत बांड	57,714.20	-	41,979.20	4,565.80
- इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	162.98	213.34	376.32	-
- जीरो कूपन बांड	914.48	-	844.08	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंकों से	-	125.00	125.00	125.00
- भारत सरकार से	-	3.07	3.07	4.86
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
- विदेशी मुद्रा उधारियां	13,493.86	10,534.34	17,313.56	307.59
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख+ग)	72,285.52	10,875.75	60,641.23	5,003.25
कुल दीर्घावधि उधार ऋण (क+ख)	131,168.32	19,121.80	110,162.30	13,537.89
कुल दीर्घावधि ऋण (गैर चालू + चालू)	150,290.12		123,700.19	

लेखा संबंधी टिप्पणियां

दीर्घावधि ऋण के ब्योरेः

3.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्योरेः

(प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 3.3 को देखें)

3.1.1 बांड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.1.1.1	संस्थागत बांड				
	123-IIIबी श्रृंखला	**1,955.00**	**-**	-	-
	9.34% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2024 को विमोचनीय				
	123-I श्रृंखला	**1,515.00**	**-**	-	-
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय				
	92-II श्रृंखला	**945.30**	**-**	945.30	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
	91-II श्रृंखला	**995.90**	**-**	995.90	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय				
	90- सी-II श्रृंखला	**1,040.00**	**-**	1,040.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय				
	90- ख-II श्रृंखला	**868.20**	**-**	868.20	-
	8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
	90वीं श्रृंखला	**2,000.00**	**-**	2,000.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
	122वीं श्रृंखला	**1,700.00**	**-**	-	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय				
	119वीं श्रृंखला	**2,090.00**	**-**	2,090.00	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
	88वीं श्रृंखला	**1,495.00**	**-**	1,495.00	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
	118वीं श्रृंखला	**1,655.00**	**-**	1,655.00	-
	9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				
	117वीं श्रृंखला	**2,878.00**	**-**	2,878.00	-
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
	87-क-III श्रृंखला	**61.80**	**-**	61.80	-
	11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
	116-II श्रृंखला	**850.00**	**-**	850.00	-
	9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
	87-II श्रृंखला	**657.40**	**-**	657.40	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय				
	86-ख-III श्रृंखला	**432.00**	**-**	432.00	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
	86-क श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	10.70% सममूल्य पर दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय				
	85वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
	83वीं श्रृंखला	**685.20**	**-**	685.20	-
	9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
	82वीं श्रृंखला	**883.10**	**-**	883.10	-
	9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
	124- I वीं श्रृंखला	**2,610.00**	**-**	-	-
	9.06% सममूल्य पर दिनांक 23.09.2017 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
123- I I I क श्रृंखला	**1,275.00**	**-**	-	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय				
121वीं श्रृंखला	**1,600.00**	**-**	1,600.00	-
9.52% सममूल्य पर दिनांक 25.03.2017 को विमोचनीय				
120वीं श्रृंखला	**1,100.00**	**-**	1,100.00	-
9.67% सममूल्य पर दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
81वीं श्रृंखला	**314.80**	**-**	314.80	-
8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
116-I श्रृंखला	**430.00**	**-**	430.00	-
9.05% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
123-IV श्रृंखला	**2,750.00**	**-**	-	-
8.97% सममूल्य पर दिनांक 08.09.2016 को विमोचनीय				
123- I I श्रृंखला	**1,660.00**	**-**	-	-
9.27% सममूल्य पर दिनांक 08.08.2016 को विमोचनीय				
80वीं श्रृंखला	**-**	**500.00**	500.00	-
8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय				
79वीं श्रृंखला	**-**	**500.00**	500.00	-
7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय				
78वीं श्रृंखला	**-**	**1,795.70**	1,795.70	-
7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय				
77वीं श्रृंखला	**-**	**197.10**	197.10	197.10
7.30% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2015 को विमोचनीय				
75वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	100.00
7.20% सममूल्य पर दिनांक 17.03.2015 को विमोचनीय				
93-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	443.10
8.45% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय				
73वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	46.78
6.90% सममूल्य पर 08.10.2014 को विमोचनीय				
90-ख-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	883.90
8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय				
90- क-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,000.00
8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय				
89-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	255.00
7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय				
कुल संस्थागत बांड	**35,446.70**	**2,992.80**	24,974.50	2,925.88
3.1.1.2 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड				
श्रृंखला IX (2014-15)	**5,337.78**	**-**	-	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला IX (2013-14)	**5,349.91**	**-**	5,349.91	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला VIII (2012-13)	**-**	**4,903.25**	4,903.25	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला VIII (2011-12)	**-**	**-**	-	5,239.36
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विमोचनीय				
जोड़ - 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड	**10,687.69**	**4,903.25**	10,253.16	5,239.36
3.1.1.3 कर मुक्त बांड				
श्रृंखला 2013-14 किश्त 2	**1,059.40**	**-**	1,059.40	-
सममूल्य पर 419.32 करोड़ रुपए के बांड 24.03.2024 को विमोच्य हैं, 530.42 करोड़ रुपए के बांड 24.03.2029 को विमोच्य है और 109.66 करोड़ के बांड 24.3.2034 को विमोच्य हैं, और वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% के परिवर्ती ब्याज दरों के साथ हैं।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	**150.00**	-	150.00	-
105.00 करोड़ रुपए के बांड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं, और 45.00 करोड़ रुपए के बांड 11.10.2028 को विमोच्य हैं, जो वार्षिक रूप से देय 8.18% से 8.54% के परिवर्ती ब्याज दर के साथ है।				
श्रृंखला 2013-14 किश्त 1	**3,440.60**	-	3,440.60	-
575.06 करोड़ रुपए के बांड सममूल्य पर 24.09.2023 को विमोच्य हैं, 2,810.26 करोड़ रुपए 24.09.2028 को विमोच्य हैं और 55.28 करोड़ 24.09.2033 को विमोच्य हैं जो वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.77% की परिवर्ती ब्याज दर के साथ है।				
श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	**1,350.00**	-	1,350.00	-
209.00 करोड़ रुपए के बांड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और 1,141.00 करोड़ रुपए के बांड 29.08.2028 को विमोच्य हैं, जो वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.46% के परिवर्ती ब्याज दर के साथ है।				
श्रृंखला 2012-13 किश्त 2	**131.06**	-	131.06	-
सममूल्य पर विमोचनीय, रु. 81.35 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 25.03.2023 को विमोचनीय हैं और रु. 49.71 करोड़ के बांड दिनांक 25.03.2028 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 6.88% से 7.54% के बीच है।				
श्रृंखला 2012-13 किश्त 1	**2,017.35**	-	2,017.35	-
सममूल्य पर विमोचनीय, रु. 1,165.31 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और रु. 852.4 करोड़ के बांड दिनांक 19.12.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.22% से 7.88% के बीच है।				
श्रृंखला 2012-13 किश्त 2क %र 2ख	**500.00**	-	500.00	-
सममूल्य पर विमोचनीय, रु. 255.00 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 21.11.2022 के विमोचनीय हैं और रु. 245.00 करोड़ के बांड दिनांक 21.11.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.21% से 7.38% के बीच हैं।				
श्रृंखला 2011-12	**3,000.00**	-	3,000.00	-
सममूल्य पर विमोचनीय, रु. 839.67 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 27.03.2022 के विमोचनीय हैं और रु. 2,160.33 करोड़ के बांड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.93% से 8.32% हैं।				
जोड़ - कर-मुक्त बांड	**11,648.41**	-	11,648.41	-
3.1.2 **आवधिक ऋण**				
बैंकों से आवधिक ऋण				
- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	-	-	-	19.40
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण				
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	**1,100.00**	**350.00**	1,450.00	350.00
रु. 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर 300 करोड़ रुपए तथा 6.231% की दर पर 150 करोड़ रुपए बकाया है) 2000 करोड़ रुपए (जो वर्तमान 7.35% की दर पर 1,000 करोड़ रुपए बकाया है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू 10 समान वार्षिक किश्तों में देय है।				
- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	-	-	1,195.00	-
जोड़ : आवधिक ऋण	**1,100.00**	**350.00**	2,645.00	369.40

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:

3.2.1 बांड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.1.1	संस्थागत बांड				
	95-II श्रृंखला	1,800.00	-	1,800.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय				
	94वीं श्रृंखला	1,250.00	-	1,250.00	-
	8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय				
	131वीं श्रृंखला	2,285.00	-	-	-
	8.35% सममूल्य पर दिनांक 22.02.2025 को विमोचनीय				
	130वीं श्रृंखला	2,325.00	-	-	-
	8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय				
	129वीं श्रृंखला	1,925.00	-	-	-
	8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय				
	128वीं श्रृंखला	2,250.00	-	-	-
	8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय				
	115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बांड	2,500.00	-	2,500.00	-
	8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
	114वीं श्रृंखला	4,300.00	-	4,300.00	-
	8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
	111-II श्रृंखला	2,211.20	-	2,211.20	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
	107वीं श्रृंखला	2,378.20	-	2,378.20	-
	9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
	132वीं श्रृंखला	700.00	-	-	-
	8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय				
	127वीं श्रृंखला	1,550.00	-	-	-
	8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय				
	105वीं श्रृंखला	3,922.20	-	3,922.20	-
	9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				
	101-III श्रृंखला	3,171.80	-	3,171.80	-
	9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
	100वीं श्रृंखला	1,500.00	-	1,500.00	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
	98वीं श्रृंखला	3,000.00	-	3,000.00	-
	9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
	97वीं श्रृंखला	2,120.50	-	2,120.50	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय				
	96वीं श्रृंखला	1,150.00	-	1,150.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय				
	113वीं श्रृंखला	1,542.00	-	1,542.00	-
	8.87% सममूल्य पर दिनांक 08.03.2020 को विमोचनीय				
	111-I श्रृंखला	452.80	-	452.80	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
	126वीं श्रृंखला	1,700.00	-	-	-
	8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय				
	125वीं श्रृंखला	3,000.00	-	-	-
	9.04% सममूल्य पर दिनांक 12.10.2019 को विमोचनीय				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
	108-II श्रृंखला	**960.00**	**-**	960.00	-
	9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
	95-I श्रृंखला	**200.00**	**-**	200.00	-
	8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
	112वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
	8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
	109वीं श्रृंखला	**1,734.70**	**-**	1,734.70	-
	9.25% सममूल्य पर दिनांक 27.08.2017 को विमोचनीय				
	108-I श्रृंखला	**2,125.00**	**-**	2,125.00	-
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
	106वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
	9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
	103-I श्रृंखला	**50.00**	**-**	50.00	-
	9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
	102वीं श्रृंखला	**2,216.20**	**-**	2,216.20	-
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
	101-II श्रृंखला	**394.60**	**-**	394.60	-
	9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय				
	74वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	250.00
	7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय				
	110वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	3,475.00
	8.84% सममूल्य पर दिनांक 16.10.2014 को विमोचनीय				
	101-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	395.60
	9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय				
	99-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	445.20
	9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय				
	जोड़ - संस्थागत बांड	**57,714.20**	**-**	41,979.20	4,565.80
3.2.1.2	**इंफ्रास्ट्रक्चर बांड**				
	श्रृंखला-II (2011-12)	**157.59**	**-**	157.59	-
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।				
	श्रृंखला-I (2010-11)	**5.39**	**213.34**	218.73	-
	सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 3.6 देखें।				
	जोड़ : इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	**162.98**	**213.34**	376.32	-
3.2.1.3	**जीरो कूपन बांड**				
	जेडसीबी - श्रृंखला - II	**164.60**	**-**	151.35	-
	(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 हैं, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।				
	जेडसीबी - श्रृंखला - I	**749.88**	**-**	692.73	-
	(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।				
	जोड़ : जीरो कूपन बांड	**914.48**	**-**	844.08	-
3.2.2	**आवधिक ऋण**				
3.2.2.1	**बैंकों से आवधिक ऋण**				
	- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	**-**	**125.00**	125.00	125.00
	8.00% ऋण 30.06.2015 को प्रतिदेय।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
3.2.2.2	**भारत सरकार से ऋण**	-	3.07	3.07	4.86
	मूलधन के संबंध में 30 वर्ष की मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन सहित विभिन्न खंडों में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 समान वार्षिक किश्तों में 6.75% से 7.75% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ प्रतिदेय।				
	जोड़ - आवधिक ऋण	-	128.07	128.07	129.86
3.2.3	**अन्य ऋण और अग्रिम**				
3.2.3.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बांड - सीएचएफ 200 मिलियन	1,285.44	-	1,350.32	-
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	आरईजी एस बांड - 500 मिलियन अमरीकी डालर	-	2,703.58	2,641.31	-
	4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	550.17	209.62	735.25	203.81
	0.75% जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.3.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2015 को देय हो रही है और जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2015 को देय हो रही है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	144.43	51.40	195.83	50.34
	3.73% ऋण € 3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण-400 मिलियन अमेरिकी डालर	-	1,788.96	1,788.96	-
	दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस-70 मिलियन अमेरिकी डालर	-	311.36	311.36	-
	दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय।				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिज़ूहो - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	-	446.50	446.50	-
	दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय।				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	-	446.50	446.50	-
	दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय।				
	सिंडिकेट ऋण - 300 मिलियन अमेरिकी डालर	1,367.24	-	1,367.24	-
	दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय।				
	केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	267.22	53.44	320.66	53.44
	2.89% ऋण, € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। अगली किश्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण- ¥12.525 बिलियन	1,184.43	-	1,184.43	-
	दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय।				
	सिंडिकेट ऋण- $250 मिलियन अमेरिकी डालर	-	1,366.49	1,366.49	-
	150 मिलियन अमेरिकी डालर और 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण क्रमशः 17.09.2015 और 19.11.2015 को प्रतिदेय है।				
	केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	477.36	89.18	416.99	-
	1.86% ऋण, € 5.26 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	-	1,544.42	1,488.37	-
	दिनांक 05.02.2016 को प्रतिदेय				
	सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	-	1,522.89	1,473.07	-
	दिनांक 21.03.2016 को प्रतिदेय।				
	सिंडिकेट ऋण - $285 मिलियन अमेरिकी डालर	1,780.28	-	1,780.28	-
	दिनांक 02.12.2018 को प्रतिदेय।				

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	1,499.29	-	-	-
दिनांक 29.05.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन अमेरिकी डालर	2,435.78	-	-	-
ऋण $230 मिलियन अमेरिकी डालर और $170 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमशः दिनांक 24.07.2019 तथा 27.10.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $400 मिलियन अमेरिकी डालर	2,502.22	-	-	-
दिनांक 12.03.2020 को प्रतिदेय।				
जोड़ : विदेशी मुद्रा उधार	13,493.86	10,534.34	17,313.56	307.59

3.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86ए, 86बी-।।।, 87-।।, 87 ए-।।।, 88, 90, 90 बी-।।, 90 सी-।।, 91-।।, 92-।।, बांडों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड विलेज, नई दिल्ली- को बंधक रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखलाएं 116-।, 116-।।, 117, 118, 119, 120, 121,122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके सुरक्षित हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बांडों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बांड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखलाएं 123-।, 123-।।, 123-।।।ए, 123-।।।बी, 123-IV, 124-। विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में सुरक्षित हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित है तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बांडों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बांड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांडों की बांड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला वड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्त मालबंधन है।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बांड, शॉप नं. 12, भू-तल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और आईएल एवं एफएल ट्रस्ट कंपनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तों पर मालबंधन हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला वड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्तों पर मालबंधन हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/निर्दिष्ट हैं)।

आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

3.4 विदेशी मुद्रा उधारियों को 6 माह के यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर) पर 117 बीपीएस से 220 बीपीएस के फैलाव के रेंज में ब्याज दरों पर बढ़ाए गए हैं, सिवाय उन दरों के, जहां दरों का टिप्पणी सं. 3.2.3.1 में उपर उल्लेख किया गया है।

3.5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंगों का स्थानांतरण

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी को घरेलू ऋण लिखतों के लिए निरंतर 'एएए' रेटिंग प्राप्त है, जे क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इक्रा-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च रेटिंग है।

आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मूडी और फिच से भारत की सर्वोच्च रेटिंग के समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है, जो कि क्रमशः 'बीएए3' तथा 'बीबीबी' है।

वर्ष के दौरान रेटिंगों का कोई स्थानांतरण नहीं हुआ है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला I(2010-11)

	रकम (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.00 %	**61.60**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20 %	**151.74**	
8.10 %	**1.61**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20 %	**3.78**	
जोड़	**218.73**	

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर	रकम (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	**95.23**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	**32.85**	
9.15% संचयी	**13.43**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	**5.01**	
8.95% संचयी	**5.73**	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	**1.38**	
9.15% संचयी	**2.83**	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	**1.13**	
जोड़	**157.59**	

4. आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
निम्न के कारण आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	**4.00**	5.02
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	**116.10**	181.04
जोड़	**120.10**	186.06
निम्न के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अवकाश देयता के लिए प्रावधान	**7.95**	7.79
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	**4.83**	4.58
जोड़	**12.78**	12.37
आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)	**107.32**	173.69

4.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। अतः सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह लेखाकरण मानक-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

5. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारियों पर देय नहीं	**36.16**	23.52
जोड़	**36.16**	23.52

लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	**कर्मचारी हितलाभ**				
	अर्जित अवकाश देयता	**20.30**	**2.68**	20.19	2.73
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**73.80**	**3.81**	63.43	3.21
	चिकित्सा अवकाश देयता	**13.26**	**1.96**	12.83	1.91
	निपटान भत्ता	**1.04**	**0.16**	1.02	0.14
	आर्थिक पुनर्वास योजना	**2.71**	**0.01**	2.58	0.07
	दीर्घ सेवा अवार्ड	**2.34**	**0.50**	3.02	0.36
	उप-जोड़ (क)	**113.45**	**9.12**	103.07	8.42
(ख)	**अन्य**				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	**446.13**	**44.79**	339.17	31.21
	पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	**447.51**	**4.26**	-	-
	प्रोत्साहन	**-**	**16.71**	-	15.42
	धन कर	**-**	**0.37**	-	0.37
	अनुषंगी लाभ कर	**-**	**0.36**	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	**-**	**266.61**	-	172.81
	कारपोरेट लाभांश कर	**-**	**54.28**	-	29.37
	सीएसआर व्यय	**-**	**57.21**	-	-
	उप-जोड़ (ख)	**893.64**	**444.59**	339.17	249.54
	जोड़ (क+ख)	**1,007.09**	**453.71**	442.24	257.96

6.1 लेखाकरण मानक-29 के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधानों के ब्योरे निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
अर्जित अवकाश देयता	**22.92**	**5.57**	**5.51**	**22.98**
पिछले वर्ष	23.32	6.17	6.57	22.92
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	**66.64**	**16.39**	**5.42**	**77.61**
पिछले वर्ष	55.80	15.05	4.21	66.64
चिकित्सा अवकाश देयता	**14.74**	**1.81**	**1.33**	**15.22**
पिछले वर्ष	13.40	2.64	1.30	14.74
निपटान भत्ता	**1.16**	**0.20**	**0.16**	**1.20**
पिछले वर्ष	1.16	0.10	0.10	1.16
आर्थिक पुनर्वास योजना	**2.65**	**0.70**	**0.63**	**2.72**
पिछले वर्ष	2.23	0.89	0.47	2.65
दीर्घ सेवा अवार्ड	**3.38**	**0.02**	**0.56**	**2.84**
पिछले वर्ष	3.06	0.94	0.62	3.38
मानक ऋण परिसंपत्तियां	**370.38**	**120.54**	**-**	**490.92**
पिछले वर्ष	105.68	264.70	-	370.38
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	**-**	**451.77**	**-**	**451.77**
पिछले वर्ष	-	-	-	-
पुनर्व्यवस्थित ऋण परिसंपत्तियां	**-**	**-**	**-**	**-**
पिछले वर्ष	3.18	-	3.18	-
प्रोत्साहन	**15.42**	**13.30**	**12.01**	**16.71**
पिछले वर्ष	34.03	10.95	29.56	15.42

लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
सीएसआर व्यय	**-**	**103.25**	**46.04**	**57.21**
पिछले वर्ष	-	-	-	-
धन कर	**0.37**	**0.37**	**0.37**	**0.37**
पिछले वर्ष	0.37	0.37	0.37	0.37
अनुषंगी हितलाभ कर	**0.36**	**-**	**-**	**0.36**
पिछले वर्ष	0.36	-	-	0.36
अंतरिम लाभांश	**-**	**789.97**	**789.97**	**-**
पिछले वर्ष	-	765.28	765.28	-
प्रस्तावित लाभांश	**172.81**	**266.61**	**172.81**	**266.61**
पिछले वर्ष	148.12	172.82	148.13	172.81
कारपोरेट लाभांश कर	**29.37**	**212.17**	**187.26**	**54.28**
पिछले वर्ष	25.17	159.40	155.20	29.37
आय कर	**3,988.96**	**2,234.54**	**973.67**	**5,249.83**
पिछले वर्ष	2,321.78	1,707.92	40.74	3,988.96

7. अल्पावधि उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**मांग पर प्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	**734.00**	-
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	**-**	**2,540.00**
	जोड़ (क+ख)	**734.00**	**2,540.00**

8. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी 3 के संदर्भ में)**	**19,121.80**	13,537.89
(ख)	**उपचित ब्याज किंतु उधारियों पर देय नहीं**	**5,265.43**	4,400.95
(ग)	**उपचित एवं उधारियों पर देय ब्याज**	**1.10**	1.10
(घ)	**अग्रिम में प्राप्त आय**	**0.08**	0.01
(च)	**अप्रदत्त लाभांश**	**2.62**	2.31
(छ)	**अप्रदत्त मूलधन और बांडों पर ब्याज**		
	- परिपक्व बांड एवं उन पर उपचित ब्याज	**57.64**	61.05
	- बांडों पर ब्याज	**14.33**	11.38
(ज)	**अन्य देय राशियां**		
	- भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/अनुदान	**33,641.80**	30,260.46
	- जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 8.3 के संदर्भ में)	**51.38**	11.55
	- घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-33,399.90**	-29,760.21
	असंवितरित सब्सिडी/अनुदान	**293.28**	511.80
	- चालू खाते में ओवरड्रॉफ्ट	**0.38**	-
	- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	**22.78**	24.38
	- कर्मचारी हितलाभों हेतु वित्तपोषित देय राशियां	**0.62**	0.82
	- अन्य देयताएं	**31.34**	32.04
	उप-जोड़ (ज)	**348.40**	569.04
	जोड़ (क से ज)	**24,811.40**	18,583.73

लेखा संबंधी टिप्पणियां

8.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडीः

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची,ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 2.22 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.53 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः-

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**3.53**	5.20
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.13**	0.22
घटाएंः उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**1.44**	1.89
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**2.22**	3.53

8.2 भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष ''अन्य चालू देयताएं'' के तहत ''असंवितरित सब्सिडी/अनुदान'' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 61.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38.00 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अलावा वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय को सब्सिडी पर कुल ब्याज में से ₹ 22.07 करोड़ पिछले वर्ष ₹ 29.51 करोड़) की राशि वापस की गई है।

8.3 वर्ष की सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
आरंभिक शेष	**11.55**	3.65
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित व्यय	**62.93**	38.32
घटाएंः वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**22.34**	29.51
घटाएंः एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.76**	0.91
वर्ष के अंत में शेष	**51.38**	11.55

लेखा संबंधी टिप्पणियां

9. 31 मार्च, 2015 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	**31.03.2015 को बंद**	31.03.2014 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	**31.03.2015 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	-	-	**34.75**	-	-	-	**-**	**34.75**	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.21	0.01	-	**0.22**	**1.23**	1.24
भवन	28.49	5.22	-	**33.71**	6.84	0.46	0.01	**7.29**	**26.42**	21.65
फर्नीचर और मरम्मती	6.74	0.44	0.13	**7.05**	4.07	0.54	0.03	**4.58**	**2.47**	2.67
वाहन	0.45	0.19	0.18	**0.46**	0.37	0.03	0.18	**0.22**	**0.24**	0.08
ईडीपी उपस्कर	15.83	3.66	2.87	**16.62**	9.95	3.67	2.33	**11.29**	**5.33**	5.88
कार्यालय उपस्कर	5.97	0.44	0.09	**6.32**	2.57	1.02	-0.67	**4.26**	**2.06**	3.40
जोड़	93.68	9.95	3.27	**100.36**	24.01	5.73	1.88	**27.86**	**72.50**	69.67
पिछले वर्ष	89.70	5.92	1.94	**93.68**	22.11	2.84	0.94	**24.01**	**69.67**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6.96	0.01	-	**6.97**	4.51	1.03	-	**5.54**	**1.43**	2.45
जोड़	6.96	0.01	-	**6.97**	4.51	1.03	-	**5.54**	**1.43**	2.45
पिछले वर्ष	6.85	0.11	-	**6.96**	3.14	1.37	-	**4.51**	**2.45**	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	9.71	2.90	5.22	**7.39**	-	-	-	**-**	**7.39**	9.71
पिछले वर्ष	8.75	0.96	-	**9.71**	-	-	-	**-**	**9.71**	

9.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत रु. 4.59 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

9.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों में कमी' के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

9.3 **एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों' में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:**

उपयोगी कालावधि	5 वर्ष
समाशोधन दर	20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो
समाशोधन की विधि	स्ट्रेट लाईन

लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
लागत पर मूल्यांकित				
(1) गैर-चालू निवेश				
(क) अन्य निवेश (अनुद्धृत)				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
- अनुषंगी कंपनियां				
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	50,000	0.05
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्ण प्रदत्त हैं।				
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	**50,000**	**0.05**	50,000	0.05
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्ण प्रदत्त हैं।				
- संयुक्त उद्यम				
- एनर्जी एफीशिएंसी सर्विज लिमिटेड	**22,500,000**	**22.50**	22,500,000	22.50
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर, जो पूर्ण प्रदत्त हैं।				
- अन्य				
- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	**1,250,000**	**1.25**	1,250,000	1.25
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	**16,000,000**	**16.00**	16,000,000	16.00
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड - II	**8**	**377.28**	10	471.60
प्रत्येक एक बांड समान छमाही किश्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किश्त 01.10.2015 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बांड)				
(iii) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश				
- केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड				
प्रति यूनिट ₹ 10.00 के अंकित मूल्य के ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' निधि के यूनिट	**7,682,816**	**7.68**	7,682,816	7.68
(iv) डिबेंचर्स में निवेश	**75,000**	**750.00**	114,150	1,141.50
यूपी पॉवर कार्पोरेशन लि.के 9.68% बांड				
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बांड				
जोड़ : गैर-चालू निवेश (1)		**1,174.81**		1,660.63
(2) चालू निवेश				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)				
- उत्तर प्रदेश सरकार के 8.57%-8.73% विशेष बांड		**391.50**		-
₹ 39.15 करोड़ रुपए की वार्षिक किश्तों में परिपक्व हो रहा है, प्रथम परिपक्वता 31.12.2019 को देय है।**				
(ख) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धत)				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड-II	**1**	**47.16**	1	47.16
प्रत्येक एक बांड समान छमाही किश्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किश्त 01.10.2015 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ रुपए के अंकित मूल्य के बांड)।				
जोड़-चालू निवेश (2)		**438.66**		47.16
जोड़ (1+2)		**1,613.47**		1,707.79

लेखा संबंधी टिप्पणियां

* चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 माह के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

** निवेश को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनसूची III के अनुसार चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, चूंकि प्रबंधन अगले 12 महीनों में निवेश का निपटान करना चाहता है।

10.1 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(1)	**निवेशों का मूल्य**				
	(i) (i) **निवेशों का समग्र मूल्य**				
	(क) भारत में	1,174.81	438.66	1,660.63	47.16
	(ख) विदेशों में	-	-	-	-
	(ii) (ii) **मूल्यह्रास हेतु प्रावधान**				
	(क) भारत में	-	-	-	-
	(ख) विदेशों में	-	-	-	-
	(iii) **निवेशों का निवल मूल्य**				
	(क) भारत में	1,174.81	438.66	1,660.63	47.16
	(ख) विदेशों में	-	-	-	-
(2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**				
	(i) वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	-	-
	(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-	-	-
	(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	-	-	-	-
	(iv) **वर्ष के अंत में शेष**	-	-	-	-
(3)	**उद्धत निवेशों की समग्र राशि**	-	391.50	-	-
	उद्धत निवेशों का बाजार मूल्य	-	405.63	-	-
(4)	**अनुद्धत निवेशों की समग्र राशि**	1,174.81	47.16	1,660.63	47.16
(5)	**निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान**	-	-	-	-

10.2 निवेश में ₹ 7.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.68 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' (एसआईबी) वेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 7.68 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2015 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 9.70 प्रति यूनिट है (31.03.2014 के अनुसार ₹ 9.70 प्रति यूनिट)। चूंकि 'स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि में निवेश दीर्घकालिक है, इसलिए वर्तमान परिदृश्य में निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) को अस्थायी विचारा गया है।

10.3 संयुक्त उपक्रमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचना:

1. एनर्जी एफिसिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात	25%
निगमन देश	भारत
प्रचालन का क्षेत्र	भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1. एनटीपीसी लिमिटेड (25%) 2. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (25%) 3. पॉवर फाइनैंस कारपोरेशन लिमिटेड (25%)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

31.03.2015 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर इसके अपरीक्षित लेखों के आधार पर संयुक्त उद्यम के संबंध में वर्ष हेतु आय एवं व्यय निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के अनुसार / के लिए (गैर लेखापरीक्षित)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार/ के लिए (गैर लेखापरीक्षित)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के अनुसार /के लिए (लेखापरीक्षित)*
(i)	कुल परिसंपत्तियां	78.94	31.62	31.44
(ii)	कुल देयताएं	50.21	4.90	5.30
(iii)	कुल आरक्षित एवं अधिशेष	6.23	4.22	3.64
(iv)	आकस्मिक देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	शून्य	5.52	5.18
(vi)	कुल आय	17.57	8.39	6.61
(vii)	कुल व्यय	14.37	7.13	5.40

* संयुक्त उपक्रम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं । हालांकि बाद में 27 सितंबर 2014 को ईईएसएल के वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की गई। परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के लेखापरीक्षित एवं गैर-लेखापरीक्षित आंकड़ों में परिवर्तन को ईईएसएल के वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलन पत्र आंकड़ों में पहले ही समायोजित कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त कर पश्चात लाभ में परिवर्तन को पहले ही अधिशेष खाते के आरंभिक बैलेंस में समायोजित कर लिया गया है । शून्य

11. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	20.20	20.20
(ख)	**प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	0.94	7.45
(ग)	**संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम**		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु	0.21	0.06
		0.21	0.06
(घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को छोड़कर)	40.40	15.85
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	164,152.03	135,855.41
		164,192.43	135,871.26
	योग (क से घ)	164,213.78	135,898.97

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम तथा ऋण परिसंपत्तियों का ब्योरा:

11.1 स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ को ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-15 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**सुरक्षित स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(क1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
	(क) शोध्य समझा गया	0.04	0.02	0.01	-
(क2)	**अन्य को**				
	(क) शोध्य समझा गया	2.82	1.08	4.13	0.69
	(ख) वर्गीकृत अशोध्य	-	0.07	0.02	0.05
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की राशि	-	0.07	0.02	0.05
		-	-	-	-
	उप-जोड़ (क1+क2)	2.86	1.10	4.14	0.69
(ख)	**अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(ख1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
	(क) शोध्य समझा गया	0.17	0.06	0.05	0.03
(ख2)	**अन्यों को**				
	(क) शोध्य समझा गया	37.58	9.56	11.72	4.51
	उप जोड़ (ख1+ख2)	37.75	9.62	11.77	4.54
	सकल जोड़ (क+ख)	40.61	10.72	15.91	5.23

लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.2 ऋण परिसंपत्तियां

ऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-15 'अन्य चालू परिसंपत्तियां के अधीन वर्गीकृत किया गया है।.

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	**प्रतिभूत ऋण**				
(क1)	**राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
(क)	शोध्य समझे गए	**95,970.62**	**8,981.75**	82,521.17	7,670.75
(क2)	**अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)**				
	(क) शोध्य समझे गए	**28,393.85**	**1,201.89**	22,027.26	1,160.66
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**849.53**	**429.66**	308.02	182.38
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**208.67**	**100.59**	119.64	17.22
		640.86	**329.07**	188.38	165.16
	उप-जोड़ (क1+क2)	**125,005.33**	**10,512.71**	104,736.81	8,996.57
(ख)	**अप्रतिभूत ऋण**				
(ख1)	**संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	**35,334.41**	**2,651.53**	27,201.58	2,363.27
(ख2)	**राज्य सरकारों को ऋण**				
	(क) शोध्य समझे गए	**2,878.29**	**377.24**	2,860.78	340.09
(ख3)	**ऋण - अन्य**				
	(क) शोध्य समझे गए	**934.00**	**490.99**	1,056.24	572.29
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	**56.19**	**-**	-	-
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	**56.19**	**-**	-	-
		-	**-**	-	-
	उप-जोड़ (ख1+ ख2+ख3)	**39,146.70**	**3,519.76**	31,118.60	3,275.65
	समग्र जोड़ (क+ख)	**164,152.03**	**14,032.47**	135,855.41	12,272.22

11.2.1 31 मार्च, 2015 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 85% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियाँ उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी हैं।

11.2.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुनर्संरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

11.2.3 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ताओं में से एक के देय 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय थे, इस प्रकार, 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण हेतु समय सीमा अधिक हो गयी। उधारकर्ता के पक्ष में अतिरिक्त राजस्व हेतु नवंबर, 2013 में राज्य नियामक और नवंबर, 2014 में संबंधित अपीलीय अधिकरण द्वारा अवार्ड किए गए प्रशुल्क आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संबंधित वितरण कंपनी द्वारा चुनौती दी गयी। चूंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है, उधारकर्ता कंपनी को बकाया देय का भुगतान करने में असमर्थ है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2015 के आदेश के तहत संबंधित वितरण कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है और फलस्वरूप, राज्य नियामक ने अपने दिनांक 13 मई, 2015 के आदेश में वितरण कंपनी को उधारकर्ता के बकाया देय का शीघ्र भुगतान करने का निदेश दिया है। तत्पश्चात, कंपनी के ₹54.15 करोड़ की संपूर्ण देय राशि को 15 मई, 2015 को, अर्थात् तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व, मंजूरी दे दी गयी है। अतः लेखाकरण मानक 4 'तुलन पत्र की तिथि के उपरांत हुई आकस्मिकताएं और घटनाएं' के उपबंधों के अनुसार, उधारकर्ता को 'मानक परिसंपत्ति' के वर्गीकरण में बरकरार रखा गया है। लेखाकरण मानक-4 के अनुपालन में, उपरोक्त निवारण के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कर पूर्व लाभ रू 66.73 करोड़ ज्यादा रहा है।

11.2.4 अलकनंदा हाइड्रो पॉवर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) श्रीनगर, एचईपी उत्तराखंड में स्थित है। वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान हुई घटना को प्राकृतिक आपदा के रूप में विचार करते हुए यह निर्णय लिया कि बैंकों को उत्तराखंड में बकाया सभी परियोजनाओं के ऋण के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण और ब्याज की चुकौती पर रोक लगा देनी चाहिए। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2013 के पत्र के द्वारा ऐसे लाभ को एएचपीसीएल के लिए लागू कर दिया। तदनुसार, आरईसी ने जून, 2014 में एएचपीसीएल के लिए निधिपोषित ब्याज सावधिक ऋण (एफआईटीएल) को संस्वीकृत किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी, 2014 को "गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा अग्रिम की पुनर्व्यवस्था पर मानदंड " के संबंध में परिपत्र जारी किया है। जिसमें अन्य बातों के साथ यह उल्लिखित है कि " एफआईटीएल की प्रतिनिधित्व वाली अप्राप्त आय के लिए किसी खाते में ऐसा ही ऋण होना चाहिए जैसे

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सिंड्री लाइबिलिटीज एकाउंट में निर्धारित है (ब्याज पूंजीकरण)। उपरोक्त परिपत्र की अनुप्रयोज्यता के प्रत्युत्तर में, आरईसी ने अपने दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से यह अभिवेदन दिया कि ''हिमालय क्षेत्र में हाइड्रो परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित विद्युत परियोजनाओं को पुनर्व्यवस्था मानदंडों से बाहर रखा जाए''।

उपरोक्त अनुरोध के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा यह मंजूरी दी कि पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाएं, हिमालय क्षेत्र में हाईड्रो परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित को भी (31 मार्च, 2014 के अनुसार नये ऋण और ऋणों का बकाया स्टॉक) 31 मार्च, 2017 तक आरईसी के विद्यमान पुनर्संरचना मानदंडों के अनुसार अधिनियमित किया जाएगा।

कंपनी ने एफआईटीएल के लिए एसएलए के गैर निर्माण का अनुमान लगाया तथा वे एफआईटीएल के प्रतिनिधित्व वाली अप्राप्त आय को पुनर्गठित ऋणों के प्रावधान के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश दिनांक 23 जनवरी, 2014 के द्वारा मिली छूट के कारण समतुल्य नकदी प्राप्त किए बिना सीधे बुक कर सकते हैं। तदनुसार कंपनी ने एएचपीसीएल की एफआईटीएल द्वारा प्रतिनिधित्व की गई आय के रूप में रू 86.42 करोड़ के लिए अप्राप्त आय को बुक किया तथा इस मामले को स्पष्टीकरण के लिए आरबीआई को संदर्भित कर दिया।

उपरोक्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण लंबित है, इसी प्रकार का सिंड्री लाइबिलिटीज अकाउंट सृजित करने की बजाय (ब्याज पूंजी करण) एएचपीसीएल के संबंध में एफआईटीएल के लिए लेखा बही में ₹ 86.42 करोड़ का 100% भत्ता सृजित किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मिलने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

11.2.5 मैसर्स तीस्ता उर्जा लिमिटेड (टीयूएल) सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य में हाइड्रो वैद्युत परियोजना का निष्पादन कर रहा है। परियोजना में महत्वपूर्ण वास्तविक प्रगति अर्जित कर ली गयी है और उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की संचयी वास्तविक प्रगति 91.6% है। तीस्ता उर्जा लिमिटेड (टीयूएल), पहली ओवररन लागत तक परियोजना लागत के साथ पूर्णतया परिसीमित है। तदनुसार, परिसंपत्तियों पर प्रभार को कंसोर्टियम में प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुसार सृजित किया गया है।

एक को छोड़कर सभी उधारदाताओं ने दूसरी ओवररन लागत की ऋण आवश्यकता के समक्ष अपने आनुपातिक शेयरों को संस्वीकृत कर दिया। उसी दौरान, परियोजना के सामने इसके प्रोमोटरों से इक्विटी के निवेश का मुद्दा आया। इक्विटी निवेश से संबंधित मामले पर कंपनी के शेयरधारकों/उधारदाताओं के बीच विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में हुई सहमति के अनुसार, सिक्किम पॉवर इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसीएल), 26% इक्विटी की अपनी वर्तमान होल्डिंग से 51% इक्विटी के साथ परियोजना का अधिकार संभालेगा। इसलिए अन्य सभी प्रोमोटरों के शेयर की यथानुपात आधार पर नीचे आने की संभावना है ताकि 51% इक्विटी का अधिकार रखने के लिए एसपीआईसीएल समर्थ हो सके। इस प्रकार, दूसरी ओवररन लागत के लिए संयुक्त प्रलेखीकरण, प्रबंधन/शेयरधारिता के प्रतिरूप में प्रस्तावित बदलाव के निष्पादन के लंबित होने से, क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

उसी दौरान, आरईसी सहित, कुछ उधारदाताओं ने, टीयूएल को दूसरी ओवररन लागत के लिए स्वीकृत ऋण के समक्ष, कंपनी के साथ द्विपक्षीय करार के आधार पर उनके देय बकाया ब्याज को समायोजित कर लिया। एक बार संयुक्त प्रलेखीकरण निष्पादित हो जाता है और संवर्धित ऋण हेतु परियोजना पर प्रतिभूति सृजित हो जाती है तो, दूसरी ओवररन लागत के समक्ष सभी संवितरण प्रतिभूत हो जाएंगे। लंबित प्रलेखीकरण, ₹ 202.15 करोड़ की राशि को अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

11.2.6 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण- I टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ (वरिष्ठतम ऋण: ₹ 555 करोड़ और उप-ऋण: ₹ 95 करोड़) की राशि संस्वीकृत की। ₹ 555 करोड़ का वरिष्ठतम ऋण सभी कंपनी की वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियें, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रथम प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरूपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र के तौर पर प्रतिभूत है। ₹ 95 करोड़ का उप-ऋण वरिष्ठतम ऋण के लिए दी गयी प्रतिभूति पर द्वितीय प्रभार के द्वारा प्रतिभूत है तथा यह कारपोरेट इस्पात एंड अलोयस् लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रतिभूत है। तत्पश्चात, प्रमुख उधारदाता के रूप में, आरईसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के समक्ष अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है।

उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की उपलब्ध पिछली रिपोर्ट के अनुसार परियोजना (जहां आरईसी प्रमुख है) के चरण- I की प्रगति, लगभग 96% है। हालांकि, खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया था। आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, 10% के एक प्रावधान का बकाया ऋण राशि पर सृजित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, ₹ 81.17 करोड़ अर्थात् ₹ 811.74 करोड़ का 10% का प्रावधान 30 जून, 2014 को सृजित किया गया। उधारदाता, प्रबंधन में परिवर्तन करने सहित परियोजना के पुनरद्धार के लिए विभिन्न विकल्प खोज रहे हैं। ऐसे प्रयासों के लंबित परिणाम, विवेक के एक मामले के रूप में, ₹ 133.2 करोड़ (समायोजित आईडीसी राशि हेतु) के 100% भत्ते को लेखा बहियों में सृजित किया गया है तथा आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ₹ 678.22 करोड़ की बकाया ऋण राशि के लिए 10% भत्ता बहियों में सृजित किया गया है।

11.2.7 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए ₹ 1,150 करोड़ संस्वीकृत किए हैं। परियोजना में लगभग ₹ 2,700 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसमें आरईसी ने केवल ₹ 33.24 करोड़ का संवितरण किया है। जैसा कि परियोजना में पर्याप्त रूप से विलंब हुआ है, उधारदाताओं ने प्रबंधन में परिवर्तन किए जाने सहित परियोजना के लिए आगे की कार्यान्वयन कार्यनीति को मूल्यांकित करने के लिए एक कोर-समिति का गठन किया है।

खाता 30.06.2014 को एनपीए हो गया। आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, बकाया ऋण राशि पर 10% का भत्ता सृजित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, ₹ 3.32 करोड़ अर्थात् ₹ 33.24 करोड़ का 10% भत्ता 30 जून, 2014 को सृजित किया गया। हालांकि, आगामी विकास कार्यों के आधार पर, आरईसी परियोजना परिसंपत्तियों के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए प्रमुख उधारदाता से संपर्क कर सकता है।

हालांकि, विवेक के मामले के रूप में, जेआईपीएल के लिए ₹ 2.29 करोड़ का 100% भत्ता (समायोजित आईडीसी राशि हेतु) खाते में सृजित किया गया है एवं आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ₹ 30.95 करोड़ की बकाया ऋण राशि के लिए 10% भत्ता बहियों में सृजित किया गया है। अतिरिक्त भत्ते की ऊपर स्पष्ट किए गए उपायों के परिणाम के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

12. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश	5.01	4.03
(ख)	पुनः निर्धारित ऋणों पर उपचित ब्याज	-	2.11
(ग)	अग्रिम आय कर एवं टीडीएस	5,321.81	4,010.81
	घटाएं : आयकर संबंधी प्रावधान	5,249.83	3,988.96
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	71.98	21.85
(घ)	अपरिशोधित व्ययों का गैर-चालू भाग :		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	0.14	4.13
	जोड़ (क से घ)	77.13	32.12

13. नकद और बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	नकदी एवं नकदी समतुल्य		
	- बैंकों में शेष रकम	189.25	117.94
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	333.29	1,075.00
	उप-जोड़ (क)	522.54	1,192.94
(ख)	अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	0.36	-
	जोड़ (क+ख)	522.90	1,192.94
	बैंकों में शेष में निम्नलिखित शामिल है:		
	- बैंकों में अलग खातों में निर्दिष्ट शेष		
	- अप्रदत्त लाभांश हेतु	2.62	2.31
	- डीडीयूजीजेवाई अनुदान हेतु	31.68	0.20
	- एजी एंड एसपी अनुदान हेतु	2.22	3.97
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि अनुदान हेतु	1.00	-
	- अन्य अनुदान हेतु	20.04	1.75
	- कर मुक्त बांड पब्लिक इश्यू लेखा	-	5.96
	- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	2.15	2.38

इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 236.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 503.50 करोड़.) चिह्नित की गयी है। (ख) अन्य - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिन्हित ₹ 0.36 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की जमा राशि शामिल है।

13.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्येक ₹ 1,000.00 के अंकित मूल्य के कुल ₹ 4,500 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू को जारी किया है, जो ₹ 1,500 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के निजी व्यवस्थापन इश्यू के अतिरिक्त है। 31 मार्च, 2014 को शेष अप्रयुक्त ₹ 5.96 करोड़ की इश्यू आय को अब प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

14. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	As at 31.03.2014
(क)	संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम, (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए ऋण)	2.04	3.63
(ख)	अन्य		
(i)	नकदी या वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम (अप्रतिभूत)		
	(क) शोध्य समझे गए	1.21	1.34
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	2.06	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु भत्ता	2.06	-
		-	-
	कुल (i)	1.21	1.34
(ii)	ऋण परिसंपत्तियाँ		
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	- राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखने तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)		
	- शोध्य समझे गए	485.88	259.94
	उप-जोड़ (क)	485.88	259.94
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	- शोध्य समझे गए	500.00	116.67
	- ऋण - अन्य		
	- शोध्य समझे गए	111.11	-
	उप-जोड़ (ख)	611.11	116.67
	कुल (ii)	1,096.99	376.61
	सकल जोड़	1,100.24	381.58

15. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	As at 31.03.2014
(क)	दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 11.2 को देखें)	14,032.47	12,272.22
(ख)	स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 11.1 देखें)	10.72	5.23
(ग)	उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज:		
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर	7.89	-
	- दीर्घावधि निवेशों पर	30.25	43.06
	- आवधिक जमा पर	0.25	4.41
	उप-जोड़	38.39	47.47
(घ)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज	1,019.94	547.49
(च)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज	444.30	561.70
(छ)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.28	0.08
(ज)	भारत सरकार से वसूलनीय		
	- आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई व्यय	8.49	8.49
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि व्यय	0.29	-
	- डीडीयूजीजेवाई/यूएनडीपी एजेंसी प्रभार	-	3.30
	उप-जोड़	8.78	11.79
(झ)	राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/अन्यों से वसूलनीय	7.32	3.29
(ट)	वसूलनीय आय कर	-	9.28
(ठ)	कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार	-	94.29
(ड)	अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	3.99	4.83
	जोड़ (क से ड)	15,566.19	13,557.67

लेखा संबंधी टिप्पणियां

16. प्रचालनों से आयः

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	19,904.21		16,413.47	
	घटाएं : समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने के लिए छूट	2.70	19,901.51	3.18	16,410.29
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण		170.57		396.10
	उप-जोड़ (क)		20,072.08		16,806.39
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से आय**				
(i)	प्रक्रिया, अपफ्रंट, मार्गदर्शन शुल्क, एलसी कमीशन आदि		51.93		52.90
(ii)	पूर्वअदायगी प्रीमियम		11.23		17.19
(iii)	आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई कार्यान्वयन/अन्य कार्यों के लिए एजेंसी/रखरखाव प्रभार		15.29		28.76
	उप-जोड़ (ख)		78.45		98.85
(ग)	**अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय**				
(i)	डिपॉजिट से ब्याज		69.46		98.07
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		9.54		14.67
	उप-जोड़ (ग)		79.00		112.74
	जोड़ (क से ग)		20,229.53		17,017.98

17. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय से भिन्न)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	47.51	47.16
	- दीर्घावधि निवेशों से ब्याज	101.67	43.06
	- आयकर वापसी से ब्याज	-	4.56
	- कर्मचारी अग्रिमों से ब्याज	1.72	1.25
	- अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	-	0.35
	उप-जोड़ (क)	150.90	96.38
(ख)	**लाभांश आय**		
	- अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	0.35	0.15
	- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	3.63	0.38
	उप-जोड़ (ख)	3.98	0.53
(ग)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.02	-
	- रिटन बैक प्रावधान	0.57	3.18
	- विविध आय	3.05	2.73
	उप-जोड़ (ग)	3.64	5.91
	जोड़ (क से ग)	158.52	102.82

लेखा संबंधी टिप्पणियां

18. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	**0.43**	0.90
	- आरईसी के बांडों पर	**9,508.65**	7,881.47
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	**207.25**	415.78
	- बाह्य वाणिज्यिक उधारों पर	**1,358.86**	1,064.92
	- कमर्शियल पेपर पर	**300.03**	230.88
	- एआरईपी सब्सिडी पर	**0.08**	0.22
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	**1.38**	2.96
	उप-जोड़ (क)	**11,376.68**	9,597.13
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	**18.31**	18.66
	- पब्लिक इश्यू व्यय	**-**	30.37
	- बांड रखरखाव प्रभार	**1.05**	1.11
	- बांडों की ब्रोकरेज	**20.48**	16.35
	- बांडों पर स्टाम्प शुल्क	**4.03**	3.73
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	**168.73**	59.08
	उप-जोड़ (ख)	**212.60**	129.30
(ग)	**निवल अंतरण/लेन देन विनिमय क्षति**	**255.33**	312.03
	जोड़ (क से ग)	**11,844.61**	10,038.46

19. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	**92.46**	88.81
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	**11.38**	10.95
- उपदान	**0.60**	0.82
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	**16.39**	15.05
- कर्मचारी कल्याण व्यय	**13.11**	14.28
जोड़	**133.94**	129.91

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
- सीएसआर संबंधी व्यय		103.25		38.40
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		9.97		10.12
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		5.97		6.46
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	2.69		1.64	
- ईआरपी और डेटा केंद्र	3.75		3.95	
- अन्य	0.63	7.07	0.59	6.18
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		3.66		3.43
- दरें और कर		0.88		1.04
- बिजली और इंधन		1.32		1.12
- बीमा खर्च		0.04		0.04
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		2.24		1.81
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		0.62		0.66
- परामर्शी सेवा प्रभार		2.74		2.26
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		0.11		0.69
- स्टाफ के अग्रिमों पर छूट		-		0.07
- विविध व्यय		34.87		33.19
जोड़		172.74		105.47

20.1 सीएसआर के खर्चों के संबंध में प्रकटन:

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित समग्र राशि 103.25 करोड़ ₹ थी (पिछले वर्ष ₹ 38.18 करोड़) रुपए।

(ख) वर्ष के दौरान खर्च राशि (₹ करोड़ों में) (₹ करोड़ों में)

	विवरण	वित्त वर्ष 2014-15			वित्त वर्ष 2013-14		
		नकद	भुगतान किया जाना है*	जोड़	नकद	भुगतान किया जाना है*	जोड़
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजनार्थ	46.04	57.21	103.25	38.40	-	38.40

* दान के लिए दी गयी राशि।

20.2 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	0.40	0.32
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.06	0.06
- सीमित समीक्षा शुल्क	0.09	0.06
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी #	0.04	0.22
- व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.03	-
जोड़	0.62	0.66

उपर्युक्त आंकड़ों में सेवा कर नियमावली के अनुसार किए गए ₹ 0.03 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) के सेवा कर क्रेडिट रिवर्सल भी शामिल है।

इसमें वर्ष के दौरान कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.18 करोड़ रुपए) का प्रमाणन शुल्क शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.3 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	-
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक, परामर्श शुल्क	-	0.21
- ब्याज	455.29	388.23
- वित्त प्रभार	149.36	47.67
- अन्य व्यय	3.18	1.70
जोड़	607.83	437.81

20.4 कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटा केंद्र के लिए स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 4.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.43 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.23 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	0.29	3.53	0.39	3.98
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	-	6.52	0.18	9.60
5 वर्ष से अधिक	-	0.66	-	0.69
जोड़	0.29	10.71	0.57	14.27

21. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु भत्ता	230.65	47.32
मानक ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष आकस्मिक भत्ता	120.54	264.70
पुनर्व्यस्थित मानक ऋणों के समक्ष भत्ता	451.77	-
जोड़	802.96	312.02

22. प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
गुणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	5,259.87	4,683.70
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	987,459,000	987,459,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और कम की गई आय (₹ में)	53.27	47.43

23. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

23.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	55.71	56.16
(ख) अन्य		
- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	260.84	1,273.81

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 3.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.24 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/माध्यस्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है और इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 51.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 50.92 करोड़) की रकम भी शामिल है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**16.06**	11.69
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	**4.32**	4.75
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**182.73**	34.42

24. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल40101डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

25. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि स्थापित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2014 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 381/03.02.001/2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1(3)(iv) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंडों (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाओं एवं हिमालय क्षेत्र की हाइड्रो परियोजनाएं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

26. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% होगा, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% होगा तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमशः 30% और 50% होगा।

प्राइवेट क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, 31 मार्च 2015 एवं 31 मार्च 2014 को एकल उधारकर्ताओं और समूह ऋण लेने वालों को कंपनी का ऋण एक्सपोजर, भारतीय रिजर्व बैंक की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमा से अधिक नहीं था।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के पत्र डीएनबीएस.सीओ.जैडएमडी-एन संख्या 4868/55.18.014/2013-14 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों से 31 मार्च, 2016 तक छूट प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्तियों के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो संस्था के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

27. लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 1(क) और 7 में आशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 2,6 में आशोधन किए गए हैं। हालांकि, ऐसे आशोधनों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 4.1 में भी कंपनी अधिनियम, 2013, जोकि 01 अप्रैल, 2014 से लागू है, की अनुसूची- II के अनुरूप परिवर्तन कर लिया है। यदि कंपनी पूर्ववर्ती नीति का अनुपालन करती है तो, वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ 2.89 करोड़ ₹ अधिक होगा।

इसके अतिरिक्त, ऋणों के समक्ष प्रावधान करने संबंधी लेखाकरण नीति को, पुनर्व्यवस्थित ऋणों के स्टॉक पर 2.75% की दर से प्रावधान का सृजन करने के लिए संशोधित किया गया है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान, अर्हक ऋणों पर ₹ 451.77 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि का एक प्रावधान किया गया है (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को ₹ 11,682.23 करोड़ तथा निजी क्षेत्र को ₹ 4,745.92 करोड़ के ऋण शामिल हैं)। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के कारण, इन पुनर्व्यवस्थित ऋणों पर मानक ऋण परिसंपत्तियों के विद्यमान प्रावधान को विचाराधीन करने के उपरांत कर-पूर्व लाभ ₹ 410.70 करोड़ तक कम है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

28. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

28.1 आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 11 और 14 में वर्गीकृत) निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		ऋण शेष	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता	ऋण शेष	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता
(i)	मानक परिसंपत्तियां				
	(क) पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (संदर्भ नीचे दिया गया है)	16,428.15	451.77	-	-
	(ख) उपरोक्त (क) के अन्यत्र	161,883.41	490.92	148,150.70	370.38
(ii)	उप-मानक परिसंपत्तियां	844.98	206.28	-	-
(iii)	संदिग्ध परिसंपत्तियां	473.18	141.95	473.18	119.64
(iv)	परिसंपत्तियों में क्षति	17.22	17.22	17.22	17.22
	जोड़	179,646.94	1,308.14	148,641.10	507.24

टिप्पणी:(i) (क) में उल्लिखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

विवेकपूर्ण मानदंड के मामले में, टिप्पणी संख्या 11.2.4 में प्रकट उपरोक्त (i) (ख) के अंतर्गत वर्गीकृत एक मानक ऋण परिसंपत्ति के संबंध में ₹ 86.42 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के लिए 100% भत्ता सृजित किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त (ii) वर्गीकृत निश्चित उधारकर्ताओं के संबंध में आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत यथा अपेक्षित से अधिक ₹ 121.77 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के लिए एक अतिरिक्त भत्ते को सृजित किया गया है।

28.2 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	0.74%	0.33 %

28.3 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)	0.54%	0.24 %
(ii)	एनपीए का संचलन (सकल)		
	(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	490.40	490.40
	(ख) वर्ष के दौरान आवर्धन	844.98	-
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
	(घ) वर्ष के अंत में शेष	1,335.38	490.40
(iii)	एनपीए का संचलन (निवल)		
	(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	353.54	400.86
	(ख) वर्ष के दौरान आवर्धन	616.39	(47.32)
	(ग) वर्ष के दौरान कटौतियां	-	-
	(घ) वर्ष के अंत में शेष	969.93	353.54
(iv)	एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन		
	(क) वर्ष के प्रारंभ में शेष	136.86	89.54
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	228.59	47.32
	(ग) अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ/राइट बैक करना	-	-
	(घ) वर्ष के अंत में शेष	365.45	136.86

लेखा संबंधी टिप्पणियां

29. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोज़र

29.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

31.03.2015 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी की कोई भागीदारी नहीं है।

29.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल परस्पर समग्र निधियों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	39.85	39.85
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल परस्पर समग्र निधियों में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल परस्पर निधियों की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल परस्पर निधियों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल परस्पर निधियों की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बांडों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को सेतु ऋण;	-	-
(viii)	(viii) उपक्रम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र।	7.68	7.68
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	**47.53**	47.53

29.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2015 (पिछले वर्ष शून्य) के अनुसार ऐसे कोई बकाया अग्रिम नहीं हैं जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संदर्भ में अमूर्त कोलैटरल जैसे कि अधिकारिता, लाइसेंस, प्राधिकरण आदि कंपनी के हित में प्रभारित किए जाते हैं।

30. अग्रिमों, प्रकटनों और एनपीए का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**108,066.67**	94,703.76
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**60.16%**	63.71 %
(ii)	**एक्सपोज़रों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**171,024.07**	156,408.59
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**57.49%**	46.91 %
(iii)	**एनपीए का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**1,318.16**	485.53
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र (₹ करोड़ में)	**1,318.16**	485.53

31. कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है।

32. लेखाकरण मानक-9 'राजस्व मान्यता' के उपबंधों के अनुसार, ₹ 4.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.90 करोड़) के वचनबद्धता शुल्क को उधारकर्ताओं द्वारा आहरण अनुसूची आदि में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप शामिल प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण खाता बही में मान्यता नहीं दी गयी है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

33. वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 13 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

34. भारत सरकार ने निम्नलिखित अंगभूतों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरू किया हैः-

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडिल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन के दौरान ₹ 33,453 करोड़ ₹ की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ ₹ की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

35. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों दे दी गयी हैं।

36. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या उस पर देय ब्याज के भुगतान में विलंब होने का कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है।

37. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

37.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	**24,577.20**	19,376.35
(ii)	क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	**2,662.28**	2,638.47
(iii)	स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	**शून्य**	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	**नीचे दिए गए नोट का संदर्भ लें**	नीचे दिए गए नोट का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	**2,173.16**	2,020.52

टिप्पणी: गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी- I, केवल अधिकृत डीलर, बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

37.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

37.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

37.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेजिंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिह्नित नहीं किया जाता है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम -** क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

(ii) **बाजार जोखिम -** बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोजर), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

(iii) **तरलता जोखिम -** तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जेखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकता है।

(iv) **प्रचालन जोखिम -** प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरूप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम -** विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनको विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम -** नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

37.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31.03.15 के अनुसार	**31.03.14 के अनुसार**	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार
(i)	परिसंपत्ति वर्गीकरण				
	प्रतिरक्षण हेतु व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)	**17,433.40**	**11,948.55**	7,143.80	7,427.80
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित				
	(क) परिसंपत्ति (+)	**2,569.44**	**2,590.43**	92.83	48.04
	(ख) देयता (-)	**294.66**	**119.89**	194.46	498.05
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	**17,433.40**	**11,948.55**	7,143.80	7,427.80
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोज़र	**6,594.80**	**5,672.61**	लागू नहीं	लागू नहीं

* इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल है।

** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।

38. 31 मार्च, 2015 के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र की बकाया स्थिति इस प्रकार है:-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय ₹ करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	**समतुल्य भारतीय ₹**	**विदेशी मुद्रा**	**समतुल्य भारतीय ₹***	**विदेशी मुद्रा**	**समतुल्य भारतीय ₹***
जापानी येन ¥	**33,084.61**	**1,944.22**	**31,895.82**	**1,882.28**	**1,188.79**	**61.94**
पिछले वर्ष	36,483.43	2,123.49	35,851.15	2,086.30	632.28	37.19
यूरो €	**153.82**	**1,083.03**	**150.70**	**1,061.94**	**3.12**	**21.09**
पिछले वर्ष	141.28	1,037.26	113.63	808.90	27.65	228.36
अमेरिकी डॉलर $	**3,555.00**	**19,715.51**	**2,720.00**	**14,489.18**	**835.00**	**5,226.33**
पिछले वर्ष	2,505.00	13,110.08	1,830.00	9,053.34	675.00	4,056.74
सीएचएफ (स्विस फ्रैंक)	**200.00**	**1,285.44**	**-**	**-**	**200.00**	**1,285.44**
पिछले वर्ष	200.00	1,350.32	-	-	200.00	1,350.32
जोड़		**24,028.20**		**17,433.40**		**6,594.80**
पिछले वर्ष		17,621.15		11,948.54		5,672.61

* भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन-देन में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

38.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	यूएसडी/ आईएनआर	यूएसडी/ आईएनआर	यूएसडी/ आईएनआर
31.03.2015 के अनुसार	**62.5908**	**0.5211**	**67.5104**	**64.2719**
31.03.2014 के अनुसार	60.0998	0.5883	82.5765	67.5159

39. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री पी.जे.ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे.एस.अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव*

* कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार 01 अप्रैल, 2014 से मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(2) अन्य संबंधित पक्षकार

1. अनुषंगी कंपनियां

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)

आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)

2. आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 04.12.2012 को निगमित किया गया।

बैरा सियूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 24.1.2013 को निगमित किया गया।

एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXIXट्रांसमिशन लिमिटेड और एसडीटीपीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर पर्याप्त रूप से 04.08.2014 को स्टरलाईट डिसप्ले टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड (एसडीटीपीएल)स्टरलाइट ग्रिड लिमिटेड की निवेशकार संबद्ध, को स्थानांतरित किया गया।

एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर पर्याप्त रूप से 12.05.2014 को पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं ईआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 12.05.2014 को मैसर्स एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्टस् लिमिटेड (ईआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 30.07.2014 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 24.04.2015 को भारतीय पॉवर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

गदरवाड़ा (क) ट्रांस्को लिमिटेड - 05.08.2014 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (क) ट्रांस्को लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 24.04.2015 को पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 14.08.2014 को निगमित किया गया।

विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 14.08.2014 को निगमित किया गया और विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 26.02.2015 को पॉवरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

3. संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

संबंधित पक्षों से/को देय राशि के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण		
आरईसीटीपीसीएल	**60.00**	60.00
आरईसीपीडीसीएल	**7.00**	7.00
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.17**	0.08
ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीटीपीसीएल	**2.04**	3.32
आरईसीपीडीसीएल	**-**	0.31
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.29**	0.09
अन्य चालू देयताएं		
आरईसीपीडीसीएल	**2.27**	2.57
आरईसीटीपीसीएल	**1.05**	-

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
आरईसीटीपीसीएल	**-**	25.00
आरईसीपीडीसीएल	**-**	7.00
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**-**	0.04
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.04**	0.09
अचल परिसंपत्तियें की बिक्री		
आरईसीटीपीसीएल	**-**	0.05
अनुषंगी कंपनियों से लाभांश		
आरईसीटीपीसीएल	**0.10**	0.10
आरईसीपीडीसीएल	**0.25**	0.05
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
आरईसीटीपीसीएल	**-**	0.34
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	**0.06**	0.01
कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य खर्चों का संविभाजन		
आरईसीटीपीसीएल	**2.58**	4.96
आरईसीपीडीसीएल	**2.20**	3.04
वित्तीय लागत		
आरईसीटीपीसीएल को प्रदत्त ब्याज	**4.70**	2.95
आरईसीपीडीसीएल को प्रदत्त ब्याज	**0.54**	0.10
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	**0.01**	-
कर्मचारी हितलाभ व्यय - प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**1.91**	1.56
सीएसआर व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	**19.04**	0.17
ईईएसएल	**1.59**	3.98
अन्य व्यय		
आरईसीपीडीसीएल	**7.31**	6.30

लेखा संबंधी टिप्पणियां

40. लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरण:

(1) परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है। इस ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के सदस्यों के अंशदान पर एक निर्धारित दर से ब्याज दिया जाना होता है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथक ट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रूप में मान्य राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	भविष्य निधि	6.52	6.17
(ii)	परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना	4.77	4.68
	जोड़	**11.29**	10.85

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

क. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (पति/(पत्नी) को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ग. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है। लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
चालू सेवा लागत	1.93	1.85	1.23	1.20	0.05	0.05
ब्याज लागत	3.24	3.03	5.66	4.46	0.10	0.09
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.24	3.69	-	-	-	-
बीमांकित (लाभ)/ हानि	(1.33)	(0.37)	9.50	9.39	0.05	(0.04)
अभिस्वीकृत व्यय	0.60	0.82	16.39	15.05	0.20	0.10

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशि:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करता है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	38.16	38.07	77.61	66.64	1.20	1.16
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	36.25	35.94	-	-	-	-
निवल परिसंपत्तियों/ (दायित्व) अभिस्वीकृत	(1.91)	(2.13)	(77.61)	(66.64)	(1.20)	(1.16)

लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ/दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**38.07**	37.85	**66.64**	55.80	**1.16**	1.16
ब्याज लागत	**3.24**	3.03	**5.66**	4.46	**0.10**	0.09
चालू सेवा लागत	**1.93**	1.85	**1.23**	1.20	**0.05**	0.05
प्रदत्त हितलाभ	**3.89**	3.99	**5.42**	4.21	**0.16**	0.10
दायित्व पर बीमांकित (लाभ/हानि)	**(1.19)**	(0.67)	**9.50**	9.39	**0.05**	(0.04)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**38.16**	38.07	**77.61**	66.64	**1.20**	1.16

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन:

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**35.94**	35.14	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	**3.24**	3.69	**-**	-	**-**	-
अंशदान	**0.82**	1.40	**-**	-	**-**	-
प्रदत्त हितलाभ	**3.89**	3.99	**-**	-	**-**	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	**0.14**	(0.30)	**-**	-	**-**	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**36.25**	35.94	**-**	-	**-**	-

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि/कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
सेवा एवं ब्याज लागत	**0.64**	1.17	**(1.09)**	(0.46)
पीबीओ (अंत में)	**11.09**	8.56	**(7.81)**	(7.21)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
प्रयुक्त विधि	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर	**8.00%**	8.50 %	**8.00%**	8.50 %	**8.00%**	8.50 %
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**9.00%**	10.50 %	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.00%**	6.50 %	**6.00%**	6.50 %	**6.00%**	6.50 %

- परिसंपत्तियों प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख अनुमान छूट दर तथा वेतन वृद्धि दर हैं। छूट की दर आम तौर पर उस अवधि तक रिपोर्टिंग तिथी पर सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लब्धि पर आधारित है जो लाइबिलिटी एवं वेतन वृद्धि दर से मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि के आधार वाले अन्य प्रासंगिक कारकों से मेल खाते हैं। उपरोक्त सूचना एक्युअरी (बीमांकिक) से प्रमाणित है।

लेखा संबंधी टिप्पणियां

41. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) और मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि, इस संबंध में आगे अंतरण करारों को, यदि अपेक्षित है, अंतरण योजना के अंतिम रूप दिए जाने पर निष्पादित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार हैः

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव- निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव- निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

42. कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

43. जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) हेतु पूंजी

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) (टियर- I पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	**19.56%**	19.35 %
(ii)	सीआरएआर - टियर- I पूंजी (%)	**16.52%**	16.02 %
(iii)	सीआरएआर - टियर- I I पूंजी (%)	**3.04%**	3.33 %
(iv)	टियर- I I पूंजी के अनुसार जुटाये गए सब ऑर्डिनेट ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	**-**	-
(v)	शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (₹ करोड़ में)	**-**	-

लेखा संबंधी टिप्पणियां

44. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयताओं के कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरूप:

(₹ करोड़ में)

31.03.2015 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	745	-	1,036	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	664	-	355	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	1,449	-	666	97	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	3,307	-	1,068	2,712	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	9,065	439	6,196	7,726	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	38,350	189	34,344	4,629	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	35,891	189	26,942	8,623	-	-
5 वर्षों से अधिक	90,176	796	56,389	241	-	-
जोड़	**179,647**	**1,613**	**126,996**	**24,028**	-	-

(₹ करोड़ में)

31.03.2014 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	630	-	319	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	807	-	366	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	1,248	-	1,137	52	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	2,735	-	6,256	101	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	7,246	47	7,692	155	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	31,156	189	22,021	13,487	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	30,875	189	18,616	3,619	-	-
5 वर्षों से अधिक	73,944	1,283	52,212	207	-	-
जोड़	148,641	1,708	108,619	17,621	-	-

45. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

46. वित्त वर्ष 2014-15 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

47. वित्त वर्ष 2014-15 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी ने कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

48. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

49. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रूपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 49 तक टिप्पणियां तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2015

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
संदस्यता सं. 081085

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:				
कर-पूर्व निवल लाभ	**7,427.04**		6,531.12	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि(-)	**0.09**		0.69	
2. मूल्यह्रास	**6.76**		4.21	
3. प्रावधान और आकस्मिकताएं	**802.96**		312.02	
4. स्टाफ अग्रिमों हेतु भत्ता	**-**		0.07	
5. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**300.03**		230.88	
6. प्रतिलेखन पर अधिक प्रावधान	**-**		-3.18	
7. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**259.99**		304.27	
8. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**-0.35**		-0.15	
9. निवेशों से लाभांश	**-3.63**		-0.38	
10. दीर्घकालिक निवेशों/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**-149.18**		-47.16	
11. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**1.38**		2.96	
12. बट्टे खाते डाले गए बांडों पर छूट	**4.83**		4.83	
13. जीरो कूपन बांडों पर उपचित ब्याज	**70.39**		64.97	
14. प्रावधानों से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	**-**		0.01	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**8,720.31**		7,405.16	
वृद्धि/कमी:				
1. ऋण परिसंपत्तियाँ	**-31,005.84**		-22,427.06	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**-366.08**		-355.16	
3. प्रचालन देयताएं	**944.51**		-273.94	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-21,707.10**		-15,651.00	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,284.67**		-1,640.06	
2. आयकर वापसी	**0.00**		8.27	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-23,991.77**		-17,282.79
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.18**		0.31	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी एवं विकासशील अमूर्त परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं)	**-7.64**		-3.46	
3. मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड-II का विमोचन	**94.32**		94.32	
4. दीर्घकालिक निवेश/सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	**154.10**		47.16	
5. अनुषंगी कंपनियों से लाभांश	**0.35**		0.15	
6. निवेशों से लाभांश	**3.63**		0.38	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**244.94**		138.86
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. बांडों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**21,806.74**		17,492.70	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	**-955.40**		-3,044.40	
3. विदेशी मुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	**6,344.25**		1,706.32	
4. ब्याज सहित भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (वापसी का निवल)	**3,421.17**		2,920.69	
5. अनुदानों का संवितरण	**-3,639.69**		-2,429.28	
6. सरकारी ऋण की चुकौती	**-4.86**		-7.21	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	**-172.81**		-148.13	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	**-789.97**		-765.28	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	**-187.26**		-155.20	
10. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	**-**		1.24	
11. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	**-2,745.74**		1,281.16	

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**23,076.43**		16,852.61
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**-670.40**		-291.32
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		**1,192.94**		1,484.26
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		**522.54**		1,192.94

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
- निम्न के संबंध में बैंको में शेष :				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते		**131.69**		103.75
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई अनुदान #		**31.68**		0.20
- असंवितरित एजी एवं एसपी अनुदान #		**2.22**		3.97
- असंवितरित राष्ट्रीय विद्युत निधि अनुदान #		**1.00**		-
- अन्य असंवितरित सब्सिडी/अनुदान #		**20.04**		1.75
- कर मुक्त बांड पब्लिक इश्यू लेखे #		**-**		5.96
- अप्रदत्त लाभांश लेखे #		**2.62**		2.31
- अनुसूचित बैंकों में अल्प अवधि जमा		**333.29**		1,075.00
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		**522.54**		1,192.94

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये संबंधित अनुदान लेखे, पब्लिक इश्यू लेखे में शेष तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखे चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में ₹ 2.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.38 करोड़) अनुदान संवितरण के लिए शामिल है और अनुसूसचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में ₹ 236.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 530.50 करोड़) शामिल है जो डीडीयूजीजेवाईन अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी : जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित और पुनःसमूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
संदस्यता सं. 081085

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2015

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकृति या नियंत्रण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानंदड (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2007 के पैराग्राफ 13, जहां तक आरईसी लिमिटेड पर उन्हें लागू करने का संबंध है, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि बकाया	राशि अतिदेय
	देयता पक्ष:		
(1)	एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, जिसमें उस पर उपचित		
	लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:		
	(क) डिबेंचर/बांड :		
	(i) प्रतिभूत	65,679.95	-
	(ii) अप्रतिभूत	59,005.00	-
	(ख) विदेशी मुद्रा ऋण	24,028.20	-
	(ग) भारत सरकार से सावधिक ऋण	3.07	-
	(घ) वित्तीय संस्थाओं से सावधिक ऋण	1,450.00	-
	(ड.)बैंकों से सावधिक ऋण	125.00	-
	(च) बैंकों से ओवरड्राफ्ट	0.38	-
	(छ) बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से मांग पर प्रतिदेय ऋण	734.00	-

(₹ करोड़ में)

	विवरण	बकाया राशि
	परिसंपत्ति पक्ष:	
(2)	प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं पेशगियों का ब्योरा	
	(क) प्रतिभूत	1,36,007.88
	(ख) अप्रतिभूत	43,349.33
(3)	**निवेश :**	
	दीर्घावधि निवेश :	
	उद्धृतः	
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां	391.50
	अनुद्धृत:	
	(i) शेयर: (क) इक्विटी	39.85
	(ख) अधिमान्य	-
	(ii) डिबेंचर और बांड	750.00
	(iii) म्युचुअल फंड की यूनिटें	7.68
	(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	424.44

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	योग
1. संबंधित पक्षकार			
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	2.04	2.04
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	0.06	0.23	0.29
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,36,007.82	43,347.06	1,79,354.88
जोड़	**1,36,007.88**	**43,349.33**	**1,79,357.21**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह-वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या निवल परिसंपत्तियें मूल्य	अंकित मूल्य (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	0.10	0.10
(ख) उसी समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	22.50	22.50
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,604.77	1,590.87
जोड़	1,627.37	1,613.47

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
(i) **सकल अनर्जक परिसंपत्तियाँ**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,335.38
(ii) **निवल अनर्जक परिसंपत्तियाँ**	
(क) संबंधित पक्षकार	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	969.93
(iii) **ऋण के समाधान हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ**	-

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
संदस्यता सं. 081085

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई, 2015

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

इस परिशोधित रिपोर्ट को, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के खंड (vii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं तथा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में और अधिक स्पष्ट करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के आग्रह पर, दिनांक 28 मई, 2015 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट का अधिक्रमण करते हुए, जारी किया गया है। इसके अलावा, हम यह भी पुष्टि करते हैं कि पूर्ववर्ती रिपोर्ट में अभिव्यक्त वित्तीय विवरणों के वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण, जो हमारी पूर्ववर्ती रिपोर्ट में व्यक्त किया गया था, में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों के आंकड़ों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (''कंपनी'') के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि, नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिषादन और नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों तथा कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट सामान्य लेखांकन मानकों के लिए उत्तरदायी हैं । इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए तथा कपट और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उनका निवारण करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और उन्हें लागू करना; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन किया जा रहा था, शामिल हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का संचालन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित नीतियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता है। लेखापरीक्षा में, कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों के समुचित होने तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाहों के समनुरूप वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ''आदेश'' के तहत यथा अपेक्षित है, हमने लागू सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध के रूप में दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

(ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण, लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

(च) निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में दर्ज 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अयोग्य नहीं हुआ है।

(छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 23.1 के संदर्भ में;

(ii) कंपनी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

क्रमांक	निर्देश	रिपोर्ट
1.	यदि कंपनी का चयन विनिवेश के लिए किया गया है, परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों और भूमि सहित) तथा देयताएं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य आरक्षित सहित) के रूप में स्थिति की पूर्ण रिपोर्ट का निरीक्षण किया जाए जिसमें विनिवेश प्रक्रिया की विधि और वर्तमान अवस्था भी शामिल है।	यद्यपि कंपनी का चयन वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान ही केवल सरकारी शेयरधारिता के विनिवेश हेतु किया गया है, जबकि वास्तविक लेन-देन केवल 08 अप्रैल, 2015 को स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से ऑफर फार सेल (ओएफएस) के रूप में किया गया है। लेन-देन के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय के माध्यम से 4,93,72,950 (5.00%) इक्विटी शेयरों की ओएफएस के जरिए बिक्री की गयी है। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा 5% विनिवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। हालांकि, कंपनी ने कोई नये शेयरों का निर्गम नहीं किया है तथा तदनुसार, परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों और भूमि सहित) तथा देयताओं (प्रतिबद्ध एवं सामान्य आरक्षित सहित) के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, भारत सरकार की शेयरधारिता में परिवर्तन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणी सं. 1.2 में लेखा संबंधी टिप्पणियों में पर्याप्त प्रकटन किया गया है।
2.	कृपया बताएं कि क्या ऋणों के ब्याज आदि में छूट देने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला हुआ है। यदि हाँ, तो उसके कारण और उसमें शामिल राशि का ब्योरा दें।	वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में विधानसभा के चुनावों के कारण देय तिथि को बैंक अवकाश हो जाने से चार उधारकर्ताओं के संबंध में भुगतान में विलंब के लिए लगभग ₹ 0.01 करोड़ की छूट दी गयी थी।
3.	क्या अन्य पक्षों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों एवं सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में उपयुक्त अभिलेख का रखरखाव किया जा रहा है।	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)होने के नाते, अन्य पक्षों के पास उपलब्ध इनवेंटरियों एवं सरकार या अन्य प्राधिकरणों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के संबंध में खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

4. लंबित कानूनी/विवाचन मामलों के काल क्रमानुसार विश्लेषण, जिसमें उसके लंबित होने के कारण तथा सभी कानूनी मामलों (विदेशी एवं स्थानीय) पर हुए व्यय के लिए निगरानी तंत्र के विद्यमान होने /उसकी हो, की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

के लिए निगरानी तंत्र के विद्यमान होने/उसकी प्रभावकारिता का ब्योरा शामिल हो, की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

काल-क्रमानुसार विश्लेषण	मामलों की संख्या	लंबित होने के कारण	राशि क्या निश्चेय है (करोड़ ₹ में)
अदालती मामले			
वर्ष 1990-2000	3	डीआरटी के समक्ष वसूली संबंधी मामले। वसूली प्रमापत्र जारी किया गया तथा वसूली की कार्यवाही वसूली अधिकारी के समक्ष चल रही है।	55.47
वर्ष 2001-2010	20	दाखिल किया गया तथा मामला अंतिम सुनवाई के लिए नियत।	5.34
वर्ष 2011 से आगे	18	मामले दाखिल करने के लिए लंबित तथा जो दाखिल हो गए हैं, वे अंतिम सुनवाई के लिए नियत हैं।	-
विवाचन मामलें			
वर्ष 2010 से आगे	2	एक मामला उच्च न्यायालय में दाखिल हो गया है तथा अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। अन्य केस में, मामला साक्ष्य स्तर पर है।	3.75
कराधान मुकदमेबाजी मामले			
वर्ष 2010 से आगे	17	मामले विभिन्न कराधान प्राधिकरणों/ न्यायालयों में प्रस्तुत करने/ रिमांड रिपोर्ट/ सुनवाई या आदेश पारित होने के लिए लंबित हैं।	50.20
योग	**60**		**114.76**

उपर्युक्त मामलों के वित्तीय प्रभाव, जोकि न्यायालय/विवाचन/कराधान मामलों, जहां कहीं निश्चय हो, के निपटान के निष्कर्ष के आधार पर आकस्मिक हैं, को लेखा संबंधी टिप्पणियों की टिप्पणी संख्या 23.1 में 'ऋण के रूप में अस्वीकृत कंपनी के समक्ष दावे' शीर्ष के अंतर्गत भी प्रकट किया गया है।

सभी कानूनी मामलों संबंधी व्यय की निगरानी हेतु कंपनी में एक उपयुक्त तंत्र है तथा विधिक व्यय के संबंध में अदायगियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन द्वारा विधिवत रूप से नियमित किया जाता है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
(सदस्यता सं. 081085)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 जुलाई, 2015

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
(सदस्यता सं. 070276)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखाओं पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(i) (क) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए अचल परिसंपत्ति अभिलेखों का रख -रखाव किया है।

(ख) वर्ष के दौरान सत्यापन के एक कार्यक्रम अनुसार कुछ अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन वर्ग द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया, जोकि हमारी राय में उचित अंतरालों पर सभी अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रतीत होता है। हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।

(ii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के नाते कंपनी के पास कोई इनवेंटरी नहीं है, अतः यह खंड लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क) और 3(iii)(ख)लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों की खरीद के लिए तथा वित्तीय सेवाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण सामान्यतया कंपनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हालांकि, कतिपय क्षेत्रों में, आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, जैसे विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियें/विद्युत उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की निगरानी तथा पर्यवेक्षण करना, जिसमें दिए गए ऋणों के प्रति सृजित प्रभारों के लिए खोज रिपोर्टों को प्राप्त करना और वाणिज्यिक प्रचालनों की तिथि के पश्चात प्रतिभूति के रूप में आरईसी को प्रभारित परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करना शामिल है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई प्रमुख विफलता देखने को नहीं मिली है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने लोगों से ऐसी कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(vi) हमारी पूर्ण जानकारी और दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) कंपनी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।.

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लगभग 2.80 करोड़ की अविवादित सांविधिक देय राशि, जिसे उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष मामलों के लंबित होने के कारण जमा नहीं किया गया है, का ब्योरा निम्नवत हैः

(करोड़ रुपए में)

सांविधि का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/ वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	8.15	8.15	-	मूल्यांकन वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना	0.07	-	0.07	मूल्यांकन वर्ष 2005-06	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	अनुषंगी लाभ कर	0.48	-	0.48	मूल्यांकन वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	21.14	20.95	0.19	मूल्यां.वर्ष 2003-04, मूल्यां.वर्ष 2006-07, मूल्यां.वर्ष 2009-10, मूल्यां.वर्ष 2010-11, मूल्यां.वर्ष 2011-12	आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली

(करोड़ रूपए में)

सांविधि का नाम	देय राशियों का स्वरूप	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/ वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.47	-	0.47	वित्तीय वर्ष 2012-13	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	1.23	-	1.23	वित्तीय वर्ष 2007-08 से वित्तीय वर्ष 2014-15	सीपीसी, टीडीएस
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर, धारा 73(4क) के तहत दंडात्मक ब्याज	0.36	-	0.36	वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2011-12	सेवा कर आयुक्त (एलटीयू), दिल्ली
	योग	**31.90**	**29.10**	**2.80**		

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के संबंधित उपबंधों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के लिए अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत ऐसी निधि में अंतरित कर दिया गया है।

(viii) कंपनी की 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कोई संचित हानियां नहीं हैं। कंपनी को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वर्ष के दौरान तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी नकद हानियां नहीं हुई हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं है।

(ix) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक तथा डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(x) हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान, अन्य लोगों/पक्षकारों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान जुटाये गए सावधिक ऋणों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया था, जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

(xii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी के साथ या कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
(सदस्यता सं. 081085)

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
(सदस्यता सं. 070276)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 जुलाई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
कोर-4, स्कोप परिसर,
7, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा, उक्त निर्देशों के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर, जो काफी हद तक रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) पर लागू हैं, जारी किए गए और बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2008 द्वारा और लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि :

1. कंपनी ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 - आईए में व्यवस्था है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी, 1998 को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जिसका पंजीकरण संख्या 14.000011 है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र के बदले में, जिसने आरईसी को आरबीआई परिपत्र सीसी सं. 168, दिनांक 12 फरवरी, 2010 में निहित निर्देशों के अनुसार एक अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है, दिनांक 17 सितम्बर, 2010 को प्रमाणपत्र जारी किया। इसके अलावा, यह कंपनी 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अपनी परिसंपत्ति/आय पद्धति के अनुसार ऐसे पंजीकरण को जारी रखने के लिए पात्र है।

2. आरबीआई परिपत्र सं. डीएनबीएस, पीडीसीसी सं. 384/03-02-004/2014-15, के पैरा 2(V), दिनांक 01 जुलाई, 2014 के अनुसार, परिसंपत्तियों एवं आरक्षित निधि की प्रतिशत के रखरखाव संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धाराएं 45-आई बी और 45-आई सी; सरकारी जमा राशियों को स्वीकार करने वाली गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 के पैराग्राफ 4 से 7; और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी प्रूडेंशियल मानक (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 1998 जिसमें निदेशक, लेखापरीक्षक आदि को पता बदलने के संबंध में रिजर्व बैंक को जानकारी देने से संबंधित उक्त निर्देशों का पैराग्राफ 13 ए शामिल नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई (एफ) में परिभाषित किसी ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी पर लागू नहीं होंगे जो एक सरकारी कंपनी है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में परिभाषित है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, जमा राशियों के संबंध में आरबीआई के निर्देश कम्पनी पर लागू नहीं हैं। इसलिए, कंपनी के निदेशक-मंडल ने किसी सरकारी जमाराशियां की गैर-स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

4. कंपनी ने वर्ष 2014-15 के दौरान किसी सरकारी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

5. आरबीआई के मूल परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2014 के अनुसार, आरईसी जो एक सरकारी कंपनी है, गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण अथवा धारण) कंपनी प्रूडेंशियल मानक (रिजर्व बैंक) निर्देशन, 2007 की अनुप्रयोज्यता से छूट लेती रही है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 4 अप्रैल, 2014 को पत्रों के द्वारा आरईसी को 31 मार्च, 2016 तक आरबीआई के प्रूडेंशियल मानकों का पालन करने को कहा है। परिसंपत्तियों की संरचना के संबंध में, आरबीआई ने अपने पत्र दिनांक 11 जून, 2014 के जरिए,पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और लाइफ एक्सटेंशन प्रोजेक्टों तथा हिमालयी क्षेत्र अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी 31 मार्च, 2017 तक आरबीआई संरचना मानदंडों से कंपनी को छूट की अनुमति दी है। विद्युत उत्पादन कंपनियों के 01 अप्रैल, 2015 से गठित नए प्रोजेक्ट ऋणों के लिए भी प्रावधान की जरूरत 5% होगी और ऐसी परियोजनाओं के ऋणों के स्टॉक के लिए 31 मार्च, 2015 को यथा स्थिति प्रावधान 2.75% के साथ शुरूहोकर 31 मार्च, 2018 में 5% तक पहुंच जाएगा। 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी ने लेखाकरण मानक, आय स्वीकरण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और अशोधन एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान, कंपनी द्वारा तैयार किए गए विवेकसम्मत मानकों के अनुसार पूंजी पर्याप्तता एवं उदभासन मानकों तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग को दर्शाने वाली महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में उल्लिखित/यथा व्यक्त मानकों का पालन किया है।

6. आरबीआई परिपत्र सं. डीएनबीएसपीडी/सीसी सं. 93/03-05-002/2006-07, दिनांक 27 अप्रैल, 2007 के अनुसार आरईसी, जो एक सरकारी कंपनी है, को भारतीय रिजर्व बैंक में एनबीएस-7 जमा करने से छूट प्राप्त है।

कृते राजहर गोपल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074 एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते, पी. के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747 एन

के. एस. पोन्नुस्वामी
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28 मई, 2015

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5)के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10)के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह उनके द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 2015 की उनकी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से धारा 143 (6)(ए)के तहत 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कापोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर्स की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकॉर्डों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके कारण सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से :

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2015

31 मार्च, 2015 के अनुसार समेकित तुलन-पत्र

(₹ करोड़ में)

ब्योरे		टिप्पणी संख्या	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
I.	**इक्विटी और देयताएं**			
(1)	**शेयरधारकों की निधियां**			
	(क) शेयर पूंजी	2	**987.46**	987.46
	(ख) आरक्षित तथा अधिशेष	3	**24,085.12**	19,815.59
	उप-जोड़ (1)		**25,072.58**	20,803.05
(2)	**गैर-चालू देयताएं**			
	(क) दीर्घकालिक उधारियां	4	**1,31,123.26**	1,10,095.30
	(ख) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5	**105.80**	172.92
	(ग) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	6	**36.18**	23.54
	(घ) दीर्घकालिक प्रावधान	7	**1,007.39**	442.32
	उप-जोड़ (2)		**1,32,272.63**	1,10,734.08
(3)	**चालू देयताएं**			
	(क) अल्पकालिक उधारियां	8	**734.00**	2,540.00
	(ख) ट्रेड देय	9	**28.81**	6.07
	(ग) अन्य चालू देयताएं	10	**24,889.21**	18,601.59
	(घ) अल्पकालिक प्रावधान	7	**458.71**	259.45
	उप-जोड़ (3)		**26,110.73**	21,407.11
	जोड़ (1+2+3)		**1,83,455.94**	1,52,944.24
II.	**परिसंपत्तियां**			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) अचल परिसंपत्तियां	11		
	(i) मूर्त परिसंपत्तियां		**108.50**	70.65
	(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		**1.47**	2.45
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		**9.81**	10.37
			119.78	83.47
	(ख) गैर-चालू निवेश	12	**1,157.21**	1,643.03
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और पेशगियां	13	**1,64,215.05**	1,35,900.51
	(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	14	**85.29**	33.63
	उप- जोड़ (1)		**1,65,577.33**	1,37,660.64
(2)	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) चालू निवेश	12	**438.81**	47.41
	(ख) ट्रेड प्राप्य	15	**120.29**	60.54
	(ख) रोकड़ और बैंक शेष	16	**645.71**	1,234.29
	(ग) अल्पकालिक ऋण और पेशगियां	17	**1,100.85**	382.11
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	18	**15,572.95**	13,559.25
	उप- जोड़ (2)		**17,878.61**	15,283.60
	जोड़ (1+2)		**1,83,455.94**	1,52,944.24

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 55 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ	अजीत कुमार अग्रवाल	राजीव शर्मा
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डीआईएन - 02231613	डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

	कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
	फर्म पंजीकरण सं. 002074एन	फर्म पंजीकरण सं. 006747एन
	(गोपाल कृष्ण)	(के.एस.पोन्नुस्वामी)
स्थान: नई दिल्ली	भागीदार	भागीदार
दिनांक: 28 मई, 2015	संदस्यता सं. 081085	संदस्यता सं. 070276

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
I.	प्रचालनों से राजस्व	19	**20,383.96**	17,122.21
II.	अन्य आय	20	**165.90**	106.73
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**20,549.86**	17,228.94
IV.	**व्यय**			
(i)	वित्तीय लागत	21	**11,839.72**	10,034.74
(ii)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	22	**138.93**	134.54
(iii)	मूल्यह्रास और परिशोधन	11	**8.32**	4.51
(iv)	अन्य व्यय	23	**206.01**	125.89
(v)	प्रावधान और आकस्मिकताएं	24	**804.47**	312.59
	कुल व्यय (IV)		**12,997.45**	10,612.27
V.	**पिछली अवधि की मदें और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**7,552.41**	6,616.67
VI.	पिछली अवधि की मदें	25	**0.07**	-0.04
VII.	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**7,552.34**	6,616.71
VIII.	कर व्यय			
(i)	चालू वर्ष		**2,273.91**	1,733.26
(ii)	पिछले वर्ष/(वापसियां)		**0.77**	14.12
(iii)	आस्थगित कर		**-66.76**	128.08
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**2,207.92**	1,875.46
IX.	**सतत प्रचालन से वर्ष का लाभ (VII-VIII)**		**5,344.42**	4,741.25
X.	**प्रचालन बंद करने से लाभ (कर पश्चात)**		**-**	-
XI.	**इस वर्ष का लाभ (IX+X)**		**5,344.42**	4,741.25
XII.	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर के लिए ₹ में)**			
	(i) मूल	26	**54.12**	48.01
	(ii) डायल्यूटेड	26	**54.12**	48.01

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी टिप्पणी 1 से 55 इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

जे.एस.अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन - 02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
संदस्यता सं. 081085

(के.एस.पोन्नुस्वामी)
भागीदार
संदस्यता सं. 070276

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई, 2015

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

क. समेकन के सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड ('दि कंपनी'), इसकी अनुषंगी कंपनियों तथा संयुक्त उपक्रमों से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न आधार पर तैयार किया गया है:

कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण लेखाकरण मानक (एस) 21- ''समेकित वित्तीय विवरण'' के अनुसरण में इंट्रासमूह बैलेंसों और इंट्रा ग्रुप लेन-देनों को पूरी तरह से निकालने के बाद परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय के एक जैसी मदों के बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़े गए हैं।

सयुंक्त उपक्रम एंटिटि के वित्तीय विवरण लेखारण मानक (एस) 27- के अनुसरण में आनुपातिक शेयर वसूली न किए गए लाभ या हानियों को निकालकर परिसंपत्तियों, देयताओं, आय व व्यय के एक जैसी मदों के बुक वैल्यू को शामिल कर लाइन-बाई-लाइन आधार पर जोड़े गए हैं।

जहां तक संभव है समेकित वित्तीय विवरण एक जैसे लेन-देन व समान परिस्थियों में अन्य घटनाओं के लिए एक जैसी लेखाकरण नीतियों का उपयोग कर, तैयार किए गए हैं तथा कंपनी के पृथक वित्तीय विवरण के तौर पर समान तरह से प्रस्तुत किए गए हैं।

ख. अन्य महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने के आधार

(क) **लेखाकरण परम्परा :** वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार पर और सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों एवं लेखाकरण मानकों, जैसा कि सामान्य परिपत्र सं.15/2013 दिनांक 13 सितंबर 2013 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत लागू है, के अनुसार ऐतिहासिक लागत परम्परा के तहत तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 2013 की संगत प्रस्तुतीकरण अपेक्षा के अनुरूप हैं।

(ख) **अनुमानों का उपयोग** : वित्तीय विवरणों को सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप तैयार किए जाने के लिए प्रबंधन द्वारा इस आशय के अनुमान तथा मान्यताएं लगाए जाने की आवश्यकता होती है कि वे वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों तथा देयताओं की सूचित राशि तथा प्रकटीकरण और विवरणी की अवधि के दौरान राजस्व तथा व्ययों की सूचित राशि को दर्शाएं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में स्वीकार किया गया जिस अवधि में वास्तविक परिणाम आए हैं।

2. आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रोविजनिंग

निगम ने स्वयं के विस्तृत विवेकपूर्ण मानदंडों का निरूपण किया है। लेखांकन आरईसी के इन विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार ही किया जाता है और आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान की मुख्य विशेषताएं नीचे पैरा 2.1क, 2,1च, 2.2, 2.3 एवं 2.4 में दिए गए हैं।

2.1 आय मान्यता

क. ऐसी अनर्जक परिसंपत्तियों पर आय को, जहां ब्याज/मूलधन दो तिमाही अथवा उससे अधिक के लिए अतिदेय हो गया हो, मान्यता तब दी जाती है जब वह प्राप्त एवं विनियोजित हो गया हो। कोई आय जिसे संपत्ति के अनर्जक होने से पहले यदि मान्यता दी गई हो और वह वसूल न हो पाए तो उसे वापिस कर दिया जाता है।

जब तक कि अन्यथा सहमति न हो, लेनदारों से वसूली को (i) आरईसी की लागत तथा व्यय (ii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित दंडात्मक ब्याज (iii) ब्याज कर, यदि कोई हो, सहित अतिदेय ब्याज और (iv) सबसे पुराने मूलधन की चुकौती को पहले समायोजित करते हुए विनियोजित किया जाता है।

ऐसे मानक ऋणों के संबंध में जिसमें वे ऋण शामिल हैं, जिनकी शर्तें पुनः बातचीत/पुनः संरचित एवं प्रतिधारित हो, आय की पहचान उपचित आधार पर की जाती है। (अनर्जक परिसम्पत्तियां) ऋणों के संबंध में आय को प्रोद्भवन आधार पर तब स्वीकार किया जाता है जब उचित रूप से अपेक्षित हो कि कर्जदारों से देय राशियों की प्राप्ति की कोई अतिनिश्चितता नहीं है और यह तब तक पुनः बातचीत अथवा पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना शर्तों के अधीन संतोषप्रद निष्पादन नहीं है जब तक कि पुनः बातचीत अथवा पुनः निर्धारण अथवा पुनःसंरचना शर्तों के तहत संतोषजनक निष्पादन का एक वर्ष समाप्त नहीं हो जाता है।

ख. आरजीजीवीवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ग. डीडीयूजीजेवाई योजनाओं पर एजेंसी प्रभारों की आय को प्रदान की गई सेवा और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

घ. एनईएफ (ब्याज सब्सिडी योजना) के सेवा प्रभारों की आय को दी गई सेवाओं और विद्युत मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सेवा प्रभारों की रकम के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ड़. प्रसंस्करण फीस, अपफ्रंट फीस, मार्गदर्शन फीस, आवश्यक परिवर्तन खंड के तहत प्राप्त फीस/प्रभार और पूर्व भुगतान प्रीमियम शीर्ष के तहत होने वाली आय को उस वर्ष के हिसाब में लिया जाता है, जिसमें वे कंपनी को प्राप्त होती हैं।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

च. निवेशों से आय

(1) कारपोरेट निकायों के शेयरों और म्युचुअल फंड की यूनिटों पर लाभांश से आय रोकड़ आधार पर हिसाब में लिया जाएगा, जब भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को स्थापित किया गया हो।

(2) कारपोरेट निकाय के बांडों और डिबेंचरों से और सरकारी प्रतिभूतियों/बांडों से होने वाली आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि इन लिखितों पर ब्याज की दर पहले से निर्धारित हो और इसका ब्याज नियमित रूप से प्राप्त होता हो और बकायों में नहीं हो।

(3) कारपोरेट निकायों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिभूतियों पर आय और उस मूलधन पर ब्याज और उसकी अदायगी को जिसकी गारंटी केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाएगा।

2.2 परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

ऋण तथा अग्रिम और ऋण के किसी अन्य रूप को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, नामत :

(i) **मानक परिसंपत्तियां :** मानक परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्तियों से है जो एनपीए नहीं हैं और जिनके संबंध में मूलधन और ब्याज की अदायगी पहले प्राप्त हो गई हो और जिनसे कोई समस्या पैदा नहीं हुई हो और जो कारोबार से संबद्ध सामान्य जोखिम से अधिक जोखिम वाली न हों।

मानक अवसंरचना ऋण परिसम्पत्ति का पुनःनिर्धारण अथवा पुनः संरचना अथवा पुनः वार्ता को पुनः वर्गीकृत किए जाने की जरूरत नहीं होगी यदि संशोधित परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सक्षम होना पाया गया हो।

(ii) **उप-मानक परिसंपत्तियां :** 'उप-मानक परिसंपत्तियों' से तात्पर्य है :

(क) ऐसी परिसंपत्तियां जो 18 महीने से अनधिक अवधि तक अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हों :

(ख) ऐसी परिसंपत्तियां जिनके संबंध में ब्याज और/या मूलधन के बारे में करार की शर्तों के संबंध में पुनः बातचीत की गई हो या जिन्हें पुनः निर्धारित किया गया हो या जिन्हें पुनर्गठित किया गया हो, बशर्ते कि बातचीत या पुनः निर्धारण या पुनर्गठन की शर्तों के अधीन संतोषजनक कार्य-निष्पादन का एक वर्ष समाप्त न हुआ हो।

(iii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां :** संदिग्ध परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी परिसंपत्ति से है जो 18 माह से अधिक अवधि तक उप-मानक परिसंपत्ति रही हो।

(iv) **हानि परिसंपत्तियां :** हानि वाली परिसंपत्ति से तात्पर्य है :

(क) ऐसी परिसंपत्ति जिन्हें आरईसी द्वारा उस सीमा तक हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में अभिनिर्धारित किया गया हो, जिस सीमा तक आरईसी द्वारा इसे बट्टेखाते नहीं डाला गया हो या ऐसी परिसंपत्ति जो 5 वर्ष से अधिक अवधि तक संदिग्ध परिसंपत्ति के रूप में रही हो, इनमें से जो भी पहले हो।

(ख) ऐसी परिसंपत्ति जिस पर प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट आने या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण या उधारकर्ता के किसी कपटपूर्ण कार्य या चूक के कारण, वसूल न होने के खतरे के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

मानक, उप-मानक, संदिग्ध एवं हानि श्रेणी में परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ, सुविधाओं को निम्नलिखित अपवाद के साथ कर्जदार-वार वर्गीकृत किया जाएगा :

सरकारी क्षेत्र के ऋण, जहां प्रत्येक परियोजना से नकदी प्रवाह अलग रूप में अभिज्ञेय हो और उसी परियोजना पर प्रयुक्त होती है, आरईसी परियोजना-वार आधार पर ऐसे ऋणों का वर्गीकरण करेगा।

2.3 ऋणों के प्रति प्रावधान

खरीदे तथा छूट दिए गए बिलों सहित ऋण, अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाओं के संबंध में प्रावधान की आवश्यकता निम्नानुसार होगी :

(i) **हानि वाली परिसंपत्तियां :** समूची परिसंपत्ति को बट्टेखाते डाला जाएगा। यदि किसी कारण से ऐसी परिसंपत्ति को बही में रखे जाने की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित के बकाये के लिए 100%प्रावधान किया जाएगा :

(ii) **संदिग्ध परिसंपत्तियां :**

(क) उस सीमा तक 100% प्रावधान किया जाएगा जिस सीमा तक उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से वह ऋण पूरा नहीं होता है, जिसे वसूल करने के लिए आरईसी के पास वैध तरीका है। वसूल किए जाने योग्य मूल्य को एक वास्तविक आधार पर अनुमानित होना चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार की गारंटी के अन्तर्गत आने वाले ऋणों अथवा किसी राज्य सरकार को दिए गए ऋणों को प्रतिशत के रूप में समझा जाएगा।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि हेतु परिसंपत्ति संदेहास्पद रहती है, उसके लिए प्रतिभूत भाग के लिए 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात बकाया का अनुमानित वसूली योग्य मूल्य) के लिए प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :

अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को प्रावधान के संदिग्ध % रूप में माना गया है :	प्रावधान की प्रतिशतता
1 वर्ष तक	20 प्रतिशत
1 से 3 वर्ष	30 प्रतिशत
3 वर्ष से अधिक	50 प्रतिशत

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

(iii) **उप-मानक परिसंपत्तियां :** 10% का प्रावधान किया जाएगा।

कोई परिसंपत्ति जिसे पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारित अथवा पुनः संरचित किया गया है, एक उप-मानक परिसंपत्ति होगी अथवा उसी श्रेणी में परिसंपत्ति अथवा संदिग्ध परिसंपत्ति अथवा एक हानि परिसंपत्ति के रूप में, जैसा भी मामला हो, बनी रहेगी जिसमें वह पुनः विचार-विमर्श अथवा पुनः निर्धारण या पुनः संरचना से पूर्व थी। ऐसी उक्त परिसंपत्ति पर उसे उन्नयीकृत किए जाने तक आवश्यक प्रावधान को लागू किए जाने की आवश्यकता होती है।

(iv) **मानक परिसंपत्तियां : मानक परिसंपत्तियों के संदर्भ में निम्नानुसार प्रावधान किए गए हैं:-**

विवरण	प्रावधानिक आवश्यकता
पारेषण एवं वितरण के अधीन उन्नयन एवं आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार परियोजनाएं तथा हिमालयी क्षेत्र की अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हाइड्रो परियोजनाओं से भिन्न पुनगर्ठित ऋणों के लिए, यदि वित्तीय बंदी के समय निर्धारित वास्तविक डीसीसीओ का 2 वर्ष या इससे ज्यादा अवधि के लिए विस्तार किया गया हो	31 मार्च,2015 के अनुसार बकाया ऋणों के से संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता निम्नानुसार होगी
क. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण मध्यस्थता कार्यवाही या कोर्ट केस है तो 4 वर्ष	• 31 मार्च, 2015 से 2.75%
ख. यदि डीसीसीओ के विस्तार का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से परे हो (कोर्ट के मामलों के अलावा तो 3 वर्ष)	• 31 मार्च, 2016 से 3.50%
	• 31 मार्च, 2017 से 4.25%
	• 31 मार्च, 2018 से 5.00%
	1 अप्रैल, 2015 से पुनर्गठित नई परियोजनाओं के संदर्भ में प्रावधानिक आवश्यकता, इस प्रकार के पुनर्गठन से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्गठित होने की तिथि से 2 वर्ष जो भी बाद का हो, 5.00% होगी।
ऊपर दिए गए से भिन्न मानक परिसंपत्तियों के लिए	बकाया ऋण राशि का 25%

2.4 धारित प्रावधानों का प्रतिपादन

अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में प्रावधान बकाया राशि की वसूली/लेखा के नियमितकरण के बाद ही प्रत्यायित है।

3. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसम्पत्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है। इनकी लागत में परिसंपत्ति को उसके वांछित उपयोग हेतु कार्यशील स्थिति में लाने के लिए लगाई जाने वाली लागत शामिल होती है।

4. मूल्यह्रास

4.1 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर मुहैया कराया जाता है।

4.2 वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूरे माह के लिए प्रभारित किया जाता है, बशर्ते कि परिसंपत्ति का उपयोग 15 दिन से अधिक अवधि तक किया गया हो बजाय इस पर मूल्यह्रास क्रय/बिक्री की तिथि से यथानुपात के आधार पर प्रभारित करने के।

4.3 वर्ष के दौरान क्रय की गई र. 5,000/- तक के मूल्य की परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 100% की दर से लगाया जाता है।

4.4 पट्टे वाली भूमि को पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को उस स्थिति में स्वीकार किया जाता है यदि यह संभव हो कि इस परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति की मूल्यह्रास योग्य राशि को उसके उपयोग की अवधि के सर्वश्रेष्ठ अनुमान की तुलना में व्यवस्थित आधार पर आबंटित किया जाता है।

6. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार किए जाते हैं। तथापि निवेश के मूल्य में कमी के लिए, अस्थायी को छोड़कर, हिसाब में लेने हेतु प्रावधान किया जाता है, प्रत्येक निवेश के संबंध में ऐसी कमी का निर्धारण अलग-अलग किया जाता है। कोटेड वर्तमान निवेश को लागत अथवा बाजार मूल्य, जो कोई भी कम हो, पर हिसाब में लिया जाता है। अनकोटेड वर्तमान निवेश को लागत अथवा फेयर मूल्य, जो भी, कम हो, पर हिंसाब में लिया जाता है।

7. वर्तमान कर तथा आस्थगित कर

आयकर व्यय में वर्तमान आयकर जिसमें छुटपुट लाभ कर शामिल हैं (निर्धारित अवधि हेतु कर की राशि को आयकर कानून के अनुसार निर्धारित किया जाता है) और आस्थगित कर प्रभाव अथवा क्रेडिट (अवधि हेतु लेखांकन आय तथा करयोग्य आय के मध्य समय अंतरों के कर प्रभारों को दर्शाने वाला) को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लेखांकन मानक-22 के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आस्थगित कर प्रभार अथवा क्रेडिट और तदनुरूपी आस्थगित कर देयता अथवा परिसंपत्तियों की पहचान उन कर दरों का उपयोग करते हुए की जाती है, जिन्हें तुलन-पत्र तारीख को अधिनिर्गमित अथवा व्यापक

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

रूप से स्थापित किया गया है। आस्थगित परिसंपत्ति को उस सीमा तक माना तथा आगे ले जाया जाता है, जहां तक इसकी तर्कसंगत निश्चितता हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य आय उपलब्ध होगी, जिसमें से उक्त आस्थगित कर परिसंपत्ति को वसूला जा सकता है।

8. परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक तुलपनपत्र तारीख को कंपनी यह पता लगाने के लिए कि उसकी परिसंपत्तियों में क्षति से हानि तो नहीं हुई है, स्थायी परिसंपत्तियों से होने वाली आय की राशि की समीक्षा की जाती है। यदि ऐसा कोई संकेत दिखाई देता है तो हानि की सीमा के निर्धारण हेतु परिसंपत्ति की वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। वसूली योग्य राशि परिसंपत्तियों के निवल बिक्री लागतों और उपयोग में मूल्य से अधिक होती है।

9. प्रावधान

किसी प्रावधान को तब स्वीकार किया जाता है, जब कंपनी की किसी पूर्व की घटना से परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता हो और यह संभव हो कि संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता उस देयता के निपटान हेतु तथा देयता की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाने के लिए हो। प्रावधानों को तुलनपत्र की तारीख पर देयता के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

10. बांड/ऋण निर्गम

10.1. बांडों द्वारा निधियां जुटाने पर हुए व्यय को ऐसे बांड जारी किए जाने के वर्ष में राजस्व में दर्शाया जाता है।

10.2. निगम बांड के संबंध में मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के प्रति अपनी देयता को नामित बैंक खातों में राशि जमा कराकर पूरा करता है। तदनुसार, भुगतान को अंतिम भुगतान माना जाता है और ये राशियां, लिखतों की वैद्यता तक लेखा बहियों में प्रदर्शित नहीं होते, बल्कि तत्संबंधी खातों का मिलान कर लिया जाता है।

10.3. निधियों को जुटाए जाने में हुआ व्यय, जिस वर्ष हुआ है, के दौरान लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है, परन्तु कमर्शियल पेपरों/आरईजी-एस बांडों (विदेशी वाणिज्यिक उधारों) पर उस छूट/ब्याज को लेखे में नहीं दर्शाया जाता है, जिसे उसकी कालावधि के दौरान समानुपातिक रूप से चुका दिया जाएगा।

11. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट में दर्शाया जाता है, जिसमें कर-पूर्व लाभ को एक गैर-नकदी प्रकृति के कारोबार और विगत अथवा भविष्य की नकदी प्राप्तियां अथवा भुगतान के किसी विलंब अथवा उपचित प्रभारों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के नकदी प्रवाह को नियमित प्रचालन वित्तपोषण और निवेश की गतिविधियों से अलग रखा जाता है।

12. पूर्वावधि/पूर्व प्रदत्त समयोजन

12.1. व्यापार की प्रकृति को देखते हुए इस वर्ष के दौरान निर्धारित और निश्चित पिछले वर्षों की ब्याज आय/व्यय को उसी वर्ष के हिसाब में लिया जाएगा, जिस वर्ष इसे इस प्रकार निश्चित और निर्धारित किया गया है।

12.2. प्रत्येक मामलों में र. 5,00,000/- से अधिक न होने वाले व्यय को लेखे के सामान्य शीर्षों में लेखांकित किया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

13.1 उपदान के संबंध में कर्मचारी लाभ की देयता का निर्धारण वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर एक अलग न्यास द्वारा उपबंधित और वित्तपोषित किया जाता है।

13.2 कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और अन्य दीर्घकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखों में व्यय के रूप में माना जाएगा, जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हों। इस व्यय को उस रकम के वर्तमान मूल्य पर माना जाता है, जिस पर बीमांकक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसे देय राशि के रूप में निर्धारित किया जाता है। कर्मचारी को नियोजन के बाद मिलने वाले और दीर्घकालिक लाभों को लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

14.1 विदेशी मुद्रा के लेन-देन को शुरू में लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है।

01 अप्रैल, 2011 को या उसके बाद शुरू होने वाली लेखाकरण अवधि के संबंध में प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की संदर्भ दरों पर दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा की मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गम की तारीख से 12 माह या उससे अधिक है) की सूचना मिलने पर होने वाले विनिमय के अंतर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग में उल्लिखित उसी तारीख की अंतिम दर, इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए शुरू के अंतर अथवा पिछले वित्तीय विवरण में बताई गई दर पर ''विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद के अंतर का अंतरण लेखा'' में संचित और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार करते हुए ऐसी दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि से अधिक परिशोधित की जाती हैं।

अल्पकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद (जिसकी अवधि इसके उद्गमन की तारीख से 12 माह से कम हो) को प्रत्येक सूचना अवधि के अंत में विद्यमान आरबीआई की दर पर अथवा यदि किसी मुद्रा के संबंध में आरबीआई की संदर्भ दरें उपलब्ध न हों तो ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसकी तारीख की अंतिम दर पर अंतरित किया जाता है। इसके परिणामतः विनिमय में होने वाली घट-बढ़ को ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

14.2 भारतीय रूपए में विनियमित विदेशी मुद्रा ऋण के भाग का उल्लेख विनिमय लेन-देनों में निर्धारित दर पर किया जाता है न कि वर्ष के अंत की दरों में अंतरित किया जाता है।

समेकित महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

15. सरकार से अनुदान/निधियां

आगे संवितरण के लिए प्राप्त अनुदान की अवितरित निधियों को चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसी निधियों पर जब कभी ब्याज अर्जित किया जाता है, तो उसे संबंधित खाते में अनुदान में जमा किया जाता है।

16. व्युत्पन्न लेनदेन

16.1 व्युत्पन्न लेन-देन में अग्रेषण, ब्याज दर का विनिमय, परस्पर मुद्रा विनिमय और मुद्रा तथा परिसंपत्तियों और देयताओं की सुरक्षा के लिए परस्पर मुद्रा विकल्प भी शामिल हैं।

16.2 व्युत्पन्न लेन-देन सुरक्षा के प्रयोजन के लिए किया जाता है न कि व्यापार या काल्पनिक प्रयोजन के लिए। इन्हें उपचयी आधार पर हिसाब में लिया जाता है और बाजार में इनका विपणन नहीं किया जाता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

1. **समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उपक्रम एंटिटी के समेकित लेखे को दर्शाते हैं, जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है:**

सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम का नाम	निगमन देश	स्वामित्व हित का अनुपात	लेखे की स्थिति
सहायक कंपनी का नाम			
- आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	लेखापरीक्षित
- आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	लेखापरीक्षित
संयुक्त उपक्रम का नाम			
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड*	भारत	25%	गैर-लेखापरीक्षित

* वित्तीय विवरण लेखापरीक्षित नहीं हैं तथा प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित हैं और जिन्हें समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए विचारा गया है। वित्तीय विवरणों में दिए गए आंकड़े ऑडिट के पूर्ण होने पर परिवर्तित हो सकते हैं।

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) को पारेषण परियोजनाओं हेतु एसपीवी के रूप में कार्य करने के लिए पूर्ण स्वामित्व की सहायक कंपनियों के तौर पर इस आशय के साथ गठित किया गया है कि इन एसपीवी को बोली प्रक्रिया की समाप्ति पर सफल बोलीदाता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। एएस-21 के पैरा 11 के अनुसार, एक सहायक कंपनी को समेकन से बाहर रखना चाहिए जब नियंत्रण अस्थायी होना अभिप्रेत है क्योंकि सहायक कंपनी को अभिगृहीत किया गया है तथा उसके निकट भविष्य में निपटान के लिए उसे विशेष रूप से रखा गया है। इसलिए, आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियों (नामतः नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड, बैरा सियूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड, गदरवारा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड, गदरवारा (ए) ट्रांस्को लिमिटेड तथा महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड) के वित्तीय विवरणों को कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया है।

2. शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	**राशि**	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत :				
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर	**1,20,00,00,000**	**1,200.00**	1,20,00,00,000	1,200.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त :				
प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत प्रदत्त इक्विटी शेयर	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46
योग	**98,74,59,000**	**987.46**	98,74,59,000	987.46

2.1 कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें अनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), कंपनी अधिनियम 2013 (लागू सीमा में) के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों जैसे (एनएसई आफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड) के साथ निष्पादित सूचीकरण करारों और हमारे संस्था ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं।.

2.2 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयरधारण करने वाले शेयरधारक:

नाम	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	**प्रतिशतता**	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
भारत के राष्ट्रपति	**64,81,68,218**	**65.64%**	64,81,68,218	65.64 %
भारतीय जीवन बीमा निगम	**3,08,77,781**	**3.13%**	5,93,52,864	6.01 %

08 अप्रैल, 2015 को स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भारत सरकार द्वारा 5% शेयरधारिता की बिक्री के प्रस्ताव तथा 10 अप्रैल, 2015 को केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (सीपीएसई ईटीएफ) लॉयल्टी यूनिटों के लिए ऑफ-मॉर्केट लेन-देन के फलस्वरूप, वित्तीय विवरणों के हस्ताक्षर किए जाने की तिथि को भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता 60.64% (59,87,67,680 शेयर) है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

3. आरक्षित एवं अधिशेष निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
पूंजीगत आरक्षित निधि	**105.00**	105.00
प्रतिभूति प्रीमियम लेखा (टिप्पणी 3.1 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,223.72**	3,222.48
जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	**-**	1.24
वर्ष के अंत में शेष	**3,223.72**	3,223.72
डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (टिप्पणी 3.2 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**345.98**	160.19
जोड़ें : अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**185.79**	185.79
वर्ष के अंत में शेष	**531.77**	345.98
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन सृजित विशेष आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**6,820.64**	5,529.64
जोड़े : अधिशेष लेखे में अंतरित रकम	**1,629.00**	1,291.00
वर्ष के अंत में शेष	**8,449.64**	6,820.64
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**1,268.97**	980.97
जोड़ें : अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**353.00**	288.00
वर्ष के अंत में शेष	**1,621.97**	1,268.97
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाते (टिप्पणी 3.3 के संदर्भ में)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-532.65**	-160.28
जोड़ें : वर्ष के दौरान दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा अंतरण लाभ/हानि (-)	**-62.80**	-676.64
वर्ष के दौरान परिशोधन	**259.99**	304.27
वर्ष के अंत में शेष	**-335.46**	-532.65
सामान्य आरक्षित निधि		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,623.39**	3,133.09
जोड़ें : अधिशेष लेखे से अंतरित रकम	**530.76**	490.30
वर्ष के अंत में शेष	**4,154.15**	3,623.39
खाता अधिशेष		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4,959.99**	3,571.93
घटाएं: कंपनी अधिनियम, 2013 (टिप्पणी 2.4 के संदर्भ में) के उपबंधों के अनुसार मूल्यह्रास का अंतरण।	**0.74**	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान लाभ	**5,344.42**	4,741.25
घटाएं : विनियोजन		
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि में अंतरण	**1,629.00**	1,291.00
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	**353.00**	288.00
- लाभांश		
- अंतरिम लाभांश	**789.97**	765.28
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम) (टिप्पणी 3.5 के संदर्भ में)	**266.61**	172.81
- लाभांश संवितरण कर		
- अंतरिम लाभांश	**157.89**	130.06
- प्रस्तावित लाभांश (अंतिम)	**56.32**	29.40
- डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि में अंतरण	**185.79**	185.79
- सामान्य आरक्षित निधि में अंतरण	**530.76**	490.30
वर्ष के अंत में शेष	**6,334.33**	4,960.54
कुल आरक्षित और अधिशेष निधि	**24,085.12**	19,815.59

3.1 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिभूति प्रीमियम लेखा में परिवर्धन निजी प्लेसमेंट के द्वारा कर मुक्त बांडों के निर्गम पर प्राप्त ₹ शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष ₹ 1.24 करोड़) के प्रीमियम को निरूपित करता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

3.2 ऋण विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 71(4) के उपबंधों के अनुसार, जिसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के अंतर्गत और स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने ऐसे डिबेंचरों की परिपक्वता अवधि के दौरान, वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2008 के अनुसार पब्लिक इश्यू के माध्यम से डिबेंचरों के मूल्य के 25% तक डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित की है तथा निजी रूप से प्रतिस्थापित डिबेंचरों के मामले में डिबेंचर विमोचन आरक्षित निधि अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹ 185.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 185.79 करोड़) की डीआरआर सृजित की है।

3.3 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण अंतर खाता

इसके लिए कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मद पर लेखाकरण मानक-11 के पैरा 46क 'विदेशी मुद्रा की दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के अनुसार ऐसी मदों की शेष अवधि के लिए विदेशी मुद्रा दर में घट-बढ़ हानि/लाभ के परिशोधन हेतु एक अपरिवर्तनीय विकल्प को चुना है। 'विदेशी मुद्रा मौद्रिक अंतर खाते' में परिशोधित की जाने वाली शेष राशि 31 मार्च, 2015 को ₹ 335.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 532.65 करोड़) है।

3.4 आरक्षित निधि से ड्रॉ-डाउन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II के उपबंधों के अनुरूप स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में ₹ 0.74 करोड़ (₹ 0.38 करोड़ के कर का निवल) की राशि को प्रतिधारित आमदनी में समायोजित किया गया है, जहां ऐसी परिस्थितियों की शेष उपयोगी कालावधि 01 अप्रैल, 2014 को शून्य थी।

3.5 प्रस्तावित लाभांश

वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश निम्नलिखित है:

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
₹ 10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर		
- प्रस्तावित लाभांश की राशि (₹ करोड़ में)	266.61	172.81
- लाभांश की दर	27.00%	17.50 %
- प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹)	2.70	1.75

4. दीर्घावधि ऋण

दीर्घावधि ऋण के गैर-चालू अंश को ''दीर्घावधि उधारियां'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और टिप्पणी 10 'अन्य चालू देयताओं' में दीर्घावधि ऋण के चालू अंश को 'दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वता' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ए) प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क) बांड				
- संस्थागत बांड	35,446.70	2,992.80	24,974.50	2,925.88
- 54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बांड	10,687.69	4,903.25	10,253.16	5,239.36
- कर मुक्त बांड	11,581.41	-	11,581.41	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंकों से	-	-	-	19.40
- वित्तीय संस्थाओं से	1,100.00	350.00	2,645.00	350.00
कुल प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख)	58,815.80	8,246.05	49,454.07	8,534.64
(ए) अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण				
(क) बांड				
- संस्थागत बांड	57,714.20	-	41,979.20	4,565.80
- इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	162.98	213.34	376.32	-
- जीरो कूपन बांड	914.48	-	844.08	-
(ख) आवधिक ऋण				
- बैंको से	-	125.00	125.00	125.00
- भारत सरकार से	-	3.07	3.07	4.86
(ग) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
- विदेशी मुद्रा उधारियां	13,515.80	10,534.34	17,313.56	307.59
कुल अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण (क+ख+ग)	72,307.46	10,875.75	60,641.23	5,003.25
कुल दीर्घावधि ऋण (क+ख)	1,31,123.26	19,121.80	1,10,095.30	13,537.89
कुल दीर्घावधि ऋण (गैर चालू + चालू)	1,50,245.06		1,23,633.19	

समेकित लेखा टिप्पणियां

दीर्घावधि ऋण के ब्योरे:

4.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण के ब्योरे

(प्रतिभूति के ब्योरों के लिए टिप्पणी 4.3 को देखें)

4.1.1 बांड

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.1	संस्थागत बांड				
	123-IIIबी श्रृंखला	**1,955.00**	**-**	-	-
	9.34% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2024 को विमोचनीय				
	123-I श्रृंखला	**1,515.00**	**-**	-	-
	9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय				
	92-II श्रृंखला	**945.30**	**-**	945.30	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 22.01.2020 को विमोचनीय				
	91-II श्रृंखला	**995.90**	**-**	995.90	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 17.11.2019 को विमोचनीय				
	90- सी-II श्रृंखला	**1,040.00**	**-**	1,040.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 06.10.2019 को विमोचनीय				
	90- ख-II श्रृंखला	**868.20**	**-**	868.20	-
	8.72% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2019 को विमोचनीय				
	90वीं श्रृंखला	**2,000.00**	**-**	2,000.00	-
	8.80% सममूल्य पर दिनांक 03.08.2019 को विमोचनीय				
	122वीं श्रृंखला	**1,700.00**	**-**	-	-
	9.02% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2019 को विमोचनीय				
	119वीं श्रृंखला	**2,090.00**	**-**	2,090.00	-
	9.63% सममूल्य पर दिनांक 05.02.2019 को विमोचनीय				
	88वीं श्रृंखला	**1,495.00**	**-**	1,495.00	-
	8.65% सममूल्य पर दिनांक 15.01.2019 को विमोचनीय				
	118वीं श्रृंखला	**1,655.00**	**-**	1,655.00	-
	9.61% सममूल्य पर दिनांक 03.01.2019 को विमोचनीय				
	117वीं श्रृंखला	**2,878.00**	**-**	2,878.00	-
	9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.11.2018 को विमोचनीय				
	87-क-III श्रृंखला	**61.80**	**-**	61.80	-
	11.15% सममूल्य पर दिनांक 24.10.2018 को विमोचनीय				
	116-II श्रृंखला	**850.00**	**-**	850.00	-
	9.24% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2018 को विमोचनीय				
	87-II श्रृंखला	**657.40**	**-**	657.40	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2018 को विमोचनीय				
	86-ख-III श्रृंखला	**432.00**	**-**	432.00	-
	10.85% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2018 को विमोचनीय				
	86-क श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	10.70% सममूल्य पर दिनांक 29.07.2018 को विमोचनीय				
	85वीं श्रृंखला	**500.00**	**-**	500.00	-
	9.68% सममूल्य पर दिनांक 13.06.2018 को विमोचनीय				
	83वीं श्रृंखला	**685.20**	**-**	685.20	-
	9.07% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2018 को विमोचनीय				
	82वीं श्रृंखला	**883.10**	**-**	883.10	-

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
9.85% सममूल्य पर दिनांक 28.09.2017 को विमोचनीय				
124- I वीं श्रृंखला	**2,610.00**	**-**	-	-
9.06% सममूल्य पर दिनांक 23.09.2017 को विमोचनीय				
123- III क श्रृंखला	**1,275.00**	**-**	-	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2017 को विमोचनीय				
121वीं श्रृंखला	**1,600.00**	**-**	1,600.00	-
9.52% सममूल्य पर दिनांक 25.03.2017 को विमोचनीय				
120वीं श्रृंखला	**1,100.00**	**-**	1,100.00	-
9.67% सममूल्य पर दिनांक 10.03.2017 को विमोचनीय				
81वीं श्रृंखला	**314.80**	**-**	314.80	-
8.85% सममूल्य पर दिनांक 20.01.2017 को विमोचनीय				
116-I श्रृंखला	**430.00**	**-**	430.00	-
9.05% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2016 को विमोचनीय				
123-IV श्रृंखला	**2,750.00**	**-**	-	-
8.97% सममूल्य पर दिनांक 08.09.2016 को विमोचनीय				
123- II श्रृंखला	**1,660.00**	**-**	-	-
9.27% सममूल्य पर दिनांक 08.08.2016 को विमोचनीय				
80वीं श्रृंखला	**-**	**500.00**	500.00	-
8.20% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2016 को विमोचनीय				
79वीं श्रृंखला	**-**	**500.00**	500.00	-
7.85% सममूल्य पर दिनांक 14.03.2016 को विमोचनीय				
78वीं श्रृंखला	**-**	**1,795.70**	1,795.70	-
7.65% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2016 को विमोचनीय				
77वीं श्रृंखला	**-**	**197.10**	197.10	197.10
7.30% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2015 को विमोचनीय				
75वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	100.00
7.20% सममूल्य पर दिनांक 17.03.2015 को विमोचनीय				
93-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	443.10
8.45% सममूल्य पर दिनांक 19.02.2015 को विमोचनीय				
73वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	46.78
6.90% सममूल्य पर दिनांक 08.10.2014 को विमोचनीय				
90-ख-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	883.90
8.35% सममूल्य पर दिनांक 04.09.2014 को विमोचनीय				
90- क-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	1,000.00
8.00% सममूल्य पर दिनांक 05.08.2014 को विमोचनीय				
89-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	255.00
7.70% सममूल्य पर दिनांक 02.06.2014 को विमोचनीय				
कुल संस्थागत बांड	**35,446.70**	**2,992.80**	24,974.50	2,925.88
4.1.1.2 **54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड**				
श्रृंखला IX (2014-15)	**5,337.78**	**-**	-	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला IX (2013-14)	**5,349.91**	**-**	5,349.91	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला VIII (2012-13)	**-**	**4,903.25**	4,903.25	-
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विमोचनीय				
श्रृंखला VIII (2011-12)	**-**	**-**	-	5,239.36
6.00% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान विमोचनीय				
जोड़ - 54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांड	**10,687.69**	**4,903.25**	10,253.16	5,239.36

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.1.1.3	**कर मुक्त बांड**				
	श्रृंखला 2013-14 किश्त 2	1,057.40	-	1,057.40	-
	सममूल्य पर ₹ 419.32 करोड़ के बांड 24.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹ 528.42 करोड़ के बांड 24.03.2029 को विमोच्य हैं तथा ₹ 109.66 करोड़ के बांड 24.3.2034 को विमोच्य हैं % और वार्षिक रूप से देय 8.19% से 8.88% के परिवर्ती ब्याज दरों के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 4क एवं 4ख	150.00	-	150.00	-
	₹ 105.00 करोड़ के बांड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं, और ₹ 45.00 करोड़ के बांड 11.10.2028 को विमोच्य हैं जो वार्षिक रूप से देय 8.18% से 8.54% के परिवर्ती ब्याज दर के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 किश्त 1	3,410.60	-	3,410.60	-
	₹ 575.06 करोड़ के बांड सममूल्य पर 24.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹ 2,780.26 करोड़ 24.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹ 55.28 करोड़ 24.09.2033 को विमोच्य हैं जो वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.77% की परिवर्ती ब्याज दर के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2013-14 श्रृंखला 3क एवं 3ख	1,350.00	-	1,350.00	-
	₹ 209.00 करोड़ के बांड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹ 1,141.00 करोड़ के बांड 29.08.2028 को विमोच्य है, जो वार्षिक रूप से देय 8.01% से 8.46% के परिवर्ती ब्याज दर के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 भाग 2	131.06	-	131.06	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 81.35 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 25.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹ 49.71 करोड़ के बांड दिनांक 25.03.2028 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 6.88% से 7.54% के बीच हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 किश्त 1	1,982.35	-	1,982.35	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 1,165.31 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹ 817.04 करोड़ के बांड दिनांक 19.12.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.22% से 7.88% के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2012-13 भाग 2क और 2ख	500.00	-	500.00	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 255.00 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 21.11.2022 के विमोचनीय हैं और ₹ 245.00 करोड़ के बांड दिनांक 21.11.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.21% से 7.38% के साथ हैं।				
	श्रृंखला 2011-12	3,000.00	-	3,000.00	-
	सममूल्य पर विमोचनीय, ₹ 839.67 करोड़ की रकम के बांड दिनांक 27.03.2022 के विमोचनीय हैं और ₹ 2,160.33 करोड़ के बांड दिनांक 27.03.2027 को विमोचनीय हैं और वार्षिक रूप से अदा किए जाने वाले ब्याज की दर 7.93% से 8.32% हैं।				
	जोड़ - कर-मुक्त बांड	11,581.41	-	11,581.41	-
4.1.2	**आवधिक ऋण**				
	बैंकों से आवधिक ऋण	-	-	-	19.40
	- स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र				
	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	1,100.00	350.00	1,450.00	350.00
	- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)				
	₹ 1500 करोड़ का ऋण (जो वर्तमान में 6.242% की दर पर ₹ 300 करोड़ तथा 6.231% की दर पर ₹ 150 करोड़ बकाया है) ₹ 2000 करोड़ (जो वर्तमान 7.35% की दर पर ₹ 1,000 करोड़ बकाया है) क्रमशः दिनांक 01.10.2008 और 01.10.2010 से शुरू10 समान वार्षिक किश्तों में देय है।	-	-	1,195.00	-
	- इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	1,100.00	350.00	2,645.00	369.40
	जोड़ : आवधिक ऋण				

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक उधार के विवरण:

4.2.1 बांड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.1.1 संस्थागत बांड				
95-II श्रृंखला	**1,800.00**	**-**	1,800.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2025 को विमोचनीय				
94वीं श्रृंखला	**1,250.00**	**-**	1,250.00	-
8.75% सममूल्य पर दिनांक 08.06.2025 को विमोचनीय				
131वीं श्रृंखला	**2,285.00**	**-**	-	-
8.35% सममूल्य पर दिनांक 22.02.2025 को विमोचनीय				
130वीं श्रृंखला	**2,325.00**	**-**	-	-
8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय				
129वीं श्रृंखला	**1,925.00**	**-**	-	-
8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय				
128वीं श्रृंखला	**2,250.00**	**-**	-	-
8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय				
115वीं श्रृंखला-अधीनस्थ टीयर-II बांड	**2,500.00**	**-**	2,500.00	-
8.06% सममूल्य पर दिनांक 31.05.2023 को विमोचनीय				
114वीं श्रृंखला	**4,300.00**	**-**	4,300.00	-
8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय				
111-II श्रृंखला	**2,211.20**	**-**	2,211.20	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय				
107वीं श्रृंखला	**2,378.20**	**-**	2,378.20	-
9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय				
132वीं श्रृंखला	**700.00**	**-**	-	-
8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय				
127वीं श्रृंखला	**1,550.00**	**-**	-	-
8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय				
105वीं श्रृंखला	**3,922.20**	**-**	3,922.20	-
9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय				
101-III श्रृंखला	**3,171.80**	**-**	3,171.80	-
9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय				
100वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय				
98वीं श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	3,000.00	-
9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय				
97वीं श्रृंखला	**2,120.50**	**-**	2,120.50	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2020 को विमोचनीय				
96वीं श्रृंखला	**1,150.00**	**-**	1,150.00	-
8.80% सममूल्य पर दिनांक 25.10.2020 को विमोचनीय				
113वीं श्रृंखला	**1,542.00**	**-**	1,542.00	-
8.87% सममूल्य पर दिनांक 08.03.2020 को विमोचनीय				
111-I श्रृंखला	**452.80**	**-**	452.80	-
9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2019 को विमोचनीय				
126वीं श्रृंखला	**1,700.00**	**-**	-	-
8.56% सममूल्य पर दिनांक 13.11.2019 को विमोचनीय				
125वीं श्रृंखला	**3,000.00**	**-**	-	-
9.04% सममूल्य पर दिनांक 12.10.2019 को विमोचनीय				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
108-II श्रृंखला	**960.00**	**-**	960.00	-
9.39% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2019 को विमोचनीय				
95-I श्रृंखला	**200.00**	**-**	200.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 12.07.2019 को विमोचनीय				
112वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
8.70% सममूल्य पर दिनांक 01.02.2018 को विमोचनीय				
109वीं श्रृंखला	**1,734.70**	**-**	1,734.70	-
9.25% सममूल्य पर दिनांक 27.08.2017 को विमोचनीय				
108-I श्रृंखला	**2,125.00**	**-**	2,125.00	-
9.40% सममूल्य पर दिनांक 20.07.2017 को विमोचनीय				
106वीं श्रृंखला	**1,500.00**	**-**	1,500.00	-
9.28% सममूल्य पर दिनांक 15.02.2017 को विमोचनीय				
103-I श्रृंखला	**50.00**	**-**	50.00	-
9.35% सममूल्य पर दिनांक 19.10.2016 को विमोचनीय				
102वीं श्रृंखला	**2,216.20**	**-**	2,216.20	-
9.38% सममूल्य पर दिनांक 06.09.2016 को विमोचनीय				
101-II श्रृंखला	**394.60**	**-**	394.60	-
9.45% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2016 को विमोचनीय				
74वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	250.00
7.22% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2014 को विमोचनीय				
110वीं श्रृंखला	**-**	**-**	-	3,475.00
8.84% सममूल्य पर दिनांक 16.10.2014 को विमोचनीय				
101-I श्रृंखला	**-**	**-**	-	395.60
9.43% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2014 को विमोचनीय				
99-II श्रृंखला	**-**	**-**	-	445.20
9.75% सममूल्य पर दिनांक 07.06.2014 को विमोचनीय				
जोड़ - संस्थागत बांड	**57,714.20**	**-**	41,979.20	4,565.80
4.2.1.2 **अवसंरचना बांड**				
श्रृंखला-II (2011-12)	**157.59**	**-**	157.59	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।				
श्रृंखला-I (2010-11)	**5.39**	**213.34**	218.73	-
सममूल्य पर विमोचनीय। टिप्पणी 4.6 देखें।				
जोड़ : अवसंरचना बांड	**162.98**	**213.34**	376.32	-
4.2.1.3 **जीरो कूपन बांड**				
जेडसीबी - श्रृंखला - II	**164.60**	**-**	151.35	-
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय है)।				
जेडसीबी - श्रृंखला - I	**749.88**	**-**	692.73	-
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बांड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹ 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय है)।				
जोड़ : जीरो कूपन बांड	**914.48**	**-**	844.08	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.2.2 आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
4.2.2.1	**बैंकों से आवधिक ऋण**				
	- बैंक ऑफ महाराष्ट्र	-	125.00	125.00	125.00
	8.00% ऋण 30.06.2015 को प्रतिदेय।				
4.2.2.2	**भारत सरकार से ऋण**	-	3.07	3.07	4.86
	मूलधन के संबंध में 30 वर्ष की मूल अवधि और पांच वर्ष के ऋण स्थगन सहित विभिन्न किश्तों में ऋण और अवरोही छठी वर्षगांठ से शुरूहोने वाली 25 समान वार्षिक किश्तों में 6.75% से 7.75% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ प्रतिदेय।				
	जोड़ - आवधिक ऋण	-	128.07	128.07	129.86
4.2.3	**अन्य ऋण और अग्रिम**				
4.2.3.1	**विदेशी मुद्रा उधार**				
	सीएचएफ बांड - सीएचएफ 200 मिलियन	1,285.44	-	1,350.32	-
	3.50% सममूल्य पर दिनांक 07.03.2017 को विमोचनीय				
	आरईजी एस बांड - 500 मिलियन अमरीकी डालर	-	2,703.58	2,641.31	-
	4.25% सममूल्य पर दिनांक 25.01.2016 को विमोचनीय				
	जेआईसीए ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	550.17	209.62	735.25	203.81
	0.75% जेआईसीए-I ऋण दिनांक 20.3.2021 तक ¥982.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2015 को देय हो रही है और जेआईसीए-II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक ¥995.33 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 20.09.2015 को देय हो रही है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	144.43	51.40	195.83	50.34
	3.73% ऋण € 3.68 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय। अगली किश्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।				
	केएफडब्ल्यू ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	21.94	-	-	-
	1.96% ऋण € 2.941 मिलियन की प्रथम 14 समान छमाही किश्तों में और तत्पश्चात € 2.942 मिलियन की 3 समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। पहली किश्त दिनांक 30.06.2018 को देय है। 31.03.2015 के अनुसार, कुल ऋण राशि ₹ 87.76 करोड़ (आरईसी का शेयर ₹ 21.94 करोड़ है)।				
	सिंडिकेट ऋण-400 मिलियन अमेरिकी डालर	-	1,788.96	1,788.96	-
	दिनांक 22.09.2015 को प्रतिदेय				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मारीशस-70 मिलियन अमेरिकी डालर	-	311.36	311.36	-
	दिनांक 28.10.2015 को प्रतिदेय।				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - मिजूहो - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	-	446.50	446.50	-
	दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय।				
	द्विपक्षीय आवधिक ऋण - बीटीएमयू - 100 मिलियन अमेरिकी डालर	-	446.50	446.50	-
	दिनांक 30.03.2016 को प्रतिदेय।				
	सिंडिकेट ऋण - 300 मिलियन अमेरिकी डालर	1,367.24	-	1,367.24	-
	दिनांक 19.08.2016 को प्रतिदेय।				
	केएफडब्ल्यू-II ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	267.22	53.44	320.66	53.44
	2.89% ऋण, € 3.88 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है। अगली किश्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।				
	सिंडिकेट ऋण- ¥12.525 बिलियन	1,184.43	-	1,184.43	-
	दिनांक 27.03.2017 को प्रतिदेय।				
	सिंडिकेट ऋण- $ 250 मिलियन अमेरिकी डालर	-	1,366.49	1,366.49	-
	150 मिलियन अमेरिकी डालर और 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण क्रमशः 17.09.2015 और 19.11.2015 को प्रतिदेय है।				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
केएफडब्ल्यू-III ऋण - भारत सरकार द्वारा प्रतिभूत	**477.36**	**89.18**	416.99	-
1.86% ऋण, € 5.26 मिलियन की छमाही किश्तों में प्रतिदेय, पहली किश्त दिनांक 30.06.2015 को देय है।				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**1,544.42**	1,488.37	-
दिनांक 05.02.2016 को प्रतिदेय				
सिंडिकेट ऋण - $250 मिलियन अमेरिकी डालर	**-**	**1,522.89**	1,473.07	-
दिनांक 21.03.2016 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $285 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,780.28**	**-**	1,780.28	-
दिनांक 02.12.2018 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $ 250 मिलियन अमेरिकी डालर	**1,499.29**	**-**	-	-
दिनांक 29.05.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $ 400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,435.78**	**-**	-	-
ऋण $ 230 मिलियन अमेरिकी डालर और $170 मिलियन अमेरिकी डालर क्रमशः दिनांक 24.07.2019 तथा 27.10.2019 को प्रतिदेय।				
सिंडिकेट ऋण - $ 400 मिलियन अमेरिकी डालर	**2,502.22**	**-**	-	-
दिनांक 12.03.2020 को प्रतिदेय।				
जोड़ : विदेशी मुद्रा उधार	**13,515.80**	**10,534.34**	17,313.56	307.59

4.3 प्रतिभूत उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखला 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86ए, 86बी-।।।, 87-।।, 87ए-।।, 87 ए-।।।, 88, 90, 90 बी-।।, 90 सी-।।, 91-।।, 92-।।, बांडों का (क) फ्लैट नंबर 640, एशियाड गेम्स विलेज, नई दिल्ली को बंधकर रखकर और (ख) हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्त रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखलाएं 116-।, 116-।।, 117, 118, 119, 120, 121,122 वर्तमान और भावी दोनों जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करके सुरक्षित हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बांडों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ डिबेंचर/बांड ट्रस्ट सह मालबंधन विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

संस्थागत बांडों की बांड श्रृंखलाएं 123-।, 123-।।, 123-।।।ए, 123-।।।बी, 123-IV, 124-। विशिष्ट अचल संपत्ति तथा जारीकर्ता के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार पर प्रभारित करने के रूप में सुरक्षित हैं, जो दूसरे साहूकारों/न्यासियों पर प्रभारित हैं तथा जैसा भी आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सेवा लि. के पक्ष में सभी मदों पर बकाया बांडों की समग्र अंकित मूल्य राशि के एक बारगी न्यूनतम प्रतिभूति बीमा के साथ बांड ट्रस्ट विलेख की शर्तों के अनुपालन में निर्गमकर्ता और न्यासी के बीच सहमति हुई हो।

54ईसी पूंजी लाभ कर छूट बांडों की बांड श्रृंखला IX, (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला वड़ोदरा में स्थित है, में परिसरों के बंधक पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत है और (ख) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के पक्ष में प्राप्य मालबंधन हैं।

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए कर-मुक्त बांड, शॉप नं. 12, भू-तल, ब्लॉक नं. 35, चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई में परिसरों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं और आईएल एंड एफएल ट्रस्ट कंपनी लि. के पक्ष में एमएसईडीसीएल के ₹ 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तों पर मालबंधन हैं।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांड (क) सब प्लाट नं. 8, टीपीएस सं. 2, एफपी सं. 584पी, जो गांव सुभानपुरा, जिला वड़ोदरा में स्थित है, द्वारा प्रतिभूत हैं और (ख) एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लि. के पक्ष में प्राप्तों पर मालबंधन हैं।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांड एसबीआई कैप न्यासी कंपनी लि. के पक्ष में कंपनी के अर्जित ऋणों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूति हैं (उनसे भिन्न जो विशेष रूप से साहूकारों/अन्य न्यासियों के लिए प्रभारित/चिह्नित हैं)।

आवधिक ऋणों को हमारी कंपनी की वर्तमान और भावी दोनों प्राप्य रकमों के आधार पर समरूप प्रभार पर प्रभारित करके प्रतिभूत किया गया है। इसमें आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में 24 सितंबर, 2010 को संयुक्त मालबंधन करार के आधार पर आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड को मालबंधित रखकर कुछ विशेष प्राप्त होने वाली रकम शामिल नहीं है।

4.4 विदेशी मुद्रा उधारियों को 6 माह के यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक प्रस्तावित दर) पर 117 बीपीएस से 220 बीपीएस के फैलाव के रेंज में ब्याज दरों पर बढ़ाए गए हैं, सिवाय उन दरों के, जहां दरों का टिप्पणी सं. 4.2.3.1 में उपर उल्लेख किया गया है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

4.5 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंगों का अंतरण

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग

आरईसी को घरेलू ऋण लिखतों के लिए निरंतर 'एएए' रेटिंग प्राप्त है, जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एवं इक्रा-क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च रेटिंग है।

आरईसी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों मूडी और फिच से भारत की सर्वोच्च रेटिंग के समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है, जोकि क्रमशः 'बीएए3' तथा 'बीबीबी' है।

वर्ष के दौरान रेटिंगों का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

4.6 जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों का विवरण इस प्रकार है:

31.03.2011 को आबंटित श्रृंखला I(2010-11)

ब्याज दर	रकम (₹ करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.00%	61.60	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.20%	151.74	
8.10%	1.61	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.20%	3.78	
जोड़	**218.73**	

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011-12)

ब्याज दर	रकम (करोड़ में)	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	95.23	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 5 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
8.95% वार्षिक	32.85	
9.15% संचयी	13.43	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय और 7 वर्ष बाद बांडधारक से पुनः खरीद का विकल्प
9.15% वार्षिक	5.01	
8.95% संचयी	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	
9.15% संचयी	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	
जोड़	**157.59**	

5. आस्थगित कर देयताएं/परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं:		
मूल्यह्रास	4.15	5.04
विदेशी मुद्रा विनिमय घट-बढ़ हानि	116.10	181.04
जोड़	**120.25**	186.08
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:		
अर्जित अवकाश देयता के लिए प्रावधान	7.98	7.81
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	4.83	4.58
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	0.86	0.38
परियोजना लागत परिशोधनों की आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान	0.72	0.39
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	0.06	-
जोड़	**14.45**	13.16
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**105.80**	172.92

5.1 कंपनी का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने का कोई इरादा नहीं है। इस प्रकार, सृजित तथा अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि प्रतिवर्तित नहीं की जा सकती है और इस प्रकार यह एएस-22 के अनुसार एक स्थायी अंतर बन गया है। तदनुसार, कंपनी उक्त आरक्षित राशि पर कोई आस्थगित कर देयता सृजित नहीं कर रही है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

6. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
- उपचित ब्याज का गैर चालू भाग किंतु उधारियों पर देय नहीं	36.16	23.52
- अन्य	0.02	0.02
जोड़	36.18	23.54

7. दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर चालू	चालू	गैर चालू	चालू
	निम्न के लिए प्रावधान				
(क)	कर्मचारी हितलाभ				
	अर्जित अवकाश देयता	20.51	2.68	20.27	2.73
	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	73.80	3.81	63.43	3.21
	चिकित्सा अवकाश देयता	13.26	1.96	12.83	1.91
	निपटान भत्ता	1.04	0.16	1.02	0.14
	आर्थिक पुनर्वास योजना	2.71	0.01	2.58	0.07
	दीर्घ सेवा अवार्ड	2.34	0.50	3.02	0.36
	लॉयल्टी बोनस	0.09	-	-	-
	उप-जोड़ (क)	113.75	9.12	103.15	8.42
(ख)	अन्य				
	मानक ऋण परिसंपत्तियां	446.13	44.79	339.17	31.21
	पुनर्व्यवस्थिति मानक ऋण	447.51	4.26	-	-
	प्रोत्साहन	-	16.71	-	15.42
	धन कर	-	0.37	-	0.37
	अनुषंगी लाभ कर	-	0.36	-	0.36
	प्रस्तावित लाभांश	-	266.61	-	172.81
	कारपोरेट लाभांश कर	-	56.32	-	29.43
	सीएसआर व्यय	-	58.04	-	0.28
	परियोजना लागत परिशोधनों की आकस्मिकताएं	-	2.13	-	1.15
	उप-जोड़ (ख)	893.64	449.59	339.17	251.03
	जोड़ (क+ख)	1,007.39	458.71	442.32	259.45

7.1 लेखाकरण मानक-29 के अंतर्गत यथा अपेक्षित प्रावधानों के ब्योरे निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
अर्जित अवकाश देयता	23.00	5.70	5.51	23.19
पिछले वर्ष	23.34	6.23	6.57	23.00
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	66.64	16.39	5.42	77.61
पिछले वर्ष	55.80	15.05	4.21	66.64
चिकित्सा अवकाश देयता	14.74	1.81	1.33	15.22
पिछले वर्ष	13.40	2.64	1.30	14.74
निपटान भत्ता	1.16	0.20	0.16	1.20
पिछले वर्ष	1.16	0.10	0.10	1.16
आर्थिक पुनर्वास योजना	2.65	0.70	0.63	2.72
पिछले वर्ष	2.23	0.89	0.47	2.65

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

निम्न के लिए प्रावधान	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	वर्ष के दौरान प्रदत्त/ समायोजित	वर्ष के अंत में शेष
दीर्घ सेवा अवार्ड	3.38	0.02	0.56	2.84
पिछले वर्ष	3.06	0.94	0.62	3.38
लॉयल्टी बोनस	-	0.09	-	0.09
पिछले वर्ष	-	-	-	-
मानक ऋण परिसंपत्तियां	370.38	120.54	-	490.92
पिछले वर्ष	105.68	264.70	-	370.38
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण	-	451.77	-	451.77
पिछले वर्ष	-	-	-	-
पुनर्अनुसूचित ऋण परिसंपत्तियां	-	-	-	-
पिछले वर्ष	3.18	-	3.18	-
प्रोत्साहन	15.42	13.30	12.01	16.71
पिछले वर्ष	34.03	10.95	29.56	15.42
सीएसआर व्यय	0.28	102.07	44.31	58.04
पिछले वर्ष	0.28	-	-	0.28
धन कर	0.37	0.37	0.37	0.37
पिछले वर्ष	0.37	0.37	0.37	0.37
अनुषंगी हितलाभ कर	0.36	-	-	0.36
पिछले वर्ष	0.36	-	-	0.36
अंतरिम लाभांश	-	789.97	789.97	-
पिछले वर्ष	-	765.28	765.28	-
प्रस्तावित लाभांश	172.81	266.61	172.81	266.61
पिछले वर्ष	148.12	172.82	148.13	172.81
कारपोरेट लाभांश कर	29.43	214.21	187.32	56.32
पिछले वर्ष	25.20	159.46	155.23	29.43
आय कर	4,031.20	2,276.62	985.06	5,322.76
पिछले वर्ष	2,336.77	1,736.59	42.68	4,030.68
परियोजना लागत परिशोधनों की आकस्मिकताएं	1.15	1.71	0.73	2.13
पिछले वर्ष	-	1.48	0.33	1.15

8. अल्पकालिक उधारियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**मांग पर प्रतिदेय ऋण, अप्रतिभूत**		
	- बैंकों से	734.00	-
(ख)	**कमर्शियल पेपर, अप्रतिभूत**	-	2,540.00
	जोड़ (क+ख)	734.00	2,540.00

9. देय ट्रेड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
देय ट्रेड	28.81	6.07
जोड़	28.81	6.07

समेकित लेखा टिप्पणियां

10. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वताएं (टिप्पणी 4 के संदर्भ में)**	**19,121.80**	13,537.89
(ख)	**उपचित ब्याज किंतु उधारियों पर देय नहीं**	**5,263.67**	4,399.25
(ग)	**उपचित एवं उधारियों पर देय ब्याज**	**1.10**	1.10
(घ)	**अग्रिम में प्राप्त आय**	**7.10**	9.51
(च)	**अप्रदत्त लाभांश**	**2.62**	2.31
(छ)	**अप्रदत्त मूलधन और बांडों पर ब्याज**		
	- परिपक्व बांड एवं उन पर उपचित ब्याज	**57.64**	61.05
	- बांडों पर ब्याज	**14.33**	11.38
(ज)	**अन्य देय राशियां**		
	- भारत सरकार से प्राप्त सब्सिडी/अनुदान	**33,641.80**	30,260.46
	- जोड़ें: सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज (टिप्पणी 10.3 के संदर्भ में)	**51.38**	11.55
	- घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित	**-33,399.90**	-29,760.21
	असंवितरित सब्सिडी/अनुदान	**293.28**	511.80
	- चालू खाते में ओवरड्रॉफ्ट	**0.38**	-
	- भविष्य निधि तथा स्रोत पर कर कटौती सहित देय सांविधिक देय राशियां	**28.68**	26.33
	- कर्मचारी हितलाभों हेतु वित्तपोषित देय राशियां	**0.62**	0.84
	- अन्य देयताएं	**97.99**	40.13
	उप-जोड़ (ज)	**420.95**	579.10
	जोड़ (क से ज)	**24,889.21**	18,601.59

10.1 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97-पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा का.ज्ञा.सं. 32024/23/2001-पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार ₹ 2.22 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.53 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एंड एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**3.53**	5.20
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**0.13**	0.22
घटाएं: उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी सहायता	**1.44**	1.89
ब्याज सब्सिडी निधि का वर्ष के अंत में शेष	**2.22**	3.53

10.2 भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के क्रियान्वयन के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों को संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियाँ पृथक बैंक खाते में रखी जाती हैं। योजना की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित शीर्ष 'अन्य चालू देयताए' के तहत 'असंवितरित सब्सिडी/अनुदान' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

वर्ष के दौरान दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) खाते में ₹ 61.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 38.00 करोड़) की अर्जित ब्याज सब्सिडी जमा की गयी है। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी पर कुल ब्याज में से विद्युत मंत्रालय को ₹ 22.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 29.51 करोड़) की राशि वापस की गयी है।

10.3 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज के संचलन को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
आरंभिक शेष	**11.55**	3.65
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**62.93**	38.32
घटाएं: वर्ष के दौरान सरकार को वापस की गई राशि	**22.34**	29.51
घटाएं: एजी एवं एसपी अनुदान के खाते पर अर्जित ब्याज में से संवितरण	**0.76**	0.91
वर्ष के अंत में शेष	**51.38**	11.55

समेकित लेखा टिप्पणियां

11. 31 मार्च, 2015 के अनुसार अचल परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/परिशोधन				निवल ब्लॉक	
	दिनांक 01.04.2014 के अनुसार	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	**31.03.2015 को बंद**	31.03.2014 तक	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान समायोजन	**31.03.2015 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**	31.03.2014 के अनुसार
मूर्त परिसंपत्तियां										
फ्रीहोल्ड भूमि	34.75	-	-	**34.75**	-	-	-	**-**	**34.75**	34.75
लीजहोल्ड भूमि	1.45	-	-	**1.45**	0.21	0.01	-	**0.22**	**1.23**	1.24
बिल्डिंग	28.49	5.22	-	**33.71**	6.84	0.46	0.01	**7.29**	**26.42**	21.65
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	6.77	0.66	0.13	**7.30**	4.09	0.54	0.03	**4.60**	**2.70**	2.68
वाहन	0.45	0.19	0.18	**0.46**	0.37	0.03	0.18	**0.22**	**0.24**	0.08
ईडीपी उपस्कर	16.37	3.91	2.87	**17.41**	10.14	3.80	2.33	**11.61**	**5.80**	6.23
कार्यालय उपस्कर	6.93	36.55	0.13	**43.35**	2.91	2.44	-0.64	**5.99**	**37.36**	4.02
जोड़	95.21	46.53	3.31	**138.43**	24.56	7.28	1.91	**29.93**	**108.50**	70.65
पिछले वर्ष	90.45	6.70	1.94	**95.21**	22.36	3.14	0.94	**24.56**	**70.65**	
अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	6.99	0.06	-	**7.05**	4.54	1.04	-	**5.58**	**1.47**	2.45
जोड़	6.99	0.06	-	**7.05**	4.54	1.04	-	**5.58**	**1.47**	2.45
पिछले वर्ष	6.95	0.12	0.08	**6.99**	3.17	1.37	-	**4.54**	**2.45**	
पूंजीगत डब्ल्यूआईपी	10.53	4.50	5.22	**9.81**	-	-	-	**-**	**9.81**	10.37
पिछले वर्ष	8.75	1.62	-	**10.37**	-	-	-	**-**	**10.37**	

11.1 कंपनी द्वारा अधिगृहीत ₹ 4.59 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.59 करोड़) की रकम की भूमि और भवन के संबंध में एक हस्तांतरण विलेख (कन्वेंस डीड) के पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं।

11.2 प्रबंधन की राय में एएस-28 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आई है। तदनुसार, लेखाकरण मानक-28 'परिसंपत्तियों में कमी' के अधीन यथा अपेक्षित हानियों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11.3 एएस-26 'अमूर्त परिसंपत्तियों में यथा अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन:

उपयोगी कालावधि	5 वर्ष
समाशोधन दर	20%, 100% यदि परिसंपत्तियों की कुल लागत ₹ 5,000 अथवा कम हो
समाशोधन की विधि	स्ट्रेट लाईन

11.4 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) के मामले में, मूल्यह्रास विभिन्न दरों पर रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड से उपलब्ध कराया जाता है। इन समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित की गयी संयुक्त उपक्रम, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) में कंपनी के शेयर से संबंधित मूल्यह्रास की कुल राशि ₹ 1.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.06 करोड़) है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

12. निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
लागत पर मूल्यांकित				
(1) गैर-चालू निवेश				
(क) अन्य निवेश (उद्धृत)				
(i) कर मुक्त बांडों में निवेश	50,000	5.00	50,000	5.00
हुडको लिमिटेड के 8.76% बांड				
प्रत्येक ₹ 1,000 करोड़ के अंकित मूल्य के बांड				
(ख) अन्य निवेश (अनुद्धृत)				
(i) इक्विटी लिखतों में निवेश				
- अन्य				
- इंडिया एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,50,000	1.25	12,50,000	1.25
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	1,60,00,000	16.00	1,60,00,000	16.00
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड - II	8	377.28	10	471.60
प्रत्येक एक बांड समान छमाही किश्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किश्त 01.10.2015 को देय है।				
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बांड)*				
(iii) वेंचर पूंजी निधियों में निवेश				
- केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड	76,82,816	7.68	76,82,816	7.68
प्रति यूनिट ₹ 10.00 के अंकित मूल्य के ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' निधि के यूनिट				
(iv) डिबेंचर्स में निवेश	75,000	750.00	1,14,150	1,141.50
यूपी पॉवर कार्पोरेशन लि.के 9.68% बांड				
₹ 0.01 करोड़ प्रत्येक के अंकित मूल्य के बांड				
गैर-चालू निवेश (1)		1,157.21		1,643.03
(2) चालू निवेश				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धृत)				
- उत्तर प्रदेश सरकार के 8.57% -8.73% विशेष बांड		391.50		-
₹ 39.15 करोड़ रुपए की वार्षिक किश्तों में परिपक्व हो रहा है, प्रथम परिपक्वता 31.12.2019 को देय है।**				
(ख) इक्विटी लिखतों में निवेश (अनुद्धृत)				
- अनुषंगी कंपनियां				
- गदरवाड़ा ए ट्रांस्को लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- गदरवाड़ा बी ट्रांस्को लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	0.05	-	-
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- नेल्लोर ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड	50,000	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- एनआरएसएस XXXI(क) ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				
- एनआरएसएस XXXI(ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	-	50,000	0.05
प्रत्येक ₹ 10 के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त				

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश (अनुद्धृत)				
- मध्य प्रदेश सरकार के 8% पॉवर बांड-II				
प्रत्येक एक बांड समान छमाही किश्तों में परिपक्व हो रहा है, अगली किश्त 01.10.2014 को देय है।	1	47.16	1	47.16
(प्रत्येक ₹ 47.16 करोड़ के अंकित मूल्य के बांड)।				
जोड़-चालू निवेश (2)		438.81		47.41
जोड़ (1+2)		1,596.02		1,690.44

*चालू अंश में बांडों की संख्या और निवेश की रकम में अगले 12 मास के अंदर परिपक्व होने वाले निवेश को दर्शाया गया है और शेष गैर-चालू अंश है।

** निवेश को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनसूची ।।। के अनुसार चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, चूंकि प्रबंधन अगले 12 महीनों में निवेश का निपटान करना चाहता है।

12.1 निवेशों के संबंध में अपेक्षित अतिरिक्त प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(1)	**(1) निवेशों का मूल्य**				
	(i) निवेशों का समग्र मूल्य				
	(क) भारत में	1,157.21	438.91	1,643.03	47.41
	(ख) भारत के बाहर	-	-	-	-
	(ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान				
	(क) भारत में	-	0.10	-	-
	(ख) भारत के बाहर	-	-	-	-
	(iii) निवेशों का निवल मूल्य				
	(क) भारत में	1,157.21	438.81	1,643.03	47.41
	(ख) भारत के बाहर	-	-	-	-
(2)	**निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों का संचलन**				
	(i) वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	-	-
	(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	0.10	-	-
	(iii) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टा खाता/वापस लिखना	-	-	-	-
	(iv) वर्ष के अंत में शेष	-	0.10	-	-
(3)	**उद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	5.00	391.50	5.00	-
	उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य	6.00	405.63	5.01	-
(4)	**अनुद्धृत निवेशों की समग्र राशि**	1,152.21	47.31	1,638.03	47.41
(5)	**निवेशों के मूल्य में गिरावट के लिए समग्र प्रावधान**	-	0.10	-	-

12.2 निवेश में ₹ 7.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 7.68 करोड़) शामिल है, जो केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड द्वारा प्रोन्नत ''स्माल इज ब्यूटीफुल'' (एसआईबी) बेंचर कैपिटल फंड की यूनिटों में कंपनी के अंशदान को दर्शाता है।

कंपनी का नाम	निधि में अंशदान	निवास देश	शेयर का प्रतिशत
केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड की एसआईबी निधि	₹ 7.68 करोड़	भारत	9.74%

निधि का अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति यूनिट है। 31.03.2015 के अनुसार निवल परिसंपत्ति मूल्य ₹ 9.70 प्रति यूनिट है (31.03.2014 के अनुसार ₹ 9.70 प्रति यूनिट)। चूंकि स्माल इज ब्यूटीफुल' निधि में निवेश दीर्घकालिक है, इसलिए वर्तमान परिदृश्य में निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) को अस्थायी विचारा गया है।

12.3 लेखाकरण मानक - 27 के अंतर्गत यथा अपेक्षित संयुक्त उद्यमों (जेवी) में कंपनी के हित से संबंधित सूचना:

1. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड

इक्विटी में ब्याज का अनुपात	25%
निगमन देश	भारत
संयुक्त उपक्रम के साझेदार (शेयर %)	1. एनटीपीसी लिमिटेड (25%)
	2. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (25%)
	3. पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (25%)

समेकित लेखा टिप्पणियां

31.03.2015 के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों, देयताओं एवं पूंजी प्रतिबद्धताओं का शेयर इसके अपरीक्षित लेखों के आधार पर संयुक्त उद्यम के संबंध में वर्ष हेतु आय एवं व्यय निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए/के अनुसार (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए/के अनुसार (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए/ के अनुसार (लेखापरीक्षित)*
(i)	कुल परिसंपत्तियां	**78.94**	31.62	31.44
(ii)	कुल देयताएं	**50.21**	4.90	5.30
(iii)	कुल आरक्षित एवं अधिशेष	**6.23**	4.22	3.64
(iv)	आकस्मिक देयताएं	**शून्य**	शून्य	शून्य
(v)	पूंजी प्रतिबद्धताएं	**शून्य**	5.52	5.18
(vi)	कुल आय	**17.57**	8.39	6.61
(vii)	कुल व्यय	**14.37**	7.13	5.40

* वित्त वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों को, संयुक्त उद्यम ईईएसएल के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। हालांकि, ईईएसएल के वित्तीय विवरणों का बाद में 27 सितंबर, 2014 को लेखापरीक्षा हो गयी थी। परिसंपत्तियों और देयताओं के गैर-लेखापरीक्षित तथा लेखापरीक्षित आंकड़ों में हुए परिवर्तन को वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ईईएसएल के तुलनपत्र के आंकड़ों में पहले से समायोजित कर लिया गया है। इसके अलावा, कर पश्चात लाभ में परिवर्तन को खाता अधिशेष के प्रारंभिक शेष में समायोजित किया गया है।

13. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**पूंजीगत अग्रिम (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**20.20**	20.20
(ख)	**प्रतिभूत जमा (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)**	**1.11**	7.54
(ग)	**संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम**		
	- मुख्य प्रबंधन कार्मिकों (केएमपी) हेतु	**0.21**	0.07
		0.21	0.07
(घ)	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	- स्टाफ को ऋण और अग्रिम (मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को छोड़कर)	**40.40**	15.85
	- ऋण परिसंपत्तियाँ	**1,64,152.03**	1,35,855.41
	- अन्य (अप्रतिभूत, शोध्य समझा गया)	**1.10**	1.44
		1,64,193.53	1,35,872.70
	योग (क से घ)	**1,64,215.05**	1,35,900.51

स्टाफ को ऋण एवं अग्रिम तथा ऋण परिसंपत्तियों का ब्यौरा:

13.1 स्टाफ के ऋण एवं अग्रिम

स्टाफ के ऋण और अग्रिम के गैर-चालू अंश को उपर्युक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा स्टाफ ऋण एवं अग्रिम के चालू अंश को टिप्पणी-18 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
क)	**सुरक्षित स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(क1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
	(क) शोध्य समझा गया	**0.04**	**0.02**	0.02	-
(क2)	**अन्य को**				
	(क) शोध्य समझा गया	**2.82**	**1.08**	4.13	0.69
	(ख) वर्गीकृत अशोध्य	**-**	**0.07**	0.02	0.05
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की राशि	**-**	**0.07**	0.02	0.05
		-	**-**	-	-
	उप-जोड़ (क1+क2)	**2.86**	**1.10**	4.15	0.69
(ख)	**अप्रतिभूत स्टाफ ऋण एवं अग्रिम**				
(ख1)	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों हेतु**				
	(क) शोध्य समझा गया	**0.17**	**0.06**	0.05	0.03

आरईसी REC असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं Endless energy. Infinite possibilities.

समेकित लेखा टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(ख2)	अन्यों को				
	(क) शोध्य समझा गया	37.58	9.56	11.72	4.51
	उप जोड़ (ख1+ ख2)	37.75	9.62	11.77	4.54
	सकल जोड़ (क+ख)	40.61	10.72	15.92	5.23

13.2 ऋण परिसंपत्तियाँ

दीर्घकालिकऋण परिसंपत्तियों के गैर-चालू अंश को उपरोक्त 'दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिमों' में वर्गीकृत किया गया है तथा दीर्घकालिक ऋण परिसंपत्तियों के चालू अंश को टिप्पणी-18 'अन्य चालू परिसंपत्तियां' के अधीन वर्गीकृत किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		गैर-चालू	चालू	गैर-चालू	चालू
(क)	प्रतिभूत ऋण				
(क1)	राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत बोर्डों/निगमों को ऋण (महत्वपूर्ण/ मूर्त परिसंपत्तियों को मालबंधन तथा/या गिरवी रखकर प्रतिभूत)				
	(क) शोध्य समझे गए	95,970.62	8,981.75	82,521.17	7,670.75
(क2)	अन्यों को ऋण (मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)				
	(क) शोध्य समझे गए	28,393.85	1,201.89	22,027.26	1,160.66
	(ख)संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	849.53	429.66	308.02	182.38
	घटाएं: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	208.67	100.59	119.64	17.22
		640.86	329.07	188.38	165.16
	उप-जोड़ (क1+क2)	1,25,005.33	10,512.71	1,04,736.81	8,996.57
(ख)	अप्रतिभूत ऋण				
(ख1)	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण				
	(क) शोध्य समझे गए	35,334.41	2,651.53	27,201.58	2,363.27
(ख2)	राज्य सरकारों को ऋण				
	(क) शोध्य समझे गए	2,878.29	377.24	2,860.78	340.09
(ख3)	ऋण - अन्य				
	(क) शोध्य समझे गए	934.00	490.99	1,056.24	572.29
	(ख) संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	56.19	-	-	-
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	56.19	-	-	-
		-	-	-	-
	उप-जोड़ (ख1+ ख2+ख3)	39,146.70	3,519.76	31,118.60	3,275.65
	समग्र जोड़ (क+ख)	1,64,152.03	14,032.47	1,35,855.41	12,272.22

13.2.1 31 मार्च, 2015 के अनुसार कुल ऋण परिसंपत्तियों के लगभग 85% हेतु शेष ऋण की अभिपुष्टियां उधारकर्ताओं से प्राप्त कर ली गयी है।

13.2.2 ऋण परिसंपत्तियों में राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय पुर्नसंरचना की योजना के अनुसार कंपनी द्वारा वित्तपोषित राशि भी शामिल है।

13.2.3 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, उधारकर्ताओं में से एक का देय 6 महीनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय था, इस प्रकार, 'मानक परिसंपत्ति' के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण हेतु समय सीमा अधिक हो गयी। उधारकर्ता के पक्ष में अतिरिक्त राजस्व हेतु नवंबर, 2013 में राज्य नियामक और नवंबर, 2014 में संबंधित अपीलीय अधिकरण द्वारा अवार्ड किए गए प्रशुल्क आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संबंधित वितरण कंपनी द्वारा चुनौती दी गयी। चूंकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीन है, उधारकर्ता कंपनी को बकाया देय का भुगतान करने में असमर्थ है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल, 2015 के आदेश के तहत संबंधित वितरण कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है और फलस्वरूप, राज्य नियामक ने अपने दिनांक 13 मई, 2015 के आदेश में वितरण कंपनी को उधारकर्ता के बकाया देय का शीघ्र भुगतान करने का निदेश दिया है। तत्पश्चात, कंपनी के ₹ 54.15 करोड़ की संपूर्ण देय राशि को 15 मई, 2015 को, अर्थात् तुलन-पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने से पूर्व, मंजूरी दे दी गयी है। अतः लेखाकरण मानक 4(एएस-4) 'तुलन पत्र की तिथि के उपरांत हुई आकस्मिकताएं और घटनाएं' के उपबंधों के अनुसार, उधारकर्ता को 'मानक परिसंपत्ति' के वर्गीकरण में बरकरार रखा गया है। लेखाकरण मानक-4 के अनुपालन में उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट उपाय के कारण, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 66.73 करोड़ अधिक है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

13.2.4 अलकनंदा हाइड्रो पॉवर कंपनी लिमिटेड (एएचपीसीएल) श्रीनगर, एचईपी उत्तराखंड में स्थित है। वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड में जून, 2013 के दौरान हुई घटना को प्राकृतिक आपदा मानते हुए यह निर्णय लिया कि बैंकों को उत्तराखंड में बकाया सभी परियोजनाओं के ऋण के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए ऋण और ब्याज की चुकौती पर रोक लगा देनी चाहिए। विद्युत मंत्रालय ने अपने दिनांक 06 दिसंबर, 2013 के पत्र द्वारा ऐसे लाभ को एएचपीसीएल के लिए लागू कर दिया। तदनुसार, आरईसी ने जून, 2014 में एएचपीसीएल को निधिपोषित ब्याज सावधिक ऋण (एफआईटीएल) संस्वीकृत किया।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23 जनवरी, 2014 को "गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा अग्रिम की पुनर्व्यवस्था पर मानदंड " के संबंध में परिपत्र जारी किया है। उपरोक्त परिपत्र की अनुप्रयोज्यता के प्रत्युत्तर में, आरईसी ने अपने दिनांक 28 अप्रैल, 2014 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य से अनुरोध कर यह अभिवेदन किया कि "हिमालय क्षेत्र में हाइड्रो परियोजनाओं और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित विद्युत परियोजनाओं को पुनर्व्यवस्था मानदंडों से बाहर रखा जाए।

उपरोक्त अनुरोध के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा यह मंजूरी दी कि पारेषण एवं वितरण, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण और उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाएं, हिमालय क्षेत्र में हाईड्रो परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदा से प्रभावित को भी (31 मार्च, 2014 के अनुसार नये ऋण और ऋणों का बकाया स्टॉक) 31 मार्च, 2017 तक आरईसी के विद्यमान पुनर्संरचना मानदंडों के अनुसार अधिनियमित किया जाएगा।

कंपनी ने एफआईटीएल के लिए एसएलए के गैर सृजन का अनुमान किया है और वे एफआईटीएल द्वारा प्रदर्शित जुटाई नहीं गयी आय को सीधे आय के रूप में बुक कर सकते हैं, इसमें ऋणों की पुनर्संरचना का प्रावधान करने के लिए दिनांक 23 जनवरी, 2014 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों की छूट के कारण समतुल्य रोकड़ प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने ₹ 86.42 करोड़ के लिए एएचपीसीएल के एफआईटीएल द्वारा प्रदर्शित अवसूलीकृत आय को आय के रूप में बुक किया है तथा स्पष्टीकरण के लिए मामला भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया है।

उपरोक्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण लंबित है, इसलिए एएचपीसीएल के संबंध में एफआईटीएल के लिए लेखा बही में ₹ 86.42 करोड़ का 100% भत्ता सृजित किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मिलने पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

13.2.5 मैसर्स तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल) सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्य में हाइड्रो वैद्युत परियोजना का निष्पादन कर रहा है। परियोजना में महत्वपूर्ण वास्तविक प्रगति अर्जित कर ली गयी है और उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की संचयी वास्तविक प्रगति 91.6% है। तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड (टीयूएल), पहली ओवररन लागत तक परियोजना लागत के साथ पूर्णतया परिसीमित है। तदनुसार, परिसंपत्तियों पर प्रभार को कंसोर्टियम में प्रतिभूति दस्तावेजों के अनुसार सृजित किया गया है।

एक को छोड़कर सभी उधारदाताओं ने दूसरी ओवररन लागत की ऋण आवश्यकता के समक्ष अपने आनुपातिक शेयरों को संस्वीकृत कर दिया है। उसी दौरान, परियोजना के सामने इसके प्रोमोटरों से इक्विटी के निवेश का मुद्दा आया। इक्विटी निवेश से संबंधित मामले पर कंपनी के शेयरधारकों/उधारदाताओं के बीच विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। बैठक में हुई सहमति के अनुसार, सिक्किम पॉवर इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एसपीआईसीएल), 26% इक्विटी की अपनी वर्तमान होल्डिंग से 51% इक्विटी के साथ परियोजना का अधिकार संभालेगा। इसलिए अन्य सभी प्रोमोटरों के शेयर की यथानुपात आधार पर नीचे आने की संभावना है ताकि 51% इक्विटी का अधिकार रखने के लिए एसपीआईसीएल समर्थ हो सके। इस प्रकार, दूसरी ओवररन लागत के लिए संयुक्त प्रलेखीकरण, प्रबंधन/शेयरधारिता के प्रतिरूप में प्रस्तावित बदलाव के निष्पादन के लंबित होने से, क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

उसी दौरान, आरईसी सहित, कुछ उधारदाताओं ने, टीयूएल को दूसरी ओवररन लागत के लिए स्वीकृत ऋण के समक्ष, कंपनी के साथ द्विपक्षीय करार के आधार पर उनके देय बकाया ब्याज को समायोजित कर लिया। एक बार जब संयुक्त प्रलेखीकरण निष्पादित हो जाता है और संवर्धित ऋण हेतु परियोजना पर प्रतिभूति सृजित हो जाती है तो, दूसरी ओवररन लागत के समक्ष सभी संवितरण प्रतिभूत हो जाएंगे। लंबित प्रलेखीकरण, ₹ 202.49 करोड़ की राशि को अप्रतिभूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

13.2.6 आरईसी ने, एक प्रमुख उधारदाता के रूप में, चंडवा, झारखंड में 540 मेगावॉट चरण- I टीपीपी के लिए कारपोरेट पॉवर लिमिटेड को प्रारंभिक मंजूरी के तौर पर, ₹ 650 करोड़ (वरिष्ठतम ऋणः ₹ 555 करोड़ और उप-ऋणः ₹ 95 करोड़) की राशि संस्वीकृत की। ₹ 555 करोड़ का वरिष्ठतम ऋण सभी कंपनी की वर्तमान और भावी अचल संपत्तियों, चल संपत्तियों, सभी बैंक खातों, परियोजना दस्तावेजों, मंजूरियों, साख-पत्रों, गारंटियों, बीमा संविदाओं और बीमा कार्यवाहियों आदि पर प्रथम प्रभार के रूप में तथा कंपनी की कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के 51% को निरूपित करते शेयरों के प्रतिज्ञापत्र के तौर पर प्रतिभूत है। ₹ 95 करोड़ का उप-ऋण वरिष्ठतम ऋण के लिए दी गयी प्रतिभूति पर द्वितीय प्रभार के द्वारा प्रतिभूत है तथा यह कारपोरेट इस्पात एंड अलोयस् लिमिटेड (सीआईएएल) की कारपोरेट गारंटी द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रतिभूत है। तत्पश्चात, प्रमुख उधारदाता के रूप में, आरईसी ने ओवररन लागत के निधिपोषण के समक्ष अतिरिक्त ऋण के रूप में ₹ 196 करोड़ की राशि संस्वीकृत की है।

उधारदाता के स्वतंत्र इंजीनियर की उपलब्ध पिछली रिपोर्ट के अनुसार परियोजना (जहां आरईसी प्रमुख है) के चरण- I की प्रगति, लगभग 96% है। हालांकि, खाता 30 जून, 2014 को एनपीए हो गया था। आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, 10% का एक प्रावधान बकाया ऋण राशि पर सृजित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, ₹ 81.17 करोड़ अर्थात् ₹ 811.74 करोड़ का 10% का प्रावधान 30 जून, 2014 को सृजित किया गया। उधारदाता, प्रबंधन में परिवर्तन करने सहित परियोजना के पुनरूद्धार के लिए विभिन्न विकल्प खोज रहे हैं। ऐसे प्रयासों के लंबित परिणाम, विवेक के एक मामले के रूप में, ₹ 133.2 करोड़ (समायोजित आईडीसी राशि हेतु) के 100% भत्ते को लेखा बहियों में सृजित किया गया है तथा ₹ 678.72 करोड़ की शेष ऋण राशि के लिए, 10% भत्ते को आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बुक में सृजित किया गया है।

13.2.7 आरईसी ने जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड (जेआईपीएल) के लिए ₹ 1,150 करोड़ संस्वीकृत किए हैं। परियोजना में लगभग ₹ 2,700 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसमें आरईसी ने केवल ₹ 33.24 करोड़ का संवितरण किया है। जैसा कि परियोजना में पर्याप्त रूप से विलंब हुआ है, उधारदाताओं ने प्रबंधन में परिवर्तन किए जाने सहित परियोजना की भावी कार्यान्वयन नीति को मूल्यांकित करने के लिए एक कोर-समिति का गठन किया है।

खाता 30.06.2014 को एनपीए हो गया। आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, बकाया ऋण राशि पर 10% का भत्ता सृजित किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, ₹ 3.32 करोड़ अर्थात् ₹ 33.24 करोड़ का 10% भत्ता 30 जून, 2014 को सृजित किया गया। तथापि, आगामी विकास कार्यों के आधार पर, आरईसी, परियोजना परिसंपत्तियों के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए प्रमुख उधारदाता से संपर्क कर सकता है।

हालांकि, विवेक के मामले के रूप में, जेआईपीएल के लिए ₹ 2.29 करोड़ का 100% भत्ता (समायोजित आईडीसी राशि हेतु) खाते में सृजित किया गया है तथा ₹ 30.95 करोड़ की शेष ऋण राशि के लिए, 10% भत्ते को आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार बुक में सृजित किया गया है। अतिरिक्त भत्ते की ऊपर स्पष्ट किए गए उपायों के परिणाम के आधार पर समीक्षा की जाएगी।

समेकित लेखा टिप्पणियां

14. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का गैर-चालू अंश**	5.01	4.03
(ख)	**पुनः निर्धारित ऋणों पर उपचित ब्याज**	-	2.11
(ग)	**अग्रिम आय कर एवं टीडीएस**	5,399.80	4,053.87
	घटाएं : आयकर संबंधी प्रावधान	5,322.76	4,030.68
	अग्रिम आयकर एवं टीडीएस (निवल)	77.04	23.19
(घ)	**अपरिशोधित व्ययों का गैर-चालू भाग :**		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	0.14	4.13
(च)	**निर्माणाधीन परियोजना**	-	0.17
(छ)	**12 महीनों की परिपक्वता से अधिक अवधि वाले बैंकों में आवधिक जमा (बैंक गारंटियों के समक्ष लियन)**	3.10	-
	जोड़ (क से छ)	85.29	33.63

15. ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**अप्रतिभूत**		
	6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया		
	- शोध्य समझे गए	25.48	9.83
	- संदिग्ध समझे गए	2.53	1.12
	घटाएं : अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	2.53	1.12
		-	-
	6 महीने से कम		
	- शोध्य समझे गए	94.81	50.71
	जोड़	120.29	60.54

16. नकदी और बैंक में शेष

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	**नकदी एवं नकदी समतुल्य**		
	- बैंकों में शेष रकम	202.35	124.75
	- अन्य		
	- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा राशि	356.57	1,083.20
	उप-जोड़ (क)	558.92	1,207.95
(ख)	**अन्य**		
	- अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	86.79	26.34
	जोड (क+ख)	645.71	1,234.29
	बैंक शेष में निम्नलिखित शामिल है:		
	- बैंकों में अलग खातों में निर्दिष्ट शेष		
	- अप्रदत्त लाभांश हेतु	2.62	2.31
	- डीडीयूजीजेवाई अनुदान हेतु	31.68	0.20
	- एजी एंड एसपी अनुदान हेतु	2.22	3.97
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि अनुदान हेतु	1.00	-
	- अन्य अनुदान हेतु	20.04	1.75
	- कर मुक्त बांड पब्लिक इश्यू लेखा	-	5.96
	- अनुदान संवितरण हेतु निकाली गई राशि	2.15	2.38
	इसके अतिरिक्त, अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा में डीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए ₹ 236.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 503.50 करोड़.) चिह्नित की गयी है। (ख) अन्य में आंकड़े - अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गयी और चिह्नित ₹ 0.36 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की जमा राशि शामिल है।		
	- प्रतिभूति/मार्जिन राशि के रूप में रखी गयी आवधिक जमा राशि	-	0.19
	- परिपक्वता के समक्ष बारह महीने से अधिक के साथ अनुसूचित बैंकों में आवधिक जमा राशि	5.80	1.30

समेकित लेखा टिप्पणियां

16.1 कंपनी ने वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान प्रत्येक ₹ 1,000.00 के अंकित मूल्य के कुल ₹ 4,500 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू को जारी किया है, जो ₹ 1,500 करोड़ के कर-मुक्त बांडों के निजी व्यवस्थापन इश्यू के अतिरिक्त है। 31 मार्च, 2014 को शेष अप्रयुक्त ₹ 5.96 करोड़ की इश्यू आय को अब प्रस्ताव दस्तावेज में उल्लिखित प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है।

17. अल्पावधि ऋण और अग्रिम

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	संबंधित पक्षों को ऋण एवं अग्रिम, (अप्रतिभूत, शोध्य समझे गए ऋण)	2.09	3.77
(ख)	अन्य		
(i)	नकदी या वस्तु रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य में प्राप्य अग्रिम		
	(क) प्रतिभूत, शोध्य समझे गए	0.02	-
	(ख) अप्रतिभूत		
	- शोध्य समझे गए	1.75	1.73
	- संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत	2.06	-
	घटाएं: अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण हेतु भत्ता	2.06	-
		-	-
	कुल (i)	1.77	1.73
(ii)	ऋण परिसंपत्तियों		
(क)	प्रतिभूत ऋण		
	- राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य बिजली बोर्डों/कारपोरेशन को ऋण (सामग्रियों/मूर्त परिसंपत्तियों को गिरवी रखकर तथा/या मालबंधन करके प्रतिभूत)		
	शोध्य समझे गए	485.88	259.94
	उप-जोड़ (क)	485.88	259.94
(ख)	अप्रतिभूत ऋण		
	- संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूत ऋण		
	- शोध्य समझे गए	500.00	116.67
	- ऋण - अन्य		
	- शोध्य समझे गए	111.11	-
	उप-जोड़ (ख)	611.11	116.67
	कुल (ii)	1,096.99	376.61
	सकल जोड़	1,100.85	382.11

18. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(क)	दीर्घावधि ऋण परिसंपत्तियों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 13.2 को देखें)	14,032.47	12,272.22
(ख)	स्टाफ अग्रिमों का चालू वसूलनीय (निवल) (टिप्पणी 13.1 देखें)	10.72	5.23
(ग)	उपचित लेकिन देय नहीं ब्याज:		
	- सरकारी प्रतिभूतियों पर	7.89	-
	- दीर्घावधि निवेशों पर	31.33	43.16
	- आवधिक जमा पर	0.90	4.66
	उप-जोड़	40.12	47.82
(घ)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय ब्याज	1,019.94	547.49
(च)	ऋण परिसंपत्तियों पर उपचित एवं देय नहीं ब्याज	444.30	561.70
(छ)	स्टाफ अग्रिमों पर उपचित ब्याज का चालू अंश	0.28	0.08
(ज)	भारत सरकार से वसूलनीय		
	- आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई व्यय	8.49	8.49
	- राष्ट्रीय विद्युत निधि व्यय	0.29	-
	- डीडीयूजीजेवाई/यूएनडीपी एजेंसी प्रभार	-	3.30
	उप-जोड	8.78	11.79
(झ)	राज्य विद्युत बोर्डों/सरकारी विभागों/ अन्यों से वसूलनीय	9.29	4.46
(ट)	वसूलनीय आय कर	0.21	9.33
(ठ)	कमर्शियल पेपर पर पूर्व प्रदत्त वित्तीय प्रभार	-	94.29
(ड)	अपरिशोधित व्ययों का चालू अंश		
	- बांडों के निर्गम पर छूट	3.99	4.83
(ढ)	अन्य	2.85	0.01
	जोड़ (क से ढ)	15,572.95	13,559.25

समेकित लेखा टिप्पणियां

19. प्रचालनों से आयः

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
(क)	**ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज**				
(i)	दीर्घावधि वित्तपोषण	**19,904.21**		16,413.47	
	घटाएं : समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने के लिए छूट आदि	**2.70**	**19,901.51**	3.18	16,410.29
(ii)	अल्पावधि वित्तपोषण		**170.57**		396.10
	उप-जोड़ (क)		**20,072.08**		16,806.39
(ख)	**अन्य वित्तीय सेवाओं से आय**				
(i)	प्रक्रिया, अपफ्रंट, मार्गदर्शन शुल्क, एलसी कमीशन आदि		**51.93**		52.90
(ii)	पूर्व-अदायगी प्रीमियम		**11.23**		17.19
(iii)	आरजीजीवीवाई/डीडीयूजीजेवाई कार्यान्वयन/अन्य कार्यों के लिए एजेंसी/रखरखाव प्रभार		**15.29**		28.76
	उप-जोड़ (ख)		**78.45**		98.85
(ग)	**अतिरिक्त निधियों के अल्पावधि निवेश से आय**				
(i)	जमा राशि से ब्याज		**69.46**		98.07
(ii)	म्यूचुअल फंडों की बिक्री पर लाभ		**9.54**		14.67
	उप-जोड़ (ग)		**79.00**		112.74
(घ)	**परामर्शदाता इंजीनियर सेवाओं से आय**		**154.43**		104.23
	जोड़ (क से घ)		**20,383.96**		17,122.21

20. अन्य आय

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज आय (प्रचालन आय से भिन्न)**		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज		
	- सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	**47.51**	47.16
	- दीर्घावधि निवेशों/आवधिक जमा/अन्य से ब्याज	**106.87**	46.72
	- आयकर वापसी से ब्याज	**-**	4.56
	- कर्मचारी अग्रिमों से ब्याज	**1.72**	1.25
	- अनुषंगी कंपनियों/एसपीवी से ब्याज	**0.09**	0.51
	उप-जोड़ (क)	**156.19**	100.20
(ख)	**लाभांश आय**		
	- दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	**3.63**	0.38
	उप-जोड़ (ख)	**3.63**	0.38
(ग)	**अन्य गैर-प्रचालन आय**		
	- परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.02**	-
	- रिटन बैक प्रावधान	**0.75**	3.18
	- विविध आय	**5.31**	2.97
	उप-जोड़ (ग)	**6.08**	6.15
	जोड़ (क से ग)	**165.90**	106.73

समेकित लेखा टिप्पणियां

21. वित्तीय लागतें

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(क)	**ब्याज व्यय**		
	- सरकारी ऋणों पर	0.43	0.90
	- आरईसी के बांडों पर	9,503.41	7,877.43
	- बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर	207.50	415.94
	- बाह्य वाणिज्यिक उधार पर	1,358.86	1,064.92
	- कमर्शियल पेपर पर	300.03	230.88
	- एआरईपी सब्सिडी पर	0.08	0.22
	- अग्रिम आयकर पर ब्याज	1.40	3.10
	उप-जोड़ (क)	11,371.71	9,593.39
(ख)	**अन्य उधार लागतें**		
	- गारंटी शुल्क	18.31	18.66
	- पब्लिक इश्यू व्यय	-	30.37
	- बांड रखरखाव प्रभार	1.05	1.11
	- बांडों की ब्रोकरेज	20.48	16.35
	- बांडों पर स्टाम्प शुल्क	4.03	3.73
	- ऋण निर्गम और अन्य वित्तीय प्रभार	168.79	59.10
	उप-जोड़ (ख)	212.66	129.32
(ग)	**निवल अंतरण/लेन देन विनिमय क्षति**	255.35	312.03
	जोड़ (क से ग)	11,839.72	10,034.74

22. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
- वेतन और भत्ते	97.02	93.32
- भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	11.46	11.00
- उपदान	0.60	0.82
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा संबंधी व्यय	16.39	15.05
- कर्मचारी कल्याण व्यय	13.46	14.35
जोड़	138.93	134.54

समेकित लेखा टिप्पणियां

23. अन्य व्यय

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
- सीएसआर संबंधी व्यय		**102.07**		38.73
- यात्रा एवं वाहन सुविधा		**10.97**		10.80
- प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय		**6.23**		6.62
- मरम्मत और अनुरक्षण				
- भवन	**2.84**		1.75	
- ईआरपी और डेटा केंद्र	**3.75**		3.95	
- अन्य	**0.75**	**7.34**	0.67	6.37
- किराया एवं भाड़ा प्रभार		**4.91**		4.53
- दरें और कर		**0.89**		1.04
- बिजली और ईंधन		**1.43**		1.23
- बीमा खर्च		**0.04**		0.04
- डाक टिकट एवं टेलीफोन		**2.36**		1.92
- लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक		**0.67**		0.68
- परामर्शी सेवा प्रभार		**24.37**		18.71
- कार्य संविदा प्रभार		**2.51**		-
- परियोजना व्यय		**10.21**		4.75
- परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि		**0.12**		0.69
- बट्टे खाते में डाली गयी एसपीवी पर क्षति		**1.77**		-
- स्टाफ के अग्रिमों पर छूट		**-**		0.07
- परियोजना लागत परिशोधन की आकस्मिकताओं हेतु भत्ता		**1.71**		1.48
- विविध व्यय		**28.41**		28.23
जोड़		**206.01**		125.89

23.1 सीएसआर के खर्चों के संबंध में प्रकटन:

वर्ष के दौरान खर्च राशि (₹ करोड़ों में):

	विवरण	वित्त वर्ष 2014-15			वित्त वर्ष 2013-14		
		नकद	भुगतान किया जाना है *	जोड़	नकद	भुगतान किया जाना है *	जोड़
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/ अधिग्रहण	**-**	**-**	**-**	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजनार्थ	**44.31**	**57.76**	**102.07**	38.73	-	38.73

* दान के लिए दी गयी राशि।

23.2 लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक में निम्नलिखित शामिल है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
- लेखापरीक्षा शुल्क	**0.43**	0.34
- कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.07**	0.06
- सीमित समीक्षा शुल्क	**0.09**	0.06
- अन्य सेवाओं के लिए अदायगी #	**0.05**	0.22
- व्ययों की प्रतिपूर्ति	**0.03**	-
जोड़	**0.67**	0.68

उपर्युक्त आंकड़ों में सेवा कर नियमावली के अनुसार किए गए ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.03 करोड़) का सेवा कर क्रेडिट रिवर्सल भी शामिल है।

इसमें वर्ष के दौरान कर-मुक्त बांडों के पब्लिक इश्यू की विवरणिका के प्रमाणन के लिए रुपए शून्य (पिछले वर्ष ₹ 0.18 करोड़) का प्रमाणन शुल्क शामिल है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

23.3 विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
अर्जन	-	0.07
व्यय		
- रॉयल्टी, जानकारी, व्यावसायिक,परामर्श शुल्क	-	0.21
- ब्याज	455.29	388.23
- वित्त प्रभार	149.36	47.67
- अन्य व्यय	3.21	1.70
जोड़	607.86	437.81

23.4 कंपनी ने स्टाफ के लिए कार्यालय स्थल, आवास और ईआरपी डेटाकेंद्र के लिए स्थल पट्टे पर लिया है। इन्हें प्रचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्यालय स्थल और डेटा के संबंध में ₹ 4.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4.43 करोड़) की पट्टा अदायगी 'अन्य व्यय' शीर्ष के अधीन दर्शाई गई है। कर्मचारियों के लिए आवास के संबंध में ₹ 2.50 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.23 करोड़) की पट्टा अदायगी 'कर्मचारी हितलाभ व्यय' का भाग है। इन पट्टा करारों के संबंध में भविष्य में की जाने वाली पट्टा अदायगी इस प्रकार है :

(₹ करोड़ों में)

भावी न्यूनतम पट्टा किराया भुगतान	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
	डेटा केंद्र	कार्यालय एवं आवास	डेटाकेंद्र	कार्यालय एवं आवास
अधिकतम एक वर्ष	0.29	3.93	0.39	4.38
एक वर्ष से अधिक लेकिन अधिकतम 5 वर्ष	-	6.52	0.18	9.60
5 वर्ष से अधिक	-	0.66	-	0.69
जोड़	0.29	11.11	0.57	14.67

24. प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
अशोध्य तथा असंदिग्ध ऋण हेतु भत्ता	232.06	47.89
मानक ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष आकस्मिक भत्ता	120.54	264.70
पुनर्व्यवस्थित मानक ऋणों के समक्ष भत्ता	451.77	-
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु भत्ता	0.10	-
जोड	804.47	312.59

25. पूर्व अवधि मदें

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
- ब्याज और वित्त व्यय	0.00	(0.39)
- अन्य	0.07	0.35
जोड़	0.07	(0.04)

26. प्रति शेयर आय

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
गणक (न्यूमरेटर)		
लाभ एवं हानि विवरण के अनुसार करपश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	5,344.42	4,741.25
हर (डिनोमिनेटर)		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	98,74,59,000	98,74,59,000
₹ 10 के प्रत्येक शेयर पर मूल और कम की गई आय (₹ में)	54.12	48.01

समेकित लेखा टिप्पणियां

27. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

27.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ों में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(क)	कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	56.54	57.01
(ख)	गारंटियां	40.36	4.55
(ग)	अन्य		
	- लैटर्स ऑफ कंफर्ट	260.84	1,273.81

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित रकम में ₹ 3.75 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 5.24 करोड़) की रकम शामिल है, जो मध्यस्थ मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय/मध्यास्थ के मामलों के निपटान के परिणाम पर निर्भर करती है और इसमें दिल्ली उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आयकर विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों की ₹ 52.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 51.77 करोड़) की रकम भी शामिल है।

27.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

(₹ करोड़ों में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
- पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाएं		
- मूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	16.06	17.21
- अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	4.32	4.75
- अन्य प्रतिबद्धताएं		
- सीएसआर प्रतिबद्धताएं	182.73	34.42

28. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

	विवरण	नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्योरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	एल40101डीएल1969जीओआई005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	भारतीय रिजर्व बैंक	14.000011

29. कंपनी वर्ष 1997-98 से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 13.01.2000 की अधिसूचना सं. डीएनबीएस (पीडी), सीसी सं. 12/02.01/99-2000 के अनुसार, जो सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम की धारा 1956 की धारा 617 में परिभाषित हैं, उनको नकद परिसंपत्तियों के रखरखाव तथा आरक्षित निधियां स्थापित करने तथा सार्वजनिक जमा स्वीकार करने और विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अनुपालन से छूट मिली हुई है। आरईसी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) (पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 617) के अनुरूप सरकारी कंपनी है और इसलिए उक्त अधिसूचना इस पर भी लागू होती है। तदनुसार, आरक्षित निधि स्थापित नहीं की गयी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2014 के मास्टर परिपत्र सं. डीएनबीएस (पीडी) सीसी नं. 381/03.02.001/2014-15 के अनुच्छेद संख्या 1(3)(iv) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी होने के नाते आरईसी गैर-बैंकिंग वित्तीय (गैर-जमा स्वीकरण और प्रतिधारण) कंपनियों के विवेकपूर्ण मानदंडों (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 की प्रयोज्यता से छूट लेता रहेगा। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 25 जुलाई, 2013 और 04 अप्रैल, 2014 के पत्रों के द्वारा कंपनी को 31 मार्च, 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने और परिसंपत्तियों की पुनर्व्यवस्था करने के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/सीजीएम (एनएसवी)-2014 के तहत दिनांक 23 जनवरी, 2014 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र में निहित अनुदेशों का पालन करने के लिए संसूचित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में अपने दिनांक 11 जून, 2014 के पत्र द्वारा, पारेषण एवं वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा उपयोगिता अवधि के विस्तार की परियोजनाओं के लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्व्यवस्था संबंधी मानदंडों से 31 मार्च, 2017 तक छूट की अनुमति प्रदान की गयी है। 01 अप्रैल, 2015 से पुनर्व्यवस्थित विद्युत उत्पादन कंपनियों हेतु नई परियोजनाओं के ऋणों के लिए, प्रावधान करने की आवश्यकता 5% रहेगी तथा ऐसी परियोजनाओं के 31 मार्च, 2015 से 2.75% के प्रावधान से प्रारंभ होगी तथा जो 31 मार्च, 2018 तक 5% हो जाएगी।

30. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने 17 सितंबर, 2010 के पत्र द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सीसी संख्या 168 दिनांक 12 फरवरी, 2010 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार आरईसी को एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) के रूप में मान्यता प्रदान की है। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र को उधार देने के लिए कुल स्वीकार्य प्रकटन एकल कर्जदार के मामले में निधियों का स्वामित्व 25% है, कर्जदारों के एकल ग्रुप के मामले में 40% है तथा उधार देने और निवेश करने दोनों को मिलाकर प्रकटन निधियों का स्वामित्व क्रमश: 30% और 50% हो सकता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

निजी क्षेत्र की एंटिटियों के संबंध में, एकल उधारकर्ताओं और समूह उधारकर्ताओं हेतु कंपनी का क्रेडिट प्रकटन, 31 मार्च, 2015 और 31 मार्च, 2014 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों की प्रकटन सीमा से अधिक नहीं हुआ।

केंद्र/राज्य सरकार की एंटिटियों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 अप्रैल, 2014 के पत्र डीएनबीएस.सीओ.जैडएमडी-एन संख्या 4868/55.18.014/2013-14 के तहत आरईसी को भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों से 31 मार्च, 2016 तक छूट प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई छूट को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम क्रेडिट प्रकटन सीमा हमारी निवल संपत्तियों के 50% से 250% तक भिन्न-भिन्न है, जो संस्था के मूल्यांकन पर निर्भर करती है।

31. रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की लेखाकरण नीतियों में परिवर्तन

कंपनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सं. 1(क) और 7 में आशोधन किए गए हैं। इसके अलावा, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति संख्या 2,6 में आशोधन किए गए हैं। हालांकि, ऐसे आशोधनों से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कंपनी ने अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास के संबंध में अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति 4.1 में भी कंपनी अधिनियम, 2013, जोकि 01 अप्रैल, 2014 से लागू है, की अनुसूची-।। के अनुरूप परिवर्तन कर लिया है। यदि कंपनी पूर्ववर्ती नीति का अनुपालन करती है तो, वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ ₹ 2.85 करोड़ अधिक होगा।

इसके अतिरिक्त, ऋणों के समक्ष प्रावधान करने संबंधी लेखाकरण नीति को, पुनर्व्यवस्थित ऋणों के स्टॉक पर 2.75% की दर से प्रावधान का सृजन करने के लिए संशोधित किया गया है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान, अर्हक ऋणों पर ₹ 451.77 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की राशि का एक प्रावधान किया गया है (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को ₹ 11,682.23 करोड़ तथा निजी क्षेत्र को ₹ 4,745.92 करोड़ के ऋण शामिल हैं)। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के कारण, इन पुनर्व्यवस्थित ऋणों पर मानक ऋण परिसंपत्तियों के विद्यमान प्रावधान को विचाराधीन करने के उपरांत कर-पूर्व लाभ ₹ 410.70 करोड़ तक कम है।

32. ऋण परिसंपत्तियों की गुणवत्ता

32.1 आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कंपनी के ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण (टिप्पणी सं. 13 और 17 में वर्गीकृत) निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

	परिसंपत्ति वर्गीकरण	31.03.2015 के अनुसार		31.03.2014 के अनुसार	
		ऋण शेष	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता	ऋण शेष	ऋण परिसंपत्तियों के समक्ष सृजित भत्ता
(i)	**मानक परिसंपत्तियां**				
	(क) पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियां (संदर्भ नीचे दी गयी है)	**16,428.15**	**451.77**	-	-
	(ख) उपरोक्त (क) के अन्यत्र	**161,883.41**	**490.92**	148,150.70	370.38
(ii)	**उप-मानक परिसंपत्तियां**	**844.98**	**206.28**	-	-
(iii)	**संदिग्ध परिसंपत्तियां**	**473.18**	**141.95**	473.18	94.64
(iv)	**परिसंपत्तियों में क्षति**	**17.22**	**17.22**	17.22	17.22
	जोड़	**179,646.94**	**1,308.14**	148,641.10	482.24

टिप्पणी: (i) (क) में उल्लेखित ऋण परिसंपत्तियां, लेखाकरण नीति सं. 2.3 (iv) में यथा विनिर्दिष्ट पुनर्व्यवस्थित मानक ऋण परिसंपत्तियों के संदर्भ में हैं।

विवेकपूर्ण मानदंड के मामले में, टिप्पणी संख्या 13.2.4 में प्रकट उपरोक्त (i) (ख) के अंतर्गत वर्गीकृत एक मानक ऋण परिसंपत्ति के संबंध में ₹ 86.42 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के लिए 100% भत्ता सृजित किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त (ii) वर्गीकृत निश्चित उधारकर्ताओं के संबंध में आरईसी के विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्गत यथा अपेक्षित से अधिक ₹ 121.77 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) के लिए एक अतिरिक्त भत्ते को सृजित किया गया है।

32.2 क्षेत्र-वार एनपीए - उक्त क्षेत्र में कुल अग्रिम में एनपीए का प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	**0.74%**	0.33 %

समेकित लेखा टिप्पणियां

32.3 एनपीए का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	**निवल अग्रिमों हेतु निवल एनपीए (%)**	**0.54%**	0.24%
(ii)	**एनपीए का संचलन (सकल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**490.40**	490.40
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**844.98**	-
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**-**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**1,335.38**	490.40
(iii)	**एनपीए का संचलन (निवल)**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**353.54**	400.86
(ख)	वर्ष के दौरान आवर्धन	**616.39**	(47.32)
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	**-**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**969.93**	353.54
(iv)	**एनपीए हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	वर्ष के प्रारंभ में शेष	**136.86**	89.54
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	**228.59**	47.32
(ग)	अत्यधिक प्रावधानों का राईट ऑफ/ राईट बैक	**-**	-
(घ)	वर्ष के अंत में शेष	**365.45**	136.86

33. प्रकटीकरणों से संबंधित एक्सपोज़र

33.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोज़र

31.03.2015 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी का कोई एक्सपोज़र नहीं है।

33.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल परस्पर समग्र निधियों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	**17.50**	17.50
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी-अनुकूल परस्पर निधियों की यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	**-**	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-अनुकूल परस्पर निधियों की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	**-**	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी-अनुकूल परस्पर निधियों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल परस्पर निधियों की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करते हैं;	**-**	-
(v)	स्टॉक ब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	**-**	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बांडों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	**-**	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मुद्दों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	**-**	-
(viii)	उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोज़र	**7.68**	7.68
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोज़र	**25.18**	25.18

समेकित लेखा टिप्पणियां

33.3 अमूर्त परिसंपत्तियों के समक्ष अप्रतिभूत अग्रिम

31 मार्च, 2015 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) ऐसे अग्रिमों का कोई बकाया शेष नहीं है जिसके लिए कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के संबंध में कंपनी के पक्ष में अधिकारों, अनुज्ञप्तियों, प्राधिकार आदि जैसे अमूर्त संपार्श्विकों में परिवर्तन किया गया है।

34. अग्रिमों, प्रकटनों और एनपीए का संकेंद्रण

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**108,066.67**	94,703.76
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**60.16%**	63.71 %
(ii)	**एक्सपोज़रों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	**171,024.07**	156,408.59
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	**57.49%**	46.91 %
(iii)	**एनपीए का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार एनपीए खातों के लिए कुल बकाया (₹ करोड़ में)	**1,318.16**	485.53
	उपरोक्त चार एनपीए खातों हेतु कुल एक्सपोज़र(₹ करोड़ में)	**1,318.16**	485.53

35. कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान किसी प्रतिभूतिकरण/समनुदेशन लेन-देनों में प्रविष्टि नहीं की है। इसके अलावा, परिसंपत्ति पुनर्निमाण के लिए किसी परिसंपत्ति को प्रतिभूतिकरण/पुनर्निमाण कंपनी हेतु बेचा नहीं गया है।

36. लेखाकरण मानक-9 'राजस्व मान्यता' के उपबंधों के अनुसार, ₹ 4.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3.90 करोड़) के वचनबद्धता शुल्क को उधारकर्ताओं द्वारा आहरण अनुसूची आदि में हुए परिवर्तन के परिणामस्वरूप शामिल प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण खाता बही में मान्यता नहीं दी गयी है।

37. वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरु किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 13 वर्षों से अधिक में विस्तारित ₹ 8,466 करोड़ की समग्र रूप से ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

38. भारत सरकार ने निम्नलिखित अंगभूतों के साथ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को शुरू किया है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं हेतु विद्युतापूर्ति की न्यायोचित रोस्टर व्यवस्था को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित, ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण;

(iii) 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिनांक 01.08.2013 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के अनुसार, ग्रामीण विद्युतीकरण को आरजीजीवीवाई हेतु अनुमोदित परिव्यय को डीडीयूजीजेवाई के लिए अग्रेणीत करना।

संपूर्ण कार्यान्वयन अवधि के दौरान ₹ 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता सहित ₹ 43,033 करोड़ रुपए की लागत के उपरोक्त (i) और (ii) घटकों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। 12वीं एवं 13वीं पंचवर्षीय योजनाओं में जारी रखने के लिए आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा यथा अनुमोदित विद्यमान कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को एक पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण घटक के रूप में इस योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

39. प्रबंधन की राय में, तुलन पत्र में प्रदर्शित चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम का मूल्य उनमें वर्णित राशि के समतुल्य है, यदि उनकी उगाही सामान्य कारोबार के दौरान की जाती है तथा सभी ज्ञात देनदारियों को दी गयी हैं।

समेकित लेखा टिप्पणियां

40. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
शेष अप्रदत्त मूलधन किंतु वर्ष के अंत में देय	0.11	0.28
वर्ष के अंत में उस पर देय ब्याज	0.03	-
वर्ष के दौरान नियत दिन से परे पूर्तिकार को की गयी भुगतान राशि सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज	0.13	-
भुगतान करने में विलंब अवधि के लिए देय एवं भुगतान ब्याज किंतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
वर्ष के अंत में उपचित और अप्रदत्त शेष ब्याज	-	-
अनुवर्ती वर्षों में, ऐसी तिथि तक शेष देय और भुगतानी अतिरिक्त ब्याज जबकि उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया जाता है।	0.03	-

41. प्रकटनों से संबंधित व्युत्पन्न

41.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का नोशनल प्रिंसिपल	24,577.20	19,376.35
(ii)	क्षतियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी देयताओं को पूरा करने के लिए प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	2,662.28	2,638.47
(iii)	स्वैपों में प्रविष्टि करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	नीचे दी गयी टिप्पणी देखें	नीचे दी गयी टिप्पणी देखें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	2,173.16	2,020.52

टिप्पणी: गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी होने के नाते आरईसी ने, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रेणी- I, केवल अधिकृत डीलर, बैंक के साथ स्वैप अनुबंध किए हैं। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।

41.2 कंपनी किसी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में शामिल नहीं है।

41.3 व्युत्पन्नों में जोखिम अनावरण पर प्रकटीकरण

41.3.1 गुणात्मक प्रकटन

आरईसी में निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति में कंपनी का मुद्रा जोखिम शामिल है। यह नीति मार्गदर्शी मानदंडों का उपबंध करती है जिसके अंतर्गत कंपनी विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में अनावृत्त मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करने के लिए निर्णय ले सकती है। नीति का उद्देश्य प्रबंधन के लिए कंपनी को इसके विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना है।

जोखिम प्रबंधन संरचना

वर्तमान में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) प्रचालन कर रही है। निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी) एवं एक अंशकालिक गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक, कार्यकारी निदेशक और वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) मुद्रा दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम को मॉनीटर करती है और विभिन्न व्युत्पन्न लिखतों के माध्यम से ब्याज दर को प्रबंधित करती है।

व्युत्पन्न लेन-देनों में, फारवर्ड, ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप और हेज़ परिसंपत्तियों एवं देयताओं के लिए मुद्रा तथा परस्पर मुद्रा के विकल्प शामिल हैं। इन व्युत्पन्न लेन-देनों को हेज़िंग के प्रयोजनार्थ किया जाता है तथा इसे ट्रेडिंग या काल्पनिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है। ये उपचित आधार पर जवाबदेह हैं तथा इन्हें बाजार हेतु चिह्नित नहीं किया जाता है।

सम्मिलित जोखिमों की किस्म

(i) **क्रेडिट जोखिम -** क्रेडिट जोखिम, कंपनी के प्रति किसी बाध्यता के निष्पादन में प्रतिपक्ष के असफल होने के कारण हुई क्षति का जोखिम है।

(ii) **बाजार जोखिम -** बाजार जोखिम, एक लिखत या लिखतों के पोर्टफोलियों के बाजार मूल्य (कीमत) में हुए प्रतिकूल परिवर्तनों के कारण हुई क्षति का जोखिम है। ऐसे अनावरण (एक्सपोज़र), रेखांकित ब्याज दरों, विनिमय दरों आदि या इन घटकों की संकल्पना के रूप में बाजार कारकों में घटित हो रहे परिवर्तनों के दौरान व्युत्पन्न लिखतों के संबंध में घटित होते हैं।

(iii) **तरलता जोखिम -** तरलता जोखिम, एक उचित कीमत पर किसी लेन-देन के निष्पादन करने या अपनी निधियन अपेक्षाओं को पूर्ण करने में संस्था के असफल होने के कारण क्षति का जेखिम है। यह बाजार तरलता जोखिम या निधियन तरलता जोखिम हो सकता है।

समेकित लेखा टिप्पणियां

(iv) **प्रचालन जोखिम -** प्रचालन जोखिम, अपर्याप्त तंत्र और नियंत्रण, सूचना तंत्र में कमियों, मानव त्रुटि या किसी प्रबंधन असफलता के परिणामस्वरूप हुई क्षति का जोखिम है। व्युत्पन्न गतिविधियां, निश्चित उत्पादों की जटिलता और उनके सतत् विकास के कारण चुनौतीपूर्ण प्रचालन जोखिम मुद्दे को उत्पन्न कर सकती है।

(v) **विधिक जोखिम -** विधिक जोखिम, संविदाएं, जिनकों विधिक रूप से बाध्य या सही तरह से प्रलेखबद्ध नहीं किया गया है, से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

(vi) **नियामक जोखिम -** नियामक जोखिम, नियामक या विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल होने से उत्पन्न क्षति का जोखिम है।

41.3.2 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**	
		31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार	31.03.15 के अनुसार	31.03.14 के अनुसार
(i)	प्रतिरक्षण हेतु व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)	17,433.40	11,948.55	7,143.80	7,427.80
(ii)	बाजार स्थितियों के लिए चिह्नित				
(क)	परिसंपत्ति (+)	2,569.44	2,590.43	92.83	48.04
(ख)	देयता (-)	294.66	119.89	194.46	498.05
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	17,433.40	11,948.55	7,143.80	7,427.80
(iv)	अप्रतिरक्षित एक्सपोजर	6,616.74	5,672.61	लागू नही	लागू नही

* इसमें पूर्ण प्रतिरक्षा, मूलधन केवल स्वैप और कॉल स्प्रेड शामिल है।

** इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज पर व्युत्पन्न शामिल है।

42. 31 मार्च, 2015 के अनुसार विदेशी मुद्रा अनावरण (एक्सपोज़र) की बकाया स्थिति इस प्रकार है:-

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में तथा भारतीय ₹ करोड़ में दर्शाए गए हैं)

मुद्रा	योग		प्रतिरक्षित भाग (मुद्रा एवं ब्याज दर)		अप्रतिरक्षित	
	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए *	विदेशी मुद्रा	समतुल्य भारतीय रुपए*
जापानी येन ¥	**33,084.61**	**1,944.22**	**31,895.82**	**1,882.28**	**1,188.79**	**61.94**
पिछले वर्ष	36,483.43	2,123.49	35,851.15	2,086.30	632.28	37.19
यूरो €	**157.07**	**1,104.97**	**150.70**	**1,061.94**	**6.37**	**43.03**
पिछले वर्ष	141.28	1,037.26	113.63	808.90	27.65	228.36
अमेरिकी डॉलर $	**3,555.00**	**19,715.51**	**2,720.00**	**14,489.18**	**835.00**	**5,226.33**
पिछले वर्ष	2,505.00	13,110.08	1,830.00	9,053.34	675.00	4,056.74
सीएचएफ (स्विस फ्रैंक)	**200.00**	**1,285.44**	**-**	**-**	**200.00**	**1,285.44**
पिछले वर्ष	200.00	1,350.32	-	-	200.00	1,350.32
जोड़		**24,050.14**		**17,433.40**		**6,616.74**
पिछले वर्ष		17,621.15		11,948.54		5,672.61

* भारतीय रुपए में विनियमित विदेशी मुद्रा उधार का भाग विनिमय लेन-देन में स्थिर दर पर बताया गया है और उसे वर्ष के अंत की दर पर अंतरित नहीं किया गया है। विदेशी मुद्रा उधार का अप्रतिरक्षित भाग वर्ष की अंत दर पर अंतरित किया गया है।

42.1 लेखाकरण नीति 14.1 के अनुसार, वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद निम्नलिखित दरों पर अंतरित की गई है:

विनिमय दर	यूएसडी/ आईएनआर	जापानी येन/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	सीएचएफ/ आईएनआर
31.03.2015 के अनुसार	**62.5908**	**0.5211**	**67.5104**	**64.2719**
31.03.2014 के अनुसार	60.0998	0.5883	82.5765	67.5159

समेकित लेखा टिप्पणियां

43. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण:

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री पी.जे.ठक्कर	निदेशक (तकनीकी)
श्री जे. एस. अमिताभ	महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव*

* कंपनी सचिव को कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार 01 अप्रैल, 2014 से मुख्य प्रबंधन कार्मिक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है।

(2) आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां

नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 04.12.2012 को निगमित किया गया।

बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड - 24.1.2013 को निगमित किया गया।

एनआरएसएसXXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड और एसडीटीपीएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर पर्याप्त रूप से 04.08.2014 को स्टरलाईट डिसप्ले टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड (एसडीटीपीएल) को हस्तांतरित किया गया।

एनआरएसएसXXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (क) ट्रांसमिशन लिमिटेड और पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधनों एवं शर्तों के आधार पर पर्याप्त रूप से 12.05.2014 को पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

एनआरएसएसXXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 29.07.2013 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, एनआरएसएस XXXI (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं ईआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 12.05.2014 को मैसर्स एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्टस् लिमिटेड (ईआईएल) स्थानांतरित किया गया।

गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड - 30.07.2014 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (ख) ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादितपॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

गदरवाड़ा (क) ट्रांस्को लिमिटेड - 05.08.2014 को निगमित किया गया और आरईसीटीपीसीएल, गदरवाड़ा (क) ट्रांस्को लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 24.04.2015 को पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड - दिनांक 14.08.2014 को निगमित किया गया।

विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड - 14.08.2014 को निगमित किया गया और विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड एवं पीजीसीआईएल के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार में यथा विस्तृत निबंधन एवं शर्तों के आधार पर मूलतः 26.02.2015 को भारतीय पॉवर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को स्थानांतरित किया गया।

संबंधित पक्षों से/को देय राशि के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 के अनुसार	31.03.2014 के अनुसार
दीर्घावधि ऋण	**0.17**	0.08
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
ऋण एवं अग्रिम	**0.29**	0.09
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		

समेकित लेखा टिप्पणियां

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन के ब्योरे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋण - निवेशित राशि		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	-	0.04
ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.04	0.09
ब्याज आय - ऋण एवं अग्रिम		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	0.06	0.01
वित्तीय लागत		
मुख्य प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त ब्याज	0.01	-
कर्मचारी हितलाभ व्यय-प्रबंधकीय पारिश्रमिक	1.91	1.56

44. लेखाकरण मानक-15 में यथा अपेक्षित कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रकटीकरण:

(1) परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी पूर्व-निर्धारित दर पर भविष्य निधि का एक निश्चित अंशदान एक पृथक ट्रस्ट को देती है, जो उस निधि का निवेश अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में करती है। इस ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट के सदस्यों के अंशदान पर एक निर्धारित दर से ब्याज दिया जाना होता है।

ख. परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना

कंपनी, एक पृथकट्रस्ट में पूर्व-निर्धारित दर पर अधिवर्षिता योजना में निर्धारित अंशदान का भुगतान करती है, जो बीमाकर्ताओं के पास उस निधि का निवेश करती है। बीमाकर्ता ट्रस्ट के सदस्यों के खाते में जमा पड़े शेष ब्याज की दर तय करते हैं। जब यह पेंशन सदस्य को देय हो जाती है, तब बीमाकर्ता सदस्य द्वारा चयन की गई विभिन्न वार्षिकियों में सदस्य की संचित निधि का विनियोजन करता है।

परिभाषित अंशदायी योजनाओं के समक्ष व्यय के रूप में मान्य राशि:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	भविष्य निधि	6.52	6.17
(ii)	परिभाषित अंशदायी अधिवर्षिता योजना	4.77	4.68
	जोड़	11.29	10.85

(2) परिभाषित हितलाभ योजनाएं - परिनियोजन उपरांत हितलाभ

क. उपदान

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी उपदान भुगतान अधिनियम, के उपबंधों के अनुसार उपदान का पात्र है। उपदान की देयता की पहचान बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

ख. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी की सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा और उसके दावों से होने वाले लाभों के निपटान की एक योजना है, जिसके अंतर्गत पात्र कर्मचारी (विवाहिती सहित) को कंपनी के नियम के अनुसार लाभ दिया जाता है। इस व्यय को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किया जाता है।

ग. अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी)

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के समय पैतृक नगर में बसने के लिए कर्मचारी तथा आश्रितों के लिए एक योजना है। यह वार्षिक रूप से बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि लेखे में स्वीकृत है।

लाभ एवं हानि लेखा, तुलन-पत्र में परिभाषित विभिन्न लाभों की सारांशीकृत स्थिति और उनके वित्तपोषण की स्थिति निम्नवत है:

समेकित लेखा टिप्पणियां

लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय :

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
चालू सेवा लागत	1.93	1.85	1.23	1.20	0.05	0.05
ब्याज लागत	3.24	3.03	5.66	4.46	0.10	0.09
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.24	3.69	-	-	-	-
बीमांकित (लाभ)/ हानि	(1.33)	(0.37)	9.50	9.39	0.05	(0.04)
मान्यकृत व्यय	0.60	0.82	16.39	15.05	0.20	0.10

तुलन-पत्र में स्वीकृत राशिः

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	38.16	38.07	77.61	66.64	1.20	1.16
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	36.25	35.94	-	-	-	-
निवल परिसंपत्तियां/(दायित्व) मान्यकृत	(1.91)	(2.13)	(77.61)	(66.64)	(1.20)	(1.16)

परिभाषित हितलाभ/देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	38.07	37.85	66.64	55.80	1.16	1.16
ब्याज लागत	3.24	3.03	5.66	4.46	0.10	0.09
चालू सेवा लागत	1.93	1.85	1.23	1.20	0.05	0.05
प्रदत्त हितलाभ	3.89	3.99	5.42	4.21	0.16	0.10
देयता पर बीमांकित (लाभ/हानि)	(1.19)	(0.67)	9.50	9.39	0.05	(0.04)
वर्ष के अंत में परिभाषित हितलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	38.16	38.07	77.61	66.64	1.20	1.16

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तनः

(नीचे 'उपदान' कॉलम की राशि उपदान ट्रस्ट के तुलन-पत्र में संबंधित राशि को व्यक्त करती है)

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	35.94	35.14	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	3.24	3.69	-	-	-	-
अंशदान	0.82	1.40	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	3.89	3.99	-	-	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर बीमांकित लाभ (हानि)	0.14	(0.30)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	36.25	35.94	-	-	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

पीआरएमएफ पर मुद्रास्फीति की दर में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि कमी का प्रभाव:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1% (+)		1% (-)	
	31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
सेवा एवं ब्याज लागत	**0.64**	1.17	**(1.09)**	(0.46)
पीबीओ (अंत में)	**11.09**	8.56	**(7.81)**	(7.21)

बीमा संबंधी पूर्वधारणा:

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ओडीआरबी	
	31.03.2015	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014	**31.03.2015**	31.03.2014
प्रयुक्त विधि	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	**प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)**	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
बट्टा दर	**8.00%**	8.50 %	**8.00%**	8.50 %	**8.00%**	8.50 %
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	**9.00%**	10.50 %	**-**	-	**-**	-
वेतन में भावी वृद्धि	**6.00%**	6.50 %	**6.00%**	6.50 %	**6.00%**	6.50 %

- लेखा वर्ष में परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ की दर प्रतिलाभ की (वार्षिकीकृत) पूर्व-अनुमानित दर है।
- प्रमुख धारणा छूट दर तथा वेतन संवृद्धि से संबंधित है। छूट दर सामान्यतः एक अवधि में लेखाकरण की तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार लाभ, जो देयताओं से मेल खाता है, पर आधारित है तथा वेतन संवृद्धि दर में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा दीर्घावधि आधार पर अन्य संबंधित कारक शामिल हैं। उपर्युक्त सूचना बीमांकक द्वारा प्रमाणित है।

45. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं। हालांकि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड (सीएसईबी), केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) और मेघालय राज्य विद्युत बोर्ड (एमएसईबी) के मामले में इस कंपनी, नई एंटिटियों और राज्य सरकारों के बीच अंतरण करार निष्पादित किए जाने हैं।

तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड के मामले में करार, तमिलनाडु विद्युत (पुनर्गठन और सुधार) अंतरण योजना, 2010 के अनंतिम उपबंधों के आधार पर निष्पादित किए गए हैं। हालांकि, इस संबंध में आगे अंतरण करारों को, यदि अपेक्षित है, अंतरण योजना के अंतिम रूप दिए जाने पर निष्पादित किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव-निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव- निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/ नव- निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव-निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव-निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग-अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

46. कंपनी का मुख्य कारोबार विद्युत क्षेत्र का वित्तपोषण किया जाना है। तदनुसार, कंपनी के पास लेखाकरण मानक-17 के अनुसार रिपोर्टिंग हेतु एक से अधिक पात्र खंड नहीं है।

47. जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) हेतु पूंजी

एक अवसंरचना वित्त कंपनी (आईएफसी) होने के नाते, आरईसी को 15% का जोखिम-भारित परिसंपत्ति अनुपात(सीआरएआर) (टियर-। पूंजी का न्यूनतम 10%) हेतु पूंजी बनाये रखना अपेक्षित है।

	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार	31.03.2014 को समाप्त वर्ष हेतु/ के अनुसार
(i)	सीआरएआर (%)	**19.56%**	19.35 %
(ii)	सीआरएआर - टियर-। पूंजी (%)	**16.52%**	16.02 %
(iii)	सीआरएआर - टियर-।। पूंजी (%)	**3.04%**	3.33 %
(iv)	टियर-।। पूंजी के अनुसार जुटाये गए सबोर्डिनेट ऋण की राशि (₹ करोड़ में)	**-**	-
(v)	शाश्वत ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि (₹ करोड़ में)	**-**	-

48. परिसंपत्ति देयता प्रबंधन - परिसंपत्तियों और देयताओं की कुछ निश्चित मदों का परिपक्वता प्रतिरूप:

(₹ करोड़ में)

31.03.2015 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	745	-	1,036	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	664	-	355	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	1,449	-	666	97	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	3,307	-	1,068	2,712	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	9,065	439	6,196	7,726	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	38,350	189	34,344	4,629	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	35,891	189	26,942	8,643	-	-
5 वर्षों से अधिक	90,176	796	56,322	243	-	-
जोड़	**179,647**	**1,613**	**126,929**	**24,050**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

31.03.2014 के अनुसार	अग्रिम	निवेश	उधारियां		विदेशी मुद्रा मदें	
			घरेलू उधारियां	विदेशी मुद्रा उधारियां	परिसंपत्ति	देयताएं (उधारियों के अन्यत्र)
30/31 दिन तक	630	-	319	-	-	-
1 महीने से अधिक 2 महीनों तक	807	-	366	-	-	-
2 महीने से अधिक 3 महीनों तक	1,248	-	1,137	52	-	-
3 महीने से अधिक एवं 6 महीने तक	2,735	-	6,256	101	-	-
6 महीने से अधिक एवं 1 वर्ष तक	7,246	47	7,692	155	-	-
1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	31,156	189	22,021	13,487	-	-
3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	30,875	189	18,616	3,619	-	-
5 वर्षों से अधिक	73,944	1,283	52,212	207	-	-
जोड़	148,641	1,708	108,619	17,621	-	-

समेकित लेखा टिप्पणियां

49. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के अंतर्गत यथा अपेक्षित समेकित एंटिटियों के संबंध में प्रकटीकरण:

क्र. सं.	एंटिटी का नाम	निवल परिसंपत्तियां अर्थात् कुल परिसंपत्तियों में से कुल देयता घटाएं		लाभ या हानि में शेयर	
		समेकित निवल परिसंतियों के % के रू प में	राशि (₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि (₹ करोड़ में)
(1)	**स्वामित्व की अनुषंगी कंपनियां - भारतीय**				
1.	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.38 %	94.40	0.65 %	34.77
2.	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.42 %	105.01	0.89 %	47.54
(2)	**संयुक्त उद्यम - भारतीय**				
1.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.11 %	28.73	0.05 %	2.59
	जोड़	0.91 %	228.14	1.59 %	84.90

50. नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड (एनटीएल) और बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड (बीएसटीएल) नामक दो परियोजनाएं, जो कि आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) की दो अनुषंगी कंपनियां (एसपीवी) हैं, विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या क्रमशः 15/9/2013-ट्रांस दिनांक 03.01.2014 और 100/1/ईसी(33)/एसपीएंडपीए/2013 दिनांक 09.02.2015 के तहत अनधिसूचित कर दी गयी थीं। बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता के रूप में, आरईसीटीपीसीएल ने इस संबंध में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से अनुरोध किया है।

हालांकि, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने अपने दिनांक 12 नवंबर, 2014 के पत्र संख्या 100/ईसी (32) 2013-एसपीएंडपीए/2074-2084 के तहत 30 सितंबर, 2014 को आयोजित 'पारेषण पर प्राधिकार समिति' की बैठक के कार्यवृत्त का परिकलन करने के दौरान खंड 3.0(i) एवं (ii) में सूचित किया है कि "बोली प्रक्रिया समन्वयकर्ता रद्द योजनाओं पर उनके द्वारा किए गए व्यय को उतने समय के लिए अपने लाभ मार्जिन से समायोजित कर लें"। प्राधिकार समिति के उक्त निर्णय के आधार पर, आरईसीटीपीसीएल ने इस खाते पर आज की तिथि तक हुए सभी व्यय को वहन करने का निर्णय ले लिया है। तदनुसार, ₹ 1.77 करोड़ (एनटीएल ₹ 0.87 करोड़ और बीएसटीएल ₹ 0.90 करोड़) की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है। साथ ही, बोर्ड के निर्णय के अनुसार, आरईसीटीपीसीएल वित्त वर्ष 2014- 15 के दौरान अप्रकार्यात्मक दोनों एसपीवी, बीएसटीएल एवं एनटीएल द्वारा किए जाने वाले सभी खर्चों को वहन करेगा तथा इसलिए, प्रबंधन ने इन कंपनियों के लिए विघटन की फास्ट ट्रैक विधि को शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके अगले वित्त वर्ष में पूर्ण होने की संभावना है।

51. इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन-पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसके लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

52. वित्त वर्ष 2014-15 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

53. वित्त वर्ष 2014-15 (पिछले वर्ष शून्य) के दौरान उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी ने कोई शिकायत प्राप्त नहीं की है।

54. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप पुनःवर्गीकृत/पुनःसमूहीकृत किया गया है।

55. जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और लेखा संबंधी 1 से 55 तक टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों की अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

अजीत कुमार अग्रवाल
निदेशक (वित्त)
डीआईएन-02231613

राजीव शर्मा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन-00973413

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 002074एन

(गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्यता सं. 081085

कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 006747 एन

(के. एस. पोन्नुस्वामी)
भागीदार
सदस्यता सं. 070276

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः28 मई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनगति विधियों से नकदी प्रवाह:				
कर-पूर्व निवल लाभ	**7,552.34**		6,616.71	
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि(-)	**0.10**		0.69	
2. मूल्यह्रास	**8.32**		4.52	
3. प्रावधान और आकस्मिकताएं	**802.96**		312.02	
4. स्टाफ अग्रिमों हेतु भत्ता	**-**		0.07	
5. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	**300.03**		230.88	
6. विविध उधारियों का ब्याज व्यय	**0.07**		0.16	
7. रिटन बैक पर अधिक प्रावधान	**-**		-3.18	
8. विनिमय दर घट-बढ़ पर हानि/लाभ (-)	**259.99**		304.27	
9. निवेशों से लाभांश	**-3.63**		-0.38	
10. दीर्घकालिक निवेशों से ब्याज	**-154.46**		-50.99	
11. अग्रिम आय कर पर ब्याज हेतु किया गया प्रावधान	**1.38**		2.96	
12. बट्टेखाते डाले गए बांडों पर छूट	**4.83**		4.83	
13. जीरो कूपन बांडों पर उपचित ब्याज	**70.39**		64.97	
14. प्रावधानों से अधिक अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	**-**		0.01	
15. अन्यवित्तीय व्यय	**0.25**		0.16	
16. निवेश के मूल्य में अवनति	**0.10**		-	
17. प्रावधान	**3.85**		1.72	
प्रचालन परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ:	**8,846.52**		7,489.42	
वृद्धि/कमी:				
1. ऋण परिसंपत्तियाँ	**-31,005.84**		-22,427.06	
2. अन्य प्रचालन परिसंपत्तियाँ	**-444.97**		-381.60	
3. प्रचालन देयताएं	**1,027.72**		-265.28	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**-21,576.57**		-15,584.52	
1. प्रदत्त आयकर (टीडीएस सहित)	**-2,330.28**		-1,667.38	
2. आयकर वापसी	**-**		8.27	
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**-23,906.85**		-17,243.63
ख. निवेश क्रियाकलापों सेनकदी प्रवाह				
1. अचल परिसंपत्तियों की बिक्री	**0.18**		0.26	
2. अचल परिसंपत्तियों की खरीद (जिसमें सीडब्ल्यूआईपी एवं विकास शीलअमूर्त परिसंपत्तियाँ भी शामिल हैं)	**-45.34**		-4.79	
3. मध्य प्रदेश सरकार 8% पॉवर बांड-II का विमोचन	**94.32**		94.32	
4. दीर्घकालिक निवेशों से ब्याज	**157.50**		50.56	
5. निवेशों से लाभांश	**3.63**		0.38	
6. कर मुक्त बांडों/अन्यों में निवेश	**-56.31**		-5.19	
7 वर्ष के दौरान की गयी मियादी जमा	**-18.52**		-	
8. वर्ष के दौरान परिपक्व मियादी जमा	**24.38**		-	
निवेश गति विधियों से निवल नकदी प्रवाह		**159.84**		135.54
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. बांडों का निर्गम (विमोचनों का निवल)	**21,806.74**		17,460.70	
2. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से आवधिक ऋण/अल्पकालिक ऋण को जुटाना (चुकौतियों का निवल)	**-955.40**		-3,049.95	
3. विदेशीमुद्रा ऋण को जुटाना (विमोचनों का निवल)	**6,366.18**		1,706.32	
4. ब्याज सहित भारत सरकार से प्राप्त अनुदान (वापसी का निवल)	**3,421.17**		2,920.69	
5. अनुदानों का संवितरण	**-3,639.69**		-2,429.28	
6. सरकारी ऋण की चुकौती	**-4.86**		-7.21	
7. अंतिम लाभांश की अदायगी	**-172.81**		-148.13	

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
8. अंतरिम लाभांश की अदायगी	-789.97		-765.28	
9. कारपोरेट लाभांश कर की अदायगी	-187.32		-155.23	
10. विविध उधारियों पर प्रदत्त ब्याज	-0.07		-0.16	
11. प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्रीमियम	-		1.24	
12. कमर्शियल पेपर का निर्गम (चुकौती का निवल)	-2,745.74		1,281.16	
13. अन्य वित्तीय व्यय	-0.25		-0.16	
वित्त संबंधीगति विधियों से निवल नकदी प्रवाह		23,097.98		16,814.71
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		-649.03		-293.38
वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		1,207.95		1,501.33
वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		558.92		1,207.95

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
- निम्न के संबंध में बैंकों में शेष :				
- आरबीआई और अन्य बैंकों में खाते		144.79		110.56
- असंवितरित डीडीयूजीजेवाई अनुदान#		31.68		0.20
- असंवितरित एजीएंडएसपी अनुदान#		2.22		3.97
- असंवितरित राष्ट्रीय विद्युतनिधि अनुदान#		1.00		-
- अन्य असंवितरित सब्सिडी/अनुदान#		20.04		1.75
- कर मुक्त बांड पब्लिक इश्यू लेखें#		-		5.96
- अप्रदत्त लाभांश लेखे#		2.62		2.31
- अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा		356.57		1,083.20
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता		558.92		1,207.95

ये शेष राशियां कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं क्यों कि ये संबंधित अनुदान लेखे, पब्लिक इश्यू लेखे में शेष तथा अप्रदत्त लाभांशों में रखे चिह्नित शेष राशियों को निरूपित करती हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों के शेष में ₹ 2.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.38 करोड़) अनुदान संवितरण के लिए अपास्त शामिल हैं और अनुसूचित बैंकों में अल्प अवधि जमा में ₹ 236.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 530.50 करोड़) शामिल हैं जोडीडीयूजीजेवाई अनुदान के लिए चिह्नित हैं और कंपनी द्वारा मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पनी: जहां कहीं आवश्यक था, पिछली अवधि के आंकड़ों को पुन:समूहीकृत किया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	अजीत कुमार अग्रवाल	राजीव शर्मा
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन-02231613	**डीआईएन-00973413**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

	कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी
	सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**
	फर्म पंजी. सं. 002074एन	**फर्म पंजी. सं. 006747 एन**
	(गोपाल कृष्ण)	(के. एस. पोन्नुस्वामी)
स्थान : नई दिल्ली	**भागीदार**	**भागीदार**
दिनांक : 28 मई, 2015	**सदस्यता सं. 081085**	**सदस्यता सं. 070276**

फार्म एओसी- I

वर्ष 2014-15 के अ:लिए अनुषंगी कंपनियों / एसोसिएटों / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को अंतर्निहित करता विवरण

भाग क: अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

1	क्रमांक	I	II	III	IV	V	VI	VII
2	अनुषंगी कंपनी का नाम	आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड	गदरवाड़ा (ए) ट्रांस्को लिमिटेड	गदरवाड़ा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड	महेश्वरम ट्रांसमिशन लिमिटेड	नेल्लौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	बैरा स्यूल सरना ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट अवधि से भिन्न है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमिय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	शेयर पूंजी	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
6	आरक्षित एवं अधिशेष	94.35	104.96	-	-	-	(0.05)	(0.05)
7	कुल परिसंपत्तियां	142.29	158.59	18.22	18.66	1.09	-	-
8	कुल देयताएं	47.89	53.58	18.17	18.61	1.04	-	-
9	निवेश	12.00	60.15	-	-	-	-	-
10	टर्नओवर	87.76	72.44	-	-	-	-	-
11	कर पूर्व लाभ	52.52	69.92	-	-	-	(0.05)	(0.05)
12	कर हेतु प्रावधान	17.75	22.38	-	-	-	-	-
13	कर पश्चातलाभ	34.77	47.54	-	-	-	(0.05)	(0.05)
14	प्रस्तावित लाभांश	0.50	9.51	-	-	-	-	-
15	शेयरधारिता %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड (आरईसी टीपीसीएल) की चार अनुषंगी कंपनियां नामत: एनआरएसएसXXIX ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनआरएसएसXXXI (ए)ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनआरएसएसXXXI (बी)ट्रांसमिशन लिमिटेड और विंध्याचल जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड को वर्ष के दौरान विक्रय कर दिया गया।

इसके अलावा, आरईसी टीपीसीएल की दो अनुषंगी कंपनियों, नामतः गदरवाड़ा (ए) ट्रांस्को लिमिटेड और गदर वाड़ा (बी) ट्रांसमिशन लिमिटेड को, बोली प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय पॉवर ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को, विक्रय कर दिया गया थातथा पीजीसीआईएलने 31.03.2015 कोकुल अधिग्रहण मूल्य का भुगतान कर दिया है। हालांकि, शेयर खरीद अनुबंध और दोनों एसपीवी के अंतरण करने की औपचारिकताएं 24.04.2015 को निष्पादित की गयीं।

भाग ख: एसोसिएटस् और संयुक्त उद्यम

एसोसिएटस्/संयुक्त उद्यम का नाम		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (संयुक्त उद्यम)
1	अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31 मार्च, 2015
2	समाप्त वर्ष को कंपनी द्वारा प्रतिधारित एसोसिएट/संयुक्त उद्यमें के शेयर	
	संख्या	22,500,000
	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	22.50
	होल्डिंग की सीमा (%)	25.00 %
3	किस प्रकार महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	होल्डिंग 25 % तथा प्रबंधन में भागीदारी
4	एसोसिएट/संयुक्त उद्यम को क्यों समेकित नहीं किया गया है, का कारण	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखा परीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयर धारिता हेतु आरोप्य निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	26.14
6	वर्ष के लिए लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	
i.	समेकित समझा गया	2.59
ii.	समेकित नहीं समझा गया	शून्य

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ	**अजीत कुमार अग्रवाल**	**राजीव शर्मा**
महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
	डीआईएन-02231613	**डीआईएन-00973413**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

	कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	**कृते पी.के. चोपड़ा एंड कंपनी**
	सनदी लेखाकार	**सनदी लेखाकार**
	फर्म पंजी. सं. 002074एन	**फर्म पंजी. सं. 006747 एन**
	(गोपाल कृष्ण)	**(के. एस. पोन्नुस्वामी)**
स्थान : नई दिल्ली	**भागीदार**	**भागीदार**
दिनांक : 28 मई, 2015	**सदस्यता सं. 081085**	**सदस्यता सं. 070276**

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्यगण
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
नई दिल्ली

इस परिशोधित रिपोर्ट को, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के खंड (vii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के संबंध में इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) के आग्रह पर, दिनांक 28 मई, 2015 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट का अधिक्रमण करते हुए, जारी किया गया है। इसके अलावा, हम यह पुष्टि करते हैं कि पूर्ववर्ती रिपोर्ट में अभिव्यक्त वित्तीय विवरणों के वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य में कोई बदलाव नहीं किया गया है और 31 मार्च, 2015 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरणों के आंकड़ों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में रिपोर्ट

हमने **रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड** ("होल्डिंग कंपनी ") तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी अनुषंगी कंपनियां, जिन्हें "समूह" के रूप में संदर्भित किया गया है) और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलनपत्र तथा तभी समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि, समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है (यहां इसके उपरांत इसे "समेकित वित्तीय विवरण " के रूप में संर्भित किया गया है)।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (यहां इसके उपरांत इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) इन समेकित वित्तीय विवरणों, जो भारत में साधारणतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकें सहित संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन और समेकित नकदी प्रवाहों का एक वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं,को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है।इस उत्तरदायित्व में समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए तथा कपट और अन्य अनियमितताओं को पता लगाने एवं उनका निवारण करने के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव; उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चुनाव और अनुप्रयोग; ऐसे प्राक्कलन और निर्णय करना जो समुचित एवं विवेकपूर्ण हों; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो कि वास्तविक एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और जो महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश या भूलवश हो, से मुक्त हों, को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने से संबंधित, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए जिनका प्रभावपूर्ण ढंग से प्रचालन किया जा रहा था, जिनका उपयोग उपर्युक्त होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ किया गया है, के लिए समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटियों सहित कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखाकरण और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों, जो अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के उपबंधों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, को ध्यान में रखा है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा इस तरीके से लेखापरीक्षा का आयोजन और निष्पादन करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त हो कि समेकित वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में ऐसी क्रियाविधियों का निष्पादन करना शामिल हैं जिनमें समेकित वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हो सके। चयनित क्रियाविधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिसमें समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन, वह चाहे कपटवश हो या भूलवश हो, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। ऐसे जोखिमों का मूल्यांकन करते समय, लेखापरीक्षक, समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में होल्डिंग कंपनी की तैयारी तथा एक वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रदान करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अभिकल्पित की जा सकें, जो परिस्थितियों के आधार पर समुचित हैं, किंतु वह ऐसा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संबंध में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं करता। लेखापरीक्षा में,होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की समुचितता तथा लगाए गए लेखाकरण अनुमानों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य औ्र अन्य लेखापरीक्षकों से नीचे अनुच्छेद के अन्य मामलों के उप-पैरा (क) के संदर्भ में उनकी रिपोर्ट के रूप में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

राय

हमारी राय में तथा हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी, अपेक्षित तरीके से प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों, 31 मार्च, 2015 के अनुसार समूह, संयुक्त रूप से नियंत्रित इसकी एंटिटी के मामलों की स्थिति और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाहों के समनुरूप वास्तविक और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर बल

समूह में एक अनुषंगी कंपनी के मामले में, आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा ध्यान में लाया गया है कि प्राप्यों से पर्याप्त अभिपुष्टियां प्राप्त नहीं की गयी हैं। हालांकि, हमारी राय में इसे, इस संबंध में परिशोधित नहीं किया गया है।

अन्य मामले

(क) हमने दो अनुषंगी कंपनियों, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2015 के अनुसार ₹ 300.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹159.77 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 160.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 110.34 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 14.33 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ -4.47 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहों को दर्शाया गया है तथा जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गयी है तथा हमारी राय में, जहां तक इन अनुषंगी कंपनियों के संबंध में राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और जहां तक उपर्युक्त अनुषंगी कंपनियों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3)एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतयाः अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

(ख) हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित एक एंटिटी, जिसके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना में 31 मार्च, 2015 के अनुसार ₹ 78.94 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 31.62 करोड़) की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 17.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 8.39 करोड़) के कुल राजस्व और ₹ 7.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.40 करोड़) राशि के निवल नकदी प्रवाहें को दर्शाया गया है तथा जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में विचारा गया है, की लेखापरीक्षा नहीं की है। ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना अलेखापरीक्षित है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा समेकित विवरणों पर हमारी राय में, जहां तक संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित राशियों एवं प्रकटनों का संबंध है, और उपर्युक्त संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3)एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, पूर्णतया ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विववरणों/वित्तीय सूचना पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गयी हमारी विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा अभिप्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचना और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों तथा किए गए कार्य पर हमारे विश्वास के संबंध में उपरोक्त मामलों में, संशोधित नहीं की गयी है।

अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश ") के तहत यथा अपेक्षित है, भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और अनुषंगी कंपनियों की लेखापरीक्षक रिपोर्ट में दी गयी टिप्पणियों के आधार पर, हमने लागू सीमा तक, आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध के रूप में दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम सूचित करते हैं किः

   (क) हमने उन समस्त जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हैं।

   (ख) हमारी राय में, विधि द्वारा यथापेक्षित उचित लेखा बहियों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जैसा कि हमारे द्वारा की गई उन बहियों की जांच और अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में वर्णित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ और हानि विवरण, और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 के नियम 7 और दिनांक 13 सितंबर, 2013 के सामान्य परिपत्र सं. 15/2013 को साथ पढ़ते हुए अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं।

   (च) होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में दर्ज 31 मार्च,2015 की स्थिति के अनुसार हेल्डिंग कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों तथा भारत में निगमित इसकी अनुषंगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित समूह कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी का कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अयोग्य नहीं हुआ है।

   (छ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसारः

      (i) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति की लंबित मुक़दमेबाजी के प्रभाव को प्रकट किया है - समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 27.1 के संदर्भ में;

      (ii) समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के व्युत्पन्न ठेकों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक ठेके नहीं हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य क्षतियां हों;

      (iii) होल्डिंग कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों और भारत में निगमित इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में, हस्तांतरित किए जाने के लिए अपेक्षित, अंतरण राशियों में कोई विलंब नहीं हुआ है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
(सदस्यता सं. 081085)

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
(सदस्यता सं. 070276)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 जुलाई, 2015

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के अंतर्गत पैराग्राफ 1 के संदर्भ में।

(i) (क) समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के प्रमात्रात्मक ब्योरों तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण को दर्शाने के लिए अचल परिसंपत्ति अभिलेखों का अनुरक्षण किया है।

(ख) वर्ष के दौरान सत्यापन के एक कार्यक्रम अनुसार कुछ अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन वर्ग द्वारा वास्तविक सत्यापन किया गया, जोकि हमारी राय में उचित अंतरालों पर सभी अचल परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रदान करता है। हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गयीं।

(ii) आदेश का यह खंड लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म या अन्य पक्ष को कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(क) और 3(iii)(ख)लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों की खरीद के लिए तथा वित्तीय सेवाओं के लिए आंतरिक नियंत्रण सामान्यतया कंपनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप है। हालांकि, कतिपय क्षेत्रों में, आंतरिक नियंत्रण को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है, जैसे विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/वितरण कंपनियों/पारेषण कंपनियों/विद्युत उत्पादन कंपनियों को दिए गए ऋणों की मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण करना, जिसमें दिए गए ऋणों के प्रति सृजित प्रभारों के लिए खोज रिपोर्टों को प्राप्त करना और वाणिज्यिक प्रचालनों की तिथि के पश्चात प्रतिभूति के रूप में आरईसी को प्रभारित परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन करना शामिल है। लेखापरीक्षा के दौरान, हमें आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कोई प्रमुख विफलता को नहीं देखने को नहीं मिली है।

(v) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने लोगों से कोई जमा राशियों को स्वीकार नहीं किया है, जिन पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के उपबंध या अन्य संगत उपबंध और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू होते हों।

(vi) हमारी पूर्ण जानकारी के अनुसार और यथा स्पष्टीकृत, केंद्र सरकार ने समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी के उत्पादों/सेवाओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 को साथ में पढ़ते हुए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के तहत लागत अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(vii) (क) समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी सामान्यतया, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा इस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को उपयुक्त प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करा रही है। 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार, कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया राशियां, उनके देय होने की तिथि से छह माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, लगभग ₹ 2.80 करोड़ की अविवादित सांविधिक देय राशि, जिसे उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष मामलों के लंबित होने के कारण जमा नहीं किया गया है, का ब्योरा निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

अधिनियम का नाम	देय राशियों की प्रकृति	जमा की गयी राशि	प्रदत्त/वापसी समायोजित राशि	अप्रदत्त निवल राशि	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायाधिकरण जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	8.15	8.15	-	मूल्यांकन वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना	0.07	-	0.07	मूल्यांकन वर्ष 2005-06	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	अनुषंगी लाभ कर	0.48	-	0.48	मूल्यांकन वर्ष 2008-09	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर और ब्याज	21.14	20.95	0.19	मूल्यां.वर्ष 2003-04, मूल्यां.वर्ष 2006-07, मूल्यां.वर्ष 2009-10, मूल्यां.वर्ष 2010-11, मूल्यां.वर्ष 2011-12	आयकर अपील अधिकरण, दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	0.47	-	0.47	वित्त वर्ष 2012-13	आयकर आयुक्त (अपील), दिल्ली
आयकर अधिनियम, 1961	स्रोत पर कर कटौती	1.23	-	1.23	वित्त वर्ष 2007-08 से वित्त वर्ष 2014-15	सीपीसी, टीडीएस
वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय V	सेवा कर, धारा 73(4क) के तहत दंडात्मक ब्याज	0.36	-	0.36	वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2011-12	सेवा कर आयुक्त (एलटीयू), दिल्ली
	योग	**31.90**	**29.10**	**2.80**		

(ग) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) और इसके अंतर्गत बनाये गए नियमके संबंधित उपबंधों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि के लिए अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत ऐसी निधि में अंतरित कर दिया गया है।

(viii) समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी की 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कोई संचित हानियां नहीं हैं। समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने हमारी लेखापरीक्षा द्वारा शामिल वर्ष के दौरान तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भी नकद हानियां नहीं उठाई हैं। तदनुसार, आदेश का यह खंड लागू नहीं है।

(ix) हमारी राय में और हमें दी गयी जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने तुलनपत्र की तिथि के अनुसार किसी वित्तीय संस्था, बैंक तथा डिबेंचर धारकों को देय राशियों की चुकौती में कोई चूक नहीं की है।

(x) हमारी राय में तथा हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, समूह एवं इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित एंटिटी ने वर्ष के दौरान, अन्यों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, आदेश का यह खंड कंपनी पर लागू नहीं है।

(xi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान जुटाये गए सावधिक ऋणों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया था, जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 002074एन

गोपाल कृष्ण
भागीदार
(सदस्यता सं. 081085)

कृते पी.के.चोपड़ा एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 006747एन

के.एस.पोन्नुस्वामी
भागीदार
(सदस्यता सं. 070276)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 27 जुलाई, 2015

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांवधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसे उनके द्वारा उनकी दिनांक 27 जुलाई, 2015 की परिशोधित लेखापरीक्षा में व्यक्त किया गया है।

मैनें, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) को साथ पढ़ते हुए धारा 143 (6)(क) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपेरेशन लिमिटेड और आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस् कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आरईसी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों के आधार पर कार्य पत्रों (वर्किंग पेपर्स) की पहुंच के बगैर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित है। मेरी लेखापरीक्षा के आधार पर ऐसा कुछ खास मेरी जानकारी में नहीं आया है जिसके लिए सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक टिप्पणी की जानी आवश्यक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से :

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखापरीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 30 जुलाई, 2015

प्रबंधन दल

श्रीमती आभा आनन्द किशोर
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री अशोक अवस्थी
कार्यकारी निदेशक
(प्रशा./आरईएन एंड एसडी/एस्टेट
एवं सीईओ-आरईसीटीपीसीएल)

डॉ. दिनेश अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई/डीडीजी)
एवं सीईओ-आरईसीपीडीसीएल

श्री संजीव गर्ग
कार्यकारी निदेशक
(ऋण एवं वसूली/एएलएम/कराधान)

श्री सुनील कुमार
कार्यकारी निदेशक
(डीडीयूजीजेवाई/डीडीजी/आईटी)

श्री एस.के. गुप्ता
कार्यकारी निदेशक
(पारेषण एवं वितरण/एनईएफ/
डीडीयूजीजेवाई)

श्री राकेश कुमार अरोड़ा
कार्यकारी निदेशक
(संसा./सीए/सीपी/सीएसआर/बैंकिंग)

श्री टी.एस.सी.बोस
महाप्रबंधक
(डीडीयूजीजेवाई)

श्री दिनेश कुमार
महाप्रबंधक
(रिन्यूएबल एनर्जी)

श्री जी.एस.भाटी
महाप्रबंधक
(डीडीयूजीजेवाई/डीडीजी)

श्री सी.पी. भाटिया
महाप्रबंधक
(वित्त एवं सीएसआर)

श्री एल.एम. वर्मा
महाप्रबंधक
(ऋण एवं वसूली)

श्रीमती कल्पना कौल
महाप्रबंधक
(मा.सं./सीसी एवं पीआर/रा.भा.)

श्री जे.एस. अमिताभ
महाप्रबंधक
एव कंपनी सचिव

श्री एस.एल. बत्ता
महाप्रबंधक
(विधि)/पीआईओ-आरटीआई

श्री जी.वी. महेन्दर
महाप्रबंधक
(एंटिटी अप्रेजल)

श्री अजोय चौधरी
महाप्रबंधक
(वित्तीय स्वीकृति एवं नीति)

श्री वी.के. सिंह
महाप्रबंधक
(जेनरेशन)

श्री फुजैल अहमद
महाप्रबंधक
(पीएमजी)

श्री आर.पी. वैष्णव
महाप्रबंधक
(आं.ले.प.)

श्री राकेश सरीन
महाप्रबंधक(वित्त)
एवं प्रभारी-उत्तरी अंचल

आरईसी कार्यालयों का पता

क्रम सं.	राज्य/संघ	पता	दूरभाष सं.	फैक्स/ई-मेल
	पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय	कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003	011-41020101 011-24365161	फैक्स : 011-24360644 ई-मेल : reccorp@recl.nic.in
	आंचलिक कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन आंचलिक कार्यालयों/ राज्यों एवं संघशासित राज्यों के अंचल/स्थान			
1	**मध्य अंचल** **लखनऊ** उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड एवं झारखण्ड	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ - 226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-4074944	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
2	**पूर्वी अंचल** **कोलकाता** पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम एवं पूर्वोत्तर राज्य	1 बी,-186 सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700106	033-23356989 033-23356994 033-23356998	फैक्स : 033-23356990 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
3	**उत्तरी अंचल** **पंचकुला** हरियाणा, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश	बे नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला 134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in
4	**दक्षिणी अंचल** **बेंगलूरू** आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुंडुचेरी	नं. 1/5, अलसूर रोड, बेंगलूरू-560042	080-25550240 080-25598244	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.nic.in
5	**पश्चिमी अंचल** **मुम्बई** महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टॉवर, 5वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22830985 022-22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
	परियोजना कार्यालय			
1	आंध्र प्रदेश	शिवरामपल्ली पोस्ट एनपीए, आरामघर के पास, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7, हैदराबाद-500052	040-24014034 040-24014420 040-64583563 040-64583569	फैक्स : 040-24014235 ई-मेल : zmhyderabad@recl.nic.in reclpohyd@yahoo.com
2	असम, नागालैण्ड एवं अरूणाचल प्रदेश	''श्रद्धा'' एम.जी रोड-जीएस रोड, क्रॉसिंग (सोहुम/एचडीएफसी प्वाइंट), क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी-781005	0361-2343712 0361-2343713 0361-2343714	फैक्स : 0361-2343712 ई-मेल : poguwahati@gmail.com poguwahati@recl.nic.in
3	बिहार	ब्लॉक-सी, चौथा तल, मौर्या लोक कांप्लेक्स, न्यू डाक बंगला रोड, पटना-800001	0612-2221131 0612-2224596	फैक्स : 0612-2224596 ई-मेल : popatna@yahoo.com popatna@recl.nic.in
4	गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली	प्लॉट नं. 585, टी.पी. स्कीम सं. 2, पुस्टी परिसर के पीछे, वीएमसी वार्ड कार्यालय के सामने, आत्मा ज्योति आश्रम रोड, सुभानपुरा, वडोदरा-390023	0265-2397487	फैक्स : 0265-2397652 ई-मेल : recvadodara@gmail.com povadodara@recl.nic.in
5	हरियाणा, चण्डीगढ़ एवं पंजाब	बे.नं. 7-8, सेक्टर-2, पंचकुला-134112	0172-2563864 0172-2563863 0172-2563822	फैक्स : 0172-2567692 ई-मेल : popanchkula@recl.nic.in
6	हिमाचल प्रदेश	पं. पदमदेव कमर्शियल कांप्लेक्स, फेज-II, प्रथम तल, दि रिज, शिमला-171001	0177-2653411 0177-2804077	फैक्स : 0177-2804077 ई-मेल : poshimla@recl.nic.in
7	जम्मू एवं कश्मीर	157-ए, गांधी नगर, अप्सरा सिनेमा के पीछे, जम्मू-180004	0191-2450868 0191-2450800	फैक्स : 0191-2450868 ई-मेल : pojammu@recl.nic.in

क्रम सं.	राज्य/संघ	पता	दूरभाष सं.	फैक्स/ई-मेल
8	झारखण्ड	ए-101 एवं डी-104 ओम श्री इंक्लेव, नजदीक लोयोला स्कूल, एयरपोर्ट रोड, हिनू, रांची-834002	0651-2253123	फैक्स : 0651-2251320 ई-मेल : rec_ranchi@yahoo.com poranchi@recl.nic.in
9	कर्नाटक	नं. 1/5, अलसूर रोड, बेंगलूरू-560042	080-25598244 080-25550240	फैक्स : 080-25598243 ई-मेल : pobangalore@recl.nic.in
10	केरल एवं लक्षद्वीप	'ओ'-5, चौथा तल, ''सफालियम'' कमर्शियल कांप्लेक्स, टीआरआईडीए भवन पलायम, तिरूवनंतपुरम-695034	0471-2328662 0471-2327132	फैक्स : 0471-2328579 ई-मेल : potrivandrum@recl.nic.in rectrivandrum@gmail.com
11	मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	मेट्रो मार्ग, द्वितीय तल, वेस्ट हॉल नं. 3, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462016	0755-2460006	फैक्स : 0755-2460008 ई-मेल : reccentralzone@yahoo.com
12	महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव	51-बी, मित्तल टावर, 5वीं मंजिल, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021	022-22830985 022-22833055	फैक्स : 022-22831004 ई-मेल : zmmumbai@recl.nic.in
13	मेघालय, मणिपुर एवं मिजोरम	'रिनाडी' ओल्ड जोवाई रोड, लाचूमियर, शिलांग-793001	0364-2210190 0364-2225687	फैक्स : 0364-2225687 ई-मेल : poshillong@recl.nic.in
14	ओडिशा	दीनदयाल भवन, 5वीं मंजिल, अशोक नगर, जनपथ, भुवनेश्वर-751009	0674-2536649 0674-2393206	फैक्स : 0674-2536669 ई-मेल : repobbsr@yahoo.co.in pobhubaneswar@recl.nic.in
15	राजस्थान	जे-4-ए, झलाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर-302004	0141-2706986 0141-2700161 0141-2707840	फैक्स : 0141-2706986 ई-मेल : pojaipur@recl.nic.in
16	तमिलनाडु एवं पडुचेरी	नं. 12 एवं 13 टी.एन.एच.बी. कांप्लेक्स, 180 लूज चर्च रोड, (लूज कार्नर) मायलापोर, चेन्नई-600004	044-24672376 044-24987960 044-24671196 044-24987841	फैक्स : 044-24670595 ई-मेल : pochennai@recl.nic.in cpmchennai@yahoo.com
17	उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड	19/8 इंदिरा नगर विस्तार, रिंग रोड, लखनऊ--226016	0522-2716324 0522-2717376 0522-4074944	फैक्स : 0522-2716815 ई-मेल : recuppo@yahoo.co.in zmlucknow@recl.nic.in
18	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, सिक्किम एवं अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1 बी,-186 सेक्टर-III, साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700106	033-23356989 033-23356994 033-23356998	फैक्स : 033-23356990 ई-मेल : zmkolkata@recl.nic.in
	उप-कार्यालय			
1	छत्तीसगढ़	केएच नं. 185/17, शान्ति विहार कॉलोनी, (स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकंडरी स्कूल के सामने) दौगानिया, रायपुर-492013	0771-2241055	फैक्स : 0771-2241055 ई-मेल : recraipur@yahoo.com
2	देहरादून	7, न्यू रोड, एमकेपी कॉलेज के सामने, देहरादून-248001	0135-2650766 0135-2650799	फैक्स : 0135-2650799
3	वाराणसी	एन-8/239, जे. नेवादा,सुन्दरपुर वाराणसी-221005	09415115102	-
	प्रशिक्षण केंद्र			
	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन	शिवरामपल्ली, पोस्ट-एन.पी.ए., आरामघर के पास, नेशनल हाइवे नं. 7, हैदराबाद-500052	040-24015897 040-24015901 040-64584526	फैक्स : 040-24015896 040-24018583 ई-मेल : cire@recl.nic.in cire.rec@gmail.com

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कोर-4, स्कोप परिसर, 7,लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 सीआईएनः एल40101डीएल1969जीओआई005095
टेली: +91 11 2436 5161 **फैक्स:** + 91 11 2436 0644 **ईमेल:** complianceofficer@recl.nic,in **website:** www.recindia.gov.in

उपस्थिति पर्ची

वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003, में बुधवार, 16 सितम्बर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जाने वाली 46वीं वार्षिक आम बैठक

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
*फोलियो संख्या	
डीपी आईडी संख्या	
क्लायंट आई डी संख्या	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रॉक्सी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में, यह तब भरा जाना है यदि सदस्य के स्थान पर प्राक्सी बैठक में उपस्थित हो रहा हो)।	

मैं, एतद्वारा बुधवार, 16 सितम्बर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे, **वेटलिफ्टिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003,** में आयोजित कंपनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।
*भौतिक रूप में शेयर धारित करने के मामले में लागू

____
सदस्य/प्राक्सी के हस्ताक्षर

टिप्पणियां

1. उपस्थिति पर्ची पर हस्ताक्षर कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, पंजीयक एवं अंतरण एजेंट (आरटीए)/ निक्षेपागार भागीदार (डीपी) के पास पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार किए जाने चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूर्ण तथा हस्ताक्षरित उपस्थिति पर्ची (पर्चियां) स्थल पर आरटीए काउंटर (रों) पर दी जानी चाहिए जिनके बदले आरटीए प्रवेश कार्ड देगा। सभागार में प्रविष्टि कठोरतापूर्वक आरटीए द्वारा दिए गए प्रवेश कार्ड के आधार पर होगी। स्वयं सदस्य तथा प्राक्सी धारक कृपया **पहचान/सत्यापन के प्रयोजनार्थ अपना फोटो पहचान पत्र साथ लेकर आएं।** 2. केवल स्वयं शेयरधारकों को या उनके पंजीकृत प्राक्सी को ही प्रविष्ट किया जाएगा। 3. **कठोर सुरक्षा कारणों से, मोबाइल फोन, ब्रीफकेस, खाने-पीने का सामान तथा अन्य सामान सभागार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारक(कों)/प्राक्सी धारक(कों) को अपने सामान की देखभाल स्वयं करनी होगी। 4. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किए जाएंगे।**

- ✂ -

आरईसी REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : कोर-4, स्कोप परिसर, 7,लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 सीआईएनः एल40101डीएल1969जीओआई005095
टेली: +91 11 2436 5161 **फैक्स:** + 91 11 2436 0644 **ईमेल:** complianceofficer@recl.nic,in **website:** www.recindia.gov.in

प्राक्सी प्रपत्र (प्रपत्र सं. एमजीटी-11)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में]

सदस्य(यों) का नाम	फोलियो सं./ डी पी आई डी - क्लांयट आईडी
पंजीकृत पता	
धारित शेयरों की संख्या	ई-मेल आईडी

मैं/हम उक्त कंपनी के ....शेयरों के सदस्य होने के नाते, एतद्वारा :

1.	नाम :			
	पता :		हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी :			
अथवा उनके न आने पर				
2.	नाम :			
	पता :		हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी :			
अथवा उनके न आने पर				
3.	नाम :			
	पता :		हस्ताक्षर	
	ई-मेल आईडी :			

बुधवार, 16 सितम्बर, 2015 को प्रातः 11.00 बजे वेटलिफटिंग ऑडिटोरियम, जवाहर लाल नेहरूस्टेडियम, भीष्मपितामह मार्ग, लोदी कालोनी, नई दिल्ली-110003 में आयोजित की जाने वाली कंपनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक में या उसकी किसी आस्थगित बैठक में मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से मेरे/हमारे प्राक्सी के रूप में भाग लेने तथा नीचे निर्दिष्ट संकल्पों पर मत डालने (मतदान में) के लिए नियुक्त करता हू/करते है :

क्र .सं.	विवरण
सामान्य कारोबार	
1.	31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी के लेखापरीक्षित तुलनपत्र तथा उस तिथि को समाप्त समेकित वित्तीय विवरण को उन पर निदेशक मंडल तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टो सहित प्राप्त करना, विचार करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।
2.	वित्त वर्ष 2014-15 के लिए कंपनी के इक्विटी शेयरों पर अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा अंतिम लाभांश की घोषणा करना।
3.	श्री प्रकाश ठक्कर (डीआईएन 01120152) जो क्रमानुचक्र द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा जिन्होंने पात्र होने के नाते अपनी नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।
4.	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक नियत करना।
विशेष कारोबार	
5.	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बांडों/ऋणपत्रों का निर्गम।
6.	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड की एनर्जी एफीशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल)अथवा किसी अन्य सहायक कंपनी (यों) के साथ लेनदेन करना।

..........2015 के .... दिन हस्ताक्षरित

यहां रुपए 1 की राजस्व टिकट लगाएं

शेयर धारक के हस्ताक्षर______________________ प्रॉक्सीधारक(कों) के हस्ताक्षर ______________________

- ✂ -

ईवीईएन (ई-मतदान इवेंट संख्या)	प्रयोक्ता आईडी	पासवर्ड/पिन

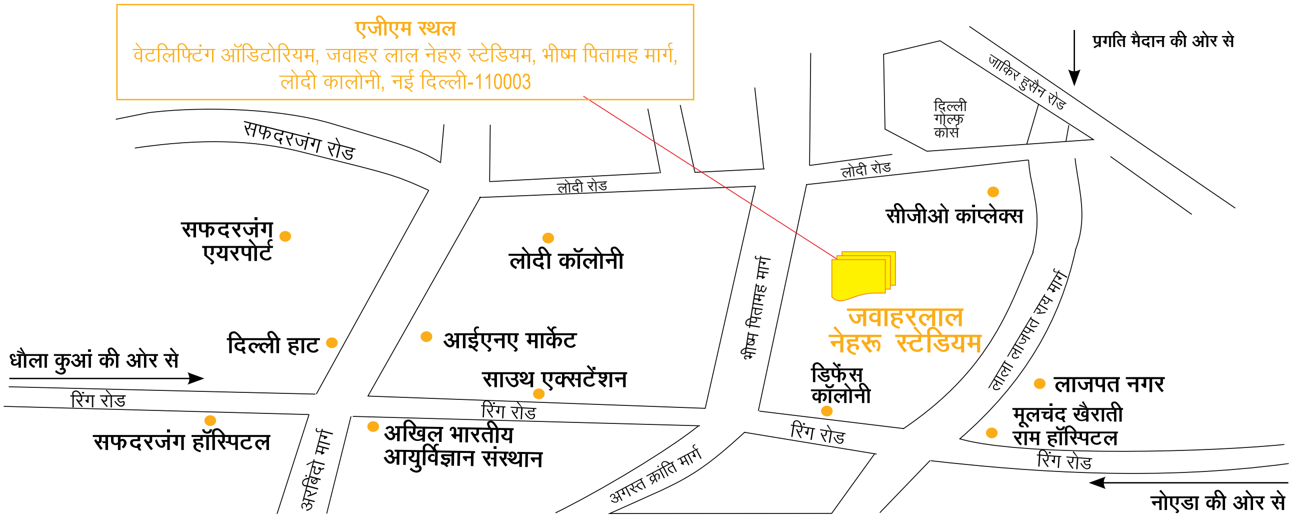

टिप्पणियां

(1) प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी का यह प्रपत्र विधिवत रूप से पूरा भरकर बैठक के आरंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराया जाना चाहिए।

(2) यह आवश्यक नहीं कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो।

(3) एक व्यक्ति अधिकतम पचास सदस्यों की ओर से, जिनके पास कंपनी की शेयर पूंजी के मतदान अधिकारों वाले कुल मिलाकर अधिकतम दस प्रतिशत शेयर हैं, प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक के मतदान अधिकार वाले शेयर धारण करने वाला व्यक्ति एक एकल व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करेगा तथा ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक की ओर से प्रॉक्सी के रूप मे कार्य नहीं करेगा।

आरईसी
REC
असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन
कारपोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110 003, फोनः 24365161
फैक्सः 24360644, ई-मेलः reccorp@recl.nic.in. वेबसाइटः www.recindia.nic.in

www.sapprints.com